55वीं वार्षिक प्रतिवेदन
2024 - 2025

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.
(भारत सरकार का उद्यम)

सामग्री प्रबंधन

अस्पताल एवं संस्थागत भवन

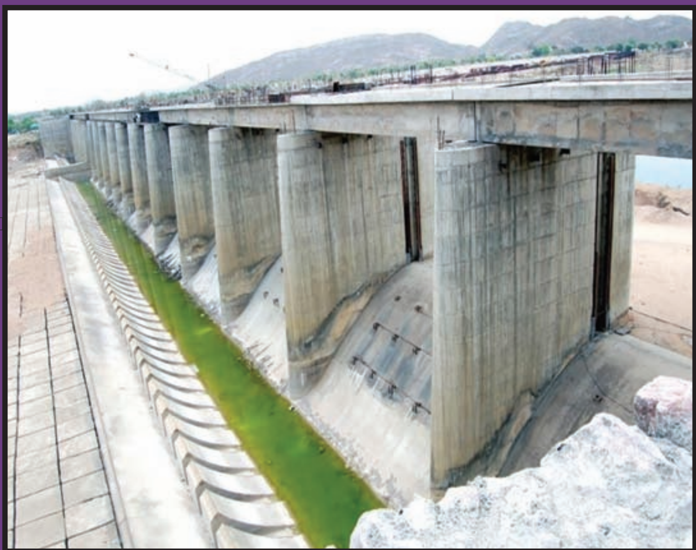
बांध, सिंचाई, जल आपूर्ति

सीमा बाड़ लगाना एवं सीमा प्रबंधन

नगर एवं प्रतिष्ठित भवन

औद्योगिक परियोजनाएँ

बंदरगाह, हवाई अड्डे एवं राजमार्ग

विषय–सूची

	पृष्ठ संख्या
संदर्भ सूचना	02
निदेशक बोर्ड	03
वरिष्ठ अधिकारी	04
गत पांच वर्षों की वित्तीय प्रस्थिति	06
अध्यक्ष का संदेश	07
55वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	11
निदेशक की रिपोर्ट और उसके उपाबंध	15
• प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट (उपाबंध–क)	32
• निगम शासन पर रिपोर्ट (उपाबंध–ख)	39
• निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट (उपाबंध–ग)	60
• सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट (प्रारूप सं. एमआर 3) और लेखापरीक्षकों के पर्यवेक्षण पर कंपनी का प्रत्युत्तर (उपाबंध–ड)	65
• कंपनी द्वारा नातेदार पक्षकारों के साथ की गई संविदाओं/ठहराव की विशिष्टियों का प्रकटन–प्ररूप एओसी–2 (उपाबंध–घ)	64
वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर कंपनी का प्रत्युत्तर	91
वित्तीय वर्ष 2023–24 के वित्तीय विवरण	128
भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां	179

संदर्भ सूचना

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय

कोर 3, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7 लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
फोन : 91–11–24361666
ई–मेल: epico@epi.gov.in
वेबसाइट: www.epi.gov.in

क्षेत्रीय कार्यालय

पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय–कोलकाता
ईसी–121, सेक्टर–1, साल्ट लेक सिटी,
कोलकाता–700064
फोन : (033) 40690059, (033) 40064469
ई–मेल: ero@epi.gov.in

पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय–मुंबई
'बख्तावर', 6ए, 6वीं मंजिल,
नरीमन पॉइंट, मुंबई– 400021
फोन: 91–22–22027585, 91–22–22028008
ई–मेल: wromumbai@epi.gov.in

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय–दिल्ली
कोर–3, 5वीं मंजिल, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7 लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
फोन: 91–11–24361666
ई–मेल: nro@epi.gov.in

दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय–चेन्नई
3डी, ईस्ट कोस्ट चौम्बर्स,
92, जी.एन. चेट्टी रोड,
टी. नगर, चेन्नई –600017
फोन: 91–44.28156293, 28156421
ई–मेल: sro@epi.gov.in

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय
चौथी मंजिल हिंदुस्तान टावर, जवाहर नगर,
राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 37, बेलटोला
गुवाहाटी –781022 (असम)
फोन: 0361–2962648
ई–मेल: nero@epi.gov.in

परियोजना कार्यालय

पीसीओ– हैदराबाद कार्यालय
फ्लैट सं. 308, सत्य साई अपार्टमेंट,
श्रीनिवास नगर (पूर्व), मेट्रो पिलर सं. ए1040,
अमीरपेट, हैदराबाद– 500038, तेलंगाना
ई–मेल: epil.pcohyd@epi.gov.in

पीसीओ–भुवनेश्वर कार्यालय
द्वितीय तल, खाता सं.– 081, प्लॉट सं–471,
जीए प्लॉट नंबर–108, सूर्य नगर,
यूनिट–07, भुवनेश्वर–751003,
खोरधा, ओडिशा
ई–मेल: rk.singh@epi.gov.in

विदेश में कार्यालय

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड–ओमान
पोस्ट बॉक्स नंबर 3251
पोस्टल कोड 112 रूवी
ओमान सल्तनत
ई–मेल: nk.verma@epi.gov.in

लेखा परीक्षक:

सांविधिक लेखा परीक्षक

वीएसडी एंड एसोसिएट्स
डीडी–34, बेसमेंट कालकाजी
नई दिल्ली –110019

शाखा लेखा परीक्षक

उत्तरी क्षेत्र शाखा लेखा परीक्षक
मैसर्स भुडलाडिया एंड कंपनी,
12/10, ईस्ट पटेल नगर,
नई दिल्ली–110008

पूर्वी क्षेत्र एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र शाखा लेखा परीक्षक
मैसर्स ए.आर. दास एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
37/बी/6 झील रोड, कोलकाता–700031

पश्चिमी क्षेत्र शाखा लेखा परीक्षक
मैसर्स निमेश मेहता एंड एसोसिएट्स
एक्सप्रेस जोन स्यूट सं. 612
छठा तल, ए विंग, वेर्स्टन एक्सप्रेस हाइवे
मलाड (पूर्वी), मुंबई–400097

दक्षिणी क्षेत्र शाखा लेखा परीक्षक
मैसर्स गोपाल एंड कंपनी (एमडी1073)
जमाल फजल चैम्बर्स
3 ई, तृतीय तल, न्यू नं. 26,
ओल्ड नं. 53 ग्रीम्स रोड,
थाउजेंड लाइट, चेन्नई–600006

विदेशी शाखा लेखा परीक्षक

श्रीलंका शाखालेखापरीक्षक
मैसर्स रणवीरा एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
58/10बी, चौथलेन, डी.एम. कोलंबेजमवाथा
कोलंबो, श्रीलंका

ओमान शाखा लेखापरीक्षक
मैसर्स हयाज ऑडिटर्स एंड मैनेजमैंट कनल्टैंसी
पी.ओ. बॉक्स: 3840, पी.सी.: 112,
रुवी, मस्कट, ओमान सल्तनत

म्यांमार शाखा लेखापरीक्षक
मैसर्स डावकल्यारविन, म्यांमार
कमरा नंबर 3ए, नंबर 20, बावगाथिकडी स्ट्रीट,
वार्ड 2, मायागोन टाउनशिप,
यांगून, म्यांमार

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स अनुज कुमार एंड कंपनी,
सी–II/183ए, न्यू अशोक नगर,
एमसीडी प्राइमरी स्कूल के पास,
दिल्ली–110096

सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स एमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
कंपनी सचिव
एमएनके हाउस, 9ए/9–10, बेसमेंट,
ईस्ट पटेल नगर,
नई दिल्ली–110008

मुख्य बैंकर

ऐक्सिस बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
केनरा बैंक
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
आईडीबीआई
इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी)
इंडसइंड बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

निदेशक बोर्ड

(एजीएम की तारीख के अनुसार)

श्री शिवेन्द्र नाथ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री दिबेंदु दास
निदेशक (वित्त)

श्री सुनील दहिया
निदेशक (परियोजनाएं)

श्री राजेश कुमार
अंशकालिक शासकीय निदेशक

डॉ. रेणुका मिश्रा
अंशकालिक शासकीय निदेशक

श्री अशोक शंकरराव मेंढे
अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक

वरिष्ठ कार्यपालक
(एजीएम की तारीख के अनुसार)

श्री पीयूष रंजन
मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)

श्रीमती श्वेता पाहुजा
कंपनी सचिव

श्री विश्वजीत बिस्वास
कार्यकारी निदेशक
(एनआरओ एवं बीडीडी एवं इंजीनियरिंग)

श्रीमती गीता आर. कृष्णन
कार्यकारी निदेशक (पी एंड एम)

श्री रत्नेश जैन
कार्यकारी निदेशक
(संविदा)

श्री समिक मिस्त्री
कार्यकारी निदेशक
(एनईआरओ एवं ईआरओ)

श्रीमती ए. भौमिक
समूह महाप्रबंधक
(कॉर्पोरेट कार्यालय)

श्री संजय गोयल
समूह महाप्रबंधक
(बीडीडी एवं इंजीनियरिंग)

श्री नवीन कुमार वर्मा
समूह महाप्रबंधक
(संविदा)

श्री शमसुल हसन
समूह महाप्रबंधक (बीडीडी इंजीनियरिंग एवं राजभाषा)

श्री शमीम अहमद
समूह महाप्रबंधक
(पीसीओ जयपुर एवं बीएसएनएल भारत नेट परियोजना)

श्री ए. गौतमन
समूह महाप्रबंधक
(एसआरओ, चेन्नई)

श्री ए.के. पात्रा
समूह महाप्रबंधक
(मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक)

श्री प्रशांत टी. वासनिक
समूह महाप्रबंधक
एसबीयू–2, गोंदिया (महाराष्ट्र)

श्री गौरव मनचंदा
समूह महाप्रबंधक
(डब्ल्यूआरओ, मुंबई)

श्री विजय कुमार सिंह
समूह महाप्रबंधक
(एसबीयू–3, विशाखापत्तनम)

श्री प्रवीण कुमार
समूह महाप्रबंधक
(एसवीपीआईए– परियोजना, अहमदाबाद)

श्रीमती सीमा पांडे
महाप्रबंधक (विधि)

श्री ए सुब्रमण्य गुप्ता
महाप्रबंधक (वित्त)

श्री राजेश कुमार सिंह
महाप्रबंधक
(पीसीओ, भुवनेश्वर)

श्री राकेश कुमार
महाप्रबंधक
(कॉर्पोरेट संचार प्रमुख)

श्री उत्पल पटवारी
महाप्रबंधक
(पीसीओ–भोपाल)

श्री रवींद्रनाथ मोथा
अपर महाप्रबंधक
(पीसीओ, हैदराबाद)

श्री राजीव पांडे
अपर महाप्रबंधक
सूचना प्रौद्योगिकी

श्रीमती अनामिका कश्यप
अपर महाप्रबंधक
(मानव संसाधन)

श्री तपस कुमार मुदुली
अपर महाप्रबंधक
(जन सूचना अधिकारी)

गत 5 वर्षों की वित्तीय प्रस्थिति

(राशि करोड़ रुपये में)

विशिष्टियां / वर्ष	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
क. प्रचालन सांख्यिकी					
घरेलू (क)	530.41	723.42	1,086.63	820.57	1,441.97
विदेशी (ख)	275.21	12.75	45.33	23.40	3.28
टर्नओवर (प्रचालन आय) (ग) = (क+ख)	**805.62**	**736.17**	**1,131.96**	**843.97**	**1,445.25**
अन्य आय (घ)	5.12	13.68	13.16	14.78	25.98
कुल आय (ङ) = (ग+घ)	**810.74**	**749.86**	**1,145.12**	**858.75**	**1,471.23**
कुल व्यय (च)	**843.11**	**806.51**	**1,137.56**	**913.20**	**1,459.83**
सकलमार्जिन (ज) = (ङ – च)	**(32.37)**	**(56.65)**	**7.56**	**(54.45)**	**11.40**
ब्याज	10.32	4.78	3.83	9.51	10.14
मूल्यह्रास	0.99	0.88	1.13	1.11	1.05
कर पूर्वलाभ (पीबीटी)	**(43.69)**	**(62.32)**	**2.60**	**(65.07)**	**0.20**
आयकर	6.06	2.75	2.16	(3.71)	.
करोपरांत लाभ (पीएटी)	**(49.74)**	**(65.06)**	**0.44**	**(61.36)**	**0.20**
प्रदत्त लाभांश*	0.28	.	.	.	.
आरक्षिति एवं अधिशेष में अग्रेनीत किया गया शेश	(50.02)	(65.06)	0.44	(61.36)	0.20
कर्मचारियों की संख्या	289	270	249	232	213
प्रत्येक 10 / – रुपये के इक्विटी शेयरों की संख्या	35422688	35422688	35422688	35422688	35422688
ख. वित्तीय स्थिति					
शेयरपूंजी	35.42	35.42	35.42	35.42	35.42
आरक्षिति एवं अधिशेष (मुक्त आरक्षिति)	113.12	48.06	48.50	(12.85)	(12.66)
सीएसआर आरक्षिति	.	.	.	.	.
निवल संपत्ति (शेयरधारकों की निधि)	**148.54**	**83.48**	**83.92**	**22.56**	**22.76**
नियोजित पूंजी	**148.54**	**83.48**	**83.92**	**22.56**	**22.76**
ग. वित्तीय अनुपात					
प्रति कर्मचारी टर्नओवर (लाख रुपये में)	2.79	2.73	4.55	3.64	6.79
सकल मार्जिन / टर्नओवर (%)	(4.02)	(7.70)	0.67	(6.45)	0.79
कर पूर्व लाभ (पीबीटी) / टर्नओवर (%)	(5.42)	(8.46)	0.23	(7.71)	0.01
कर पूर्व लाभ (पीबीटी) / निवल मूल्य (%)	(29.41)	(74.65)	3.10	(288.42)	0.90
करोपरांत लाभ (पीएटी) / निवल मूल्य (%)	(33.49)	(77.94)	0.53	(271.98)	0.90
प्रदत्त लाभांश / कर पूर्व लाभ (%)	3.48	.	.	.	.
प्रदत्त लाभांश / करोपरांत लाभ (%)	30.00	.	.	.	.
मूल और घटाया गया ईपीएस (रुपये में)	(14.04)	(18.37)	0.12	(17.32)	0.06
10 / – रुपये अंकित मूल्य वाले प्रति शेयर एनएवी	41.94	23.57	23.69	6.37	6.42

*वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान प्रदत्त लाभांश वित्त वर्ष 2019–20 से संबंधित है।

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय सम्मानित शेयरधारको,

कंपनी की 55वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना और वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान हमारे कार्य–निष्पादन के साथ हमारी नई पहलों और भावी योजनाओं का विवरण प्रदान करना मेरे लिए अत्यंत सम्मान का क्षण है।

मुझे यह बताते हुए अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान उल्लेखनीय रूप से बेहतर वित्तीय कार्य–निष्पादन किया है। ईपीआईएल अनवरत विकास पथ पर अग्रसर है, जिसने 71 प्रतिशत की प्रभावशाली राजस्व वृद्धि और बेहतर ईबीआईटीडीए मार्जिन हासिल किया है, जो हमारी परिचालन उत्कृष्टता और कार्यानीतिक निष्पादन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की झलक प्रस्तुत करता है।

एकल आधार पर, कंपनी ने 1,445 करोड़ रुपये का कुल कारोबार किया, जो स्थायी मूल्य सृजन की हमारी यात्रा में अभूतपूर्व उपलब्धि है।

मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, भारी चुनौतियों, उतार–चढ़ाव और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद, हमने ईपीआई के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक **घरेलू कारोबार** किया है। यह संगठन से जुड़े सभी लोगों के अथक परिश्रम, समर्पण और अटूट विश्वास व प्रतिबद्धता के कारण ही संभव हुआ है।

हमने नए कारोबार में विविधता लाने में सफल हुए है जैसेः

- दिल्ली में विभिन्न स्थानों (सुखदेव विहार बस डिपोध्बंधा बहादुर डिपो) पर डीटीसी के लिए भूखंड/बस टर्मिनल का विकास, जिसका अनुमानित मूल्य 1000 करोड़ रुपये है।
- भारत नेट चरण III परियोजना के लिए पी.के.जी. I और II हेतु स्वतंत्र इंजीनियर, अनुमानित मूल्य 288 करोड़ रुपये।.
- ईपीआई ने जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति अवसंरचना प्रणालियों की लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ सफलतापूर्वक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

यह उपलब्धि न केवल बड़े पैमाने की परियोजनाओं के प्रबंधन की हमारी क्षमता को दर्शाती है, अपितु भविष्य में हम जो हासिल कर सकते हैं, उसके लिए एक नया मानक भी स्थापित करती है। यह यात्रा कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के अथक परिश्रम और समर्पण के कारण संभव हुई है। उनकी कड़ेपरिश्रम, अनुकूलनशीलता और प्रतिबद्धता ने ईपीआईएल को एक उज्जवल और अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वर्ष 2024–25 के लिए वित्तीय कार्य निष्पादन का सार

- परिचालन से राजस्व पूर्व वर्ष यह 844 करोड़ रुपयेके सापेक्ष 1445 करोड़ रुपये रहा, जो 7 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।
- करोपरांत लाभ (पीएटी) पूर्व वर्ष के 61.36 करोड़ रुपयेके सापेक्ष 0.20 करोड़ रुपये रहा।
- कंपनी की निवल संपत्ति पूर्व वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि दर्ज करते हुए 22.56 करोड़ रुपये से बढ़कर 22.76 करोड़ रुपये हो गई।

परिचालन कार्य–निष्पादनः

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान हमारे कारोबार में योगदान देने वाली प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

- राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के लिए भारतमाला परियोजना के अंतर्गत गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 के मौजूदा चार लेन वाले जेतपुर–गोंडल–राजकोट खंड को किमी 117.600 से किमी 185.00 तक छह लेन में चौड़ीकरण।
- चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग, महाराष्ट्र सरकार के लिए गोंदिया जिले में 150 सीटों वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज सह 650 बिस्तरों वाले अस्पताल और संबद्ध भवनों का संनिर्माण, नया मंत्रालय, मुंबई।
- एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के लिए फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) सिस्टम पैकेज, रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, चरण III (1x500 मेगावाट), रामागुंडम।
- गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, वडोदरा के लिए यूकेएआई, गुजरात द्वारा 03 वर्ष के व्यापक ओ एंड एम संविदा के साथ उकाई टीपीएस की 500 मेगावाट इकाई संख्या 6 के लिए एफजीडी प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण।
- आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ईएमआरएस परियोजनाओं का संनिर्माण।

राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धताः

भारत सरकार के एक उद्यम के रूप में, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाना है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के अनुरूप, हमने स्वदेशी तकनीकों, स्थानीय स्तर पर प्राप्त सामग्रियों और नवीन निर्माण विधियों के उपयोग पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। हमारी भूमिका संरचनाओं के निर्माण से कहीं आगे जाती है, हम विश्वास, आत्मविश्वास और समावेशी विकास के लिए एक ढाँचा तैयार करते हैं।

कंपनी ने किफायती आवास, स्मार्ट सिटी, आदिवासी छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए बुनियादी ढाँचे सहित सरकारी पहलों में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। ये प्रयास न केवल तात्कालिक सार्वजनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अपितु आर्थिक विकास और सामाजिक समता पर दीर्घकालिक प्रभाव भी डालते हैं।

हमारी विरासत और पहुंचः

गत पाँच दशकों में, ईपीआई ने भारत में 657 से अधिक और विदेशों में 34 परियोजनाएँ अनेक भिन्न–भिन्न परियोजनाएँ सफलतापूर्वक पूरी की हैं। हमारा कार्यक्षेत्र बिजली, इस्पात, पेट्रोकेमिकल्स, नागरिक अवसंरचना, उपयोगिताएँ, परिवहन, संस्थागत भवन, अस्पताल, खेल परिसर, जल आपूर्ति प्रणालियाँ, अनुसंधान केंद्र और भारी उद्योगों के अंतर्गत फैला हुआ है।

लोगः हमारी ताकतः

ईपीआई की सबसे बड़ी संपत्ति इसके इंजीनियर, परियोजना प्रबंधक, तकनीशियन और सहायक टीमें हैं जो प्रतिबद्धता, विशेषज्ञता और ईमानदारी की मिसाल पेश करते हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभाओं का पोषण, कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करना और नवाचार को बढ़ावा देना हमारी मानव पूँजी कार्यनीति का केंद्रबिंदु है।

हम सफल परियोजनाओं को पूरा करने में एक योग्य और सक्षम टीम की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हैं। जनशक्ति भर्ती में चुनौतियों के बावजूद, हम अस्थायी नियुक्तियों के माध्यम से इस बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

स्थिरता और पर्यावरण प्रबंधन:

- परियोजनाओं के माध्यम से सभी ईपीआई परिचालन सभी ग्रीन फील्ड परियोजनाओं में पर्यावरण मानकों के अनुपालन का आश्वासन देते हैं।
- डिजाइन मानकों का कार्यान्वयन इस प्रकार किया जाएगा कि सभी परियोजनाएं समाज के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन और स्थिरता सुनिश्चित करेंगी।

ग्राहक एवं साझेदार सहभागिता:

- समय पर डिलीवरी के लिए ग्राहक के साथ संबंध बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है।
- ईपीआई पर ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि और ग्राहकों द्वारा बार–बार ऑर्डर प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं तथा अन्य सभी परियोजनाओं के लिए भी यही प्रयास किया जाएगा।
- इस वर्ष कारोबार विकास और अधिक कारोबार बुकिंग के आश्वासन के लिए साझेदारी अभियान एक प्रमुख पहल है।

एमओयू के अधीन कार्य निष्पादन:

हमारी कंपनी को पत्र संख्या एम–03/0021/2022–डीपीई (एमओयू) दिनांक 25.10.2022 के अधीन डीपीई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट दी गई है। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2025–26 से हम अपने प्रशासनिक मंत्रालय (एमएचआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे।

लाभांश:

लाभ और नकद की अपर्याप्तता के कारण, आपके निदेशकों ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

निगमशासन:

कंपनी अपने शेयरधारकों और अन्य सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन के उद्देश्य से स्थायी कारोबार के लिए अच्छे निगम शाासन प्रथाओं को अनिवार्य मानती है। कंपनी का मानना है कि पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही हितधारकों का विश्वास बनाने और स्थायी सफलता सुनिश्चित करने के अभिन्न अंग हैं। हम भारत सरकार, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र' के उद्यमों के लिए निगम शासन संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करते रहेंगे।

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयत्ता:

ईपीआईएल स्थिरता और समावेशी विकास के उद्देश्य से विभिन्न पहलों के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आगे की राह/कार्यनीति का निरूपण:

वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यादेश हासिल करने, विशेष एजेंसियों के साथ कार्यनीतिक सहयोग बनाने, नए डिजाइन उन्मुख क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कारोबार विकास पहल की गई है।

बाजार की स्थिति के विश्लेषण के पश्चात, भारत में आज की तारीख में बुनियादी ढाँचा और विशेष रूप से औद्योगिक, आईटी क्षेत्र से संबंधित कार्य प्रमुख प्रेरक हैं। औद्योगिक और आईटी क्षेत्र में निवेश के लिए सरकार की विभिन्न पहलों

और इन क्षेत्रों में निवेश लाने से विभिन्न अवसर पैदा हुए हैं और ईपीसी कंपनी के रूप में हमारी ताकत और मजबूत हुई है।

निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए, ईपीआई ने नए क्षेत्रों में विविधता लाने का लक्ष्य रखा है जैसे

- भारत में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति अवसंरचना प्रणालियों की लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ सहयोग।
- सुरक्षा निगरानी जैसी व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली।
- डेटा सेंटर अवसंरचना
- तृतीय पक्ष गुणवत्ता निरीक्षण/स्वतंत्र इंजीनियर
- रियल एस्टेट– उपलब्ध भूमि का पुनर्विकास/रुका हुई परियोजना
- सतत विकास को बढ़ाने के लिए पीएमसी आधार पर उच्च मूल्य परियोजना और ईपीसी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना।
- विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ सहयोगियों/प्रौद्योगिकी साझेदारों के साथ पहले टाई–अप करते हुए विभिन्न व्यावसायिक अवसरों के लिए कार्यनीति में परिवर्तन।

आभारः

मैं भारत सरकार, सम्मानित बोर्ड सदस्यों, हमारे ग्राहकों, साझेदारों और हितधारकों के प्रति उनके अनवरत समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने उन कर्मचारियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिनकेअथक परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता ही हमारी सफलता की असली प्रेरक शक्ति है। हम सब मिलकर बुनियादी ढाँचे के विकास में उत्कृष्टता प्राप्त करते रहेंगे, राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान देंगे और ईपीआई की विरासत को गर्व के साथ कायम रखेंगे।

अंत में, हम इसी आशा के साथ भविष्य की ओर अग्रसर हैं, तथा अपने सभी प्रयासों में विकास, नवाचार और उत्कृष्टता की तलाश के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ह/–
(शिवेन्द्र नाथ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

तारीख : 10.09.2025
स्थानः नई दिल्ली

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
सीआईएनः यू27109डीएल1970जीओआई117585
रजिस्ट्रीकृत कार्यालयः कोर–3 स्कोप कॉम्प्लैक्स 7, लोधी रोड़, नई दिल्ली –110003
फोन न.91–11–24361666, ईमेलः **csd@epi.gov.in**
वेबसाइटः www.epi.gov.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई) के सदस्यों की 55वीं वार्षिक साधारण बैठक वीडियो संगोष्ठी/अन्य श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा निम्नलिखित कारबार का संव्यवहार करने के लिए **सोमवार, 22 सितंबर 2025 को अपराह्न 03:00** बजे सांय आयोजित की जाएगीः

साधारण कारबार

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) एवं प्रबंधन के प्रत्युत्तर, यदि कोई हों, को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अंगीकृत करना तथा उपांतरण(णों) सहित या उसके बिना निम्नलिखित संकल्प पारित करनाः

   'यह **संकल्प लिया जाता है** कि 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियां और 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा के साथ टिप्पणं और उपाबंध तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और अपने उपबंधों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट जिसके अंतर्गत प्रबंध चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट, निगम शासन पर रिपोर्ट एवं निगम सामाजिक दायित्व और भरणीय रिपोर्ट, सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट, संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/इन्तजामों की विशिष्टियों के प्रकटन के लिए ई–प्ररूप एओसी–2 जैसाकि बैठक के समक्ष अधिकथित है एतद्द्वारा अनुमोदित तथा अंगीकृत किया जाता हैं।''

2. वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए साम्या शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना।

   निदेशक मंडल ने 24 जून, 2025 को आयोजित अपनी 292वीं बैठक में हानि एवं अपर्याप्त निधि को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए शून्य लाभांश का प्रस्ताव किया है। अतः वित्तीय वर्श 2024–25 के लिए लाभांष 'शून्य' है।

विशेष कारबार

3. निदेशक मंडल द्वारा मंडल की 292वीं बैठक में (लेखा परीक्षा समिति द्वारा यथा संस्तुत) यथा अनुमोदित, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना और इस संबंध में विचार करना तथा उचित पाए जाने पर साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करनाः

'**यह संकल्प लिया जाता है** कि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उपबंधों के अनुसरण में लेक्षापरीक्षा समिति द्वारा यथा संस्तुत एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित 40,000/– रुपए (चालीस हजार रुपए मात्र) में लागू कर जोड़कर, (परिवहन भत्ता/महंगाई भत्ता तथा फुटकर व्यय सहित) मैसर्स अनुज कुमार एंड कंपनी, लागत लेखाकार को वित्तीय वर्श 2025–26 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में संदत्त किया जाएगा और इसकी एतद्द्वारा अनुसमर्थन तथा पुष्टि की जाती है।''

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
ह./–
(शिवेन्द्र नाथ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ईमेलः *csd@epi.gov.in*

तारीखः 29 अगस्त, 2025
स्थानः नई दिल्ली

टिप्पणः

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने परिपत्र दिनांक 25.09.2023, 28.12.2022, 05.05.2022, 13.01.2021, 05.05.2020, 13.04.2020 एवं 08.04.2020 (जिन्हें सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्र कहा जाए) के साथ पठित दिनांक 19 सितंबर, 2024 के परिपत्र द्वारा कंपनियों को वार्षिक साधारण बैठक (''एजीएम''/''बैठक'') वीडियो संगोष्ठी या अन्य श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित करने की अनुज्ञा दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबधों और एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं। वार्षिक साधारण बैठक को कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में आयोजित किया गया समझा जाएगा।

2. अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र कंपनी का कोई सदस्य उसके द्वारा लिखित में सम्यक्तः हस्ताक्षरित प्रॉक्सी को उसके स्थान पर भाग लेने और मत देने के लिए नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि एजीएम वीसी/ओएवीएस सुविधा के माध्यम से आयोजित की जा रही है, सदस्यों की भौतिक रूप से उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। सदस्यों द्वारा सदस्यों द्वारा वार्षिक साधारण बैठक के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति उपलब्ध नहीं है इसलिए प्रॉक्सी की नियुक्ति लागू नहीं है और इसलिए प्रॉक्सी प्ररूप, उपस्थिति पर्ची और रूट मानचित्र को इस सूचना के साथ उपाबद्ध नहीं किया गया है।

3. निगमित सदस्यों को मंडल के संकल्प की वीसी/ओएवीएम भाग लेने के लिए प्रतिनिधि को और उनके निमित्त मतदान करने के लिए प्राधिकृत करने के मंडल के संकल्प की सम्यक्तः स्कैन की गई प्रति भेजने का अनुरोध किया जाता है। कथित संकल्प/प्राधिकृत किए जाने को उसके रजिस्ट्रीकृत ईमेल पते पर cmd@epi.gov.in को मार्क की गई प्रति के साथ ईमेल के माध्यम से csd@epi.gov.in पर भेजें।

4. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) और विशेष कारबार के संबंध में साधारण बैठकों पर सचिवालय मानक 2 जैसा कि ऊपर दिया गया है, के अनुसरण में सुसंगत स्पष्टीकरण कथन इसके साथ उपाबद्ध है।

5. अधिनियम की धारा 103 के उपबंधों के अनुसरण में, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को गणपूर्ति के प्रयोजनार्थ गणना में लिया जाएगा।

6. कंपनी के कोई भी निदेशक किसी भी तरह से एक दूसरे के नातेदार नहीं है।

7. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ई–वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने की सुविधा ई–वार्षिक साधारण बैठक के अनुसूचित आरंभ होने के समय से 15 मिनट पहले तक और 15 मिनट पश्चात तक खुली रहेगी।

8. संलग्न सूचना में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज निरीक्षण के लिए कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों पर (शनिवार और रविवार को छोड़कर) वार्षिक साधारण बैठक की तारीख तक उपलब्ध हैं।

9. भारत का महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक सरकारी कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अनुसरण में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति यह पुनः नियुक्ति करता है और उनका परिश्रमिक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142 के अनुसरण में शेयरधारकों द्वारा साधारण बैठक में या ऐसी रीति में नियत किया जाता है जो कंपनी साधारण बैठक में अवधारित करे। ईपीआई के शेयरधारकों ने 29 सितंबर 2014 को आयोजित 44वीं वार्षिक साधारण बैठक में, मंडल को, सांवधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को वित्तीय वर्ष 2013–14 के पश्चात नियत करने के लिए प्राधिकृत किया है। तद्नुसार, निदेशक मंडल ने [illegible]

र्ष 2024–25 के लिए निगम कार्यालय तथा शाखा कार्यालय (विदेशी शाखा को छोड़कर) की सांवधिक लेखापरीक्षा के सापेक्ष 10.85 लाख रुपए (जमा लागू कर) की कुल फीस नियत की थी।

10. अधिनियम की धारा 129(3) के उपबंधों के अनुसरण में, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में अधिनियम में यथा परिभाषित कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण कंपनी के सदस्यों द्वारा विचारार्थ और अंगीकृत करने के लिए प्रस्तुत हैं। चूंकि ईपीआई की अनुशंगी कंपनी अर्थात् "ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट लिमिटेड" को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) द्वारा वित्तीय वर्श 2023–24 अर्थात् 20.07.2023 के दौरान हटा दिया गया है और उसका विघटन कर दिया गया है।अतः समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में मद संख्या 3 के संबंध में स्पष्टीकरण कथन यथा टिप्पण के उपरोक्त बनने वाले भाग में विहित है:

मद संख्या 3: लागत लेखाकार के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों पर मैसर्स अनुज कुमार एंड कंपनी, लागत लेखापाल को वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने हेतु लागत लेखा परीक्षक के रूप में 40,000/– रुपए (चालीस हजार रुपए मात्र) जमा लागू कर पर नियुक्त किया था। कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उपबंधों के अनुसरण में, लागत लेखाकार को संदेय पारिश्रमिक कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुसमर्थित होना चाहिए। तदनुसार सूचना की मद संख्या 3 पर संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन और अनुसमर्थन के लिए रखा जाता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति या उनके नातेदार किसी भी प्रकार से मद संख्या 3 में रखे गए संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा संबंधित या हितबद्ध नहीं है।

सेवा में:

1. ईपीआईएल के सभी शेयरधारक
2. ईपीआईएल के सांविधिक लेखा परीक्षक
3. ईपीआईएल के सचिवालयी लेखा परीक्षक
4. ईपीआईएल के लागत लेखा परीक्षक
5. ईपीआईएल के सभी निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सचिव, भारत सरकार,
   भारी उद्योग मंत्रालय,
   उद्योग भवन, नई दिल्ली–110001

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

(शिवेन्द्र नाथ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ईमेल: ***csd@epi.gov.in***

तारीख: 29 अगस्त, 2025
स्थान: नई दिल्ली

नामांकन प्ररूप :

सेवा में

कंपनी सचिव,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, (ईपीआईएल)
सीआईएन : यू27109डीएल1970जीओआई117585,
कोर–3 स्कोप कॉम्प्लैक्स,
7, लोधी रोड़, नई दिल्ली –110003

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं श्री/श्रीमती...

(नाम)

....

(पदनाम)

को मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए 22 सितम्बर, 2025 (सोमवार) को 3:00 बजे आयोजित होने वाली ईपीआई के शेयरधारकों की 55वीं वार्षिक साधारण बैठक और (तत्संबंधी कोई अन्य स्थगित बैठक) में मेरे नामनिर्देशिती के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूं।

धन्यवाद,

भवदीय

ह0/–
पदनाम
मुहर और मुद्रा

स्थान :
तारीख :

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनी के कार्य निष्पादन पर 55वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है।

1. वित्तीय विशेषताएं

वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनी का प्रचालन टर्नओवर पूववर्ती वर्ष में प्राप्त 84,397 लाख रूपए के टर्नओवर के सापेक्ष 1,44,525 लाख रुपए रहा। इस अवधि के दौरान कर पूर्व लाभ, वर्ष 2023–24 में हुई 6507 लाख रूपए की कर पूर्व हानि की तुलना में 20 लाख रुपए रहा।

वर्ष 2024–25 के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष में तत्स्थानी आंकडों के साथ आपकी कंपनी की वित्तीय विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	2024–25	2023–24
1.	प्रचालन टर्नओवर	1,44,525	84,397
2.	अन्य आय	2,598	1,305
3.	कुल आय	1,47,123	85,702
4.	समग्र मार्जिन	1,139	(5610)
5.	संदत्त ब्याज	1,014	786
6.	मूल्यह्रास	105	111
7.	कर पूर्व लाभ/हानि	20	(6507)
8.	कर	0	(371)
9.	करोपरांत लाभ/हानि	20	(6136)
10.	निवल मूल्य	2276	2256

कंपनी का निवल मूल्य 2,256 लाख रुपए से बढ़कर 2.276 लाख रुपए हो गया जो गत वर्ष की तुलना में 0.89 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। वर्ष 2024–25 में नियोजित पूंजी पर रिटर्न वर्ष 2023–24 में 271.93 प्रतिशत के सापेक्ष –0.88 प्रतिशत है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (''सीसीईए'') का 17 फरवरी 2016 का समान केंद्रीय पब्लिक सेक्टर के उपकर्मों के साथ विलयन के संबंध में विलयन द्वारा कार्यनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया के विनिश्चय को सीसीईए की 13 फरवरी, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में सभी पात्र सीपीएसई और प्राइवेट सेक्टर के अस्तित्व को विनिवेश की बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अभिज्ञात करने के लिए और आगे उपांतरित किया गया।

इसके अतिरिक्त आस्ति मुद्रीकरण (दीपम विनिवेश योजना के अधीन) के कार्यकलाप की प्रक्रिया चल रही है और आपकी कंपनी इस संबंध में समय–समय पर जारी सभी नीतियों/मार्गदर्शक सिद्धातों/ढांचे इत्यादि का कड़ाई से पालन कर रही है।

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के अनुदेशों की अनुपालना में भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/एबी के कब्जे में भूमि के अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए पुनरीक्षण और मॉनिटरी तंत्र को परिभाषित करने के लिए एक कार्य योजना मैट्रिक्स में यह सूचित किया गया है कि आपकी कंपनी के पास मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर (राजस्थान) में एक कार्यशाला/भंडारण के प्रयोजन के लिए 10000 वर्ग मीटर की पट्टा धृत भूमि है। यह पट्टा 7 सितंबर, 1998 से 99 वर्ष की अवधि के लिए धृत है।

2. पूंजीगत ढांचा

कंपनी की प्राधिकृत और संदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 909.40 करोड़ रुपए (जिसे 10 रुपए प्रत्येक के 909,404,600 साम्य शेयरों में विभाजित किया गया है) और 35.42 करोड़ रुपए (जिसे 10 रुपए प्रत्येक के क्रमशः 35,422,688 साम्य शेयरों में विभाजित किया गया है) है।

3. लाभांश एवं आरक्षितियां

आपके निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अत्यल्प लाभ और नकद की अपर्याप्तता के कारण किसी लाभांश (अंतिम/अंतरिम) की सिफारिश नहीं की है।

तदनुसार, आरक्षतियों और अधिशेष लेखे में 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार शेष धनराशि (1286) लाख रुपए है।

4. एकीकृत रिपोर्ट

रिपोर्ट का नाम	एकीकृत रिपोर्ट
प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण	क
निगम शासन रिपोर्ट	ख
निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) रिपोर्ट	ग
सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट	घ
प्ररुप एओसी–2	ङ

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट कंपनी के कार्यों, उसके कारोबारी माहौल, मिशन और उद्देश्यों, दृष्टिकोण, परिचालन कार्य निष्पादन, उसके संसाधनों और प्रणालियों, शक्तियों, अवसरों, बाधाओं, जोखिमों और चिंताओं, कार्यनीतियों, संभावनाओं आदि का अवलोकन प्रदान करती है **(उपाबंध–क)**।

निगम शासन रिपोर्ट में कंपनी के निगम शासन और प्रमुख मूल्यों पर दर्शन, निदेशक मंडल और उसकी समितियों की संरचना, निदेशकों की उपस्थिति और पारिश्रमिक आदि, अन्य सुसंगत प्रकटन, सीईओ/सीएफओ प्रमाणन और शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारी पर प्रकाश डाला गया है। डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अनुपालन प्रमाणपत्र आवश्यक हैं। **(उपाबंध–ख)।**

- वित्तीय विवरणों की प्रामाणिकता के संबंध में मुख्य कार्यकारी कार्यालय (सीईओ) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) से प्रमाण पत्र **(उपाबंध''ख–1'पर संलग्न है');** और

- निगम शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार वर्ष 2024–25 के दौरान मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों से आचार संहिता के अनुपालना की प्राप्ति की संपुष्टि करते हुए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र **(उपाबंध ''ख–2'' पर संलग्न है)** और

- निगम शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार, व्यवसायरत कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित निगम शासन की अनुपालना का प्रमाण पत्र **(उपाबंध ''ख–3'' पर संलग्न)**।

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) रिपोर्ट में वर्ष के दौरान ईपीआईएल की योजनाओं, नीति, बजट, व्यय, परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया और सीएसआर गतिविधियों को दर्शाया गया है। **(उपाबंध–ग)**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी का **सचिवीय लेखा परीक्षा** करने हेतु **मैसर्स एमएनके एंड एसोसिएट्स, व्यवसायरत कंपनी सचिव** को नियुक्त किया है। सचिवीय लेखा परीक्षाा रिपोर्ट **उपाबंध'–घ''** पर संलग्न है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अधीन आवश्यक नातेदार पक्षकार संव्यवहार का प्रकटलन प्ररूम''एओसी–2'' में **उपाबंध–'ङ'** पर संलग्न है।

5. विपणन उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, कंपनी ने 1357.08 करोड़ मूल्य की परियोजनाएँ हासिल की हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में हासिल की गई प्रमुख परियोजनाएँ इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	परियोजना का नाम और स्थान	ग्राहक	मूल्य (करोड़ रुपए में) (जीएसटी को छोड़कर)
1	दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर डीटीसी के भूखंडों/बस टर्मिनल (सुखदेव विहार बस डिपो/बीबीएम डिपो (i,ii,iii) के विकास के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए)/परियोजना निष्पादन एजेंसी (पीईए)	दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी)	905.08
2	बास्टा, बालासोर में अत्याधुनिक स्वच्छ थोक मछली बाजार का संनिर्माण	मत्स्य निदेशालय, ओडिशा, कटक	66.31
3	आश्रम स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड करने तथा हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने तथा अन्य के लिए परियोजना कोड कार्यादेश	एसटी एवं एससी विकास विभाग, एम एवं बीसीडब्ल्यू विभाग, ओडिशा सरकार	50.00
4	एनएचएम पीआईपी–2024–26 के अंतर्गत मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एसडीएच (जी+4) का संनिर्माण।	सीडीएमओ, रायरंगपुर, मयूरभंज, ओडिशा	43.37

5	आईसीडीएस अधिकारियों जैसे डब्ल्यूओएस/एडीडब्ल्यूओएस/सीडीपीओएस/पर्यवेक्षकों/एसए के लिए आवासीय क्वार्टरों का संनिर्माण और डब्ल्यू एंड सीडी विभाग से संबंधित अन्य संनिर्माण संकर्म।	महिला एवं बाल विकास विभाग, ओडिशा सरकार।	37.66
6	ओडिशा सरकार के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग से संबंधित केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) संकर्मों के अंतर्गत बहुउद्देशीय केंद्र (एमपीसी) का संनिर्माण। (जमा आधार पर पीएमसी संकर्म)	एसटी एवं एससी विकास विभाग, ओडिशा सरकार	36.18
7	चरण–I के अंतर्गत चेन्नई क्षेत्र में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के स्वामित्व वाली विभिन्न विद्युत/विद्युत–यांत्रिक सेवाओं, उपकरणों और संयंत्रों के संचालन सहित सिविल और विद्युत संकर्मों का डिजाइन और परामर्श, नव निर्माण, नवीनीकरण, मरम्मत और अनुरक्षण। (जमा आधार पर पीएमसी संकर्म)	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, चेन्नई	30.00

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार भारत और विदेश में चल रही प्रमुख परियोजनाएं:

क्र. सं.	परियोजना कोड	नाम एवं स्थान	ग्राहक का नाम	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार वर्तमान परियोजना का मूल्य (जीएसटी को छोड़कर)
1	987	दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर डीटीसी के भूखंडों/बस टर्मिनल (सुखदेव विहार बस डिपो/बीबीएम डिपो (i,ii,iii) के विकास के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए)/परियोजना निष्पादन एजेंसी (पीईए)	दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी)	905.08
2	905	गोंदिया मेडिकल कॉलेज:जिला गोंदिया, महाराष्ट्र में 150 सीटों वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज, 650 बिस्तरों वाले अस्पताल और संबद्ध भवनों का संनिर्माण।	चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग, महाराष्ट्र सरकार। नया मंत्रालय, मुंबई–400001	632.77
3	912	भारतमाला परियोजना के अंतर्गत ईपीसी मोड पर गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर किमी 117.600 से किमी 185.00 तक मौजूदा चार लेन वाले जेतपुर–गोंडल–राजकोट खंड को छह लेन में चौड़ीकरण।	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली	614.45

4	968	यूकेएआई टीपीएस की 500 मेगावाट इकाई संख्या 6 के लिए एफजीडी प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण, 03 वर्ष के व्यापक ओ एंड एम अनुबंध के साथ, यूकेएआई, गुजरात	गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, वडोदरा, भारत – 390007	532.32
5	833, 870 से 882 तक	महाराष्ट्र में 14 स्थानों पर ईएमआरएस स्कूलों का सिंनर्माण	राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसाइटी, (ईएमआरएस प्रभाग) जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	417.57
6	830, 859 से 869 तक	गुजरात में 12 स्थानों पर ईएमआरएस स्कूलों का संनिर्माण	राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसाइटी, (ईएमआरएस प्रभाग) जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	322.25
7	838, 925 से 931 तक	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर के कोटा–मथुरा खंड पर मौजूदा लेवल क्रॉसिंग के पीकेजी. आरओबी 11 निर्माण कार्यों का निष्पादन। (8 अवस्थानों के लिए पीएमसी आधार पर।)	समझौता ज्ञापन, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	281.02
8	947	कट्पडी रेलवे स्टेशन, कट्पडी, तमिलनाडु का प्रमुख उन्नयन/पुनर्विकास।	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय, दक्षिण रेलवे, 183, ईवीआर हाई रोड, चेन्नई–600008	279.09
9	834। ए 915 से 922 तक	आंध्र प्रदेश में 09 अवस्थानों पर ईएमआरएस स्कूलों का संनिर्माण	राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसाइटी, (ईएमआरएस प्रभाग) जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	242.02
10	967	डब्ल्यूपी–07 के अंतर्गत सेवाओं के साथ–साथ स्कूल, अस्पताल, ऑडिटोरियम और खेल सुविधाओं (ईपीसी मोड पर भवन/संरचनाएं) सहित प्रशासनिक और लॉजिस्टिक अवसंरचना का प्रावधान और नौसेना स्टेशन रामबिलि विशाखापत्तनम में डब्ल्यूपी–5बी के अंतर्गत मल प्रशोधन संयंत्र का प्रावधान– (डिजाइन और निर्माण ईपीसी विधि)	महानिदेशक नौसेना परियोजना, नौसेना बेस पोस्ट, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश – 530 014	240.99
11	824	रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, चरण III (1x500 मेगावाट), रामागुंडम के लिए फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) सिस्टम पैकेज।	एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली	235.06

12	645	बीएफएलः— मिजोरम राज्य में भारत—बांग्लादेश सीमा पर फ्लड लाइटिंग।	गृह मंत्रालय, भारत सरकार नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011	186.86
13	933	एमसीएल, ओडिशा के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) संबलपुर, ओडिशा के हिंगुला क्षेत्र में ओ एंड एम सहित ट्रांसफर हाउस टीएच—2 में पाइप कन्वेयर के शीर्ष सिरे से साइलो (निर्माणाधीन) तक कोयले (10 एमटीवाई) के परिवहन के लिए ईपीसी मोड पर सीएचपी का संनिर्माण।	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर, ओडिशा	185.00
14	950 से 953	ओडिशा के कटक, पुरी, गंजम, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में एनएचएम के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं का क्रियान्वयन।	मिशन निदेशालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ओडिशा सरकार	181.14
15	969	पश्चिम मेदिनीपुर के दांतन—I, दांतन—II और केशियारी ब्लॉक में 41 पीडब्लूएसएस का संनिर्माण	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार	152.57

वित्त वर्ष 2024—25 में भारत और विदेश में पूरी की जाने वाली प्रमुख परियोजनाएंः

क्र. सं.	परियोजना का कोड	नाम	स्थान	परियोजना का मूल्य (जीएसटी के बिना) राशि करोड़ रुपये में
भारत में पूरी की गई परियोजनाएंः				
1	644	मिजोरम और त्रिपुरा में भारत—बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के लिए सीमा चौकियां (बीओपीएस)।	मिजोरम और त्रिपुरा	350.24
2	809	सड़क एवं पुल संनिर्माण संकर्म—सुंदरगढ़, ओडिशा के लिए संकल्पना से लेकर पूर्णता तक निर्माण, उन्नयन और अन्य संबंधित संकर्म।	सुंदरगढ़, ओडिशा	126.21
3	903	मिजोरम विश्वविद्यालय और पछुंगा विश्वविद्यालय कॉलेज, आइजोल, मिजोरम में अवसंरचना के विकास संकर्मों के लिए पीएमसी (चरण—II) (जमा के आधार पर)	मिजोरम	105.86
4	777, ए एवं सी	ओडिशा के विभिन्न जिलों में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के लिए ओबीसी के लिए पोस्ट मैट्रिक 100 सीट वाले छात्रावास और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रावास का संनिर्माण।	ओडिशा के विभिन्न जनपद	67.73
5	959	ओडिशा के पुरी जिले में रामचंडी समुद्र तट पर रामचंडी सैरगाह का विस्तार और तटरेखा संरक्षण।	ओडिशा	20.18

6	834	आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले के अड्डुतीगला पीएच–I में ईएमआरएस	आंध्र प्रदेश	16.22
7	911	निफ्ट, हैदराबाद, तेलंगाना राज्य में शैक्षणिक ब्लॉक और गर्ल्स हॉस्टल का संनिर्माण (पीएमसी आधार पर)	हैदराबाद	15.84
8	918	आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापत्तनम जिले में पेदा बयालू पीएच–I पर ईएमआरएस।	आंध्र प्रदेश	15.58
9	963	बस स्टॉप, प्रीफैब फूड कोर्ट, प्रीफैब स्मार्ट लाइब्रेरी और स्मार्ट बायो–टॉयलेट का संनिर्माण	ओडिशा	15.30

6. आदेश पुस्तिका स्थिति

वित्तीय वर्ष 2024–25 के आखिर में कार्य निष्पादन के अधीन 6224.45 करोड रुपए मूल्य के परियोजनाओं (का शेष कार्य हाथ में है।

7. एमओयू के अधीन कार्यनिष्पादन की रेटिंग

आपकी कंपनी को डीपीई पत्र संख्या एम–03/0021/2022–डीपीई (एमओयू) दिनांक 25.10.2022 अनुसरण में एमओयू पर हस्ताक्षर करने से छूट प्राप्त है।

8. निगम शासन

ईपीआई विधिक, नैतिक और पारदर्शी रीति में कारबार के संचालन के लिए सुदृढ़ निगम शासन पद्धतियों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी यह विश्वास करती है कि दीर्घावधि में अच्छी निगम शासन पद्धतियां सभी पणधारियों के लिए धन का सृजन करती हैं। आपकी कंपनी लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगम शासन मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन कर रही है और त्रैमासिक तथा वार्षिक आधार पर भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) को अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त डीपीई ने डीपीई वेबसाइट के पीई सर्वेक्षण के अधीन एक मॉड्यूल के माध्यम से निगम शासन पर अपनी ग्रेडिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सभी ऑपरेटिंग सीपीएसई के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया है और उसी के अनुपालन में आपकी कंपनी ने इस वर्ष पहले ही इसके लिए निगम शासन पर अपनी ग्रेडिंग रिपोर्ट उक्त पोर्टल जमा कर दी है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट तथा निगम शासन पर रिपोर्ट इस निदेशकों की रिपोर्ट के साथ क्रमशः **उपाबंध–क** और **उपाबंध–ख** पर उपाबद्ध हैं।

9. क्रेडिट रेटिंग

क्रिसिल ने दीर्घावधिक रेटिंग के लिए वही रेटिंग यानी ''केयर बीबी+'' दी है। दीर्घावधिक रेटिंग पर आउटलुक स्थिर है। क्रिसिल की रेटिंग ने अल्पावधिक रेटिंग को ''केयर ए4+'' कर दिया है।

10. सतर्कता कार्यकलाप

सतर्कता प्रभाग स्वयं की ओर से सुनिश्चित करता है कि संगठन के सारे कृत्य पूर्णतया पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सत्यनिष्ठा से किए जाएं। भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए, सतर्कता प्रभाग निवारक, दंडात्मक और निगरानी और जांच सतर्कता उपाय भी सुनिश्चित करता है, जिनमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- संवेदी पदों की पहचान, सतर्कता के प्रति संवेदी क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक दौरा, क्षेत्रीय कार्यालयों/अधिकारियों के साथ सतर्कता संबंधी सत्र, कर्मचारियों का समय–समय का आवर्तन, ओडीआई और सहमत सूची की तैयारी, सूचनाओं के सुचारू संग्रहण के लिए सीबीआई को उचित सहायता, यह सुनिश्चित करना कि मैनुअल, प्रक्रियाओं और खरीद नीतियों को समय–समय पर अद्यतन किया जाता है, यह सुनिश्चित करना कि परियोजनाओं का समय–समय पर निरीक्षण किया जाता है और उनकी रिपोर्ट प्रबंधन को भेजी जा रही है, जिसमें ''संकर्म प्रदान करने में'' अपनाई गई प्रक्रियाओं में खामियों (यदि कोई हो) को इंगित की जा रही है, प्रणालीगत सुधारों के लिए सुझावों और सिफारिशों के साथ–साथ स्थलीय संकर्म और आपूर्ति आदि।

- सतर्कता प्रभाग, प्रबंधन, क्षेत्रीय कार्यालयों आदि को प्राप्त सभी शिकायतों/आरोपों/तथ्यों की सतर्कता के दृष्टिकोण से सत्यापन और जांच को अल्प/बड़ी शास्ति के अधीन सतर्कता जांच रिपोर्ट (वीआईआर) नियमित विभागीय कार्रवाई (आरडीए) के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी (डीए) को प्रस्तुत करना। मामलों में जांच अधिकारी (आईओ) और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (पीओ) की नियुक्ति की निगरानी करना और समय–सारणी का पालन सुनिश्चित करना, आईओ की रिपोर्ट की जांच/प्रक्रम, डीए द्वारा शास्ति आदेश समय पर जारी करना।

- इस अवधि के दौरान परिचालन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सतर्कता प्रभाग के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल, भ्रष्टाचार निरोध पर जागरूकता कार्यक्रम, क्षमता निर्माण पर विभिन्न कार्यक्रम जैसी कई नई पहलें की गई हैं और सीवीसी के निदेशों का पालन करने के लिए समय–समय पर विभिन्न कार्यालयों, प्रभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और अपने नियंत्रित स्थलों को निदेश जारी किए गए हैं।

कंपनी ने अपने विभिन्न कार्यालयों/साइटों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के निदेशानुसार 28.10.2024 से 03.11.2024 तक **''सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि''** विषय पर **सतर्कता जागरूकता सप्ताह** मनाया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024 की प्रस्तावना के रूप में, ईपीआईएल ने सीवीसी के निदेशानुसार, निवारक सतर्कता उपायों पर विषेश ध्यान देते हुए तीन माह (16.08.2023–15.11.2024)का अभियान चलाया।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने 28.10.2024 को ईपीआईएल के सभी अधिकारियों को ''सत्यनिष्ठा शपथ'' दिलवाकर ''सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2024'' का शुभारंभ किया। इसके अतिरिक्त, इस अवसर पर निदेशक (परियोजना) एवं निदेशक (वित्त), ईपीआईएल ने ''केंद्रीय सतर्कता आयोग'' का संदेश पढ़ा।

तीन महीने के अभियान के दौरान सभी ईपीआई कर्मचारियों के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और इसके साइट कार्यालयों में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए और तस्वीरें क्रमशः ईपीआई की वेबसाइट पर अपलोड की गईः–

- भारत की विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में ईपीआई के विभिन्न कार्यालयों/स्थलों पर सतर्कता जागरूकता पोस्टर/बैनर प्रदर्शित किए गए।

- क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान किए गए, जैसे नैतिकता और शासन, परियोजना और निर्माण प्रबंधन का परिचय, साइबर स्वच्छता और सुरक्षा, आचरण नियम, खरीद और अखंडता और प्रणालीगत सुधार आदि के महत्व पर जागरूकता कार्यक्रम।

    - ईपीआईएल में दिनांक 04.11.2024 को "सत्यनिष्ठा से भ्रष्टाचार का खात्मा" विषय पर वाद–विवाद प्रतियोगिता।

    - ईपीआई में दिनांक 28.10.2024 को निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसका विषय था "सत्यनिष्ठा– जीवन का एक तरीका। ''

- दिनांक 28.10.2024 को सीओ, आरओ, पीसीओ और स्थलीय कार्यालयों में स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई।
- ईपीआईएल में चित्रकारी और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई।

वर्ष के दौरान, 8 मामले प्राप्त हुए जिनमें से सभी 8 सतर्कता मामलों का निपटारा कर दिया गया है।

11. मानव संसाधन

कंपनी अपने मानव संसाधन के विकास पर विषेश ध्यान देती है। परियोजना कार्य निष्पादन के क्षेत्र में नए उभरती प्रवृत्तियों के साथ कदमताल करने के लिए कंपनी अपनी जनशक्ति को उभरते हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षित करती है। कर्मचारियों को आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं के लिए के लिए प्रायोजित किया जा रहा है ताकि उनके तकनीकी, संचार और वैयक्तिक कौशल को समय–समय पर विभिन्न स्तरों पर बढ़ाया जा सके। कंपनी अपने कर्मचारियों जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक और महिला कर्मचारी भी है, के कल्याण पर विशेष ध्यान देती है और कंपनी ने अपनी वर्तमान जनशक्ति बरकरार रखने के लिए सभी प्रयास किए हैं। सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ, भविष्य निधि, उपदान, समूह दुर्घटना बीमा और हितलाभ निधि स्कीम जैसी सामाजिक सुरक्षा की स्कीमें कंपनी में विद्यमान हैं।

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार कंपनी में 214 कर्मचारी थे जिसके अंतर्गत कंपनी में 29 महिला कर्मचारी सम्मिलित हैं। कुल कर्मचारियों में से 196 कर्मचारी तकनीकी और व्यावसायिक रूप से अर्हताप्राप्त हैं।

12. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्मिक

कंपनी में 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या 9 है, जिसमें से 8 पुरुष और 1 महिला कर्मचारी है तथा अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या 42 है, जिसमें से 39 पुरुष और 03 महिला कर्मचारी हैं।

13. दिव्यांग जन

कंपनी में 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार 02 कर्मचारी दिव्यांग थे जो कंपनी की कुल जनशक्ति का 0.93 प्रतिशत है।

14. राष्ट्रपतीय के अनुदेशों की अनुपालना

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजनों के आरक्षण के संबंध में समय–समय पर जारी सभी राष्ट्रपतिय अनुदेशों का कंपनी अनुसरण करती है।

15. "मातृत्व प्रसुविधा अधिनियम 1961" की अनुपालना

कंपनी द्वारा "मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961" के सभी प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।

16. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अधीन शिकायतों का प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध और लैंगिक उत्पीड़न का निवारण करने और लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों तथा उससे उपाबद्ध या संबंधित विषयों के निपटान के लिए संरक्षण का प्रावधान करना है। अधिनियम के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है।

कंपनी ने लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों के निपटान के लिए और ऐसी शिकायतों के समयबद्ध निपटान के लिए एक शिकायत समिति का गठन किया है। तथापि वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

17. राजभाषा/हिन्दी का प्रसार

राजभाषा/हिंदी के प्रसार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए।

- ईपीआई, नराकास की एक सदस्य समिति है और नराकास द्वारा आयोजित विभिन्न हिंदी कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में सहभागिता करने के लिए प्रति वर्ष अक्तूबर/नवंबर माह में नियमित रूप से नामांकन भेजे जाते हैं। वर्ष 2024 में, श्रीमती पूजा आनंद, कार्यपालक को भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा आयोजित हिंदी प्रशासनिक प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

- हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा प्रतिवर्ष 01 सितम्बर से 14 सितम्बर तक आयोजित किया जाता है। जिसमें कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं, जैसे हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता, महाप्रबंधक एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए हिंदी स्लोगन/हिंदी हस्ताक्षर प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, ईपीआई परिवार के बच्चों के लिए हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता तथा विवाहित महिलाओं के लिए विशेष प्रतियोगिता जिसमें संगीत कुर्सी प्रतियोगिता आदि आयोजित की जाती हैं।

- वर्ष 2024 के हिंदी पखवाड़ा समारोह के उद्घाटन सत्र में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें निदेशक (वित्त), माननीय निदेशक परियोजना मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं आमंत्रित अतिथि वक्ता डॉ. राजाराम यादव, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, डॉ. के.के. राजस्थानी नई दिल्ली, डॉ. रसिक गुप्ता नई दिल्ली एवं श्री देवकांत पांडे भोजपुरी द्वारा हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।

- कार्यालय में "स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह स्मृति पुरस्कार योजना वर्ष 2013 में आरंभ की गई है और इसे हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा के वार्षिक उत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों की भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्रियान्वित किया गया है। प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में आयोजित होने वाले हिंदी पखवाड़ा में इस योजना के अंतर्गत अधिकतम पुरस्कार प्राप्त करने वाला विजेता पुरस्कारध्शील्ड का हकदार होगा।

- राजभाषा के महत्व के बारे में कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए, कंप्यूटर पर यूनिकोड के माध्यम से हिंदी टाइपिंग पर त्रैमासिक आधार पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस वर्ष, अनुवाद से संबंधित कंठस्थ 2.0 सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

- हिंदी भाषा में सरकारी पत्राचार में योगदान के लिए कर्मचारियों में रुचि पैदा करने हेतु एक नकद पुरस्कार योजना लागू है। हिंदी में काम करने वाले कर्मचारियों को हर साल नकद पुरस्कार दिया जाता है।

- प्रतिभा पुरस्कार योजना के अंतर्गत, अपनी कक्षा में हिंदी में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को प्रतिवर्ष प्रतिभा पुरस्कार दिया जाता है।

- कंपनी का कार्यालयीन कार्य केवल हिंदी में करना अनिवार्य कर दिया गया है जैसेः उपस्थिति, मुआवजे से संबंधित प्रपत्र, कंपनी के बाहर नौकरियों के लिए अग्रेषण पत्र, वेतन संबंधी पत्राचार, पुष्टिकरण पत्र, उपस्थिति कार्ड, कार्य अवधि के विस्तार के संबंध में अनुमोदन के प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित नोट्स, रजिस्टरों में प्रविष्टियां, आवेदन पत्र, दौरा कार्यक्रम आदि मुख्य रूप से हिंदी में किए जाते हैं।

18. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसएमईएस) से लोकउपापन नीति

लोक उपापन नीति, 2012 प्रतिस्पर्धा के मूल सिद्धांतों पर आधारित है जो सुदृढ़ क्रय नीतियों और मालों या सेवाओं की आपूर्ति के आदेशों के निष्पादन के लिए एक प्रणाली के अनुसार जो न्यायोचित, समतुल्य, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लागत प्रभावी है।

ईपीआई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की समग्र वृद्धि और साम्या विकास को प्रोत्साहित करने में विश्वास करती है। उनकी भागीदारी को निःशुल्क निविदा दस्तावेजों, ईएमडी जमा से छूट देकर, निविदाकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ई–उपापन को अंगीकार करके बढ़ाया जाता है।

1. वर्ष 2024–25 के दौरान एमएसई से कुल 10.71 करोड रुपए की खरीद (माल और सेवा) की गई जो 14.25 करोड रुपए (माल और सेवा) की कुल खरीद का 75.14 प्रतिशत था। वित वर्ष 2024–25 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई एवं महिला उद्यमियों से की गई खरीद की कुल प्रतिशतता क्रमशः 17.68 (1.89 करोड़ रुपए) एवं 1.07 (0.11 करोड़ रुपए) प्रतिशत रही।
2. मार्च, 2024 की समाप्ति तक एमएसएमई संबंध पोर्टल पर पंजीकृत एमएसई विक्रेता की संख्या 323 है।
3. वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान लाभान्वित होने वाले कुल एमएसई 413 हैं (जिनमें 20 एससी/एसटी स्वामित्व वाले एमएसई और 40 महिला एमएसई शामिल हैं)
4. ईपीआई के सभी आरओ/पीसीओ को एमएसएमई समाधान पोर्टल तक पहुंच प्रदान की गई है ताकि एमएसएमई विक्रेताओं द्वारा एमएसएमई समाधान पोर्टल पर पंजीकृत शिकायतों का शीघ्रता से निपटारा किया जा सके।
5. ईपीआई नवंबर, 2018 से आरएक्सआईएल पोर्टल के माध्यम से ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) पर काम कर रहा है।

19. निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक नीति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति पुनरीक्षित अनुसूची ''ख'' 1,80,,000–3,20,000 रुपये (आईडीए) वेतनमान पर और निदेशकों की नियुक्ति पुनरीक्षित अनुसूची ''ख'' 1,60,000–2,90,000 रूपए, आईडीए पैटर्न पर की जाती है। उनकी निबंधन और शर्तें भारी उद्योग मंत्रालय,(एमएचआई) द्वारा नियत की जाती हैं।

20. प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता

वर्ष के दौरान सरकार के विभिन्न मितव्ययिता उपायों पर अनुदेशों का पालन किया गया।

21. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के ब्यौरे जिन्हें वर्ष के दौरान नियुक्त किया गया था या जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (सीईओ), निदेशक (वित्त) (सीएफओ), कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) घोषित किया गया है।

वर्ष 2024–25 के दौरान नियुक्त निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

निदेशक/केएमपी का नाम	पदनाम	कार्यकाल
श्री सुनील दहिया	निदेशक (परियोजना)	05.04.2024 से
डॉ. रेणुका मिश्रा	शासकीय नामनिदेशिती निदेशक	23.07.2024 से

वर्ष 2024–25 के दौरान निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी), जो पद पर नहीं रहे/जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया

निदेशक/केएमपी का नाम	पदनाम	कार्यकाल
सुश्री मुक्ता शेखर	शासकीय नामनिदेशिती निदेशक	23.07.2024 तक
श्री विनोद कुमार यादव	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2024 तक
श्रीमती आकांक्षा पारे	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2024 तक

निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के और ब्यौरे तथा उनमें वित्तीय वर्ष के समापन तक पश्चातवर्ती परिवर्तन निगम शासन रिपोर्ट **(उपाबंध–ख)**में दिये गये हैं।

मंडल द्वारा अपने स्वयं के तथा अपनी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्यनिष्पादन का वार्षिक मूल्यांकनः

ईपीआईएल एक सरकारी कंपनी होने के नाते कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05 जून 2015 की अधिसूचना संख्या एफ.सं.1/2/2014–सीएल.वी के अधीनमंडल द्वारा अपने स्वयं के कार्य–निष्पादन और अपनी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में धारा 134(3)(ङ) और धारा 134(3)(त) के प्रावधानों की अनुपालना से छूट प्राप्त है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 के सामान्य परिपत्र के माध्यम से सरकारी कंपनियों को धारा 178(2) के प्रावधानों से छूट दी है, जिसके अधीन नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा प्रत्येक निदेशक के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन करना अपेक्षित है। ईपीआईएल के मामले में, निदेशकों का कार्य–निष्पादन मूल्यांकन भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा अपनी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, डीपीई ने हमारे प्रशासनिक मंत्रालय (एमएचआई) के माध्यम से कंपनी के बोर्ड में गैर–आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों के कार्य–निष्पादन मूल्यांकन/आकलन का कार्य आरंभ कर दिया है।

22. निदेशकों का दायित्व कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन यथापेक्षित आपके निदेशक एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं:

i) कि वार्षिक लेखे तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का तात्विक विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है;

ii) कि निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सतत रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और आकलन किए हैं जो न्यायोचित और बुद्धिमत्तापूर्ण हैं जिससे 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के मामलों और उस अवधि के लिए लाभ का सही और न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके;

iii) कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की आस्तियों के लिए सुरक्षापायों और कपट तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है;

iv) यह कि वार्षिक लेखे चालू समुत्थान के आधार पर तैयार किए गए हैं; और

v) कि निदेशकों ने सभी लागू विधियों के प्रावधानों की अनुपालना का सुनिश्चय करने के लिए उचित प्रणालियां बनाई है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रही थीं।

23. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अधीन स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

वित्तीय वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के अधीन स्वतंत्र निदेशक का पद धारण करने के लिए विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं पूरी की गई और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के

अधीन प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त कर ली गई थी।

24. बैठकों की संख्या

वर्ष 2024–25 के दौरान निदेशक मंडल की पॉच (5) बैठकें आयोजित की गईं, मंडल और मंडल स्तरीय उप समिति की बैठकों के ब्यौरे इस रिपोर्ट से उपाबद्ध निगम शासन की रिपोर्ट में **उपाबंध ख** पर दिए गए हैं।

25. अनुषंगी कंपनी/सहयोगी कंपनी/संयुक्त उद्यम

अनुषंगी कंपनी:

दिनांक 19 मई 2016 को 10 लाख रुपए की संदत पूंजी के साथ ईपीआई द्वारा 51 प्रतिशत, मैसर्स भारत अरबन इन्फ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सोलापुर, (बीयूआईडीपीएल) 39 प्रतिशत और मैसर्स दाराशा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, (डीसीपीएल) मुंबई द्वारा 10 प्रतिशत के साथ ईपीआई की एक अनुषंगी कंपनी ईपीआई अरबन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल) को भूखंडों आदि के विकास के लिए निगमित किया गया था।

ईपीआईयूआइडीएल के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 361 के अधीन सितंबर, 2018 में त्वरित परिसमापन की याचिका फाइल की थी जिसे 21.04.2022 में प्रादेशिक निदेशक (उत्तर), कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष सुनवाई के लिए उठाया गया था। सुनवाई के दौरान यह सूचित किया गया है कि दायर याचिका परिसमापन से संबंधित त्वरित प्रक्रिया के लिए उपयुक्त मामला नहीं है और आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन उपलब्ध अन्य कार्रवाई कर सकता है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248(1)(क) के अनुसरण में दिनांक 23.05.2022 को महानिदेशक, कारपोरेट कार्य, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष ईपीआईयूआईडीएल का नाम हटाने के लिए आवेदन दाखिल किया गया है।

उस आवेदन के प्रत्युत्तर में, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ने ईपीआईयूआईडीएल को दिनांक 30.11.2022/07.12.2022 को कंपनी रजिस्टर (एसटीके–1) से कंपनी का नाम हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। इसके उपरांत आरओसी ने 21.04.2023 को एसकेटी–5क (कंपनी का नाम हटाने के लिए सार्वजनिक नोटिस) जारी किया और इसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया तथा एसटीके–5क (सार्वजनिक सूचना) दिनांक 02.05.2023 को टाइम्स सिटी समाचार पत्र (दिनांक 13.06.2023) में भी प्रकाशित की गई। आरओसी ने दिनांक 20.07.2023 को एसटीके–7 (कंपनी का नाम हटाने और विघटन की सूचना) जारी की और दिनांक 29.07.2023 को शासकीय राजपत्र में इसे प्रकाशित किया। इसके पश्चात यह अनुशंगी कंपनी अर्थात् ईपीआईयूआईडीएल का नाम हटा दिया गया है और इसका विघटन हो गया है।

संयुक्त उद्यम:

1. भारतमाला परियोजना के अधीन ईपीसी मोड पर, गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर किमी 117.600 से किमी 185.000 तक मौजूदा चार लेन वाले जेतपुर–गोंडल–राजकोट सेक्शन को छह लेन में चौडीकरण से संबंधित 1204.80 करोड रुपये के कुल परियोजना मूल्य वाली परियोजना के लिए दिनांक 25 अगस्त 2023 को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और वराह इंफ्रा लिमिटेड जोधपुर के बीच एक संयुक्त उद्यम ''ईपीआई–वराह जेवी'' (अनिगमित) का गठन किया गया जिसमें संयुक्त उद्यम के प्रमुख भागीदार के रूप में कार्य करने वाले इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की भागीदारी 51 प्रतिशत और वराह इंडिया लिमिटेड के लिए 49 प्रतिशत की भागीदारी है।

2. वित्तीय वर्ष के दौरान, ईपीआई ने मैसर्स पॉवरटेक इंडस्ट्रियल सर्विसेज, विशाखापत्तनम के साथ एक नया गैर–निगमित संयुक्त उद्यम स्थापित किया। इस सहयोग का उद्देश्य विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है।

26. लेखापरीक्षक

क) सांविधिक और शाखा लेखापरीक्षक

भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी के लिए नियुक्त सांविधिक और शाखा लेखापरीक्षक इस प्रकार हैं–

क्र. सं.	फर्म का नाम	क्षेत्र
1.	मैसर्स वीएसडी एंड एसोसिएट्स	सांविधिक लेखापरीक्षक– निगम कार्यालय/अलवर एवं समेकन
शाखा लेखापरीक्षकः		
1.	मैसर्स निमेश मेहता एंड एसोसिएट्स	पश्चिमी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
2.	मैसर्स एम गोपाल एंड कंपनी	दक्षिणी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
3.	मैसर्स भुदलडिया एंड कंपनी, नई दिल्ली	उत्तरी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
4.	मैसर्स विकास ए जैन एंड कंपनी	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय भी है
5.	मैसर्स हयात ऑडिटर्स एंड मैनेजमैंट कंसल्टैंसी	ओमान, शाखा लेखापरीक्षक
6.	मैसर्स राणावीरा एसोसिएट्स	श्रीलंका, शाखा लेखापरीक्षक
7.	मैसर्स डाव कलयार विन अकाउंटिंग औडिटिंग एंड कंसलटैंसी सर्विसेज, म्यांमार	म्यानमार शाखा लेखा परीक्षक

ख) सचिवालयी लेखापरीक्षक

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और चयन) नियम 2014 के नियम 9(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसरण में वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी ने मैसर्स एमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी को शाखा लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवालय मानकः

वर्ष के दौरान कंपनी ने जहां तक संभव हो लागू सचिवालय मानकों की अनुपालना की गई है।

ग) लागत लेखापरीक्षक

कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना, तारीख 31.07.2018 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अधीन विनिर्दिष्ट लागत लेखे और अभिलेखों को तैयार किया गया है और उसका अनुरक्षण किया गया है।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसरण में वर्ष 2024–25 के लिए मैसर्स अनुज कुमार एंड कंपनी को लागत लेखाकार नियुक्त किया है।

वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट लागत लेखे और अभिलेख उचित प्रकार से रखे हैं और उनका उचित रूप से अनुपालन किया है।

27. लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

वर्ष के दौरान, न तो सांविधिक लेखा परीक्षक और न ही सचिवीय लेखा परीक्षक से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(2) के अधीन लेखा परीक्षा समिति को कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के विरुद्ध की गई धोखाधड़ी की सूचना प्राप्त हुई है।

28. सांविधिक लेखापरीक्षक और शाखा लेखापरीक्षक द्वारा की गई प्रत्येक अर्हता, रिजर्वेशन या प्रतिकूल टिप्पणी या प्रकटन पर मंडल का स्पष्टीकरण या टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वर्ष 2024–25 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखाओं पर टिप्पणियों पर प्रत्युत्तर, यदि कोई हैं उन्हें इस रिपोर्ट के साथ उपाबद्ध किया गया है।

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वर्ष 2024–25 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट टिप्पणियों पर प्रत्युत्तर, यदि कोई हैं तो उन्हें इस रिपोर्ट के साथ उपाबद्ध किया गया है।

29. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन उधार, प्रतिभूति या निवेशकों की विशिष्टियां

वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन कोई उधार नहीं दिया गया है, कोई गारंटी नहीं दी गई है या कोई निवेशक नहीं किया गया है।

30. विशिष्टियों का प्रकटन

कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के प्रावधानों के अनुसरण में ऊर्जा, प्रौद्योगिकी विलयन और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्ययन के संरक्षण पर सूचना के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

30.01 ऊर्जा दक्षता और उसका संरक्षण–

ईपीआई अपने कार्यालय परिसरों और निष्पादन के लिए उसे सौंपी गई विभिन्न परियोजनाओं में ऊर्जा दक्ष उपस्करों के उपयोग को अत्यधिक महत्व दिया है, ताकि पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। ईपीआई ने अपने निगम मुख्यालयों में ग्रिड से जुड़े हुए छत पर लगे हुए सौर संयंत्र प्रतिष्ठापित किए हैं।

ईपीआई एचवीएसी प्रणाली में बीएमएस, एलइडी लाइट, कैपेसिटर बैंक, संवेदक आधारित इंडोर लाइट, डीजी सेट सिंक्रनाइजेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, अधिक दक्षता और कम खपत के लिए औद्योगिक परियोजनाओं में स्वचालन सहित विभिन्न ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है।

हम ऊर्जा नुकसान से बचने के उद्देश्य से वितरण लाइनों में निम्नलिखित पद्धतियों के माध्यम से ऊर्जा की बचत कर रहे हैं:–

क) फेस भार का संतुलनः प्रत्येक फेस सीक्वेंस के असमान भार के परिणाम स्वरूप संघटक ट्रांसफार्मर, केबल, संचालकों, मोटरों को अधिक गर्म कर देते हैं जिससे नुकसान और बढ़ जाता है और असंतुलित वोल्टेज की स्थिति के कारण मोटर में खराबी आ जाती है। इससे बचने के लिए, ईपीआई सभी फेस में लोड को समान रूप से संतुलित करने का प्रयास करता है।

ख) पावर फैक्टर कंट्रोलर का उपयोग करके ऊर्जा की बचतः निम्न पावर फैक्टर से करंट में वृद्धि होती है और इसके कारण नुकसान बढ़ जाता है तथा वोल्टेज में गिरावट आ जाती है। हम पावर फैक्टर कंट्रोलर के रूप में एचटी और एलटी पर कैपेसिटर बैंक का उपयोग करते हैं।

ग) पीएलसी/डीसीएस/एससीएडीए द्वारा स्वचालनः कच्ची सामग्रियों की प्रोसेसिंग करने के लिए औद्योगिक परियोजनाओं में हम संपूर्ण रूप से स्वचालन तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं।

घ) इन्सुलेशन में सुधारः दीवारों, छतों और फर्शों में उचित इन्सुलेशन से तापमान को स्थिर बनाए रखने और हीटिंग और कूलिंग के लिए ऊर्जा की खपत को कम करने में सहायता मिल सकती है।

ङ) हवा के रिसाव को रोकनाः खिड़कियों और दरवाजों के आसपास हवा के रिसाव को रोकने से ऊर्जा को बाहर निकलने से रोका जा सकता है।

च) विभिन्न डेटा सेंटर और विमान पत्तन परियोजनाओं के लिए भवन प्रबंधन प्रणाली।

छ) उपकरण के प्राप्तकर्ता छोर पर वोल्टेज ड्रॉप को सीमित करना, जिससे सर्किट में प्रतिरोध को न्यूनतम करके हानि को रोका जा सके, आमतौर पर बड़े कंडक्टरों, छोटी सर्किट लंबाई और संतुलित भार के माध्यम से।

30.02 प्रौद्योगिकी विलयन

क) अनुसंधान और विकास

ईपीआई के कार्य की प्रकृति को देखते हुए, अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए सीमित स्थान है क्योंकि कंपनी ग्राहकों के विनिर्देशों के अनुसार परियोजनाएँ पूरी करती है। तथापि, ईपीआई ने तेज और अधिक लागत–प्रभावी निर्माण के लिए अत्याधुनिक तकनीक को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है, जैसे कि प्रीफैब्रिकेशन, ग्लास फाइबर रीइन्फोर्स्ड जिप्सम (जीएफआरजी) सिस्टम, लाइट गेज शीट फ्रेम्ड स्ट्रक्चर (एलजीएसएफ सिस्टम), पारंपरिक आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के अलावा न्यूट्रल तकनीक, यानी एलुमा फॉर्मवर्क सिस्टम का उपयोग करके प्रीकास्ट, मॉड्यूलर मोनोलिथिक कंक्रीटिंग, और अन्य।

ईपीआई ने डेटा सेंटरों के लिए एक आंतरिक डिजाइन विकसित किया है। ईपीआई ने केबल और पैनल गणनाओं के लिए इन–हाउस एक्सेल सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो परियोजनाओं में आवश्यक केबल और स्विचगियर के सटीक आकार का निर्धारण करने में सहायता करता है।

ख) प्रौद्योगिकी विलयन

कंपनी संनिर्माण में डिजाइन और तकनीक विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। स्मार्ट शहर अभियान परियोजना (एससीएम) के अंतर्गत, किफायती आवास, एकीकृत मल्टीमॉडल परिवहन, खुले स्थानों का सृजन और परिरक्षण, अपशिष्ट पात्र और यातायात प्रबंधन, तथा रेलवे स्टेशनों और विमानपत्तन के आधुनिकीकरण जैसी परियोजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए सीमा निगरानी के उद्देश्य से ईपीआई ने अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए सीमा निगरानी अवसंरचना एवं प्रणाली विकसित की है जिसमें भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित रोक, वास्तविक समय स्क्रीन निगरानी, संवेदक, प्रकाशिक फाइबर केबल और एचआरसी कैमरा का उपयोग करके बुद्धिमत्तापूर्ण प्रणाली का उपयोग किया गया है।

ग) सूचना प्रौद्योगिकी और उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी)

आपकी कंपनी ने विभिन्न कार्यों के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को क्रियान्वित किया है, जैसे ई–ऑफिस और सर्कुलर पोर्टल को पूरे कार्यालय में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है ताकि कार्यकुशलता में वृद्धि और पारदर्शिता में सुधार हो सके। संगठन के लिए जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई है।

मानव संसाधन एवं वेतन, वित्तीय प्रबंधन और दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल के लिए ईआरपी–एसएपी सफलतापूर्वक चल रहा है। सामग्री प्रबंधन, बिक्री वितरण और परियोजना प्रणालियाँ कार्यान्वित की जा रही हैं और पीएस मॉड्यूल को सीओ, आरओ और पीसीओ के खर्चों के बजट नियंत्रण के लिए एफआई से जोड़ा गया है।

30.03 विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 में 2,442 लाख रुपए के सापेक्ष 548 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की। वर्ष 2024–25 में उपगत विदेशी व्यय में 2,649 लाख रुपए के सापेक्ष 3,469 लाख रुपए रहा।

31. गुणवत्ता, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन

एक पीएमसी/ईपीसी कंपनी होने के नाते, ईपीआई स्थल पर स्थापित और उपयोग की जाने वाली सामग्रियों और उपकरणों की गुणवत्ता को बहुत महत्व देती है। ईपीआई सुनिश्चित करती है कि सामग्री और उपकरण भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरें। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार की गई विनिर्माण गुणवत्ता योजना (एमक्यूपी) के अनुसार कारीगरी और गुणवत्ता की पुष्टि के लिए ईपीआई द्वारा निर्माता के कार्यस्थल पर निरीक्षण किया जाता है। गुणवत्ता निरीक्षण के बाद ही सामग्री को कार्यस्थल पर भेजा जा सकता है।

आपकी कंपनी को उसके प्रचालन के क्षेत्र के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, उपजीविका स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रणाली अर्थात आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। ईपीआई पहली कुछ कंपनियों में से एक है जिसे सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रदान किया गया है।

32. कर्मचारियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथापेक्षित सांविधिक सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ङ) के प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते। इसी प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होंगे। इसके परिणामस्वरूप, प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का औसत कर्मचारी के पारिश्रमिक से अनुपात तथा अन्य ऐसे विवरण, जिसमें कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के नाम और अन्य विवरण दर्शाने वाला विवरण भी है, का प्रकटन करना अपेक्षित नहीं है, जो यदि वित्तीय वर्ष के दौरान या उसके किसी भाग में कार्यरत थे, तो उन्हें नियमों में निर्धारित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ था।

33. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी के पास उसके कारबार के व्यवस्थित और दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है जिसके अंतर्गत कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी आस्तियों के सुरक्षोपाय,

कपट एवं त्रुटियों का निवारण, लेखांकन अभिलेखों की निवलता और विश्वसनीयता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर तैयार करना सम्मिलित है।

34. जमा सहित सामान्य अनुपालन

आपके निदेशकों का कहना है कि निम्नलिखित मामलों के संबंध में प्रकटन या सूचना देना अपेक्षित नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष 2024–25 के दौरान इन मामलों पर कोई लेनदेन नहीं हुआ था:

- कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय V के अंतर्गत शामिल जमाओं से संबंधित विवरण।
- लाभांश, मतदान या अन्यथा के रूप में विभेदक अधिकारों के साथ साम्या शेयरों का निर्गम।
- कंपनी के कारबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

35. नातेदार पक्षकारों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं की विशिष्टियां

कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में निर्दिष्ट संबंधित नातेदार के साथ किसी संविदा या व्यवस्था में प्रविष्ट नहीं हुई है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के अधीन यथापेक्षित प्ररूप एओसी–2 में विशिष्टियां **उपाबंध–ङ** में संलग्न हैं।

36. चालू समुत्थान प्रस्थिति और कंपनी के भावी प्रचालन को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और तात्विक आदेशों के ब्यौरे

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 और इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं। लेखा टिप्पणियों में आकस्मिक देयता में घोषित दायित्वों के अलावा, नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है जो कंपनी की चालू स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हों।

37. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत शुरू की गई कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया

कंपनी के पास उपरोक्त के अंतर्गत प्रकटन करने के लिए सूचना नहीं है।

38. वार्षिक विवरणी

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 92 (3), धारा 134 (3) की अपेक्षानुसार वार्षिक विवरणी कंपनी की वेबसाइट उपलब्ध है जिसे www.epi.gov.in पर देखा जा सकता है।

39. आभार

आपके निदेशकगण भारी उद्योग मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों और भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों तथा संगठनों से प्राप्त सहयोग और समर्थन की दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशकगण विभिन्न ग्राहकों और बैंकों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने आपकी कंपनी में विश्वास रखा। हम, उप–ठेकेदारों, ग्राहकों, सलाहकारों के परियोजनाओं के कार्यान्वयन में दिए गए योगदान की भी सराहना करते हैं। आप के निदेशकगण शासकीय लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवालय लेखा परीक्षकों

और लागत लेखा परीक्षकों का भी उनके द्वारा दिए गए सुझावों के लिए धन्यवाद करते हैं। मंडल अपने सभी कर्मचारियों को उनकी बहुमूल्य सेवाओं और उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनकी भूरि–भूरि प्रशंसा करता है तथा यह भी विश्वास करता है कि वे भविष्य में बेहतर कार्य निष्पादन हासिल करने के लिए अपना सर्वोत्तम देकर कंपनी में इसी तरह अपना योगदान देना जारी रखेंगे।

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

ह0/–
(शिवेन्द्र नाथ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:10397812

तारीख: 24 जून, 2025
स्थान: नई दिल्ली

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग ढांचा और विकास

यह उद्योग गतिशील विकास और सतत विकास की विशेषता रखता है, जो औद्योगिक, अवसंरचना और अन्य परियोजना की कार्यान्वयन पहलों में मजबूत निवेश द्वारा संचालित होता है। परियोजना प्रबंधन परामर्शी (पीएमसी) सेवाएँ इन क्षेत्रों में समय पर कार्यान्वयन और उच्च–गुणवत्ता वाले परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आधारशिला के रूप में उभरी हैं।

हमारी कंपनी ने औद्योगिक, अवसंरचना और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के क्षेत्र में संपूर्ण समाधान प्रदान करते हुए इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमने विशेषज्ञ पीएमसी कार्य संपन्न करते हुए विश्वसनीय कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सक्रिय रूप से सहभागिता की है जो निरंतर हमारे हितधारकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है और उत्तरोत्तर बेहतर रहा है।

कार्यनीतिक पहलों और परिचालन उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते हुए, हमने इन प्रमुख क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को और भी सुदृढ़ किया है, जिससे बड़े पैमाने पर विकास और अवसंरचना परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में हमारी प्रतिष्ठा और भी सुदृढ हुई है।

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

सुदृढता और खामियां

ईपीआई की मुख्य सुदृढ़ता मुख्य रूप से इसके व्यापक परिचालन अनुभव और ग्राहकों के साथ इसकी अत्यधिक प्रभावी समन्वय क्षमताओं में निहित हैं। परियोजना निष्पादन और प्रबंधन में कंपनी की अनुभवी विशेषज्ञता जटिल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत आधार सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त हमारा सहयोगात्मक दृष्टिकोण और ग्राहकों के साथ निर्बाध समन्वय मजबूत साझेदारी को निरंतर बढ़ावा देने का काम करता है, जिससे परियोजना के अपेक्षित परिणाम प्राप्त होते हैं और ग्राहक की संतुष्टि भी सुनिश्चित होती है।

यद्यपि हमारी विशेषज्ञता और ग्राहक से हमारा जुड़ाव हमारी महत्वपूर्ण ताकत बने हुए हैं, फिर भी हम मानते हैं कि हमारे वर्तमान मानव संसाधन अपेक्षाकृत सीमित हैं। इस चुनौती का समाधान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि हम अपनी परियोजनाओं की बढ़ती माँगों को पूरा करते रहें और अपने हितधारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप उच्च मानकस्थापित करने में सक्षम हो सकें।

अवसर और चुनौतियां

ईपीआई का कारोबार विकास और इंजीनियरिंग प्रभाग अपनी उपस्थिति और सेवाओं का विस्तार करने के लिए विविध क्षेत्रों में अवसरों की सक्रिय रूप से तलाश कर रहा है। औद्योगिक, अवसंरचना और परियोजना कार्यान्वयन सेवाओं में एक मजबूत आधार के साथ, हम नए और उभरते क्षेत्रों में उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए कार्यनीतिक रूप से तैयार हैं। विविधीकरण पर हमारे निरंतर ध्यान केन्द्रित होने से सतत विकास को बढ़ावा मिलने तथा बाजार में हमारी प्रतिस्पर्धी स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।

वर्तमान में, हमें अपने परिचालनों के लिए कोई बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा है। हालाँकि, हम सतर्क हैं और मानते हैं कि डेटा सुरक्षा चिंता का एक संभावित विषय बना हुआ है। जैसे–जैसे हम अपनी डिजिटल क्षमताओं और डेटा–संचालित

परियोजना प्रबंधन प्रणालियों का विस्तार कर रहे हैं, हम डेटा सुरक्षा से जुड़े किसी भी संभावित जोखिम को कम करने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय लागू करने के प्रति कटिबद्ध हैं।

खंडवार और उत्पादवार कार्य निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनी के कारोबार में 52.20 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ अस्पताल परियोजना खंड सहित आवास और भवन निर्माण का सबसे अधिक योगदान है, इसके उपरांत औद्योगिक, प्रक्रिया संयंत्र, सामग्री हस्तालन, विद्युत और सीमा प्रबंधन परियोजना खंड है, जिनकी हिस्सेदारी का प्रतिशत 22.27 प्रतिशत है।

नीचे दी गई सारणी कंपनी के प्रचालनों का खंड वार विश्लेषण प्रस्तुत करती है:

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	खंड वार परियोजनाएं	2022–23		2023–24		2024–25	
		टर्नओवर	%	टर्नओवर	%	टर्नओवर	%
1	आवासन एवं भवन संकर्म जिसके अंतर्गत अस्पताल परियोजना भी सम्मिलित हैं	557.17	49.22	414.89	49.16	754.41	52.20
2	बांध एवं सिंचाई परियोजनाएं	28.45	2.51	0.02	0.00	0.36	0.02
3	औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र, सामग्री हस्तालन और वैद्युत एवं सीमा प्रबंधन परियोजनाएं	236.07	20.86	90.51	10.72	321.85	22.27
4	जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय स्कीम	42.84	3.79	97.96	11.61	84.65	5.86
5	सडक एवं पुल सहित अवसंरचना परियोजनाएं	189.51	16.74	188.69	22.36	252.76	17.49
6	अन्य परियोजनाएं	77.92	6.88	51.90	6.15	31.21	2.16
	योग	**1131.96**	**100.00**	**843.97**	**100.00**	**1445.25**	**100.00**

संभावना

भविष्य की ओर देखते हुए, ईपीआई सतत विकास, परिचालन उत्कृष्टता और सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजन के अपने कार्यनीतिक उद्देश्यों के प्रति कटिबद्ध है। कंपनी को औद्योगिक, अवसंरचना और परियोजना कार्यान्वयन क्षेत्रों में निरंतर अवसर मिलने की उम्मीद है, जो उभरती बाजार माँगों और सहायक नीतिगत परिवेशों से प्रेरित हैं। हम इन संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए अपने व्यापक अनुभव और मजबूत ग्राहक समन्वय सहित मुख्य शक्तियों का लाभ उठाने के लिए सदैव तैयार हैं।

यद्यपि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में कुछ चुनौतियाँ हो सकती हैं, जिनमें प्रतिस्पर्धी दबाव और निरंतर तकनीकी अनुकूलन की आवश्यकता सम्मिलित है, ईपीआई इन जोखिमों को कम करने के लिए सक्रिय रूप से कार्यनीतियां क्रियान्वित कर रहा है। हमारा ध्यान नवाचार को बढ़ाने, परिचालन दक्षताओं को अनुकूलित करने तथा लचीलापन और अनुकूलनशीलता सुनिश्चित करने के लिए हमारी मानव पूंजी को मजबूत करने पर केन्द्रित रहेगा।

ईपीआई तकनीकी उन्नति, कार्यनीतिक साझेदारियों और साइबर सुरक्षा सहित मजबूत जोखिम प्रबंधन ढाँचों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के प्रति समर्पित है। इसके अलावा, पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक (ईएसजी) सिद्धांतों के प्रति हमारी

प्रतिबद्धता हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करती रहेगी, जिससे एक जिम्मेदार और दूरदर्शी संस्था के रूप में हमारी स्थिति मजबूत होगी।

हमें विश्वास है कि हमारी कार्यनीतिक पहलों के अनुशासित क्रियान्वयन और हमारे मिशन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता से, ईपीआई मजबूत कार्य–निष्पादन करना जारी रखेगा और अपनी दीर्घकालिक आकांक्षा प्राप्त करने में सफल होगा।

पर्यावरणीय संरक्षण और परिरक्षण, तकनीकी परिरक्षण, विदेशी मुद्रा की बचत

- **पर्यावरणीय संरक्षण एवं परिरक्षण**

ईपीआई के परियोजना प्रबंधन परामर्शी एवं संनिर्माण कंपनी होने के नाते ताप विद्युत संयंत्रों में अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर so_2 स्तर को कम करने के लिए एफजीडी परियोजनाओं (फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन) को करने, धूल कणों को बिछाने के लिए डीएस एवं डीई प्रणाली जिससे प्रक्रिया उद्योग में वायु की गुणवत्ता में सुधार हो सके, सुरंगों और सब स्टेशनों में मानव जीवन की कार्य स्थिति में सुधार के लिए दाबकृत संवातन और नगरों और अस्पताल परियोजनाओं में एसटीपी (मल प्रशोधन संयंत्र)/डब्ल्यूटीपी (जल प्रशोधन संयंत्र) पर विशेष बल देती है।

निर्माण सामग्री के रूप में फ्लाईऐश ईंटों और पोर्टलैंड पॉजोलाना सीमेंट का उपयोग, वृक्षारोपण, अपशिष्ट जल का पुनरोपयोग/अपशिष्ट प्रशोधन प्रणाली, सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा, प्रकाश संवेदक, कम किया जा सकने वाला प्रकाश, तापीय इंसुलेशन और संनिर्माण के दौरान पानी के टैंकर के माध्यम से जल का छिड़काव, ऊर्जा–दक्ष और पर्यावरण के अनुकूल तरीकें हैं जिनका उपयोग ईपीआई स्थलों पर प्रदूषण को कम करने के लिए किया जा रहा है। वृक्षारोपण के अलावा, कंपनी ध्वनि प्रदूषण, जल अपव्यय, धूम्रपान, तेल और ग्रीस रिसाव, और अन्य समस्याओं को नियंत्रित करना जैसे कई अन्य पर्यावरणीय उपाय भी करती है। कंपनी ने परियोजनाओं के निष्पादन में एकीकृत पर्यावास निर्धारण के लिए हरित रेटिंग (जीआरआईएचए) को अंगीकार किया है जिसका परिणाम पर्यावरण के रक्षण के साथ–साथ ऊर्जा की बचत के रूप में हुआ है। विभिन्न परियोजना स्थलों में, पर्यावरण अनुकूल उपस्करों जैसे सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटें, भवन इन्सुलेशन, जैव–अपघटनीय सामग्री आदि का भी उपयोग किया जा रहा है।

- **प्रौद्योगिकीय संरक्षण**

प्रौद्योगिकी संरक्षण के एक भाग के रूप में, ईपीआई ने संनिर्माण लागत और समय को कम करने के लिए तथा पर्यावरणीय प्रदूषण में कटौती करने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करना आरंभ किया है:

- बालू के टीलों को स्थिर करने, सड़कों का निर्माण करने और बाड की नींव को स्थिर करने के लिए चूना पत्थर/ धातुमल जैसी खनन की गई सामग्रियों का उपयोग।
- शून्य निस्सारण के साथ अपषिश्ट का प्रशोधन जिसके अंतर्गत पुनर्चक्रण, लवणता को कम करने के लिए पारिस्थितिकी संवेदी प्रभावी सूक्ष्म जीवाणु प्रौद्योगिकी सहित ऑनलाइन उपचार भी है।
- वृहत्त आवास और अन्य संनिर्माण परियोजनाओं के लिए तीव्र मोनोलिथिक आपदा रोधी प्रौद्योगिकी को अंगीकार करना।
- पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपशिष्ट जल प्रशोधन जिससे उसका उपयोग विशिष्ट अंतिम उपयोग जैसे पेयजल, सिंचाई या और औद्योगिक प्रयोजन में किया जा सके।

- **नवीकरणीय ऊर्जा विकास**

वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य के साथ, भारत नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में बड़ी प्रगति कर रहा है। सरकारी प्रोत्साहनों, विधायी बदलावों और घरेलू विनिर्माण में बढ़ते निवेश के परिणामस्वरूप, देश में सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है। इसमें सबसे बड़ा योगदान सौर ऊर्जा का है, जिसमें छतों और उपयोगिता–स्तरीय संयंत्रों पर विशेष बल दिया जा रहा है।

हालाँकि, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ईपीआई का योगदान बहुत सीमित है क्योंकि ईपीआई द्वारा क्रियान्वित अधिकांश परियोजनाएँ ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुसार होती हैं। वर्तमान में, ईपीआई भारत में ईपीसी/पीएमसी आधार पर सौर परियोजनाओं की स्थापना में सक्रिय रूप से सम्मिलित होने की योजना बना रहा है।

विदेशी मुद्रा की बचत

कंपनी हमेशा विदेशी मुद्रा की बचत करने का प्रयास करती है। घरेलू आवश्यकताओं के लिए स्वदेश में निर्मित सामग्रियों और मशीनों की खरीद की जाती है जो कंपनी से विदेशी मुद्रा के बाहिर्गमन को रोकती है। नई प्रौद्योगिकियों, इंजीनियरी नवाचार आदि को स्वंय के डिजाइन का विकास करने के लिए अंगीकृत किया जाता है।

भारत में प्रौद्योगिकियों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए और आधुनिक उत्पादन तथा प्रसंस्करण सुविधाओं की भारत में स्थापना करने के लिए मशीनरी, मशीनरी के समुचित उपांतरण/अंगीकरण के लिए, उपस्कर और विदेश आधारित प्रौद्योगिकीय डिजाइन को स्वदेशी स्रोतों से खरीदा जाता है। भारतीय परिस्थितियों की भीषणता के अधीन प्रचालन के लिए अंगीकार करने के लिए सभी प्रक्रियाओं गंभीरता से जांच की जाती है। विदेशी मुद्रा का व्यय भारतीय दक्षता का विस्तृत इंजीनियरी, विनिर्माण एवं सुविधाओं के संयोजन में नई प्रौद्योगिकियों और विदेश में विकसित जानकारी को अपनाकर उन्नत डिजाइन एवं तकनीकी विशेषताओं के माध्यम से कमी लाने का प्रयास किया गया है।

पूरे कार्यालय परिसर में कागज रहित अवधारणा के लिए ई–ऑफिस, ईमेल, ई–निविदा आदि जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों की शुरुआत की गई।

सचेत करने वाला कथन

इस प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट का विवरण कंपनी के उद्देश्यों, प्रेक्षणों का वर्णन करता है जो लागू विधियों और विनियमों के अंतर्गत आगे बढ़ने के लिए कथन हैं। वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त या समझे गए परिणामों से सारवान रूप से या तात्विक रूप से भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के कार्य निष्पादन को प्रभावित कर सकते हैं जिनमें अवसंरचना क्षेत्र में अवमूल्यन की प्रवृत्ति, भारत में आर्थिक परिवेश में महत्वपूर्ण बदलाव, मुद्रा विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव, नियामक और कर नीति में बदलाव, चल रहे या संभावित मुकदमे, और श्रमिक संबंध सम्मिलित हैं।

निगम शासन पर रिपोर्ट

1. निगम शासन पर कंपनी का दर्शन

कंपनी के मिशन/ध्येय कथन में ''पणधारियों के मूल्य वर्धन'' का उत्कीर्ण किया गया है। कंपनी का दृढ विश्वास है कि अच्छे निगम शासन से सभी पणधारियों के लिए सतत आधार पर मूल्य का सृजन होता है। निगम शासन मुख्यतः पारदर्शिता, तात्विक तथ्यों का पूर्ण प्रकटन, मंडल की स्वतंत्रता और सभी पणधारियों के साथ न्यायोचित व्यवहार से संबंधित है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का निगम प्रशासन पर दर्शन इस प्रकार है:

''पेशेवरता का प्रयोग करना और कंपनी के सभी पणधारियों के लिए मूल्य का सृजन करने के लिए प्रभावी, उत्तरदायी और पारदर्शी होना है।''

2. निदेशक मंडल

(क) मंडल की संरचना

कंपनी के मंडल के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय (अर्थात भारी उद्योग मंत्रालय) के माध्यम से की जाती है।

निदेशक मंडल 3 कार्यकारी/पूर्णकालिक निदेशक/2 शासकीय नामनिर्देशिति निदेशक तथा 1 स्वतंत्र निदेशक से मिलकर बना है। 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों के दो पद खाली थे। प्रशासनिक मंत्रालय ने उक्त पद पर रोक लगा रखी है/उपरि सीमा निर्धारित कर रखी है।

(ख) निदेशक मंडल की संरचना के ब्यौरे, निदेशक की श्रेणी, मंडल की बैठकों और वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में उपस्थिति और वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान धारित अन्य निदेशक पद इस प्रकार है:

निदेशकों का नाम	श्रेणी	भाग ली गई बोर्ड की बैठक	27.09.2024 को आयोजित अंतिम वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति	अन्य पब्लिक कंपनियों में धृत निदेशक पदों की संख्या (जिसके अंतर्गत ईपीआई नहीं है)	अवधि
(क) पूर्णकालिक निदेशक/कार्यकारी निदेशक (अतिरिक्त प्रभार सहित)					
श्री शिवेन्द्र नाथ डीआईएन:10397812	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	5/5	जी हां	2 (एचएसएल/एसएसएल)*	20.11.2023 से
श्री दिबेन्दु दास डीआईएन:10234285	निदेशक (वित्त)	5/5	जी हां	.	11.07.2023 से
श्री सुनील दहिया डीआईएन: 10587594	निदेशक (परियोजना)	5/5	जी हां	.	05.04.2024से

(ख) शासकीय नामनिर्देशिति/अंशकालिक निदेशक					
श्री राजेश कुमार मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए), एमएचआई डीआईएनः 09403746	निदेशक	1/5	जी हां	2 (एचईसीएल, एचएमटी एमटीएल)*	01.11.2021 से
सुश्री मुक्ता शेखर संयुक्त सचिव, एमएचआईडीआईएनः 10118859	निदेशक	लागू नही	लागू नही	8(एचएमटीएमटीएल, एचएमटी(आई) एल, एचएमटी, एचएमटीडब्ल्यूएल, बीएंडआर, आरईआईएल, सीसीआई, एनईपीए)**	23.07.2024 तक
डॉ. रेणुका मिश्रा आर्थिक सलाहकार (ईए), एमएचआई डीआईएनः08635835	निदेशक	5/5	जी नहीं	9(एचएमटी, एचएमटीएमटीएल, एनईपीए, एचएमटीडब्ल्यूएल, एचएमटी(आई)एल, आरईआईएल, सीसीआई, बी एंडआर,एसआईएल)*	23.07.2024 से
I स्वतंत्र निदेशक/अंशकालिक (गैर शासकीय) निदेशक					
श्री विनोद कुमार यादव अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक डी आई एनः 06375196	निदेशक	2/2	जी हां	शून्य	02.11.2021 से 01.11.2024 तक
श्रीमती आकांक्षा पारे अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक डीआईएनः 09394630	निदेशक	2/2	जी हां	शून्य	02.11.2021 से 01.11.2024 तक
श्री अशोक शंकरराव मेंढे अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक डीआईएनः 10073305	निदेशक	5/5	जी हां	शून्य	07.03.2023से

*प्रयुक्त संक्षेपाक्षरः

बीएंडआर – ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
एचईसीएल – हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड
एचएमटीएमटीएल – एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
एनईपीए – नीपा लि.
सीसीआई – सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
आरईआईएल – राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
एचएमटी (आई)एल – एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
एचएमटी – एचएमटी लिमिटेड
एचएमटी डब्ल्यूएल – एचएमटी वॉचेज लिमिटेड
एचएसएल – हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
एसएसएल – सांभर साल्ट्स लिमिटेड
एसआईएल – स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

टिप्पण:

वर्ष 2024–25 के दौरान और तत्पश्चात इस रिपोर्ट की तारीख तक मंडल के निदेशक पद में निम्नलिखित परिवर्तन हुए।

1. भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 12–16/3/2022–टीएसडब्ल्यू, दिनांक 06.03.2024 द्वारा श्री शिवेन्द्र नाथ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (ईपीआइ) को निदेशक (परियोजना), ईपीआईएल के रूप में दिनांक 20.11.2023 से छह मास की अवधि के लिए या अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अतिरिक्त प्रभार सौंपा। आगे, दिनांक 05.04.2024को श्री सुनील दहिया के निदेशक, परियोजना (ईपीआइ) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांतश्री शिवेन्द्र नाथ का कार्यकाल दिनांक 04.04.2024 को पूर्ण हो गया।

2. भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 12–16(2)/2017–टीएसडब्ल्यू (ई–12357), दिनांक 01.04.2024 द्वारा श्री सुनील दहिया, वरिष्ठ महाप्रबंधक (एसजीएम), इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को निदेशक (परियोजना), ईपीआईएल के रूप में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी अधिवर्शिता की तारीख तक या अगला आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया। श्री सुनील दहिया, निदेशक (परियोजना) ने दिनांक 05.04.2024 को अपना पदभार ग्रहण किया।

3. भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 8–08(1)/2020–पीई–VIII/सीपीएसई-III (ई–21792), दिनांक 23.07.2024 द्वारा डॉ. रेणुका मिश्रा, आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) में शासकीय नामनिर्देशिति निदेशक के रूप में सुश्री मुक्ता शेखर, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय के स्थान पर नियुक्त किया।

4. भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 8–08(1)/2020–पीई–VIII/सीपीएसई-III (ई–21792), दिनांक 02.11.2021 के परिणामस्वरूप दिनांक 01.11.2024 को दो स्वतंत्र निदेशकों श्री विनोद कुमार यादव (डीआईएन: 06375196) और श्रीमती आकांक्षा पारे (डीआईएन: 09394630) का कार्यकाल पूर्ण हुआ।

(ग) मंडल की प्रक्रिया

निदेशक मंडल कंपनी के अच्छे शासन और कार्यकरण का सुनिश्चय करने के लिए मुख्य भूमिका का निर्वाह करता है। मंडल की बैठकें साधारणतया कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की जाती हैं। मंडल नियमित अंतरालों पर कंपनी की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर चर्चा करने के लिए बैठकें करता है। मंडल अवधिक रूप से सभी लागू विधियों की अनुपालना प्रास्थिति का पुनरीक्षण करता है। बैठकों के लिए कार्यवृत्त की टिप्पणियां संबंधित अधिकारियों द्वारा तैयार की जाती है और उनका अनुमोदन अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित कृत्यकारी निदेशकों द्वारा उन्हें सभी निदेशकों को भेजने से पूर्व किया जाता है। कंपनी सचिव यह सुनिश्चय करता है कि निदेशकों और ज्येष्ठ प्रबंधन को बैठकों में प्रभावी विनिश्चय करने के लिए सभी सूसंगत सूचना, ब्यौरे और दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं। निदेशक मंडल द्वारा विनिश्चय विचार–विमर्श के पश्चात किए जाते हैं।

(घ) मंडल की बैठकों की संख्या:

वित वर्ष 2024–25 के दौरान निदेशक मंडल की पांच (5) बैठकें आयोजित की गईं थी, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र. सं.	बैठक नं.	बैठक की तारीख	मंडल की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	287वीं	25.07.2024	8	8
2.	288वीं	27.09.2024	8	7
3.	289वीं	29.11.2024	6	5
4.	290वीं	08.01.2025	6	5
5.	291वीं	26.03.2025	6	5

(ङ) **स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें**

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 जुलाई 2017 की अपनी अधिसूचना तारीख द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 4 के पैरा 8 के उप पैरा (3) के खंड (क) और खंड (ख) के लागू होने से छूट दी है जो यह अपेक्षा करता है कि स्वतंत्र निदेशक अपनी पृथक बैठक में गैर स्वतंत्र निदेशकों के और कार्यपालक निदेशकों और गैर कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप में मंडल एवं कंपनी के अध्यक्ष के कार्य निष्पादन की समीक्षा करेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV– स्वतंत्र निदेशकों के लिए संहिता के अनुपालन में स्वतंत्र निदेशकों की एक पृथक बैठक 15 अक्तूबर, 2024 को ईपीआई के निगम कार्यालय, नई दिल्ली में (कार्यकारी निदेशकों, शासकीय निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों के बिना) आयोजित की गई। इस बैठक में, स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी प्रबंधन और मंडल के बीच सूचना प्रवाह की मात्रा और समयबद्धता का मूल्यांकन किया जोकि मंडल के लिए अपने कर्तव्यों के प्रभावी और युक्तियुक्तरूप से निष्पादन के लिए आवश्यक है।

(च) **इस रिपोर्ट की स्थिति के अनुसार कंपनी के मंडल में निदेशकों का संक्षिप्त विवरणः**

(i) **श्री शिवेन्द्र नाथ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**

श्री शिवेन्द्र नाथ ने 20 नवंबर, 2023 से इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व वे बीएसएनएल में वरिष्ठ महाप्रबंधक/वरिष्ठ मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत थे।

श्री शिवेंद्र नाथ, रुड़की विश्वविद्यालय (अब यह आईआईटी रुड़की है) से अभियांत्रिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रांची से एमबीए किया है। श्री शिवेंद्र नाथ के पास पीएसयू/केंद्र सरकार/राज्य सरकार में अवसंरचना विकास, नगर नियोजन, बोली प्रक्रिया प्रबंधन, अग्रणी डिजाइन टीम, संविदा प्रबंधन, मध्यस्थता मामले, दूरसंचार सेवाओं का अनुरक्षण, आस्ति का मुद्रीकरण, नगर जनोपयोगी सेवाओं का स्वचालन, नगर की परियोजनाओं का वित्तीय समापन के क्षेत्र में काम करने का 27 वर्षों का अपार अनुभव है। बीएसएनएल में वरिष्ठ महाप्रबंधक दूरसंचार के रूप में उन्होंने (क) प्रभाग में मोबाइल, लीज लाइन, ब्रॉडबैंड, एफटीटीएच और अन्य दूरसंचार सेवा का अनुरक्षण (ख) बीएसएनएल सेवाओं का विपणन और कारबार विकास (ग) भारत सरकार यूएसओएफ वित्त पोषित परियोजना का कार्यान्वयन पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। बीएसएनएल, शिलांग (तीन राज्यों मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रभारी) के मुख्य अभियंता (सिविल) और जीएम (एचआर) के रूप में – उन्होंने बीएसएनएल आस्तियों के मुद्रीकरण, सिविल से संबंधित परियोजना कार्यों और मानव संसाधन से संबंधित कार्यों में सक्रिय रूप से कार्य किया है। इसके अलावा, उन्होंने नया रायपुर (छत्तीसगढ़ का एक ग्रीनफील्ड राजधानी शहर–चंडीगढ़ शहर के समतुल्य क्षेत्र) में अपने कार्यकाल के दौरान शहरी बुनियादी ढांचे के विकास, नगर नियोजन के क्षेत्र में व्यापक रूप से कार्य किया। उन्होंने नगर स्तर पर जलापूर्ति, नगर स्तर पर सीवेज प्रषोधन संयत्र, नगर के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवसाय योजना, जनोपयोगी सेवाओं के स्वचालन के क्षेत्र में काम किया है। उन्होंने नया रायपुर के स्मार्ट सिटी विकास की डीपीआर तैयार करने वाली टीम का नेतृत्व किया। यह उस समय भारत में अपनी तरह का पहला कार्य था। इसका उद्घाटन वर्ष 2016 में माननीय प्रधान मंत्री ने किया गया था।

(ii) **श्री दिबेन्दु दास, निदेशक (वित्त)**

श्री दिबेंदु दास ने 11 जुलाई, 2023 से इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का पदभार ग्रहण किया है। इससे पूर्व, वे 02 नवंबर, 2017 से सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) में महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) के रूप में कार्यरत थे। श्री दास बी.कॉम स्नातक एवं भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान में फेलो सदस्य तथा भारतीय लागत लेखापाल संस्थान के सहयोगी सदस्य हैं।

श्री दास के पास इस्पात, अवसंरचना, विनिर्माण और बिजली क्षेत्र जैसे पीएसयू और निजी क्षेत्रों में काम करने का लगभग 29 वर्ष का अपार अनुभव है। उन्होंने सेल, बीईएमएल, आईएलएंडएफएस और हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स जैसी कंपनियों के साथ काम किया है।

श्री दास ने लागत, बजट, एमआईएस, लेखा, कराधान, वित्तीय सम्यक उद्यम और नई परियोजनाओं के मूल्यांकन के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कार्य किया है। उन्होंने निजी कंपनियों में अपने कार्यकाल के दौरान एसएपी लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके पास वित्त एवं लेखा विभाग को आमूलचूल परिवर्तन लाने का व्यापक अनुभव है। वह अकाउंट्स मैनुअल, एचआर मैनुअल, कॉस्ट मैनुअल आदि जैसे नीतिगत दस्तावेज बनाने में भी जुड़े थे। वह जिन संगठनों में काम करते थे, उनमें प्रणालीगत सुधार करने में सक्रिय रूप से भूमिका निभाते थे। उन्होंने खाद बनाने, संनिर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट, से बिजली बनाने वाले संयत्र इत्यादि जैसी प्रबंधन परियोजनाओं से संबंधित पीपीपी परियोजनाओं में काम किया है। उन्हें वर्ष 2012 में ''अगले 100 सीएफओ'' पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जो भावी सीएफओ को प्रदान किया गया था।

(iii) श्री सुनील दहिया, निदेशक (परियोजनां)

श्री सुनील दहिया ने 05 अप्रैल, 2024 से इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक (परियोजनाएं) का पदभार ग्रहण किया है। श्री सुनील दहिया ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी (राजस्थान) से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक किया और वर्ष 1992 में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में अपना करियर आरंभ किया।

उनके पास तेल क्षेत्र (रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स) और केंद्र सरकार/सीपीएसई और निजी ग्राहकों के लिए अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं में परियोजना और संनिर्माण प्रबंधन में निष्पादन के विभिन्न तौर तरीकों यानी ईपीसीएम, पीएमसी, पीएमसी (जमा अवधारणा पर) में 31 वर्षों से अधिक का समृद्धशाली और विविधतापूर्ण अनुभव है। उनके पास प्रक्रिया इकाइयों, कच्चे जल प्रबंधन संयंत्र, आरओडीएम प्लांट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, नाइट्रोजन और इंस्ट्रूमेंट एयर प्लांट, कूलिंग टावर्स, क्रायोजेनिक उत्पादों के लिए डबल वॉल स्टोरेज टैंकेज, डिमाउंटेबल फ्लेयर सिस्टम, माउंडेड बुलेट्स जैसी उपयोगिता सुविधाओं में निर्माण प्रबंधन का विविध अनुभव है। भंडारण पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम भंडारण टैंकेज, स्वचालित भंडारण और पुर्नप्राप्ति प्रणाली (एएसआरएस) गोदाम, यूटिलिटीज बॉयलर और उससे जुड़े संकर्म, स्टीम टर्बाइन जेनरेशन और उससे जुड़े संकर्म, सर्कुलेटिंग फ्लुइडाइज्ड बेड कम्बशन (सीएफबीसी) बॉयलर और उससे जुड़े संकर्म, 220 केवीए गैस इंसुलेटेड स्विचयार्ड, गैर– संयंत्र भवन – प्रशासनिक भवन/कैफेटेरिया/स्वास्थ्य केंद्र/दमकल केन्द्र/प्रयोगशाला/विद्युत उप–स्टेशन आदि, वितरित नियंत्रण प्रणाली, एससीएडीए (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण) और पाइपलाइनों के लिए रिसाव का पता लगाने वाली प्रणाली में संनिर्माण प्रबंधन में विवधता भरा अनुभव है। उन्होंने बठिंडा (पंजाब) में गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी पॉलिमर एडिशन परियोजना और बाड़मेर (राजस्थान) में एचपीसीएल–राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना में बहु–विषयक टीमों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। कार्यनीतिक व्यापार समूह के हिस्से के रूप में उन्होंने अवसंरचना क्षेत्र में कंपनी के विविधीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें विश्वविद्यालय परिसर विकास, बहुमंजिला कार्यालय परिसर, तेल क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास परिसर, जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान अनुसंधान एवं विकास परिसर, मेगा आवासीय परिसर, इंटरसेप्टर सीवर सिस्टम से जुड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के परियोजना प्रबंधन में व्यापक अनुभव है। उन्हें संनिर्माण स्थलों पर तीसरे पक्षकार द्वारा निरीक्षण और आंतरिक तकनीकी लेखापरीक्षा कराने भी अपार अनुभव है।

(iv) श्री राजेश कुमार, मुख्य लेखा नियंत्रक, भारी उद्योग मंत्रालय और अंशकालिक शासकीय निदेशक

श्री राजेश कुमार को ईपीआई में भारत सरकार के नामनिर्देशिति के रूप में भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांक 1 नवंबर, 2021 के आदेश के अनुसरण में नियुक्त किया गया है। श्री राजेश कुमार 1994 बैच के आईसीएएस अधिकारी हैं उनके पास दिल्ली विश्वविद्यालय से फिलॉसफी में निष्णात उपाधि है। वर्तमान में वह भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार में मुख्य वित्त नियंत्रक के रूप में तैनात हैं।

(v) डॉ. रेणुका मिश्रा, आर्थिक सलाहकार (ईए), एमएचआई और अंशकालिक शासकीय निदेशक

डॉ. रेणुका मिश्रा भारतीय आर्थिक सेवा (2003 बैच) की अधिकारी हैं और उन्हें भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांक 23 जुलाई, 2024 के आदेश के अनुसरण में भारत सरकार के नामनिर्देषिति के रूप में ईपीआई के अंशकालिक शासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

इससे पूर्व वे भारत सरकार के अधीन आने वाले विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय, आर्थिक कार्य विभाग, वाणिज्य विभाग, प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग में कार्य कर चुकी हैं।

वे कराधान, वानिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और महिलाओं की संवेदनशीलता जैसे क्षेत्रों पर विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित कई लेखों/पत्रों की नियमित लेखिका रही हैं।

वर्तमान में वे भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई), नई दिल्ली में आर्थिक सलाहकार (ईए) के पद पर तैनात हैं।

(vi) श्री अशोक शंकरराव मेंढे, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक

श्री अशोक शंकरराव मेंढे को कंपनी के मंडल में गैर शासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांक 7 मार्च, 2023 के आदेश के अनुसरण में नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व वे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त थे। वे नागपुर विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातक हैं। उन्हें भारतीय संविधान का गहन ज्ञान है। वह कई संगठित और असंगठित क्षेत्रों के संघ/संगठन से जुड़े हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। वह श्रम समस्याओं और उसके विधान से भलीभांति परिचित हैं। उन्हें प्रशासन और कार्मिक विभाग में अपार अनुभव है।

(छ) निदेशकों की नियुक्ति

सभी निदेशकों की नियुक्ति (इसमें अंशकालिक निदेशक, स्वतंत्र निदेशक, महिला निदेशक भी हैं) प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

नियुक्त किए गए निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 13 जून 2017 द्वारा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) और (7) (अर्थात चक्रानुक्रम में निदेशकों की सेवानिवृत्ति) को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्ति की शर्त के अधीन नहीं है।

3. मंडल की समितियां

मंडल की समितियां कंपनी के शासन ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनका गठन विशिष्ट क्षेत्रों/कार्यकलापों से निपटने के लिए किया जाता है जिनका कंपनी से संबंध होता है और जिनका नजदीक से पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता होती है। मंडल की समितियों का गठन मंडल के औपचारिक अनुमोदन के अधीन स्पष्ट रुप से दी गई भूमिका जिनका निर्वहन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाना विचारित है, करने के लिए एक अच्छी प्रशासन पद्धति के एक भाग के रूप में किया जाता है। मंडल अपने उत्तरदायित्व का निष्पादन

समितियों द्वारा करता है। संबंधित समिति का अध्यक्ष मंडल को समिति की बैठकों में की गई चर्चा से सूचित करता है। सभी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त को समीक्षा के लिए मंडल के समक्ष रखा जाता है। मंडल की समिति विशेष आमंत्रितों को बैठक में शामिल होने के लिए जैसा वह उचित समझे अनुरोध कर सकती है। मंडल ने इस समय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार समितियों की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के पश्चात समितियों का पुनर्गठन किया गया है।

i. लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति का इस समय का गठन इस प्रकार है:

1. श्री अशोक शंकरराव मेंढे, स्वतंत्र निदेशक — अध्यक्ष
2. श्री राजेश कुमार सीसीए–एमएचआई, अंशकालिक शासकीय निदेशक — सदस्य
3. डॉ. रेणुका मिश्रा, ईए–एमएचआई, अंशकालिक शासकीय निदेशक — सदस्य

निदेशक (वित्त) लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में स्थाई आमंत्रित हैं।

टिप्पण:

- श्री अशोक शंकरराव मेंढे दिनांक 20.07.2023 से समिति के सदस्य थे और दिनांक 18.11.2024 से अध्यक्ष हैं।
- श्री राजेश कुमार दिनांक 17.11.2021 से सदस्य हैं।
- डॉ. रेणुका मिश्रा दिनांक 18.11.2024 से सदस्य हैं।
- श्री विनोद कुमार यादव दिनांक 17.11.2021 से दिनांक 01.11.2024 तक अध्यक्ष थे।
- श्रीमती आकांशा पारे दिनांक 17.11.2021 से दिनांक 01.11.2024 तक सदस्य रहीं।

वर्ष 2024–25 के दौरान समिति की दिनांक 25.06.2024, दिनांक 25..07.2024, दिनांक 27..09.2024, दिनांक 08. .01.2025 और 26.03.2025 को क्रमशः 62वीं, 63वीं, 64वीं 65वीं एवं 66वीं अर्थात् पांच बैठकें हुई थीं। इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही–

सदस्य	उनकी पदावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में भाग लेने की स्थिति
श्री अशोक शंकरराव मेंढे, स्वतंत्र निदेशक	5	5
श्री विनोद कुमार यादव, स्वतंत्र निदेशक	3	3
श्रीमती आकांशा पारे, स्वतंत्र निदेशक	3	3
श्री राजेश कुमार, अंशकालिक शासकीय निदेशक	5	2
डॉ. रेणुका मिश्रा, अंशकालिक शासकीय निदेशक	2	2

लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय

लेखा परीक्षा समिति के निर्देश के निबंधन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। इन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के निबंधनों के अनुसार 21 जुलाई, 2014 से निम्नानुसार संशोधित किया गया है:–

1. कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति के निबंधनों की सिफारिश।

2. लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्य–निष्पादन तथा लेखा प्रक्रिया की प्रभावशीलता का पुनरीक्षण और निगरानी।

3. वित्तीय विवरण और उसमें लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जाँच।

4. संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी के संव्यवहारों के पश्चातवर्ती उपांतरण का अनुमोदन।

5. अंतः निगम ऋणों और निवेशों की संवीक्षा।

6. कंपनी के वचनबंधों या आस्तियों का मूल्यांकन, जहां यह आवश्यक हो।

7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।

8. लोक प्रस्तावना और संबंधित मामलों जहां लागू हों, के माध्यम से जुटाई गई निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी।

9. लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षा के स्कोप, जिसके अंतर्गत लेखापरीक्षकों का पर्यवेक्षण और मंडल को प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरण का पुनर्विलोकन भी है के विषय में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां मांग सकती है और अन्य किसी संबंधित मुद्दों पर आंतरिक और कानूनी लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के प्रबंधन के साथ विचार–विमर्श कर सकती है।

10. लेखापरीक्षा समिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) में विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में या उसे मंडल द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट मदों पर जांच करने का प्राधिकार होगा और इस प्रयोजन के लिए उसे बाह्य स्रोतों से व्यावसायिक परामर्श अभिप्राप्त करने की शक्ति होगी और कंपनी के अभिलेखों में अंतर्विष्ट सूचना तक उसकी पूरी पहुंच होगी।

11. कंपनी या मंडल की लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षकों के परामर्श से आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए कार्यक्षेत्र, कार्यकरण, अवधि और विधि की विरंचना करेगी।

12. कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट करने की प्रक्रिया और उसकी वित्तीय सूचना के प्रकटन को देखना ताकि यह सुनिश्चय किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।

13. सांविधिक लेखापरीक्षकों को कानूनी लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई किसी अन्य सेवा के लिए संदाय का अनुमोदन।

14. मंडल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणियों का निम्नलिखित के विशिष्ट संदर्भ में पुनर्विलोकन

    क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के निबंधनों के अनुसार मंडल की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के दायित्व का विवरण में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित मुद्दे;

    ख. लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों, और उसके कारण;

    ग. प्रबंधन द्वारा उनके निर्णय के उपयोग के आधार पर प्राक्कलनों को अंतर्वलित करती हुई प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ;

    घ. लेखापरीक्षा में पता लगाए जाने के कारण अदभूत वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;

ङ. वित्तीय विवरणियों से संबंधित विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन;

च. संबंधित पक्षकार संव्यवहार का प्रकटन/पुनर्विलोकन;

छ. प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं।

15. मंडल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ पुनर्विलोकन।

16. प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य–निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता का पुनर्विलोकन।

17. आंतरिक लेखापरीक्षा कृत्य, यदि कोई हो की पर्याप्तता का पुनर्विलोकन जिसके अंतर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग का ढांचा, कर्मचारीवृंद और विभाग की अध्यक्षता करने वाले कार्यकारी की वरिष्ठता, रिपोर्ट करने का ढांचा, कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति भी है।

18. किसी महत्वपूर्ण प्रकटन पर आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।

19. आंतरिक लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों द्वारा उन मामलों में आंतरिक जांच से हुए प्रकटन का पुनर्विलोकन जहां किसी कपट या अनियमितता या तात्विक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की असफलता और मंडल को उस विषय को रिपोर्ट करने का पुनर्विलोकन।

20. लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र की चर्चा के साथ–साथ लेखापरीक्षा पश्च किसी चिंता वाले क्षेत्र का पता लगाने के लिए चर्चा।

21. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के असंदाय की दशा में) और लेनदारों को संदाय में सारवान व्यतिक्रम के कारणों की जांच।

22. सूचना देने वाले, सतर्कता तंत्र के कार्यकरण का पुनर्विलोकन।

23. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा पर्यवेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई का पुनर्विलोकन।

24. संसद की लोक उद्यम समिति (सीओपीयू) द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का पुनर्विलोकन।

25. स्वतंत्र लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार के लिए एक खुले पथ का प्रावधान।

26. कवरेज की संपूर्णता, निरर्थक प्रयासों में कमी और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने का सुनिश्चय करने के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के साथ पुनर्विलोकन।

27. स्वतंत्र लेखापरीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार और पुनर्विलोकन:

क. आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता जिसके अंतर्गत कम्पयूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा भी है, और

ख. संबंधित निष्कर्षों और स्वतंत्र लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों का प्रबंधन के प्रत्युत्तरों के साथ सिफारिशें।

28. निम्नलिखित पर प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक और स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ विचार और पुनर्विलोकन:

क. वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा सिफारिशें भी हैं।

ख. लेखापरीक्षा कार्य के दौरान सामने आई कोई कठिनाईयों जिसके अंतर्गत कार्यकलापों के स्कोप पर या अपेक्षित सूचना तक पहुंच पर कोई निर्बंधन भी है।

29. लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में भी शक्तियां होगी:

क. विचारार्थ विषय के अंतर्गत किसी कार्यकलाप की जांच करना।

ख. किसी कर्मचारी पर और उससे किसी सूचना को प्राप्त करना।

ग. निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन रहते हुए बाह्य विधिक या अन्य व्यवसायिक परामर्श अभिप्राप्त करना।

घ. सुसंगत विशेषज्ञता रखने वाले बाह्य व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे।

ङ. सूचना प्रदाताओं की संरक्षा करना।

30. लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित सूचना का पुनर्विलोकन करेगी:

क. प्रबंधन परिचर्चा और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण तथा प्रचालनों का परिणाम;

ख. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबंधित पक्षकार संव्यवहारों का विवरण;

ग. प्रबंधन पत्र/सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र;

घ. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें;

ङ. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति और पद से हटाने को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा; और

च. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा विवरणों का स्पष्टीकरण/घोषणा।

31. कोई अन्य क्रियाकलाप जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 और तद्धीन बनाए गए नियमों और डीपीई निगम शासन मार्ग निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

ii. निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और भरणीयता समिति

कंपनी ने तारीख 15.03.2013 को (तत्पश्चात पुनर्गठित) को एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय निगम सामाजिक दायित्व और भरणीयता समिति का गठन किया है। कंपनी ने कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसरण में समिति का गठन किया गया है।

इस समय समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

1.	श्री अशोक शंकरराव मेंढे, स्वतंत्र निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	श्री राजेश कुमार सीसीए–एमएचआई, अंशकालिक शासकीय निदेशक	–	सदस्य
3.	डॉ. रेणुका मिश्रा, ईए–एमएचआई, अंशकालिक शासकीय निदेशक	–	सदस्या

टिप्पण:

- श्री अशोक शंकरराव मेंढे दिनांक 20.07.2023 से अध्यक्ष हैं।
- श्री राजेश कुमार दिनांक 18.11.2024 से सदस्य हैं।

- डॉ. रेणुका मिश्रा दिनांक 18.11.2024 से सदस्या हैं।
- श्रीमती आकांक्षा पारे दिनांक 17.11.2021 से दिनांक 20.07.2023 तक अध्यक्षा थीं इसके 01.11.2024 तक सदस्या रहीं।
- श्री विनोद कुमार यादव दिनांक 17.11.2021 से दिनांक 01.11.2024 तक सदस्य रहे।
- श्री दिबेन्दु दास, निदेशक (वित्त) दिनांक 20.07.2023 से दिनांक 18.11.2024 तक सदस्य रहे।

वर्ष 2024–25 के दौरान समिति ने 25.07.2024 को 23वीं बैठक की थी जिसमें सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही–

सदस्य	उनकी पदावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में भाग लेने की स्थिति
श्री अशोक शंकरराव मेंढे–अध्यक्ष	1	1
श्रीमती आकांक्षा पारे–सदस्य	1	1
श्री विनोद कुमार यादव– सदस्य	1	1
श्री दिबेन्दु दास – सदस्य	1	1

कंपनी द्वारा अपने सीएसआर एवं भरणीयता पहल के अधीन किए गए क्रियाकलापों के ब्यौरे निदेशकों की रिपोर्ट के साथ उपाबंध 'ग' के रूप में संलग्न सीएसआर रिपोर्ट में दिए गए हैं।

iii. पारिश्रमिक समिति

निदेशकों/वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें सरकारी मार्गदर्शक सिद्धांतों/डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा शासित होती हैं।

पारिश्रमिक समिति का गठन कंपनी अधिनियम की धारा 178 और निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार वार्षिक बोनस परिवर्तनशील वेतन पूल और कार्यकारियों को तथा ऐसे पर्यवेक्षकों को जो किसी संगम में नहीं हैं को उसके वितरण का विनिश्चय करने के लिए किया गया है। वर्तमान में, समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी है:

1. श्री अशोक शंकरराव मेंढे, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2. श्री राजेश कुमार, सीसीए–एमएचआई, अंशकालिक निदेशक – सदस्य
3. डॉ. रेणुका मिश्रा, ईए–एमएचआई, अंशकालिक निदेशक – सदस्य

टिप्पण:

- श्री अशोक शंकरराव मेंढे दिनांक 20.07.2023 से सदस्य थे और दिनांक 18.11.2024 से अध्यक्ष हैं।
- श्री राजेश कुमार दिनांक 17.11.2021 से सदस्य हैं।
- डॉ. रेणुका मिश्रा दिनांक 18.11.2024 से सदस्य हैं।
- श्रीमती आकांक्षा पारे दिनांक 17.11.2021 से 01.11.2024 तक अध्यक्ष रहीं।
- श्री विनोद कुमार यादव दिनांक 17.11.2021 से दिनांक 01.11.2024 तक सदस्य रहे।

वर्ष 2024–25 के दौरान समिति कीदिनांक 25.07.2024, 08.01.2025, 26.03.2025 को क्रमशः 21वीं, 22वीं एवं 23वीं बैठक आयोजित हुई। इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही–

सदस्य	उनकी पदावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में भाग लेने की स्थिति
श्री अशोक शंकरराव मेंढे–अध्यक्ष	3	3
डॉ. रेणुका मिश्रा–सदस्य	2	2
श्री राजेश कुमार– सदस्य	3	1
श्रीमती आकांक्षा पारे –अध्यक्ष	1	1
श्री विनोद कुमार यादव– सदस्य	1	1

4. अन्य समितियाँ

कंपनी के वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों (अर्थात् मंडल स्तर से नीचे) से मिलकर बनने वाली निम्नलिखित समितियां विद्यमान है।

शेयर अंतरण समिति

कंपनी की सभी शेयरों के अंतरणों और पारेषणों की निगरानी के लिए एक शेयर अंतरण समिति हैं। शेयर अंतरण समिति कंपनी के अधिकारियों अर्थात वित्त प्रभाग के प्रमुख, विधिक प्रभाग के प्रमुख और संविदा प्रभाग के प्रमुख से मिलकर बनी है। वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अंतरण नहीं हुआ है।

कंपनी की प्राधिकृत और समादत्त शेयर पूंजी क्रमशः 909.40 करोड़ रुपए (10 रुपए के प्रत्येक 909,404,600 साम्या शेयरों में विभाजित) और 35.42 करोड़ रुपए (10 रुपए के प्रत्येक 35,422,688 साम्या शेयरों में विभाजित) है।

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार कंपनी का शेयरधारिता पैटर्न इस प्रकार है:

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	धारिता का प्रतिशत
1.	भारत के राष्ट्रपति प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	35415677	99.98
2.	अन्य (जिसके अंतर्गत छह पब्लिक सेक्टर उपक्रम अर्थात् हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि., भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि. एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि.*, त्रिवेणी स्ट्रकचरल लि.*, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि. और ईपीआई शेयर धारक न्यास) शामिल हैं।	7011	0.02

* परिसमापन के अधीन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने तारीख 22.01.2019 की अधिसूचना द्वारा सरकारी कंपनियों को शेयरों के डिमैटेरियलाइजेशन से छूट प्रदान की है।

जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी ने आईएसओ 31000:2018 जोखिम प्रबंधन नीति का संशोधन किया है। जोखिम प्रबंधन अच्छे प्रबंधन का अभिन्न भाग है। सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन का प्रयोग लगातार सुधार और विनिश्चय करने में अधिक निश्चितता को अनुज्ञात करता है। इसका अंतिम रूप से परिणाम यह होता है कि संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के बेहतर अवसर होते हैं। जोखिम प्रबंधन नीति को आपकी कंपनी के लिए प्रभावी जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित करने और बनाए रखने के लिए विकसित किया गया है।

जोखिम प्रबंधन नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी के सभी चालू और भाभी तात्विक जोखिमों की पहचान की जा सके, उनका मूल्यांकन किया जा सके, उनके परिमाण का पता लगाया जा सके, समुचित रूप से उन्हें कम किया जा सके और उनका प्रबंधन किया जा सके कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए ढांचा स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना की संपूर्ण कंपनी में उसको कार्यान्वित किया जा सके यह सुनिश्चित करना कि पूर्व क्रियाशीलता को बढ़ावा दिया जाए न कि प्रतिक्रियाकारी प्रबंधन को समुचित विनियमों की सर्वोत्तम पद्धतियों को अंगीकार करके, अनुपालना करने में समर्थ बनाना, जहां भी वह लागू हों संपूर्ण संगठन में सहायता प्रदान करना और विनिश्चय करने की गुणवत्ता में सुधार करना तथा वित्तीय स्थायित्व के साथ कारबार की विधि को सुनिश्चित करना है।

जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार प्रशासन ढांचा जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी), मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) जोखिम स्वामी और जोखिम समन्वयक (आरओ/आरसी) आदि से मिलकर बना है। यह नीति निदेशक मंडल, लेखा पर, परीक्षा समिति जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) जोखिम स्वामी (आरओ, जोखिम समन्वयक (आरसी) और आंतरिक लेखा परीक्षकों की भूमिका और उत्तरदायित्व को भी परिभाषित करती है)।

5. प्रकटन

i) वर्ष 2024–25 के दौरान कार्यकारी निदेशकों को संदत्त पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशकों को संदत्त बैठक फीस का ब्यौरा इस प्रकार है:

क. कार्यकारी/पूर्णकालिक निदेशक:

(राशि लाख रूपए में)

निदेशक का नाम	वेतन	लाभ	कार्य निष्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन	योग
श्री शिवेंद्र नाथ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	40.95	0.32	.	41.28
श्री सुनील दहिया, निदेशक (परियोजना)	54.12	0.32	.	54.44
श्री दिबेन्दु दास, निदेशक (वित्त)	42.05	0.82	.	42.87

ख. स्वतंत्र निदेशक:

वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनी के मंडल में तीन स्वतंत्र निदेशक थे। वर्ष के दौरान संदत्त बैठक फीस के ब्यौरा इस प्रकार है:

(राशि लाख रूपए में)

निदेशक का नाम	बैठक फीस		स्वतंत्र निदेशक की बैठक हेतु फीस	योग
	मंडल की बैठकें	समिति की बैठकें		
श्रीमती आकांक्षा पारे	0.30	0.50	0.15	0.95
श्री विनोद कुमार यादव	0.30	0.50	0.15	0.95
श्री अशोकशंकरराव मेंढे	0.75	0.90	0.15	1.80

स्वतंत्र निदेशकों को बैठक फीस मंडल की प्रति बैठक के लिए 15,000/– रुपए की दर से और मंडल की समिति की बैठक के लिए 10,000/– रुपए की दर से अदायगी की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों को भी स्वतंत्र निदेशकों की बैठक में भाग लेने के लिए प्रति बैठक 15,000/– की दर से फीस अदायगी की जाती है।

ii) सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा नियत वेतनमानों में की जाती है। तदनुसार, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की नियुक्ति 1,80,000 रुपए – 3,20,,000 रुपए (आईडीए) के पुनरीक्षित अनुसूची, ''ख'' वेतनमान में की गई है और निदेशकों की नियुक्ति 1,60,000 रुपए – 2,90,,000 रुपए के आईडीए पैटर्न के पुनरीक्षित अनुसूची, ''ख'' वेतनमान में की गई है। उनकी नियुक्ति के अन्य निबंधनों और शर्तों को भी भारत सरकार द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा नियत किया जाता है।

iii) निदेशकों की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उनके पारिश्रमिकों और अंशकालिक (गैर–शासकीय) निदेशकों को पात्र बैठक फीस के अतिरिक्त किसी भी निदेशक का कंपनी के साथ कोई तात्विक या धनीय संबंध नहीं है जो उनके स्वतंत्र निर्णय को प्रभावित करे।

iv) वर्ष के दौरान तात्विक रूप से पक्षकार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार नहीं हुए थे जिसकी बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के प्रतिकूल होने की संभावना हो। लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबंधित पक्षकार संव्यवहार का ब्यौरा लेखाओं की टिप्पणियों का भाग बनता है।

v) विभिन्न विभागों से प्राप्त सांविधिक अनुपालना रिपोर्ट को सांविधिक शोध्यों की प्रास्थिति के साथ मंडल के समक्ष रखा जाता है।

vi) लेखाओं पर टिप्पण के टिप्पण संख्या 2.26 में दर्शाये गये, के सिवाय वे मामले जो अपील प्राधिकरण के समक्ष अपली के अधीन हैं, किसी सांविधिक निकाय द्वारा शास्ति या कठोर अलोचना का कोई घटना घटित नहीं हुई है।

vii) कंपनी निगम शासन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त एमआर–3 में दर्शाये गये के सिवाय, डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए निगम शासन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है।

viii) वर्ष के दौरान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित राष्ट्रपतीय विनिदेशों और 01.01.2017 से वेतन के पुनरीक्षण का अनुसरण कर कार्यान्वित किया गया है।

ix) वर्ष के दौरान लेखा बहियों और लेखाओं में किसी खर्च जो कारबार व्यय के प्रयोजनों के लिए नहीं है और कोई व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति का है निदेशक मंडल और उच्च प्रबंधन द्वारा उपगत नहीं किया गया है।

x) कंपनी में कपट के निवारण, उसका पता लगाने और उसके रिपोर्ट करने के लिए सितम्बर, 2010 से कपट निवारण नीति लागू है।

xi) कुल व्ययों के प्रतिशत के रूप में अन्य व्यय वर्ष 2023–24 में 5.00 प्रतिशत के सापेक्षं 3.78 प्रतिशत रहे। कुल व्ययों के प्रतिशत के रूप में वित्तीय लागत वर्ष 2023–24 में 0.86 प्रतिशत के सापेक्ष0.69 (मूल्यह्रास और वित्तीय लागत को छोड़कर) प्रतिशत रहे।

xii) कंपनी के वित्तीय विवरणों की बाबत कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) द्वारा प्रमाणपत्र **उपाबंध–ख1** पर रखा गया है।

xiii) कंपनी की वेबसाइट (www.epi.gov.in) में कंपनी के अधिकारिक समाचारों जैसे वार्षिक रिपोर्ट, निविदाएं और रोजगार के अवसर आदि दर्शाया जाता है

6. साधारण निकाय बैठकें:

i) कंपनी की पिछली तीन वार्षिक साधारण बैठकों के ब्यौरे इस प्रकार हैः

एजीएम	वित्तीय वर्ष	एजीएम की तारीख और समय	स्थान (पंजीकृत कार्यलय)
54वीं	2023.24	27 सितंबर, 2024 को 03.30 बजे अपराह्न	कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
53वीं	2022.23	26 सितंबर, 2023 को 03.00 बजे अपराह्न	कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
52वीं	2021.22	27 सितंबर, 2022 को 03.30 बजे अपराह्न	कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए 55वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना में वार्षिक साधारण बैठक की तारीख, समय सम्मिलित है।

ii) पिछली तीन एजीएम में पारित विशेष संकल्पों के ब्यौरे–

एजीएम	वित्तीय वर्ष	पारित विशेष संकल्प के ब्यौरे
54वीं	2023.24	शून्य
53वीं	2022.23	शून्य
52वीं	2021.22	शून्य

7 सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अपेक्षाओं के अनुसार आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए महा प्रबंधक (पी एंड एम) को लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और गुवाहाटी के प्रादेशिक प्रमुखों को सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) नियुक्त किया है। समूह महाप्रबंधक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार सभी आवेदकों को सूचना प्रदान की गई।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान सूचना का अधिकार आवेदनों के संबंध में डाटा इस प्रकार हैः–

(संख्या में)

1.	मार्च 2024 के अंत तक लंबित सूचना का अधिकार आवेदन	**2***
2.	वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान प्राप्त सूचना का अधिकार आवेदन	**53**
3.	वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निपटान किए गए सूचना का अधिकार आवेदन	**52+2***
4.	मार्च 2025 के अंत तक लंबित सूचना का अधिकार आवेदन	**1**

8. शेयरधारकों के साथ संपर्क के साधन

कंपनी की संदत्त पूंजी का 99.98 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा धारित है और शेष 0.02 प्रतिशत छह सीपीएसई और इन सीपीएसई के निमित सृजित न्यास द्वारा धारित है।

कंपनी की द्विभाषी वार्षिक रिपोर्ट अन्य सुसंगत सूचना के साथ कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है और

इसे संसद् के समक्ष भी रखा जाता है। वार्षिक रिपोर्ट आदि को भौतिक प्ररूप के साथ इलेक्ट्रॉनिकी रीति में भी जारी किया जा रहा है।

9. लेखापरीक्षा टिप्पणियां

सावंधिक लेखापरीक्षकों और सचिवालय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के प्रत्युत्तर को निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्नक के रूप में सम्मिलित किया गया है निदेशकों की रिपोर्ट के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को निदेशकों की रिपोर्ट के साथ एक वर्धन के रूप में उपाबद्ध कर दिया गया है।

10. निदेशक मंडल का प्रशिक्षण

कंपनी, कंपनी के निदेशक मंडल में नए नियुक्त निदेशकों को आरंभिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। प्रशिक्षण में कंपनी के विषय में संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण और कंपनी के कार्य निष्पादन के विषय में महत्वपूर्ण डाटा, संस्था के अतर्नियम एवं बहिर्नियम, ईपीआई का ब्रोशर, डीपीई द्वारा निगम शासन पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत, निदेशक मंडल की बैठकों पर सचिवालयी मानक (एसएस–1) और साधारण बैठकों पर सचिवालय मानक (एसएस–2), स्वतंत्र निदेशक पर आईसीएसआई द्वारा प्रकाशित पुस्तिका, कंपनी अधिनियम, 2013 आदि शामिल है। निदेशकों को भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई), लोक उद्यम स्थायी सम्मेलन (स्कोप), निदेशक संस्थान (आईओडी), लोक उद्यम विभाग (डीपीई) और भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) आदि द्वारा जब भी आयोजित किए जाएं, उन सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यक्रमों आदि के लिए भी प्रायोजित किया जाता है।

11. सूचना प्रदाता नीति

ईपीआई में वर्ष 2010 से ही सूचना प्रदाता नीति विद्यमान है, जो उन व्यक्तियों के उत्पीड़न के लिए पर्याप्त सुरक्षोपायों का प्रावधान करती है, जो ऐसे तंत्र का उपयोग करते हैं और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक समुचित या आपवादिक मामलों में सीधे पहुंच का प्रावधान करती है।

सभी कर्मचारी अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति को अधिमानतः लिखित में संरक्षित प्रकटन करने के लिए पात्र हैं।

इस नीति की विरचना निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना के लिए की गई थी। यह कंपनी (मंडल की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की अपेक्षाओं को भी पूरा करती है, जो वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र की स्थापना का प्रावधान करती है।

वर्ष के दौरान किसी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से नहीं रोका गया है।

12. आचार संहिता

निदेशक मंडल ने मंडल के सदस्यों और कंपनी के ज्येष्ठ प्रबंधन के लिए कारबार आचार– और नैतिकता की संहिता अधिकथित की है। आचार संहिता को कंपनी की वेबसाइट *www.epi.gov.in* पर होस्ट किया गया है। कंपनी के मंडल के सभी सदस्यों और प्रमुख अधिकारियों ने संहिता की अनुपालना के लिए प्रतिज्ञान किया है। इस प्रभाव की एक घोषणा इस रिपोर्ट के साथ **उपाबंध–ख2** के रूप में उपाबद्ध है।

13. अनुपालना प्रमाणपत्र

यह रिपोर्ट सीपीएसई के लिए निगम शासन पर सभी मार्गदर्शक सिद्धांतों की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपाबंध–7 में वर्णित सभी सुझाए गए लागू मदों को कवर करते हैं। डीपीई द्वारा विहित निगम शासन अपेक्षाओं की अनुपालना पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय को भी नियमित रूप से भेजी जाती है। सीपीएसई के निगम शासन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों की शर्तों की अनुपालना के संबंध में व्यवसायरत कंपनी सचिव से अभिप्राप्त प्रमाणपत्र रिपोर्ट को **उपाबंध–ख3** के रूप में उपाबद्ध किया गया है।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों पर प्रमाणपत्र/घोषणा

हमने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण का पुनर्विलोकन कर लिया है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसारः

(i) इन विवरणों में कोई तात्विक असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या किसी तात्विक तथ्य का लोप नहीं किया गया है या ऐसा कोई विवरण अंतर्विष्ट नहीं है जो भ्रामक हो;

(ii) ये सभी विवरण कंपनी के मामलों का सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करती हैं और यह विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू विधियों और विनियमों के अनुसार हैं;

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनी ने ऐसा कोई संव्यवहार दर्ज नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अविधिमान्य या कंपनी की आचार–संहिता का उल्लंघनकारी है;

(iv) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के दायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर लिया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन या प्रचालन में कमियों, यदि कोई हों, जिसके विषय में हम भिज्ञ हैं और उनके लिए की गई कार्रवाई और उनको दूर करने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का प्रकटन कर दिया है;

(v) हमने लेखापरीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित उपदर्षित कर दिया हैः

 क) वर्ष 2024–25 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

 ख) वर्ष 2024–25 के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में प्रकटन कर दिया गया है; और

 ग) गंभीर कपट के मामले जिनकी हमें जानकारी हो गई है और उसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी का शामिल होना जिसकी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

ह०/–	ह०/–
(दिबेदु दास)	**(शिवेन्द्र नाथ)**
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**
डीआईएनः 10234285	**डीआईएनः 10397812**

तारीखः 24.06.2025
स्थानः नई दिल्ली

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता की अनुपालना के संबंध में घोषणा

मै, शिवेन्द्र नाथ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि कंपनी के मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनी के कारबार आचरण और नैतिक संहिता के अनुपालन के लिए प्रतिज्ञान किया है।

ह०/–
(शिवेन्द्र नाथ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10397812

तारीख: 24.06.2025
स्थानः नई दिल्ली

अनुलग्नक बी3

AGB & Associates
Company Secretaries
FRN: I2011HR887800
Regd. Office: 5A/14 2nd Floor, BP,
NIT Faridabad-121001 (HR)
Email: agbcorplegal@gmail.com
Contact: 9811179921

निगम शासन प्रमाणपत्र

सेवा में
सदस्यगण,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड,
कोर 3, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003

हमने **31 मार्च, 2025** को समाप्त वर्ष के लिए **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड** (जिसे इसमें इसके पश्चात **कंपनी** कहा गया है) की निगम शासन जैसा कि मूलतः 22.06.2007 को जारी अधिसूचना संख्या 18 (8)/2005–जीएम और लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन द्वारा समय–समय पर जारी तथा इसके अधीन उल्लिखित उपाबंध ''केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम 2010 के लिए निगम शासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों (जिसे इसमें इसके पश्चात **मार्गदर्शक** सिद्धांत कहा गया है) में यथा उपदर्शित शर्तों की अनुपालना की शर्तों'' की जांच की है।

निगम शासन की शर्तों की अनुपालना का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच कंपनी द्वारा ऊपर वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांतों में उपदर्शित निगम शासन की शर्तों की अनुपालना का सुनिश्चय करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित है। इसलिए यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न ही लेखापरीक्षा है और न ही उनपर किसी राय की अभिव्यक्ति।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और सूचना तथा हमें दिए गए दस्तावेजों के अनुसार हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने पूर्व वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांतों में परिकल्पित निगम शासन की शर्तों की **सिवाय** निम्नलिखित के अनुपालना की है।

1) कंपनी अधिनियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित धारा 149 (4) के अनुसार, कंपनी को बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा, दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 (गैर–सूचीबद्ध सीपीएसई) के अनुसार भी, कंपनी के बोर्ड सदस्यों में से कम से कम एक–तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।

   तीन स्वतंत्र निदेशकों में से दो का कार्यकाल 1 नवंबर 2024 को पूरा हो गया है और स्वतंत्र निदेशकों के पद रिक्त हैं। इसलिए, कंपनी बोर्ड और बोर्ड स्तरीय समितियों, जैसे कि लेखा परीक्षा और पारिश्रमिक समिति, के गठन के संबंध में दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं कर सकी।

यह ध्यान दिया गया है कि बोर्ड में सभी नियुक्तियाँ भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से की जाती हैं। आगामी रिक्तियों के बारे में मंत्रालय को समय से पहले सूचित कर दिया गया था, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 और लागू डी.पी.ई. दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दो रिक्त स्वतंत्र निदेशक पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध भी शामिल था।

2) दो लगातार बोर्ड बैठकों (286वीं दिनांक 28.03.2024 और 287वीं दिनांक 25.07.2024) के बीच का अंतराल तीन महीने की निर्धारित समय–सीमा (दिशानिर्देशों के अनुसार) से अधिक हो गया।

यह स्पष्ट किया गया है कि आधिकारिक आपात स्थितियों के कारण 03 महीने की निर्धारित समय–सीमा के भीतर बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। हालांकि, कंपनी ने इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम यह बताते हैं कि अनुपालन कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता या प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों को जिस दक्षता या प्रभावशीलता के साथ संचालित किया गया है, उसकी कोई आश्वासन नहीं है।

स्थानः फरीदाबाद
तारीखः 28.04.2025

कृते एजीबी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
पीआर सं. 2668/2022

ह0/–
सीएस रश्मी असवाल
(भागीदार)
सदस्यता सं.:ए50322
सी.पी. संख्या 24667
यूडीआईएन::ए050322जी000209129

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 की अपेक्षा के अनुसार)

1. कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति पर एक संक्षिप्त रूपरेखाः

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एक ऐसा प्रभावी साधन है जो बड़े पैमाने पर निगम और सामाजिक क्षेत्र के अभिकरणों के बीच भरणीय वृद्धि और समाजिक उदेश्य के विकास के लिए सामंजस्य बिठाता है। ईपीआई की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति अधिकांश रूप से समुदाय के लिए कल्याणकारी उपायों का और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के माध्यम से समाज में अंशदान का प्रावधान करती है और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की आवश्यकता के प्रति यह संवेदनशील है।

सीएसआर विजन

''समाज के बड़े हिस्से के लिए कार्य करना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना तथा एक निगम निकाय के रूप में ईपीआई की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार धारणा तैयार करना''।

सीएसआर के उद्देश्य

ईपीआई की सीएसआर नीति का व्यापक उद्देश्य समुदाय और समाज के लिए नैतिक और जिम्मेदार व्यवहार का अनुपालन करना है और समुदाय के बड़े हिस्से के कल्याण और भरणीय विकास के लिए कार्यक्रम हाथ में लेना है।

2. निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचनाः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार ईपीआई के पास मंडल स्तरीय निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और भरणीयता समिति है। इस समिति की सहायता एक नोडल अधिकारी द्वारा की जाती है।

मंडल स्तरीय समिति की भूमिका निम्नलिखित है–

(क) एक निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की विरंचना करना और मंडल को उसकी सिफारिश करना जो अनसूची–VII में यथाविनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा हाथ में लिए जाने वाले कार्यकलापों को प्रदर्शित करेगी;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यकलापों पर उपगत किए जाने वाले व्यय की रकम की सिफारिश करना; और

(ग) समय–समय पर कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की निगरानी करना।

इस रिपोर्ट की तारीख तक मंडल स्तरीय निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता समिति में निम्नलिखित सदस्य हैंः

1.	श्री अशोक शंकरराव मेंढे, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. रेणुका मिश्रा, शासकीय नामनिर्देशिती निदेशक	सदस्य
3.	श्री राजेश कुमार, शासकीय नामनिर्देशिती निदेशक	सदस्य

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	निगम सामाजिक उत्तर–दायित्व समिति की वर्ष 2024–25 के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष 2024–25 के दौरान निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री अशोक शंकरराव मेंढे	स्वतंत्र निदेशक, समिति के अध्यक्ष (20.07.2023 से)	1	1
2.	श्री राजेश कुमार	शासकीय नामनिर्देशिती निदेशक (18.11.2024 से)	.	.
3.	डॉ. रेणुका मिश्रा	शासकीय नामनिर्देशिती निदेशक (18.11.2024 से)	.	.
4	श्रीमती आकांक्षा पारे	स्वतंत्र निदेशक, सदस्य (01.11.2024 तक)	1	1
5.	श्री विनोद कुमार यादव	स्वतंत्र निदेशक, सदस्य (01.11.2024 तक)	1	1
6.	श्री दिबेन्दु दास	निदेशक (वित्त), सदस्य (01.11.2024 तक)	1	1

3. वह वेब लिंक उपलब्ध कराएं जहां मंडल द्वारा अनुमोदित निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति और निगम सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं का प्रकाशन किया जाता है।

कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति और योजना कंपनी की वेबसाइट www.epi.gov.in पर उपलब्ध है। वर्ष के दौरान कोई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलाप हाथ में नहीं लिए गए थे।

4. कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के नियम 8 के उप नियम (3) के अनुसरण में की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना के संघात निर्धारण ब्यौरे उपलब्ध कराएं, यदि लागू हो।

लागू नहीं।

5. कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के नियम 7 के उप नियम (3) के अनुसरण में बट्टे खाते के लिए उपलब्ध धनराशि के ब्यौरे और वित्तीय वर्ष के लिए बट्टे खाते में डालने के लिए अपेक्षित धनराशि, यदि कोई हो।

शून्य

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ (3872.35) लाख रुपये है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 ₹ (6180.86) लाख रुपये
- वित्तीय वर्ष 2022–23 ₹ (870.52) लाख रुपये
- वित्तीय वर्ष 2023–24 ₹ (6306.70) लाख रुपये

7.	(क)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	शून्य
	(ख)	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कार्यक्रमों या गतिविधियों से आधिक्यः	शून्य
	(ग)	वित्तीय वर्ष के लिए बट्टे खाते में डालने के लिए अपेक्षित धनराशि, यदि कोई हो	शून्य
	(घ)	वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कुल निगम सामाजिक उत्तरदायित्व बाध्यता (7क+7ख+7ग)	शून्य

8. (क) वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए व्यय की गई या व्यय नहीं की गई निगम शासन उत्तरदायित्व धनराशिः

(राशि रुपयें में)

व्यय न की गई रकम (रुपए में)					
वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए व्यय की गई कुल रकम (रुपए में)	धारा 135 (6) के अनुसार व्यय ना किए गए निगम सामाजिक उत्तरदायित्व को खाते में अंतरित कुल रकम		धारा 135 (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित रकम		
	रकम (रुपए में)	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	रकम (रुपए में)	अंतरण की तारीख
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख)	वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के सापेक्ष व्यय की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व की धनराशि के ब्यौरेः	शून्य
(ग)	वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं से भिन्न के सापेक्ष व्यय की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व की धनराशि के ब्यौरेः	शून्य
(घ)	प्रशासनिक ऊपरी शीर्षो में खर्च की गई धनराशिः	शून्य
(ङ)	संघात निर्धारण पर खर्च की गई धनराशि, यदि लागू होः	शून्य
(च)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल धनराशि (8ख+8ग+8घ+8ङ):	शून्य
(छ)	बट्टे खाते के लिए आधिक्तय धनराशि, यदि कोई होः	शून्य

क्रम संख्या.	विशिष्टियां	रकम (रुपए में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत	**शून्य**
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल धनराशि	**शून्य**
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई आधिक्तय धनराशि [(ii)-(i)]	**शून्य**
(iv)	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कार्यक्रमों या गतिविधियों से अधिशेष, यदि कोई हो	**शून्य**
(v)	पश्चातवर्ती वित्तीय वर्षों में बट्टे खाते में डालने के लिए उपलब्ध धनराशि [(iii)-(iv)]	**शून्य**

9. (क) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च ना की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व की धनराशि के ब्यौरे : शून्य

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष(वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व धनराशि के ब्यौरे : शून्य

10. पूँजी आस्ति सृजन या अर्जन की दशा में वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से इस प्रकार सृजित या अर्जित आस्ति से संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत करें (आस्ति–वार ब्यौरे)

(क) पूंजीगत आस्ति (आस्तियों) के सृर्जन या अर्जन की तारीख : शून्य

(ख) पूंजीगत आस्ति के सृर्जन या अर्जन पर खर्च की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व की धनराशि : शून्य

(ग) निकाय या लोक प्राधिकारी या फायदाग्राही के ब्यौरे जिसके नाम से ऐसी पूंजी आस्ति को रजिस्ट्रीकृत किया गया है, उनके पते आदि : शून्य

(घ) सृजित या अर्जित पूंजीगत आस्ति(आस्तियों) ब्यौरे उपलब्ध कराएं (जिसके अंतर्गत पूंजीगत आस्ति का पूरा पता और अवस्थान भी है) : शून्य

11. धारा 135(5) के अनुसार यदि कंपनी औसत शुभ लाभ का 2 प्रतिशत खर्च करने में सफल रही है तो कारण विनिर्दिष्ट करें: लागू नहीं

ह०/–	ह०/–
(शिवेन्द्र नाथ)	**(श्री अशोक शंकरराव मेंढे)**
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	**अध्यक्ष–सीएसआर समिति**
डीआईएनः 10397812	**डीआईएनः 10073305**

तारीखः 24.26.2025
स्थानः नई दिल्ली

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

प्ररूप संख्या एमआर 3
1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनियां
(नियुक्ति और प्रबंधकीय कार्मिक पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में]

सेवा में
सदस्य,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड,
सीआईएनःयू27109डीएल1970जीओआई117585
कोर 3, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003

हमने लागू सांविधिक उपबंधों की अनुपालना में और **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड** (जिसे इसमें इसके पश्चात **कंपनी** कहा गया है) द्वारा अच्छी निगम पद्धतियों की अनुपालना की सचिवालयी लेखा परीक्षा कर ली है। सचिवालयी लेखापरीक्षा उस रीति में की गई जो हमें निगम आचार/सांवधिक अनुपालना का मूल्यांकन करने के लिए और उन पर राय व्यक्त करने के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

कंपनी की लेखाबहियों, पेपरों, कार्यवृत पुस्तिकाओं, प्ररूपों और फाइल किए गए रिटर्नों और कंपनी द्वारा रखे गए अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, हम एतद् द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान जिसमें 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष सम्मिलित है इसमें नीचे सूचीबद्ध किए गए सांविधिक उपबंधों का अनुपालन किया है और यह राय भी व्यक्त करते हैं कि कंपनी की उचित मंडल–प्रक्रियाएं और अनुपालना–तंत्र उस सीमा और उस रीति में तथा नीचे दी गई रिपोर्टिंग की शर्त के अधीन रहते हुए हैः

हमने कंपनी द्वारा मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए रखी गई लेखाबहियों, पेपरों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्ररूपों और फाइल किए गए रिटर्नों की निम्नलिखित के उपबंधों के अनुसार जांच कर ली हैः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और तद्धीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और तद्धीन बनाए गए नियम; **लागू नहीं**

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और तद्धीन बनाए गए उपनियम; **लागू नहीं**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और तदधीन बनाए गए नियम और विनियम, जो उस सीमा तक जहां तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा वाणिज्यक उधार हों; **लागू नहीं**

(v) निम्नलिखित विनियम और मार्गदर्शक सिद्धांत, जो भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी) के अधीन विहित किए गए हैं; **लागू नहीं**

(क) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारवान अर्जन और टेकओवर) विनियम, 2011;

(ख) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारबार प्रतिषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2018;

(घ) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीम और कर्मचारी क्रय स्कीम) मार्गदर्शक सिद्धांत, 1999/भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ विनियम, 2014;

(ङ) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) प्रतिभूतियों का जारी करना और सूचीकरण विनियम, 2008;

(च) कंपनियों के संबंध में और ग्राहकों से व्यौहार करने के लिए भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रजिस्ट्रार के निर्गम और शेयर अंतरक अभिकर्ता) विनियम, 1993;

(छ) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साम्या शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2009; और

(ज) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनः क्रय करना) विनियम, 2018

(i) अन्य लागू विधियां:

दिनांक 15–05–2025 के प्रबंधन अभ्यावेदन पत्र के द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित विधियां और तदधीन बनाए गए नियमों को कंपनी द्वारा अभिज्ञात किया गया है और यथासंभव कंपनी द्वारा उनका अनुपालन किया गया है:

(क) लोक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसई के लिए दिनांक 14 मई 2010 निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांत (''डीपीई निगम शासन मार्गदर्शक सिद्धांत'');

(ख) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (''पोश'');

(ग) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और तदधीन बनाए गए नियम (''दिव्यांगजन अधिनियम'');

हमने समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित के लागू खंडों की अनुपालना की भी जांच कर ली है:

(क) समय–समय पर यथा संशोधित इंस्टीट्यूट आफ कंपनी सेक्रेटरिज आफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालयी मानक;

(ख) कंपनी ने किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोई सूचीकरण करार नहीं किया है, क्योंकि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों आदि का, जिनका ऊपर वर्णन किया गया है निम्नलिखित पर्यवेक्षणों के अधीन रहते हुए अनुपालन किया है:

1. मंडल की दो क्रमानुगत बैठकों अर्थात् (286वीं दिनांक 28.03.2024 और 287वी दिनांक 25.07.2024) के बीच का अंतर डीपीई निगम शासन मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथाविनिर्दिष्ट तीन मास की विहित समयसीमा से अधिक हो गया है।

''डीपीई निगम शासन मार्गदर्शक सिद्धांतों के खंड 3.3.1 के अनुसार, ''मंडल की बैठक प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार होगी और प्रत्येक वर्ष ऐसी बैठकें कम से कम चार बार आयोजित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, किन्हीं दो बैठकों के बीच तीन मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।''

प्रबंधन ने यह सुस्पष्ट किया कि शासकीय अत्यावश्यकताओं के कारण मंडल की बैठक तीन मास की विहित समयावधि के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी। तथापि मंडल की बैठकों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

2. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित धारा 149 (4) के अनुसार, कंपनी के मंडल में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, मार्गदर्शक सिद्धांत के खंड 3.1.4 के अनुसार, कंपनी के मंडल के कम से कम एक–तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।

तीन स्वतंत्र निदेशकों में से दो स्वतंत्र निदेशकों – श्री विनोद कुमार यादव और श्रीमती आकांक्षा पारे का कार्यकाल 01.11.2024 को पूर्ण हो गया है। ततपश्चात कंपनी में एकमात्र एक स्वतंत्र रह गए हैं। इस प्रकार, कंपनी मंडल और मंडल स्तरीय समितियों, अर्थात् लेखा परीक्षा एवं पारिश्रमिक समिति के गठन के संबंध में डीपीई निगम मार्गदर्शक सिद्धांत और कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पूर्णतया पालन नहीं कर सकी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि मंडल में सभी नियुक्तियाँ भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात् भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से की जाती हैं। आगामी रिक्तियों के बारे में मंत्रालय को पहले ही सूचित कर दिया गया था, साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और लागू डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दो रिक्त स्वतंत्र निदेशक पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने का अनुरोध भी किया गया था।

हम यह और रिपोर्ट करते हैं किः

सभी निदेशकों को मंडल की बैठकों, कार्यसूची पर पर्याप्त सूचना दी गई और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पूर्व अग्रिम में भेजी गईं सिवाय लघु सूचना के, जहां अपेक्षित अनुपालना की गई है और कंपनी में बैठक से पूर्व कार्यसूची की मदों पर आगे सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगने व अभिप्राप्त करने के लिए और बैठकों में सार्थक सहभागिता के लिए प्रणाली विद्यमान है।

कंपनी द्वारा बोर्ड/समितियों और शेयरधारकों के लिए रखे गए कार्यवृत्त के अनुसार, हम नोट करते हैं कि किसी भी विनिश्चय को संबंधित बोर्ड/समिति एवं शेयर धारक के असहमति के नोट के बिना अनुमोदित नहीं किया गया है।

हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि लागू विधियों, नियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों कि अनुपालना को मॉनिटर और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं। तथापि अन्य लागू विधियों की अनुपालना जैसा कि ऊपर पैरा (अप) में सूचीबद्ध किया गया है, का सत्यापन नहीं किया गया है और यह हमें दिए गए दस्तावेजों और प्रबंधन के बोर्ड को सभी कार्यालय के संबंध में कार्यसूची के कागजातों के माध्यम से रिपोर्ट किए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रबंधन अभ्यावेदन पत्र दिनांक 15.05.2025 पर आधारित है।

हम यह और भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाइयों का पर्यवेक्षण किया गयाः

1. हमें यह सूचित किया गया है कि कंपनी कार्यनीतिक विनिवेश और मौद्रीकरण की व्यवस्था के अधीन है जिसमें विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों अर्थात भारी उद्योग मंत्रालय, डीआईपीएएम, डीपीई इत्यादि द्वारा समय–समय पर जारी सभी मार्गदर्शक सिद्धांतों/नियमों/विनियम/कार्यालय पत्रक इत्यादि का अनुसरण किया जा रहा है।

2. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीबीआई ने दिनांक 31.03.2025 तक 08 मामले पंजीकृत किए हैं और "कंपनी" के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकी (एफआईआर) फाइल की है जिसमें ''कंपनी'' को एफआईआर में पक्षकार नहीं बनाया गया है इससे उसके वित्तीय विवरणों पर किसी प्रभाव की परिकल्पना नहीं की गई है। तथापि वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, सीबीआई ने कंपनी के धन की धोखाधड़ी/गबन का भी एक

मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच अभी चल रही है और उक्त धोखाधड़ी/गबन का इसके वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव है।

कृते एमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
कंपनी सचिव
एफआरएनःएल2018डीई3004900

ह./–
प्रियंका गुप्ता
व्यवसायरत कंपनी सचिव
एफसीएसः 9355;सीपी–24273
यूडीआईएनः एफ009355जी000655253
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं.: 6868/2025

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 24.06.2025

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक तारीख के पत्र जो **उपाबंध–क** के रूप में उपाबद्ध है और जो इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है के साथ पढ़ें।

''उपाबंध क''

सेवा में,
सदस्य
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड,
सीआईएनःयू27109डीएल1970जीओआई117585
कोर 3, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली—110003

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ें।

1. सचिवालयी अभिलेखों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है और हमारा दायित्व इन सचिवालीय अभिलेखों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करने का है।

2. हमने उन लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है जो सचिवालयीय अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सही होने की बाबत युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए युक्तियुक्त है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि सचिवालीय अभिलेखों में सही तथ्य दर्षाये जाएं। हमारा विश्वास है कि जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का हमने अनुसरण किया है वे हमारी राय में युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

3. हमने सांविधिक लेखापरीक्षकों, कर प्राधिकारियों, लागत लेखापरीक्षकों और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट को लागू वित्तीय विधियों, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर विधियां, लेखांकन मानक, वित्तीय अभिलेखों की निवलता और उपयुक्तता, लागत अभिलेख और कंपनी की लेखा बहियां भी सम्मिलित हैं, पर भरोसा किया है चूंकि यह संबंधित लेखापरीक्षकों और अन्य नामनिर्दिष्ट व्यवसायिकों की समीक्षा के अधीन रही हैं।

4. जहां भी अपेक्षित था हमने प्रबंधन से विधियों, नियमों, विनियमों और घटनाओं इत्यादि के विषय में अनुपालना के लिए अभ्यावेदन अभिप्राप्त किया है।

5. निगम और अन्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के उपबंधों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है, हमारी जांच, प्रक्रियाओं के सत्यापन के लिए जांच के आधार तक ही सीमित थी।

6. सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी साध्यता और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावोत्पादकता के विषय में कोई आश्वासन है जिसमें कंपनी का प्रबंधन अपने कार्य संचालित कर रहा है।

कृते एमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
कंपनी सचिव
एफआरएनःएल2018डीई004900

ह./—
प्रियंका गुप्ता
व्यवसायरत कंपनी सचिव
एफसीएसः 9355;सीपी—24273
यूडीआईएनः एफ009355जी000655253
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं.: 6868/2025

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 24.06.2025

सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अपने सचिवालयी लेखा रिपोर्ट में किए गए पर्यवेक्षण/टिप्पणियों का प्रबंधन का प्रत्युत्तर

क्र. सं.	रिपोर्ट में पर्यवेक्षण/टिप्पणियां	पर्यवेक्षणों का प्रत्युत्तर
1	निदेशक मंडल की दो बैठकों अर्थात् 282वीं और 283वी, 284वीं और 285वीं के बीच का अंतर डीपीई कारपोरेट शासन मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथाविनिर्दिष्ट तीन मास की विहित समयसीमा से अधिक हो गया है। ''डीपीई कारपोरेट शासन मार्गदर्शक सिद्धांतों के खंड 3.3.1 के अनुसार, ''निदेशक मंडल की बैठक प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार होगी और प्रत्येक वर्ष ऐसी बैठकें कम से कम चार बार आयोजित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, किन्हीं दो बैठकों के बीच तीन मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ''प्रबंधन ने यह सुस्पष्ट किया कि शासकीय अत्यावश्यकताओं के कारण मंडल की बैठक तीन मास की विहित समयावधि के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी। तथापि मंडल की बैठकों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।	शासकीय अत्यावश्यकताओं के कारण मंडल की बैठक डीपीई कारपोरेट शासन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन में तीन मास की नियत समयावधि के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी। तथापि इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।
2.	वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी की लेखापरीक्षा समिति की बैठक चार बार के बजाय केवल तीन ही बार हुई और दो लेखापरीक्षा समिति की बैठक अर्थात 58वीं एवं 59वीं, 59वीं एवं 60वीं के बीच का समय अंतराल, डीपीई कारपोरेट शासन मार्गदर्शक सिद्धांत में यथा विनिर्दिष्ट चार मास की विहित समय सीमा से अधिक है। ''डीपीई कारपोरेट शासन मार्गदर्शी के खंड 4.4 के अनुसार, ''वर्ष में कम से कम चार बार लेखापरीक्षा समिति की बैठक होनी चाहिए और दो बैठकों के बीच चार मास से अधिक की चूक नहीं होनी चाहिए। गणपूर्ति दो सदस्यों या लेखापरीक्षा समिति के एक तिहाई सदस्यों, जो भी अधिक हो, से होगा, परंतु इसमें कम से कम दो स्वतंत्र सदस्य उपस्थित होने चाहिए। प्रबंधन ने यह सुस्पष्ट किया कि शासकीय अत्यावश्यकताओं के कारण लेखापरीक्षा समिति की बैठक चार मास की नियत समयावधि के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी। तथापि समिति की बैठकों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।	शासकीय अत्यावश्यकताओं के कारण बैठक डीपीई कारपोरेट शासन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन में चार मास एवं वर्ष में चार बार की नियत समयावधि के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी। तथापि इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

प्ररुप संख्या एओसी–2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं जिसके अंतर्गत उसके तीसरे परंतुक के अधीन कतिपय सन्निकट संव्यवहार भी हैं, के प्रकटन के लिए प्ररुप।

1. उन संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहारों के ब्यौरे जो सन्निकट आधार पर नहीं हैं।

क्र.सं.	विशिष्टियां	ब्यौरे
क)	संबंधित पक्षकार (पक्षकारों) का नाम और संबंध की प्रकृति	शून्य
ख)	संविदा/व्यवस्था/संव्यवहार की प्रकृति	शून्य
ग)	संविदा/व्यवस्था/संव्यवहार की अविध	शून्य
घ)	संविदा या व्यवस्था या संव्यवहार के प्रमुख निबंधन जिसके अंतर्गत मूल्य भी है, यदि कोई हो	शून्य
ङ)	ऐसी संविदा या व्यवस्था या संव्यवहार में प्रविष्ट होने का औचित्य	शून्य
च)	मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख	शून्य
छ)	अग्रिम के रूप में संदत्त धनराशि, यदि कोई हो	शून्य
ज)	वह तारीख जिसको धारा 188 के पहले परंतुक के अधीन यथापेक्षित विशेष संकल्प साधारण बैठक में पारित किया गया था	शून्य

2. सन्निकट आधार पर संविदा या व्यवस्था या संव्यवहार के ब्यौरे

क्र.सं.	विशिष्टियां	ब्यौरे
क)	संबंधित पक्षकार (पक्षकारों) का नाम और संबंध की प्रकृति	शून्य
ख)	संविदा/व्यवस्था/संव्यवहार की प्रकृति	शून्य
ग)	संविदा/व्यवस्था/संव्यवहार की अवधि	शून्य
घ)	संविदा या व्यवस्था या संव्यवहार के प्रमुख निबंधन जिसके अंतर्गत मूल्य भी है, यदि कोई हो	शून्य
ङ)	मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख	शून्य
च)	अग्रिम के रूप में संदत्त धनराशि, यदि कोई हो	शून्य

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से
ह०/–
(शिवेन्द्र नाथ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 10397812

तारीख : 24.06.2025
स्थानः नई दिल्ली

टर्नओवर और कुल आय

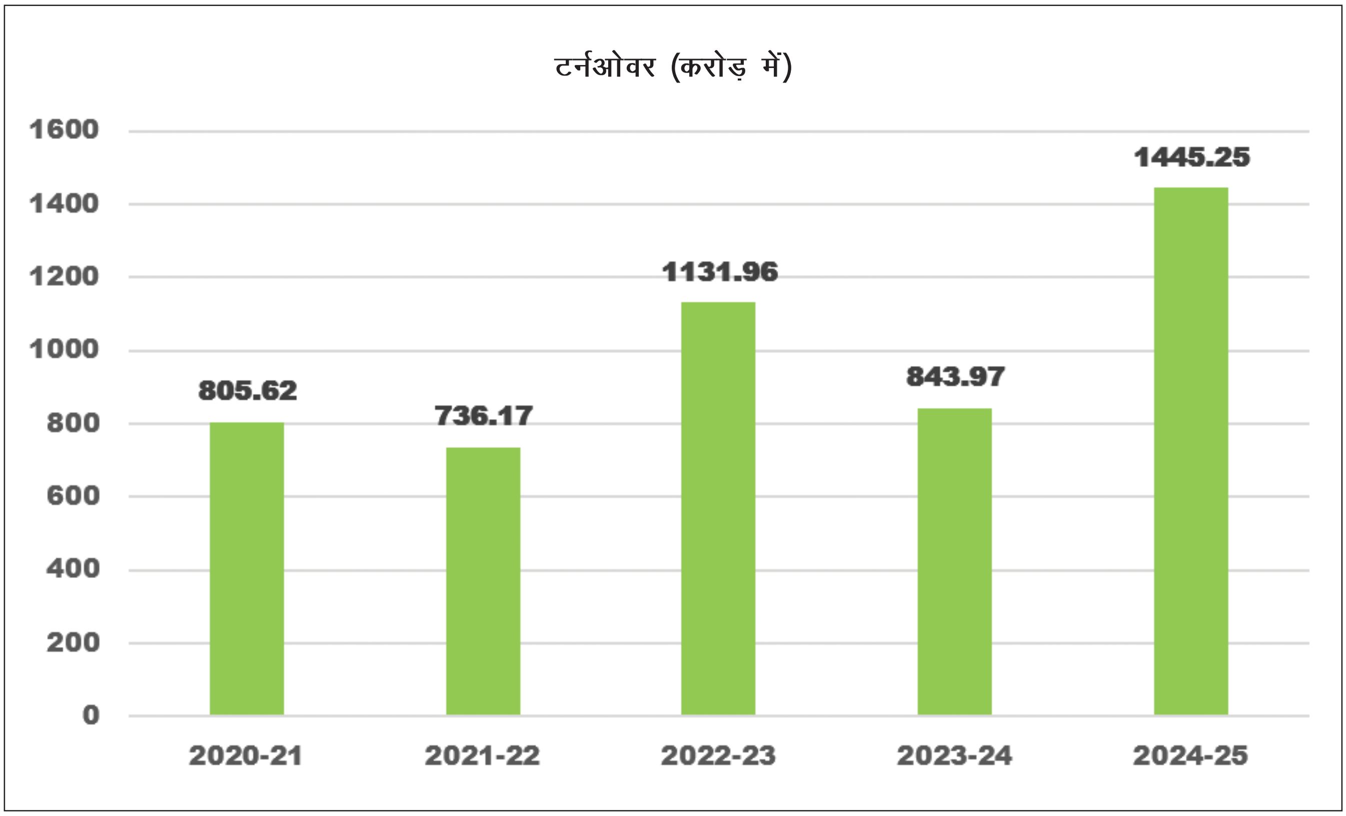

टर्नओवर

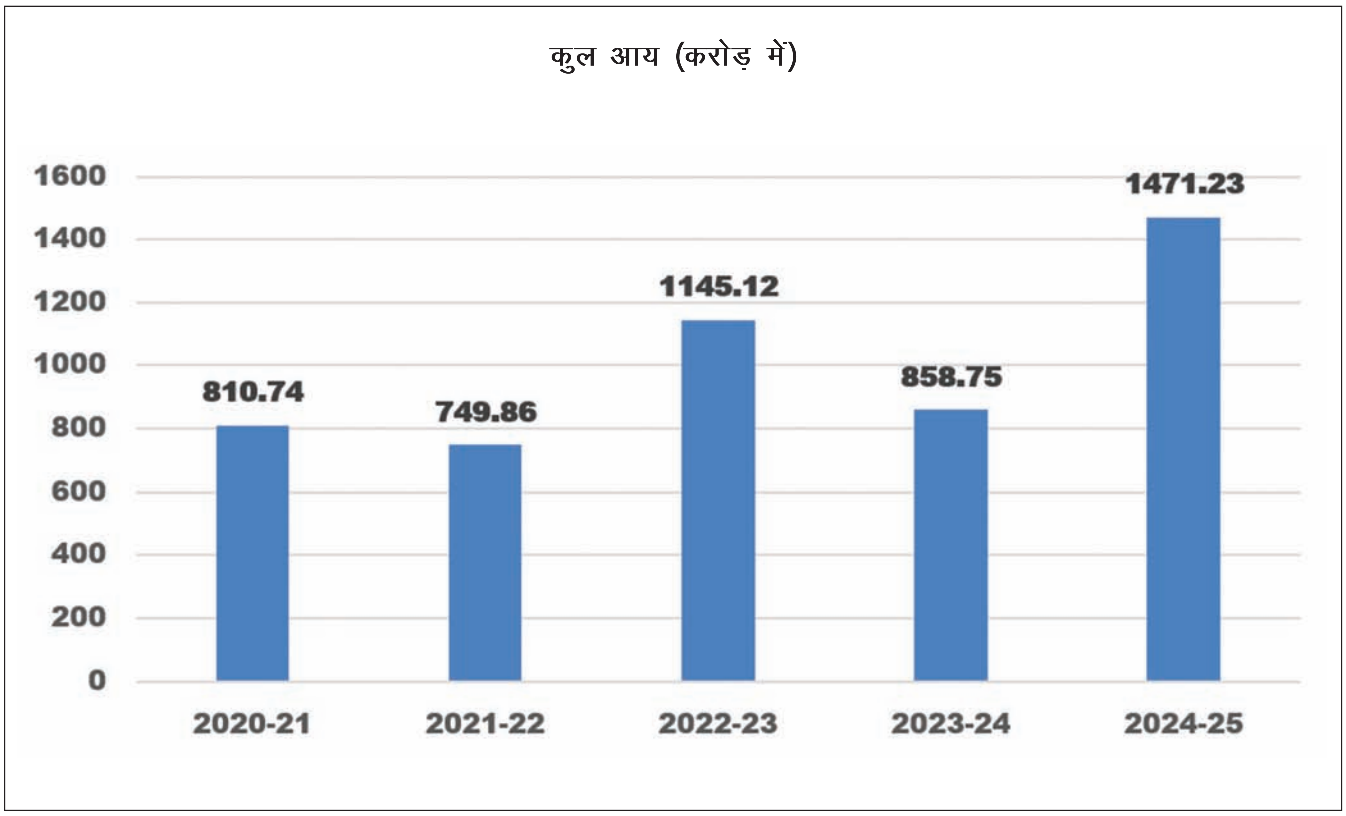

कुल आय

डीटीसी समझौता ज्ञापन 14.11.2024 को हस्ताक्षरित

आरएफएसडीएल के साथ समझौता ज्ञापन 25.04.2025 को

19.06.2025 को तकनीकी सहयोगी के रूप में एनडीएमए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

लुधियाना और देहरादून में एनडीआरएफ के साथ समझौता ज्ञापन

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

खेल दिवस

महिला दिवस

व्हीएडब्ल्यू –2024 – क्षमता निर्माण सत्र

व्हीएडब्ल्यू – 2024 – सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

HAPPY
55th
FOUNDATION DAY
55
YEARS
ईपीआई परिवार को ५५ वी वर्षगाँठ
की हार्दिक शुभकामनाएं
ENGINEERING PROJECTS (INDIA) LTD.

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.
Engineering Projects (India) Ltd.

55वां स्थापना दिवस

ईपीआईएल कॉर्पोरेट कार्यालय में दिवाली समारोह

पोस्ट मैट्रिक बॉयज़ हॉस्टल, भुवनेश्वर, ओडिशा

स्कूल मुख्य प्रवेश द्वार–ईएमआरएस धामी, महाराष्ट्र

शैक्षणिक और छात्रावास ब्लॉक, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद

शैक्षणिक और छात्रावास ब्लॉक, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद

ब्रिक मेडिकल रिसर्च सेंटर टीएचएसटीआई, फरीदाबाद

ईसी रेलवे वर्कशॉप परियोजना नालंदा बिहार

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), तालचेर, ओडिशा

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), तालचेर, ओडिशा

ईएमआरएस पेडाबयालु, आंध्र प्रदेश

ईएमआरएस अराकू घाटी, आंध्र प्रदेश

प्रथम तल–मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भवन, गोंदिया

मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भवन, गोंदिया(पृष्ठ 82)

एनएचएआई, राजकोट में चार लेन से छह लेन तक चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर

एनएचएआई, राजकोट फ्लाईओवर का कार्य प्रगति पर

कम्पोजिट गर्डर स्पान 36 मीटर (6 मीटर लीफ) LC 179xROB–11 11 कोटा मथुरा सेक्शन पर परियोजना

चिमनी – एफजीडी, रामाउन्डम

मिजोरम विश्वविद्यालय, तौन्हरील, आइजोल, मिजोरम

सैरगाह और तटरेखा संरक्षण रामचंडी, ओडिशा

5 टीपीडी बायोगैस संयंत्र, तालेइगाव, एसबीएम परियोजना, गोवा

सबरूम टाउनशिप पावर ग्रिड परियोजना, त्रिपुरा

एनटीपीसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परियोजना, सुंदरगढ़, ओडिशा

(पीडब्ल्यूएसएस) जल आपूर्ति परियोजना गुमला

इनटेक वेल

गंगा वे

जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) स्कूल परियोजना, सुंदरगढ़, ओडिशा

THEME MEETING ON THE "ROLE OF RARE EARTH METALS, ALLOYS & COMPOUNDS FOR SELF RELIANT INDIA"(REMAC-2024)
11-12 DECEMBER,2024

CERTIFICATE
OF APPRECIATION

This certificate is proudly awarded to

Engineering Projects (India) Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)

For successful execution & commissioning of Rare Earth Permanent Magnet Plant, Visakhapatnam

Chairman, REMAC-2024

BARC ने REPM प्लांट, विजाग के सफल निष्पादन और कमीशनिंग के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड,

वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अर्हित राय

यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट, **"इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड"** के 31 मार्च 2025 तक के खातों पर हमारी पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 24 जून 2025 के अधिक्रमण में है, जिसे भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (आई एंड सीए), नई दिल्ली के कार्यालय के पत्र संख्याएएमजी–III / 2025–2026 / डीआईएस–2818454 दिनांक 29.07.2025 के अनुसार की गई टिप्पणियों को प्रभावी करने के लिए संशोधित किया गया है।

हमने मैसर्स ''इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड'' के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कर ली है, जिसमें 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण और उस वर्ष को समाप्त हुए वर्ष का नगदी प्रवाह का विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पण जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य स्पष्टीकारक सूचना भी है, सम्मिलित है। कंपनी के पश्चिम क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र (उत्तर पूर्व प्रादेशिक कार्यालय सहित), दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र में स्थित 4 (चार) क्षेत्रीय कार्यालयों और ओमान, श्रीलंका तथा म्यांमार की 3 (तीन) विदेशी शाखाओं की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा और कार्पोरेट कार्यालय की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की गई है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार सिवाय हमारी रिपोर्ट के अर्हित राय का आधार अनुभाग में वर्णित किए गए मामले के सिवाय पूर्वोक्त वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की अपेक्षा अनुसार उस प्रकार अपेक्षित रीति में सूचना प्रदान करते हैं और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के कार्यों का 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों का और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए हानि और नकदी प्रवाह का न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

अर्हित राय का आधार

1. लेखांकन नीति संख्या 1.10 के अनुसार केंद्र / राज्य सरकारों और उनके विभागों, पीएसयू ग्राहकों और विदेशी ग्राहकों से संबंधित बंद पड़ी परियोजनाओं में व्यापार प्राप्य / ऋण और अग्रिम इनके शोध्य बन जाने के वर्ष से 10 वर्ष तक की वसूली के लिए अच्छे माने जाते हैं। इन ऋणों की वसूली के लिए लगातार दबाव डाला जाता है जब तक कि ग्राहक के साथ अंतिम समझौता नहीं हो जाता या विवाद की स्थिति में मध्यस्थ न्यायाधिकरण / न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं सुनाया जाता। यदि शोध्य राशि 10 वर्ष से अधिक समय से बकाया है तो परियोजना के आधार पर निवल प्राप्य राशि के लिए संदेहास्पद कर्ज / ऋण और अग्रिम के सापेक्ष आवश्यक प्रावधान किया जाता है। अतः प्राप्य संदेहास्पद ऋणों के सापेक्ष प्रावधान उन शोध्यों के लिए नहीं किया जाता है जो विवादाधीन हैं और जिनमें अंतिम निर्णय पारित नहीं हुआ है और जो 10 वर्ष से कम समय से प्राप्य है।

   जैसा कि डब्ल्यूआरओ शाखा लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, उन शोध्यों के लिए संदेहास्पद प्राप्यों के सापेक्ष प्रावधान नहीं किया गया है जो विवादाधीन हैं तथा जिनमें अंतिम निर्णय नहीं पारित नहीं किया गया है। ऐसी कुल प्राप्य राशि 1,475.58 लाख रुपये है, इस प्राप्य राशि के सापेक्ष उप–ठेकेदार को 87.26 लाख रुपये की अदायगी लंबित हैं। अतः, निवल बकाया जिसके लिए प्रावधान किया जाना अपेक्षित है परंतु प्रावधान नहीं किया गया है, वह 1,388.31 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त अन्य कुल प्राप्यों में से 86.50 लाख रुपये 3 वर्ष

से अधिक की अवधि से बकाया है, इस प्रकार, इसके लिए प्रावधान की करना अपेक्षित है। तदनुसार, वर्ष के लिए हानि में 1,388.31 लाख रुपये का अधिक उल्लेख हुआ है और कुल व्यापार प्राप्य में 1,475.58 लाख रुपये का अधिक उल्लेख हुआ है, जिसमें से अन्य गैर–चालू आस्तियां (प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन) में 168.31 लाख रुपये और व्यापार संदेय में 87.26 लाख रुपये का अधिक उल्लेख हुआ है।

2. जैसा कि ईआरओ शाखा के लेखा परीक्षकों ने रिपोर्ट किया है, (वित्तीय विवरणों की टिप्पण संख्या 2.11 का संदर्भ लें) दीर्घावधिक ऋण और अग्रिम – अप्रत्यक्ष कर (वसूली योग्य, इनपुट टैक्स क्रेडिट और अग्रिम) जिसमें ईआरओ का संकर्म संविदा कर/वैट के लिए 314.47 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है। जैसा कि हमें बताया गया कि यह शाखा की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित है और ग्राहकों और अप्रत्यक्ष कर प्राधिकरणों से वसूली योग्य है। यह भी बताया गया कि परियोजना के पूरा होने के समय अंतिम निपटान के साथ और अप्रत्यक्ष कर प्राधिकारियों के साथ अंतिम कर निर्धारण के समय ग्राहक से दावे किए गये हैं। तथापि, ग्राहक/कर प्राधिकारियों के पास ऐसे दावों के लिए दस्तावेज/संपुष्टिकरण हमें सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए, दावों के लिए ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में हम उनकी वसूली/उपयुक्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

3. जैसा कि ईआरओ शाखा के लेखा परीक्षक द्वारा जांच के आधार पर रिपोर्ट किया गया, जिसमें परीक्षण जांच भी सम्मिलित थी, कंपनी ने अपने लेखा बहियों के अनुरक्षण के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है। तथापि, संतोषजनक लेखापरीक्षा साक्ष्य के अभाव में, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या उक्त सॉफ्टवेयर की लेखापरीक्षा ट्रेल सुविधा को सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी सुसंगत संव्यवहार के लिए पूरे वर्ष सक्षम और संचालित किया गया था या क्या लेखापरीक्षा ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ के कोई मामले थे या लेखापरीक्षा ट्रेल को कंपनी द्वारा अभिलेख के प्रतिधारण के लिए साविधिक अपेक्षानुसार संरक्षित किया गया है। ऑडिट ट्रेल की हमारी जांच, लेखा परीक्षा के मानक के अनुसार किए गए वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संदर्भ में थी और केवल कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) द्वारा अपेक्षित सीमा तक थी। हमने उपरोक्त नियम 11(छ) द्वारा अपेक्षित मामलों से बाहर जाकर लेखा परीक्षा ट्रेल की लेखा परीक्षा या जांच नहीं की है और न ही हमने लेखा परीक्षा ट्रेल की एकल लेखा परीक्षा या जांच की है।

4. डब्ल्यूआरओ शाखा में, उप–ठेकेदार को 583.10 लाख रुपये की अग्रिम राशि के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, यद्यपि उप–ठेकेदार अर्थात टेकप्रो सिस्टम मुकदमेबाजी में दिवालियापन प्रक्रिया के अधीन है। तदनुसार, वर्ष के लिए हानि में 583.10 लाख रुपये का अधिक उल्लेख हुआ है और अन्य चालू संपत्ति (विक्रेताओं से वसूली योग्य) में इतनी ही राशि का अधिक उल्लेख हुआ है।

5. मैसर्स सीएंडसी कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड म्यांमार में संयुक्त उद्यम "ईपीआई– सीएंडसी जेवी (अनिगमित)" 60 प्रतिशत का स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में हमारा मुख्य कांट्रेक्टर इस समय एनसीएलटी में दिवाला कार्यवाहियोंका सामना कर रहे हैं और यह मामला अग्रिम चरण में है। ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर इसके परिणाम और उसके वित्तीय प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों (एसएएस) के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्व का हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग में लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व में और वर्णन किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार नैतिक आचार अपेक्षाओं सहित जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन नियमों के उपबंधों के अधीन वित्तीय विवरणों कि हमारी लेखा परीक्षा से सुसंगत है, हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं तथा नैतिक आचरण संहिता के अनुसार अपने नैतिक आचरण के उत्तरदायित्व को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि लेखा परीक्षा साक्ष्य जो हमने अभिप्राप्त किया है हमारी राय का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

महत्वपूर्ण मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले होते हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकृष्ट करते हैं:—

1. आकस्मिक दायित्व

हम आकस्मिक दायित्वों के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पण संख्या 2.26 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कंपनी ने राजस्व अधिकारियों के साथ चल रही कानूनी कार्यवाही और/या कारबार के सामान्य अनुक्रम के दौरान उदभूत मामलों का प्रकटन किया है। इन कानूनी कार्यवाहियों का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई सारवान और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा हम यह हम आकलन नहीं कर सके।

जैसा कि एनआरओ शाखा के लेखा परीक्षक ने भी रिपोर्ट किया है, रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की परियोजना से संबंधित चूक के लिए चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (उत्तराखंड सरकार) से प्राप्त 3177.55 लाख रुपये और ब्याज के दावे के संबंध में, जिसमें से 317.80 लाख रुपये की अदायगी पहले ही की जा चुकी है। तथापि, शाखा के प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि निष्पादन एजेंसी होने के नाते वे ठेकेदार से क्षतिपूर्ति वसूलने के बाद ही क्षतिपूर्ति की अदायगी करने के लिए उत्तरदायी हैं इसलिए उन्होंने इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

2. प्राप्य एवं संदेय के शेष की संपुष्टि

व्यापार प्राप्यों, संकर्म के लिए अग्रिम, प्रतिभूति और प्रतिधारण धन, ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य से उधार और अग्रिम, व्यापार संदेयों का शेष, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम, प्राप्त प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन के संबंध में शेष राशि की धनात्मक बाह्य संपुष्टि उपलब्ध नहीं है। शेष की संपुष्टि के उपलब्ध न होने के कारण इन वित्तीय विवरणों से उद्भूत प्रभाव, यदि कोई है की मात्रा बताने में हम असमर्थ हैं।

तथापि कंपनी ने सभी संबंधित ग्राहकों को ऋणात्मक शेष की पुष्टि का अनुरोध किया किंतु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। एसए 505— बाह्य संपुष्टि के अनुसार, ऋणात्मक संपुष्टि अनुरोध के लिए कोई प्रत्युत्तर ना प्राप्त करना शोध्य धनराशि के सही होने या संपुष्टि करने वाले पक्षकार द्वारा धनराशि की संपुष्टि करने की इच्छा ना होने को दर्शाता है। अतः उक्त धनराशियों के सही होने, विद्यमान होने और पूर्ण होने का सत्यापन नहीं किया जा सका। तथापि लेखा परीक्षा मानक के अनुसार ऋणात्मक संपुष्टि लेखा परीक्षा का साक्ष्य है। इस प्रकार, पूर्वोक्त के आधार पर हम अपनी राय को अर्हित नहीं कर रहे हैं। टिप्पण संख्या 2.43 देखें।

क. जैसा कि ईआरओ शाखा के लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, शाखा ने व्यापार प्राप्यों, ऋण और अग्रिम, ग्राहक की अग्रिम प्रतिधारण राशि, प्रतिभूति जमा, व्यापार संदेय और अन्य को संदेय शेष धनराशि से संबंधित शेष संपुष्टि पत्र भेजे हैं जो संपुष्टि और समाशोधन के अध्ययीन हैं। हमें अपनी रिपोर्ट की तिथि तक निम्नलिखित शेष की संपुष्टि प्राप्त हुई है:

लेखा मद	शेष जिसकी संपुष्टि प्राप्त हुई (राशि लाख रुपये में)
संदेय प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन (क्रेडिट)	539.59
विक्रेता द्वारा रोकी गई राशि (क्रेडिट)	223.08

ख. जैसा कि एनआरओ शाखा लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार शेष बकाया के लिए व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम, ग्राहक का अग्रिम, प्रतिधारण धन, प्रतिभूति जमा प्राप्य/संदेय और व्यापार दायित्वों से शेष संपुष्टि प्राप्त नहीं हुई है जिससे उक्त शेषों की सटीकता, विद्यमानता और पूर्णता को सत्यापित नहीं किया जा सका।

ग. डब्ल्यूआरओ शाखा में डब्ल्यूआरओ शाखा लेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, प्राप्त संपुष्टि का विवरण इस प्रकार है:

लेखा मद	टिप्पण संख्या	वित्तीय विवरण के अनुसार कुल राशि (राशि लाख रुपए में)	वह राशि जिसके लिए संपुष्टि प्राप्त हुई (राशि लाख रुपए में)
व्यापार प्राप्य (चालू और गैर चालू)	2.12 – 2.15	21437	329.56
प्रतिधारण धन और प्रतिभूति जमा	2.3 – 2.7	8116.87	3115.36
रोका गया व्यापार संदेय	2.6	7584.21	3968.79

घ. जैसा कि ओमान शाखा के लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया, सरोज कंस्ट्रक्शन कंपनी एलएलसी, एमएसए ग्लोबल, एलआईसी और मैसर्स सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड – ओमान से शेष की संपुष्टि प्राप्त नहीं हुई और वर्ष के अंत में इसका समाशोधन नहीं किया गया है। इसके अभाव में, हम लेनदारों और उपठेकेदारों के शेष की पूर्णता को सत्यापित करने में असमर्थ हैं।

3. परिसमाप्त नुकसान

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पण संख्या 1.3.छ की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो विवादित/बातचीत के अधीन संविदा के संबंध में संविदात्मक दायित्वों से उद्भूत परिसमाप्त नुकसान के संबंध में प्रावधान न करने पर कंपनी की नीति के बारे में है और जिसे अंतिम निपटान तक संदेय/प्राप्य नहीं माना गया है। जैसा कि ईआरओ के शाखा लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, निष्पादन में देरी के कारण ग्राहक द्वारा 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार 69.49 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 63.80 लाख रुपये) रोक दिये गये हैं और इसका प्रकटन अन्य गैर–चालू आस्तियां – ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य से वसूली योग्य के रूप में किया गया है।

4. बंद पड़ी परियोजनाओं से संबंधित प्राप्य एवं संदेय

क. जैसा कि डब्ल्यूआरओ शाखा लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है वित्तीय वर्ष 2014 से पहले बंद की गई निम्नलिखित परियोजनाओं के खातों में अभी भी उल्लेखनीय शेष राशि दिखाई दे रही है। ये शेष राशि प्राप्य और देय राशि से संबंधित हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि इनके निपटान या बट्टे खाते में डालने के लिए समुचित कार्रवाई नहीं की गई है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लाभ केंद्र	प्राप्य राशि (राशि लाख रुपए में)	संदेय राशि (राशि लाख रुपए में)
1	आर–आवासीय परिसर	4010100113	393.68	395.16
2	आर–मेडिकल कॉलेज एसए	4012100114	14.09	83.56
3	ए–आरडब्ल्यूएसएस सूरत जीडब्ल्यूएसएसबी	4041100098	188.50	210.28
4	उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर का निर्माण	4011100110	556.51	560.87
			1152.78	**1249.87**

ख. जैसा कि ईआरओ शाखा के लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है, कतिपय ऐसे प्राप्य मामले हैं जहाँ लाभ के केंद्र को ईआरओ के रूप में उल्लिखित किया गया है। हमारा मानना है कि ये बंद पड़ी परियोजनाओं से संबंधित हैं, और कुछ परियोजनाओं की पहचान नहीं की जा सकी।

जीएल कोड	राशि (लाख रुपए में)	टिप्पणी
10810000	270.56	3 वर्ष से अधिक समय से बकाया
10901001	353.96	5 वर्ष से अधिक समय से बकाया, इसमें निविदा ग्राहक की 1.38 लाख रुपये की ईएमडी सम्मिलित है
10908001	216.13	5 वर्ष से अधिक समय से बकाया, इसमें निविदा ईएमडी के 0.41 लाख रुपये सम्मिलित हैं
10908002	160.33	इसमें विक्रेता कोड 51000918 के सापेक्ष निविदा ईएमडी के रूप में संदेय 152.57 लाख रुपये सम्मिलित हैं

5. पूर्वावधि के व्यय

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 2.25 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें हमने पाया कि चालू वित्तीय वर्ष में 12.31 लाख रुपये की पूर्वावधि व्यय का उल्लेख किया गया है।

6. एमएसएमई की पहचान

विक्रेताओं की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रास्थिति की पहचान के लिए टिप्पण संख्या 2.3, 2.6 और 2.51 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। विक्रेताओं की एमएसएमई प्रास्थिति की पहचान एसएपी में विक्रेता के प्रारंभिक सृजन के समय की जाती है, तदुपरांत विक्रेताओं की एमएसएमई प्रास्थिति की पहचान करने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। इस प्रकार, हम 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार, एमएसएमई के बकाया के सही प्रकटन या तत्संबंधी संदाय में किसी भी प्रकार के विलंब पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

7. राजस्व जिसका बिल नहीं बनाया गया

हम टिप्पण संख्या 2.18 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। बिना बिल वाले राजस्व में 14.75 लाख रुपये सम्मिलित हैं जो पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं से संबंधित हैं, तथापि एनआरओ शाखा ने ग्राहक को चालान जारी नहीं किए हैं चूंकि ठेकेदारों से चालान अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, एनआरओ शाखा ने उसे पूर्ण राजस्व और व्यय माना है।

8. जीएसटी समाशोधन

जैसा कि एनआरओ शाखा के लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया, एनआरओ शाखा में, बहियों में उपलब्ध वस्तु और सेवा कर दायित्व और इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंतिम शेष का जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दर्शाए गए शेष के साथ पूर्णतया समाशोधन नहीं किया गया है। तथापि, अंतर सारवान नहीं है। इस प्रकार, हमने इस संबंध में अपनी लेखापरीक्षा में अर्हित नहीं हो सके।

9. स्थायी आस्तियों का भौतिक सत्यापन

जैसा कि एनआरओ शाखा के लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया, हमें उपलब्ध कराई गई स्थायी आस्तियों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न स्थानों पर कुछ भौतिक आस्तियां अधिकता में उपलब्ध हैं। तथापि, इनके बारे में हमें कोई अन्य ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार, हम ऐसे भिन्नता के प्रभाव का आकलन करने में असमर्थ हैं।

10. सीबीआइ मामले

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 08 मामले पंजीकृत किए गए हैं और ''कंपनी'' के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें ''कंपनी'' को पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं उसके वित्तीय विवरण पर उसके वितय कारणों पर कोई वित्तीय प्रभाव परिकल्पित नहीं है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सीबीआई द्वारा कंपनी के धन की धोखाधडी/गबन का एक मामला दर्ज किया गया था, जिसकी जॉच चल रही है और उक्त धोखाघडी/गबन का इसके वित्तीय विवरण पर वित्तीय प्रभाव पड सकता है। हालांकि आज की तारीख में उपरोक्त मामले में जॉच अभी भी प्रगति पर है। टिप्पण संख्या 2.41 देखें।

11. प्रावधान

हम व्यापार प्राप्य, प्रतिधारण और अन्य वसूली योग्य के सापेक्ष मैसर्स यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से प्राप्त कुल राशि के संबंध में टिप्पण संख्या 2.45(क) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार 2354.96 लाख रुपये है, जिसमें विभिन्न विक्रेताओं को कुल संदेय 728.00 लाख रुपये है, तथा निवल प्राप्य 1627.88 लाख रुपये है। उपरोक्त राशि 10 वर्ष से अधिक पुरानी है और इसकी वसूली हेतु निरंतर प्रयास जारी है। अंतिम निपटान तक, प्रबंधन द्वारा मामले के अनुभव/प्रगति/मूल्यांकन के आधार पर, 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार निवल प्राप्य के लिए 773.29 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है और शेष राशि वसूली हेतु अच्छी मानी गई है। यूसीआईएल ने अपने पत्र संख्या यूसीआईएल/सीएमडी/14/2025/09 दिनांक 20.02.2025 द्वारा 11.619 करोड़ रुपये पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए सहमति व्यक्त की थी और ईपीआई ने अपने पत्र संख्या ईपीआई/डीएलआई/सीएमडी/ईआरओ/015 दिनांक 28.03.2025 द्वारा यूसीआईएल द्वारा प्रस्तावित राशि के लिए अपनी सहमति दी थी। उपरोक्त के अतिरिक्त, कंपनी ने 31.03.2025 की स्थिति के अनुसर 10 वर्ष से अधिक समय पूर्व पूर्णहो चुकी अन्य परियोजनाओं के लिए निवल प्राप्य आधार पर 1071.13 लाख रुपये का भी प्रावधान किया है।

12. पट्टा करार

हम परिसर के पट्टा करार से संबंधित टिप्पण संख्या 2.45(च) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो 30/09/2015 को समाप्त हो गया था और मामला 2016 के वाद संख्या 144 के अधीन अधिनिर्णय के लिए माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय को भेजा गया है। पट्टादाता ने माननीय एकल पीठ द्वारा पट्टादाता के पक्ष में दिनांक 03.11.2022 को पारित निर्णय के विरुद्ध अक्तूबर, 2015 से मार्च, 2022 तक की अवधि के संबंध में वर्ष 2022 के जीए सं. 18, दिनांक 08.02.2022 द्वारा 5952.70 लाख रुपये (जिसके अंतर्गतं 2581.27 लाख रुपये ब्याज और 514.28 लाख रुपये जीएसटी सम्मिलित है) का दावा किया था। कंपनी दिनांक 28.11.2022 को माननीय एकल पीठ के उक्त आदेश के विरुद्ध खंडपीठ में चली गई और 9/06/2023 को खंडपीठ ने माननीय एकल पीठ का आदेश रद्द कर दिया है। शाखा ने पट्टादाता की प्रति मांग के सापेक्ष 31/03/2025 की स्थिति के अनुसार जीएसटी को छोड़कर 1659.22 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1659.22 लाख रुपये) के किराया का प्रावधान किया है।

पिछले वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कोलकाता नगर निगम ने 41.22 लाख रुपये के विभिन्न संपत्ति कर ताजा/पूरक (यूनिट एरिया/एआरवी) बिल जारी किए थे, जिसकी अदायगी प्रत्येक तिमाही आधार पर किया जाना अपेक्षित था। शाखा ने टिप्पण संख्या 2.24 में दर और कर मद के अधीन पिछले वर्ष 2023–24 के दौरान 24.73 लाख रुपय का प्रावधान किया है।

वित्तीय वर्ष 2024–2025 के दौरान रिट याचिका संख्या डब्ल्यूपीओ/1232/2024 के अधीन कानूनी कार्यवाही आरंभ की दी गई है और मामला माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

13. बैंक गारंटी

ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा 4,554.00 करोड रुपए के लिए प्रदान की गई बैंक गारंटी के बदले में ईपीआईएल ने 1,906.64 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त की है और शेष को ओमान में किए गए कार्य के सापेक्ष प्राप्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने दिनांक 09 फरवरी, 2022 के अपने पत्र द्वारा पूरी संविदा (म्यांमार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.20 तक पलेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशनों के अनुसार दो लेन सड़क के निर्माण की परियोजना) को कार्य निष्पादन न होना बताते हुए समाप्त कर दिया और तदुपरांत 75.90 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी (ईपीआई का हिस्सा – 30.36 करोड़ रुपये और सी एंड सी का हिस्सा – 45.54 करोड़ रुपये) जब्त कर ली। इसके परिणामस्वरूप, ईपीआई ने दिनांक 11 फरवरी, 2022 के अपने पत्र द्वारा अपने उप–ठेकेदार मैसर्स आरके–आरपीपी जेवी (प्रदान किया गया मूल्य 414 करोड रुपये) की संविदा समाप्त कर दी और 20.70 करोड़ रुपये (414 करोड़ रुपये का 5 प्रतिशत) कार्य निष्पादन न होने पर देय के सापेक्ष उसकी बैंक गारंटी जब्त कर ली।

इसके अतिरिक्त मैसर्स ईपीआई–सीएंडसी जेवी ने संयुक्त रूप से विदेश मंत्रालय (ग्राहक) और इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड को दिनांक 20.02.2024 को 75.90 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी की धनराशि (ईपीआई हिस्सा – 30.36 करोड़ रुपये और सीएंडसी हिस्सा – 45.54 करोड़ रुपये) के लिए अपील दायर की है। इस प्रकार 75.90 करोड़ रुपये का दावा ग्राहक से वसूली योग्य राशि के रूप में दर्शाया गया है। टिप्पण संख्या 2.29 (ख) देखें।

14. कर्मचारियों को संदेय

कर्मचारियों के संबंध में कुल बकाया राशि जिसमें पूर्व कर्मचारी भी सम्मिलित हैं:

विशिष्टियां	राशि (लाख रुपये में)
संदेय राशि–कर्मचारी	58.59
कार्यनिष्पादन संबद्ध संदेय वेतन	23.06
तृतीय पीआरसी (वेतन संशोधन) के लिए दायित्व	474.93

15. विदेशीशाखा में मुकदमेबाजी (ओमान)

दिनांक 05 सितंबर 2023 को, ओमान अरब बैंक ने सीएंडसी (ओमान) एलएलसी– प्रथम प्रतिवादी, अल नबा होल्डिंग एलएलसी– द्वितीय प्रतिवादी, श्री खालिद बिन हामिद बिन सैफ अल बुसैदी (अल नबा होल्डिंग एलएलसी के अध्यक्ष)–तृतीय प्रतिवादी और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड–चतुर्थ प्रतिवादी के विरुद्ध प्रथमतः न्यायालय (मस्कट प्राथमिक न्यायालय) में 14015.82 लाख रुपये (6,887,717.93 ओएमआर या 17,908,066.62 अमरीकी डॉलर के समतुल्य) का संयुक्त रूप से या अलग–अलग अदायगी किए जाने का मामला दायर कियाऔर साथ ही ओमान अरब बैंक के पक्ष में ईपीआई द्वारा जारी समनुदेशन पत्र का अनुपालन न करने के कारण, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड पर 6104.70 लाख रुपये (3,000,000 ओएमआर या 7,800,000 अमरीकी डॉलर के समतुल्य) का दावा दायर किया। यह मामला ओमान के न्यायालय में विचाराधीन है। टिप्पण संख्या 2.53(क) देखें।

16. मध्यस्थ

क. मैसर्स एमएसए ग्लोबल एलएलसी, जो हमारे उपठेकेदार हैं, ने दिनांक 12.04.2023 को आईसीसी में मध्यस्थता के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है। आईसीसी द्वारा दिनांक 18.04.2023 को अधिसूचना जारी की गई। मैसर्स एमएसए ग्लोबल और ईपीआई ने क्रमशः अपनी ओर से मध्यस्थ नियुक्त कर लिए हैं और तीसरा मध्यस्थ उनके द्वारा नियुक्त किया गया है। एमएसए ग्लोबल एलएलसी ने ईपीआई के विरुद्ध 45

मिलियन अमेरिकी डॉलर (17.31 मिलियन ओएमआर या 375.68 करोड़ रुपये के समतुल्य) का दावा किया है और ईपीआई ने आईसीसी सिंगापुर में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (1.92 मिलियन ओएमआर या 41.68 करोड़ रुपये के समतुल्य) का प्रति दावा प्रस्तुत किया है। इस मामले में आईसीसी द्वारा जारी प्रक्रियात्मक समय सारिणी के अनुसार याचिका/दस्तावेजीकरण प्रक्रिया चल रही है। यह मामला सिंगापुर के न्यायालय में विचाराधीन है। टिप्पण संख्या 2.53(ग) देखें।

ख. हम बिहार पुलिस अकादमी राजगीर परियोजना से संबंधित टिप्पण संख्या 2.45(ख) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसे ग्राहक द्वारा अप्रैल, 2017 में समाप्त कर दिया गया था। 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार उप एजेंसी से कुल वसूली योग्य राशि 4306.22 लाख रुपये थी, जिसे टिप्पण संख्या 2.12 में ''अन्य गैर–चालू आस्तियां''के अधीन''ग्राहक, विक्रेताओं और अन्य से वसूली योग्य'' के रूप में दर्शाया गया है। मामला दोनों ग्राहकों के साथ मध्यस्थता के अधीन है। उप–एजेंसी के विरुद्ध दिनांक 17.06.2024 के अंतिम निर्णय के अधीन ईपीआई के पक्ष में 54,62,196.57 रुपये की राशि प्रदान की गई। ईपीआई ने 13.12.2024 को कलकत्ता उच्च न्यायालय में कार्यकारी याचिका दायर की थी।

ग. जैसा कि एनआरओ लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया, निष्पादन में देरी के कारण परियोजना की समाप्ति पर लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड से प्राप्त 582.81 लाख रुपये के दावे के संबंध में टिप्पण संख्या 2.36(ख) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कांट्रेक्टर ने ब्याज सहित 968.78 लाख रुपये के दावों के लिए मध्यस्थता का सहारा लिया है। तथापि, शाखा के प्रबंधन सूचित किया है कि उन्होंने दावों को स्वीकार नहीं किया है और इसके लिए कानूनी उपाय पर विचार किया जा रहा है। इस प्रकार उन्होंने इसके लिए प्रावधान नहीं किया है।

घ. हम टिप्पण संख्या 2.45(ग) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, डेहरी ऑन सोन में 5 एलएलपीडी डेयरी प्लांट, 30 एमटीपीडी पाउडर प्लांट पूर्ण और सेवाओं एवं प्रयोगशाला की स्थापना के लिए प्लांट उपकरणों के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग से संबंधित कुल अनुबंध का एक हिस्सा, जिसका मूल्य 8329.77 लाख रुपये था, ग्राहक द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ग्राहक, कॉम्फेड ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निष्पादन प्रतिभूति के मद में 226.96 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि वसूल की। 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कुल 657.46 लाख रुपये की राशि, जिसमें ग्राहक द्वारा मोबिलाइजेशन अग्रिम के सापेक्ष वसूल की गई 430.50 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी सम्मिलित है, को टिप्पण संख्या 2.12 में ''अन्य गैर–चालू आस्तियाँ – ग्राहक विक्रेताओं और अन्य से वसूली योग्य'' के अधीन दर्शाया गया है। मामले का मध्यस्थता के अधीन निपटारा किया गया और ईपीआई को 6,45,32,156 रुपये अदा करने का आदेश दिया गया और आगे ईपीआई ने पटना जिला न्यायालय में दिनांक 12.09.2024 को कार्यकारी याचिका दायर की।

17. विदेशीशाखा में बैंक में शेष की संपुष्टि

बैंक मस्कट चालू खाता वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बंद कर दिया गया और खाता बंद करने पर प्राप्त राशि हमारे एसबीआई मस्कट ओएमआर चालू खाते में जमा कर दी गई।

18. प्रत्याशित हानि का समायोजन

क. हम हिंगुला क्षेत्र, तालचेर में सीएचपी (कोल हैंडलिंग प्लांट) के संनिर्माण संकर्म से संबंधितं टिप्पण संख्या 2.45(घ) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसे महानदी कोल फील्ड लिमिटेड (एमसीएल) द्वारा एलओआई संख्या–एमसीएल/एसबीपी/ईएंडएम/2022–23/एलओए–163 दिनांक 18.05.2022 द्वारा 21830 लाख रुपये जिसके अंतर्गत कर भी है, के मूल्य पर ईपीआई को प्रदान किया गया था। कार्य के विभिन्न पैकेजों के लिए निविदा जारी करने के दौरान, वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कार्य बजट को संशोधित किया गया है, तदनुसार 1809.13 लाख रुपये की प्रत्याशित हानि को लेखा बहियों में

उपयुक्त रूप से समायोजित किया गया है और कंपनी द्वाराअंगीकृत की गई लेखा नीति संख्या – 3 (ङ) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लाभ और हानि लेखा में दर्शाया गया है।

ख. हम एनटीपीसी मुजफ्फरपुर के संनिर्माण संकर्म से संबंधित टिप्पण संख्या 2.45(ङ) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो एनटीपीसी द्वारा एलओआई संख्या सीएस–0350–364(आर)–9–एलओए–002 दिनांक 14.08.2019 के अंतर्गत जीएसटी को छोड़कर सभी कर और शुल्क सहित 4906.10 लाख रुपये के मूल्य पर ईपीआई को प्रदान किया गया था। उक्त परियोजना के कार्य बजट को वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान संशोधित किया गया है, तदनुसार 103.01 लाख रुपये की प्रत्याशित हानि को लेखा बहियों में उपयुक्त रूप से समायोजित किया गया है और कंपनी द्वाराअंगीकृत की गई लेखा नीति संख्या – 3 (ङ) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लाभ और हानि लेखा में दर्शाया गया है।

19. एमएसएमईडी और जीएसटी आईटीसी मुद्दा

जैसा कि ईआरओ लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्त करने और उसे वापस करने की प्रक्रिया उपलब्ध अभिलेखों और प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर रिपोर्ट की जा रही है। प्रबंधन का मानना है कि चूँकि कार्य संविदा एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन नहीं आते, इसलिए जीएसटी कानूनों के अनुसार आईटीसी वापस लेने की कोई संभावना नहीं है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट, शाखा द्वारा आईटीसी प्रावधानों के सही और पूर्ण अनुपालन के उपरोक्त अप्रकटन के अधीन है। इसकी विविध व्याख्याएँ हो सकती हैं। अतः, कंपनी को जीएसटी कानूनों, संकर्म संविदा, एमएसएमईडी अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के संबंध में कानूनी राय प्राप्त करनी होगी चूंकि इन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संबंधी प्रभाव है।

20. 3 वर्षों से अधिक की दायित्व

जैसा कि एनआरओ लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है,टिप्पण संख्या 2.3, 2.6 और 2.7 में क्रमशः 34.32 लाख रुपये, 1.38 लाख रुपये और 40.81 लाख रुपये के दायित्व सम्मिलित हैं, जो 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं और जिनके लिए कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

21. ईंधन दावा उलटना

जैसा कि ओमान लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, ओएमआर 1580878.62 या 3,380.37 लाख के समतुल्य का ईंधन दावा वापस कर दिया गया है और तदनुसार इसे वित्तीय वर्ष 2024–25 में राजस्व में समायोजित किया गया है और यही प्रक्रिया सहयोगियों/उप–ठेकेदारों के लिए भी लेखाबद्ध की गई है। इस वापसी के परिणामस्वरूप होने वाले खर्चों को भी लेखा में लिया गया है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से भिन्न अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण, मंडल की रिपोर्ट में सम्मिलित अन्य सूचना से मिलकर बनी है जिसके अंतर्गत मंडल की रिपोर्ट के उपाबंध और शेयरधारकों की सूचना सम्मिलित है किंतु इसके अंतर्गत वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट नहीं है।

हमारे मतानुसार वित्तीय विवरण में अन्य सूचना सम्मिलित नहीं है और हम उन पर कोई आश्वासन निष्कर्ष अभिव्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों कि हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचना का पठन करना है और ऐसा करने में इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरण के साथ या लेखा परीक्षा के दौरान अभिप्राप्त हमारी सूचना से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से भ्रामक प्रतीत होती है।

यदि हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमारा यह निष्कर्ष है कि इस अन्य सूचना में तात्विक मिथ्या कथन है, इस तथ्य की रिपोर्ट करने की हमसे अपेक्षा है, इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ बात नहीं है।

प्रबंधन और जो वित्तीय विवरणों के शासन के लिए प्रभारी हैं, के उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में कथित मामलों के लिए इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और कंपनी के नकदी प्रवाह जिसमें इसका संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालन भी सम्मिलित हैं, का भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों जिसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक भी सम्मिलित हैं, के अनुसार सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की आस्तियों का सुरक्षापायों और कपट का तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षणय समुचित लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लागू करनाय ऐसे निर्णय और आकलन करना जो युक्तियुक्त तथा विवेकपूर्ण होंय तथा वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति और तैयारी से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण भी सम्मिलित है जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में सुसंगत हैं जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता का सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहा था जो किसी तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त, चाहे कपटपूर्ण हो या त्रुटिवश, सही और न्यायोचित तस्वीर प्रदान करे।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी के एक चालू समुत्थान के रूप में बने रहने की योग्यता, चालू समुत्थान से संबंधित मामलों का प्रकटन और लेखांकन के चालू समुत्थान आधार का उपयोग करना जब तक की निदेशक मंडल या तो कंपनी के परिसमापन की इच्छा ना रखते हैं या प्रसारण बंद करने की इच्छा न रखते है ंया ऐसा न करने का उनके पास कोई वास्तविक विकल्प ना हो। निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट करने की प्रक्रिया का भी पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षकों का वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन अभिप्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप में वित्तीय विवरण चाहे कपट या त्रुटिवश, तात्विक मिथ्या कथन से स्वतंत्र हैं या नहीं और लेखा परीक्षकों की एक ऐसी रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय सम्मिलित है। युक्तियुक्त आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार संचालित की गई लेखा परीक्षा हमेशा मिथ्या कथन का पता लगाएगी जब वह विद्यमान हो। मिथ्या कथन किसी कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इन्हें तात्विक माना जाता है यदि व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की युक्तियुक्त संभावना हो।

एसएएस के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय का उपयोग करते हैं और हमारी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर अविश्वास बनाए रखते हैं, हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के तात्विक नित्य कथन के जोखिम का पता लगाना और उसका निर्धारण करना चाहे यह कपटया त्रुटि, डिजाइन के कारण हो और इन जोखिमों के अनुरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करते हैं तथा ऐसा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय का आधार बनने के लिए पर्याप्त और समुचित हो फुल शश्प किसी त्रुटि के परिणाम स्वरूप तांत्रिक विद्या कथन का पता ना लगाने का जोखिम उच्च जोखिम से अधिक है जो किसी त्रुटि के परिणाम स्वरूप होता है क्योंकि किसी कपट में मिलीभक्त, कपट, जानबूझकर भूल, मिथ्या कथन या आंतरिक नियंत्रण को और प्रभावी करना सम्मिलित होता है।
- आंतरिक नियंत्रण पर एक समझ प्राप्त करना जो ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन करने के लिए सुसंगत हैं जो परिस्थितियों में समुचित हो। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(प) के अनुसार हम इस पर भी अपनी राय

व्यक्त करने के लिए उत्तरदाई हैं कि कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का और लेखांकन आकलनों की तर्कसंगतता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनो का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन के चालू समुत्थान के आधार पर उपयुक्तता का निष्कर्ष और अभी प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई तांत्रिक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी की चालू संविधान के आधार पर योग्यता पर कोई महत्वपूर्ण आक्षेप करती है। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है, हमसे हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर ध्यान दिलाने की आवश्यकता है जो एक कल वित्तीय विवरणों में प्रकटन से संबंधित है, या यदि ऐसा प्रकट अपर्याप्त है तो हमारे मत को अंतरित किया जाना है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि भावी घटनाएं या स्थितियां कंपनी को एक चालू समुत्थान के रूप में बने रहने को समाप्त कर सकती हैं।

- वित्तीय विवरणों जिसके अंतर्गत प्रकटन है के समग्र प्रस्तुतीकरण ढांचे और अंतर्वस्तु का मूल्यांकन और क्या वित्तीय विवरण किए गए संभावनाओं को और घटनाओं को ऐसी रीति में दर्शाते हैं जिससे उचित प्रस्तुतीकरण हासिल किया जा सके।

वित्तीय विवरणों में नित्य कथनों की मात्रा व्यष्टिक रूप से यह समग्र रूप से तात्विक है, इस बात को संभाव्या बनाती है कि वित्तीय विवरणों की युक्ति युक्त सूचना रखने वाले उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित किया जा सकता है। हम गुणात्मक तत्वों और गुणात्मक कारकों पर (प) हमारी लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करनेय और (पप) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए मिथ्याकथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विचार करते हैं।

हम उन लोगों के साथ संपर्क करते हैं जिनके ऊपर अन्य विषयों के साथ लेखा परीक्षा के योजना बनाए गए इसको और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निश्कर्श, जिसके अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी है जिसकी हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचान की है कि प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व है।

हम उनको, जो प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं, एक विवरण प्रस्तुत करते हैं जो हमने सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ स्वतंत्रता के संबंध में तैयार किया है और हम उनके साथ सभी नातेदारी और अन्य विषयों के साथ संपर्क करते हैं जिसका हमारी स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रभाव पड़ता है और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षोपाय करते हैं।

हम उनके, जो शासन के लिए उत्तरदाई हैं, साथ संपर्क किए गए मामले से हम उन विषयों को संसूचित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए मुख्य लेखा परीक्षा विषय हैं। हम हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उन विषयों का तब तक वर्णन करते हैं जब तक की विधिया नियमों द्वारा उन विषयों का सार्वजनिक प्रकटन करना जितना हो या तब जब अत्याधिक दुर्लभ परिस्थितियों में हम अवधारित करते हैं कि उस विषय को हमारी रिपोर्ट में संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी संसूचना के लोकहित में प्रतिकूल प्रभाव होंगे।

अन्य मामले

हमने कंपनी की वित्तीय विवरणियों में सम्मिलित 4 (चार) भारतीय क्षेत्रीय कार्यालयों और 3 (तीन) विदेशी शाखाओं की वित्तीय विवरणियों/सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है जिन्हें कंपनी के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित किया गया है जिनकी वित्तीय विवरणियां/वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2025 (31 मार्च, 2024) की स्थिति के अनुसार कुल 2,09,050.59 लाख रुपए (2,02,810.37 लाख रुपए) की कुल आस्तियों, 2,02,142.89 लाख रुपये (2,04,917.92 लाख रुपये) के कुल दायित्व तथा उस तारीख की स्थिति के अनुसार 1,45,854.49 लाख़ रुपए (85,259.24 लाख रुपए) के कुल राजस्व को जैसाकि वित्तीय विवरणियों में माना गया है, प्रदर्शित करती है। इन कार्यालयों/शाखाओं की वित्तीय विवरणियां/सूचना की भारत

के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त अन्य स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक हमारे मतानुसार इन शाखाओं के संबंध में सम्मिलित की गई धनराशियों और प्रकटन का संबंध है पूर्णतया ऐसे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस विषय के संबंध में हमारी राय अर्हित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(ई) के निबंधनों के अनुसार दी गई छूट को ध्यान में रखते हुए प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ट के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं होते हैं।

2. हमने, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के निबंधनों के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2020 (आदेश) द्वारा यथा अपेक्षित आदेश के पैरा 3 और पैरा 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर विवरण लागू होने के परिमाण तक, **"उपाबंध क"** पर दिया है।

3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने भौतिक रूप से लुप्त एवं आधिक्य स्थायी परिसंपत्तियों के विवरण तथा ऊपर दिए गए मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के पैरा 2, 6 और 9 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर) वे सभी सूचना और स्पशटीकरण अभिप्राप्त किये जो हमारी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवष्यक थे।

ख) हमारे मतानुसार जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, कंपनी द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए उन शाखाओं से पर्याप्त उचित विवरणियां प्राप्त कर ली गई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

ग) इस रिपोर्ट में दर्शाया गया तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

घ) हमारे मतानुसार पूर्वोक्त वित्तीय विवरण, सिवाय निम्नलिखित के, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं:– .

डब्लूआरओ शाखा में, संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान न किए जाने, जो विवादाधीन हैं और जिनके लिए मध्यस्थ अधिकरण/न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित नहीं किया गया है, के कारण 1475.58 लाख रुपये (निवल प्राप्य) और दिवालियापन कार्यवाही के अधीन उपठेकेदार को अग्रिम अदायगी के 583.10 लाख रुपये की वसूली संदेहास्पद है।

ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आधिससूचना संख्या जीएसआर 463 (ङ) दिनांक 5. 06.2015 के निबंधनों के अनुसार अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता पर हमारी **उपाबंध "ख"** पर पृथक रिपोर्ट देखें।

छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

क) कंपनी के कुछ अनिर्णीत मुकदमे हैं जिनका कंपनी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है। वित्तीय विवरण पर टिप्पण सं. 2.26 देखें।

ख) कंपनी ने कोई ऐसी दीर्घावधिक संविदाएं नहीं की थी जिसके अंतर्गत व्युत्पनी संविदाएं भी सम्मिलित हैं, जिन पर पहले से ही पता लगाए जा सकने वाले तात्विक नुकसान थे।

ग) ऐसी कोई धनराशि नहीं थी जिसे निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में कंपनी द्वारा अंतरित करना अपेक्षित था।

घ) लोप कर दिया गया।

ङ) (i) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि उसकी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार कंपनी ने (उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार की निधि से) किसी कंपनी, अन्य व्यक्ति या किसी निकाय को जिसके अंतर्गत विदेशी निकाय (मध्यवर्ती) सम्मिलित हैं इस समझौते के साथ चाहे लिखित हो या अन्यथा किन्ही निधियों को अग्रिम के रूप में यह ऋण के रूप में या निवेश के रूप में नहीं प्रदान किया है की चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें कंपनी द्वारा किसी भी रीति में, जो भी हो, उसके निमित्त (वास्तविक लाभार्थी) पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या निकाय को ऋण के रूप में या निवेष के रूप में नहीं दिया जाएगा या वास्तविक लाभार्थी की ओर से गारंटी, प्रतिभूतियां इसी तरह का कुछ प्रदान नहीं करेगी।

(iii) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि उनकी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार कंपनी ने किन्ही व्यक्तियों या निकायों जिसके अंतर्गत विदेशी निकाय (वित्त पोषण करने वाले पक्षकार) सम्मिलित हैं इस समझौते के साथ चाहे लिखित हो या अन्यथा प्राप्त नहीं किया है, कंपनी चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में पहचाने गए अन्य व्यक्ति या निकायों को वित्त पोषण करने वाले पक्ष कार (वास्तविक लाभार्थी) द्वारा या उनके निमित्त उधार नहीं देगी या निवेश नहीं करेगी या गारंटी, प्रतिभूतियां इसी तरह का कुछ प्रदान नहीं करेगी।

ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में युक्तियुक्त और समीचीन समझा गया है उनकी सूचना में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे हमारा यह विश्वास हो कि उपखंड (ङ) (i) और उपखंड (ङ) (ii) कोई तात्विक मिथ्याकथन सम्मिलित है।

च) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी लाभांश की घोषणा नहीं की गई है या संदाय नहीं किया गया है।

ज) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच सम्मिलित थी, कंपनी ने अपने लेखा बहियों के अनुरक्षण के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (ऑडिट लॉग) सुविधा अभिलिखित करने की सुविधा उपलब्ध है। तथापि, हम इस बात की संपुष्टि नहीं कर सकते हैं कि लेखा बहियों का अद्यतन करने वाले सभी सुसंगत डेटा के लिए ऑडिट ट्रेल सक्षम हैं या नहीं, सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल पूरे वर्ष प्रचालित किए गए हैं और उनसे छेड़छाड़ नहीं की गई है।

4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के के अधीन जारी निदेशों के अनुसरण में हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की गई कंपनी की 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट के संबंध में हमारी **उपाबंध "ग"** पर पृथक रिपोर्ट देखें।

कृते वीएसडी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.**008726**एन
ह/–
(हेमा डुडेजा)
भागीदार
सदस्यता सं. 501001

स्थानः नई दिल्ली
तारीख 12.08.2025
यूडीआईएनः 2550100बीएमकेक्यूएम07085

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का उपाबंध ''क''

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड "(ईपीआईएल") के समसंख्यक तारीख की वित्तीय विवरणों पर 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अधीन पैरा 2 में उल्लिखित:

कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सही और उचित दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने के प्रयोजन के लिए हमारे द्वारा निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा लेखाबहियों और हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के साधारण प्रक्रम में जांच किए गए अन्य अभिलेखों पर विचारण को गणना में लेते हुए अपनी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

I. (क) कंपनी ने पूरी विशिष्टियों को दर्शाते हुए जिसके अंतर्गत संपत्ति, संयत्र और उपस्कर भी सम्मिलित हैं, समुचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है।

अमूर्त आस्तियों की सारी विशिष्टियों को दर्शाते हुए कंपनी ने समुचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है।

(ख) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का उचित अंतराल पर नियमित कार्यक्रम के अनुसार भौतिक रूप से सत्यापन करता है। हमारे मतानुसार, कंपनी के आकार और उसकी आस्तिसों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अंतराल युक्तियुक्त है। ऐसे सत्यापन पर सिवाय निम्नलिखित के, कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां संज्ञान में नहीं आईरू.

एनआरओ शाखा में, ऐसे सत्यापन में कतिपय विसंगतियां पाई गईं। तथापि ऐसी विसंगतियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। साथ ही, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में संपत्ति कोड का उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार, हमारे द्वारा स्थायी परिसंपत्ति पंजिका के साथ इसका मिलान नहीं किया जा सका।

(ग) निष्पादित की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और कंपनी के अभिलेखों के अनुसार सभी स्थावर संपत्तियों के हक विलेख, (सिवाय उन संपत्तियों के जहां कंपनी पट्टा धृति है और पट्टा करार समीक्षा पट्टा धृति के पक्ष में निष्पादित हैं) सिवाय निम्नलिखित के, कंपनी के नाम में धृत हैं:–

(रु. लाख में)

संपत्ति की मद का विवरण	समग्र मूल्य	जिसके पक्ष में हक बिलेख धृत है	क्या हक बिलेख धारी कोई प्रस्तावक, निदेशक या प्रस्तावक/निदेशक का संबंधी है या प्रस्तावक*/निदेशक' का कर्मचारी है	जिस तारीख से संपत्ति धृत है	कंपनी के नाम धारण ना करने के कारण**
स्कोप कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली	374.42	स्कोप कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली	जी, नहीं	14.03.1988	संबंधित प्राधिकरण के समक्ष विषय उठाया गया है

(घ) कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (आस्तियों को उपयोग करने का अधिकार सहित) या अमूर्त आस्तियों या दोनों का वर्ष के दौरान मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की गई है या अनिर्णीत नहीं है।

II. (क) प्रबंधन ने वर्ष के दौरान नियमित अंतराल पर माल सूची का भौतिक सत्यापन किया। हमारे मतानुसार, ऐसे सत्यापन की आवृत्ति और प्रक्रियाएं तथा कवरेज जिसका प्रबंधन अनुसरण करता है, युक्तियुक्त थी। भौतिक स्टॉक और बही के अभिलेखों के बीच सत्यापन के दौरान कोई विसंगति, जो माल सूची के प्रत्येक वर्ग के योग से 10 प्रतिशत से अधिक थी, नहीं पाई गई।

(ख) कंपनी को कुल मिलाकर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से चालू आस्तियों की प्रतिभूति के आधार पर **पांच करोड रुपए** से अधिक की कार्यशील पूंजी की सीमा मंजूर की गई हैय हमारे मतानुसार, कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थाओं में फाइल की गई विवरणों के बीच कोई तात्विक विसंगति नहीं है, यह कंपनी की लेखाबहियों के अनुसार हैं।

III. कंपनी ने कंपनियों, फर्मों या सीमित दायित्व भागीदारों या अन्य पक्षकारों को न तो कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान की है न ही प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋणों को वर्ष के दौरान प्रदान किया है। तदनुसार आदेश के खंड 3(iii) (क), 3(iii) (ख) और 3(iii) (ग) के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं होते हैं।

IV. कंपनी ने निवेश के संबंध में धारा 186 के उपबंधों का अनुपालन किया है। इसके अतिरिक्त हमारे मतानुसार कंपनी ने, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और धारा 186 के निबंधनों के अनुसार कोई ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति नहीं दी है।

V. कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों के अर्थ में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से धारा 76 या अधिनियम के किन्ही अन्य सुसंगत और उसके अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के अनुसार जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

VI. केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(1) के अधीन लागत अभिलेखों का अनुरक्षण विहित किया है। सभी लागत अभिलेखों को प्रादेशिक कार्यालय में रखा जाता है और उनकी संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा पुनराविलोकन किया जाता है और प्रथम दृष्टया हमारा यह मत है कि विहित लागत अभिलेख बनाए गए और रखे गए हैं।

VII. (क) प्रबंधन द्वारा यथा सूचित कंपनी ने निम्नलिखित के सिवाय, समुचित प्राधिकरणों को अविवादास्पद और सांविधिक देय जिसके अंतर्गत भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, सीमा शुल्क, आयकर, वस्तु और सेवा कर, उपकर तथा अन्य यथा लागू सांविधिक देय सम्मिलित हैं, नियमित रूप से जमा किये हैं।

1. एनआरओ शाखा में, शाखा ने उस परियोजना के लिए 14.75 लाख रुपये का बिल नहीं बनाया है जो पहले की पूर्ण हो चुकी है। तदनुसार शाखा उसके लिए अपने जीएसटी दायित्व की अदायगी नहीं कर पाई है। इसके अतिरिक्त, 8.25 लाख रुपये की वस्तु एवं सेवा कर मांग के लिए शाखा ने एमनेस्टी योजना के अधीन आवेदन फाइल किया है, जो अंतिम अनुमोदन के लिए लंबित है।

2. एसआरओ शाखा में, उपरोक्त सांविधिक देय के संबंध में 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार अविवादास्पद राशि संदेय थी, जो संदेय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थी।

संविद का नाम	राशि (लाख रुपय में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है
व्यावसायिक कर	0.22	अप्रैल–2024 से सितंबर–2024
वस्तु एवं सेवा कर (आरसीएम)	2.10	अप्रैल–2024 से सितंबर–2024

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार समुचित प्राधिकरण के समक्ष कोई लंबित सांविधिक विवादास्पद देय के लिए **4,509.38 लाख** रुपए के विवादास्पद सांविधिक देय थे।

संविद का नाम	देय की प्रकृति	वह मंच जहां विवाद लंबित है	धनराशि (लाख रुपय में)	वह अवधि जिससे धनराशि संबंधित है
उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	विक्रय कर अधिकरण	8.73	1993.94
दिल्ली मूल्य वर्धित कर, 2004	डी–वैट ब्याज एवं जुर्माना	व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	58.30	2015.16
दिल्ली मूल्य वर्धित कर, 2004	डी–वैट ब्याज एवं जुर्माना	व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	14.48	2017.18
वस्तु एवं सेवा कर राजस्थान	जीएसटी	जीएसटी एपीएल–01 (राजस्थान)	7.84	2017.18
वस्तु एवं सेवा कर उत्तराखंड	जीएसटी	एमनेस्टी योजना में अपील	0.41	2018.19
पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर	माँग	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता	202.96	2005.06
पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर	माँग	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर अपीलीय और पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता	11.62	2007.08
पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर	माँग	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता	19.14	2009.10
पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर	माँग	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता	943.02	2011.12
पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर	माँग	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (प्रथम अपील) पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर, कोलकाता	415.41	2012.13
पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर	माँग	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता	1,030.29	2013.14
पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर	माँग	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता	169.25	2014.15
पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर	माँग	पश्चिम बंगाल बिक्री कर अपीलीय– पुनरीक्षण बोर्ड	339.11	2015.16
पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर	माँग	संयुक्त आयुक्त, पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर के समक्ष प्रथम अपील	165.25	2016.17

संविद का नाम	देय की प्रकृति	वह मंच जहां विवाद लंबित है	धनराशि (लाख रुपय में)	वह अवधि जिससे धनराशि संबंधित है
सेवा कर विभाग	माँग	सीईएसटीएटी, कोलकाता	37.46	2010.11 से 2012.13
सेवा कर विभाग	माँग	आयुक्त सीजीएसटी एवं सीईएक्स, अपील–५, कोलकाता द्वारा पारित मांग आदेश	91.95	2011.12 से 2015.16
सेवा कर विभाग	माँग	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण, पूर्वी क्षेत्र पीठ, कोलकाता के समक्ष दायर अपील	35.82	2004.05, 2005.06
जीएसटी	माँग	आयुक्त अपील– असम	1.53	2017.18
जीएसटी विभाग पश्चिम बंगाल	माँग	आयुक्त अपील– कोलकाता	153.41	2018.19
जीएसटी विभाग पश्चिम बंगाल	माँग	आयुक्त अपील– कोलकाता	7.69	2019.20
केएमसी संपत्ति कर	माँग	माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता में रिट याचिका दायर	16.49	2023.24
आंध्र प्रदेश वैट	माँग	माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद	44.49	2008.09 – 2009.10
सीजीएसटी अधिनियम	जीएसटी डीआरसी–07	दायर अपील–01	327.57	2017.18, 2018.19 और 2019.20
सीजीएसटी अधिनियम	जीएसटी डीआरसी–07	दायर अपील–01	41.68	2017.18
आयकर अधिनियम 2017–18 तक	टीडीएस संदेय		3.76	वर्ष 2010–11 से वर्ष
एसजीएसटी अधिनियम–कर्नाटक	जीएसटी डीआरसी–07	दायर अपील–01	13.72	2020.21
एसजीएसटी अधिनियम–कर्नाटक	जीएसटी डीआरसी–07	दायर अपील–01	48.51	2020.21
एसजीएसटी अधिनियम–आंध्र प्रदेश	जीएसटी डीआरसी–07	सुधार अपील दायर	6.77	2020.21
एसजीएसटी अधिनियम–महाराष्ट्र	जीएसटी मांग	जीएसटी विभाग	15.82	2017.18
एसजीएसटी अधिनियम–छत्तीसगढ़	जीएसटी मांग	जीएसटी विभाग	167.87	2017.18

संविद का नाम	देय की प्रकृति	वह मंच जहां विवाद लंबित है	धनराशि (लाख रुपय में)	वह अवधि जिससे धनराशि संबंधित है
एसजीएसटी अधिनियम–छत्तीसगढ़	जीएसटी मांग	जीएसटी विभाग	45.87	2019.20
एसजीएसटी अधिनियम–छत्तीसगढ़	जीएसटी मांग	जीएसटी विभाग	63.18	2020.21
	योग		**4,509.38**	

VIII कंपनी ने वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर निर्धारण में लेखाबहियों में पूर्व में आय के रूप में अभिलिखित न किए गए किन्ही संव्यवहारों का अभ्यर्पण या प्रकटन नहीं किया है।

IX (क) कंपनी ने किन्ही उधारों या अन्य ऋणों या उन पर ब्याज के संदाय में किसी लेनदार के प्रति कोई व्यतिक्रम नहीं किया है।

(ख) कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्था या अन्य लेनदार द्वारा जानबूझकर व्यतिक्रमी नहीं घोषित किया गया है।

(ग) आवधिक ऋणों को उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया जिनके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था।

(घ) अल्पावधिक प्रयोजन के लिए ली गई निधियों का उपयोग दीर्घावधिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया गया।

(ङ) कंपनी ने अपनी अनुषंगी, सहयोगी या संयुक्त उद्यमों के लिए बाध्यता को पूरा करने के लिए किसी निकाय या व्यक्ति से कोई निधि नहीं ली है।

(च) कंपनी ने अपनी अनुषंगियों, एसोसिएट या संयुक्त उद्यमों मै धृत प्रतिभूति को गिरवी रख कर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है।

X (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक/और लोक प्रस्ताव के द्वारा कोई धन एकत्रित नहीं किया है (जिसके अंतर्गत ऋण लिखत भी सम्मिलित है)। इस प्रकार, आदेश का खंड 3(ग)(क) लागू नहीं होता है।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या सम परिवर्तनीय डिबेंचरों (पूर्णतया, भारतीय, या वैकल्पिक रूप से संपरिवर्तनीय) का कोई अधिमानी आवंटन या निजी स्थानन नहीं किया है। इस प्रकार, आदेश का खंड 3(ग)(ख) लागू नहीं होता है।

XI क) अंगीकृत लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमारी लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा या उस पर किए गए किसी कपट को नोटिस नहीं किया गया है या उसकी रिपोर्ट नहीं की गई है।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीबीआई ने आठ मामले रजिस्टर किए हैं और ईपीआई के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर फाइल की है। पांच मामले निविदा प्रदान करने के लिए ईपीआई के अभियुक्त कर्मचारियों द्वारा कथित अवैध रिश्वत लेने के संबंध में है, एक मामला वित्त वर्ष 2022–23 में बैंक धोखाधड़ी का है। जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है ईपीआई को उक्त एफआईआर में पक्षकार नहीं बनाया गया है और उसके वित्तीय विवरणों पर कोई वित्तीय प्रभाव परिकल्पित नहीं है। इन आठ मामलों में जांच अभी भी जारी है (टिप्पण संख्या 2.41 देखें)।

(ख) लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत यथा विहित प्ररूप एडीटी –4 में कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के अधीन केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट फाइल नहीं की गई है।

(ग) जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई सूचना प्रदाता शिकायत प्राप्त नहीं की गई है।

XII कंपनी चिटफंड या निधि/पारस्परिक लाभप्रद न्यास/सोसाइटी नहीं है। इस प्रकार, आदेश के खंड 3(xii)(क) से खंड 3(xii)(x) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

XIII संबंधित पक्षकारों के साथ सभी संव्यवहार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और धारा 188, जहां लागू होती हैं के अनुपालन में है और वर्ष के दौरान

संव्यवहार के ब्योरों का वित्तीय विवरणों में प्रकटन कर दिया गया है, जैसा कि लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित है। वित्तीय विवरणों की टिप्पण संख्या 2.33 देखें।

XIV (क) कंपनी की उसके आकार और कारबार की प्रकृति के अनुसार एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने लेखा परीक्षा की अवधि की तारीख तक कंपनी द्वारा जारी आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार कर लिया है।

XV कंपनी ने निदेशक हो या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर नकदी संव्यवहार नहीं किया है। इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

XVI (क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–IA के अधीन रजिस्टर्ड होना अपेक्षित नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(XVI)(क) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ख) कंपनी ने कोई गैर बैंककारी वित्तीय या आवास वित्तीय कार्यकलाप संचालित नहीं किए हैं। आदेश का खंड 3(XVI)(ख) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में यथापरिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार आदेश का खंड 3(XVI)(ग) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(घ) समूह का कोई सीआईसी नहीं है। तदनुसार आदेश का खंड 3(XVI)(घ) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

XVII हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को वित्तीय वर्ष के दौरान 6395.78 लाख रुपये की नकदी हानी हुई है।

XVIII वर्ष के दौरान किसी सांविधिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। इसलिए आदेश का खंड 3(XVIII) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

XIX वित्तीय अनुपात, समय के साथ और वित्तीय आस्तियों की वसूली की संभावित तारीख तथा वित्तीय दायित्वों के संदाय, वित्तीय विवरणों से संलग्न अन्य सूचना के आधार पर, निदेशक बोर्ड की हमारी सूचना और प्रबंधन योजना, अवधारणा के समर्थन में साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर हमारा यह मत है कि इस संबंध में कि क्या कंपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की की स्थिति के अनुसार, अपने दायित्वों को जब वह तुलनप पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होते हैं, पूरा करने में सक्षम है या नहीं के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट करने की तारीख को कोई अनिश्चितता विद्यमान नहीं है। हम, तथापि कथन करते हैं कि यह कंपनी की भावी व्यवहार्यता पर कोई आश्वासन नहीं है। हम और कथन करते हैं कि हमारी रिपोर्ट, लेखा परीक्षा की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और ना ही हम इस संबंध में कोई प्रतिभूति या आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा होने के लिए आने वाले सभी दायित्वों का कंपनी द्वारा जब कभी वह देय होते हैं उन्मोचन कर दिया जाएगा।

XX कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) के अधीन किसी परियोजना के अनुसरण में, खर्च न की गई कोई राशि शेष नहीं है। तदनुसार आदेश के खंड 3(XX)(क) एवं 3(XX)(ख) लागू नहीं होते।

XXI लागू नहीं।

कृते वीएसडी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.008726एन

ह/–
(हेमा डुडेजा)
भागीदार
सदस्यता सं. 501001

स्थानः नई दिल्ली
तारीख 12.08.2025
यूडीआईएनः 25501001बीएमकेक्यूएनडी9908

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का उपाबंध ''ख''

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड "(ईपीआईएल") के समसंख्यक तारीख की वित्तीय विवरणों पर 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अधीन पैरा 3 के उप पैरा (च) में उल्लिखितः

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड** की 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए शाखा की वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षित रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक सिद्धांत में कथित अनिवार्य आंतरिक नियंत्रण संघटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने के लिए और स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को डिजाइन करना, कार्यान्वित करना और बनाए रखना सम्मिलित है जिसके अंतर्गत कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी आस्तियों का सुरक्षोपाय, कपटों और त्रुटियों का निवारण तथा पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की निवलता और पूर्णतः तथा वित्तीय सूचना की विश्वसनीयता और समयबद्ध तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित है, सम्मिलित है ताकि वह शाखा की नीतियां सहित अपने कारबार का सुव्यवस्थित और दक्ष प्रचालन करने का प्रभावी रूप से सुनिश्चित कर सके।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय अभिव्यक्त करने का है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विहित माने गए भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों जहां तक वह आर्थिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा को लागू होते हैं के अनुसार की है और दोनों को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। वह मानक और मार्गदर्शक नोट अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना यह युक्ति युक्त आश्वासन अभिप्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और बनाए रखा गया था तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी तात्विक परिप्रेक्ष्य में प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालन प्रभावशीलता के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य अभी प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को करना अंतर्वलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कि हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में यह समझ अभिप्राप्त करना कि किसी तात्विक खामी के विद्यमान होने के जोखिम का निर्धारण किया जाता है तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता की जांच करना और उसके डिजाइन का मूल्यांकन करना समलित है। चयन की गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसके अंतर्गत वित्तीय कथनों में तात्विक त्रुटियों चाहे कपट या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का निर्धारण करना है।

हम विश्वास करते हैं कि लेखापरीक्षा साक्ष्य जो हमने अभिप्राप्त किया है वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के आधार के लिए पर्याप्त और समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में तर्कपूर्ण आश्वासन देने के लिए डिजाइन किया गया है और बाहरी प्रयोजनों के लिए विवरण साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वह नीतियां और प्रक्रियाएं सम्मिलित है जो,–

1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित है, जो युक्तियुक्त विवरण, निवलता और न्यायोचित रूप से शाखा की आस्तियों, के संव्यवहार और कार्यों को परिलक्षित करते हैं;

2) इस बात का युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करते हैं कि संव्यवहारों को वैसे ही अभिलिखित किया जा रहा है जैसा साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुज्ञात करने के लिए आवश्यक है और शाखा की प्राप्तियां और व्यय को शाखा के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किया जा रहा है; और

3) शाखा की आस्तियों का अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग या शाखा की आस्तियों के निपटान को निवारित करने या उनका समय पर पता लगाने के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए जिनका वित्तीय विवरणों पर तात्विक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमा के कारण मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन के कारण नियंत्रणों पर अध्यारोही प्रभाव हो सकता है, त्रुटि या कपट के कारण तात्विक मिथ्याकथन हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल सकता है। इसके अतिरिक्त भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन का प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में या नीतियों या प्रक्रियाओं में अनुपालना के स्तर में गिरावट आने के कारण अपर्याप्त हो जाए।

मत

हमारे मतानुसार, सभी तात्विक परिप्रेक्ष्य में कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड जिसकी स्थापना भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में कथित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटक पर विचार करते हुए" कंपनी में सभी सारवान परिप्रेक्ष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक पर्याप्त प्रणाली है और 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, सिवाय निम्नलिखित के प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है:

जैसा कि ईआरओ शाखा के लेखा परीक्षक द्वारा जांच के आधार पर रिपोर्ट किया गया, जिसमें परीक्षण जांच भी सम्मिलित थी, कंपनी ने अपने लेखा बहियों के अनुरक्षण के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है। तथापि, संतोषजनक लेखापरीक्षा साक्ष्य के अभाव में, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या उक्त सॉफ्टवेयर की लेखापरीक्षा ट्रेल सुविधा को सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी सुसंगत संव्यवहार के लिए पूरे वर्ष सक्षम और संचालित किया गया था या क्या लेखापरीक्षा ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ के कोई मामले थे या लेखापरीक्षा ट्रेल को कंपनी द्वारा अभिलेख के प्रतिधारण के लिए साविधिक अपेक्षानुसार संरक्षित किया गया है। ऑडिट ट्रेल की हमारी जांच, लेखा परीक्षा के मानक के अनुसार किए गए वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संदर्भ

में थी और केवल कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) द्वारा अपेक्षित सीमा तक थी। हमने उपरोक्त नियम 11(छ) द्वारा अपेक्षित मामलों से बाहर जाकर लेखा परीक्षा ट्रेल की लेखा परीक्षा या जांच नहीं की है और न ही हमने लेखा परीक्षा ट्रेल की एकल लेखा परीक्षा या जांच की है।

तात्विक कमजोरी, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी कमी, या कमियों को दर्शाता है, जैसे कि यह युक्तियुक्त संभावना होती है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों की तात्विक कमजोरी को समय पर रोका नहीं जा सकेगा या पता नहीं लगाया जा सकेगा।

नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर वर्णित तात्विक कमजोरियों के संभावित प्रभावों के सिवाय, कंपनी ने सभी तात्विक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

तथापि, हमने नोट किया है कि व्यापार प्राप्य, व्यापार संदेय और अन्य पक्षकारों से शेष की संपुष्टि और समाशोधन अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया में और सुधार करने की आवश्यकता है।

कृते वीएसडी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.008726एन

ह/–
(हेमा डुडेजा)
भागीदार
सदस्यता सं. 501001

स्थानः नई दिल्ली
तारीख 12.08.2025
यूडीआईएनः 25501001बीएमकेक्यूएनडी9908

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का उपाबंध 'ग'

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी सम संख्यंक तारीख की रिपोर्ट के "अन्य विधिक विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट" शीर्षक के अधीन पैरा 4 में उल्लिखित:

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन निदेश पर रिपोर्ट

क्र.सं.	निदेश	प्रत्युतर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों को प्रोसेस करने की प्रणाली है ? यदि हां तो वित्तीय विविक्षताओं के साथ लेखाओं की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर किए गए लेखाओं की विविक्षतांओं का उल्लेख करें।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली मौजूद है। कंपनी ने SAP प्रणाली पर खाते बनाए रखे हैं। निम्नलिखित को छोड़कर: ईआरओर शाखा लेखा परीक्षक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ऑडिट ट्रेल सुविधा सक्षम और संचालित थी, लेकिन इसके लिए कोई संतोषजनक लेखापरीक्षा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
2.	क्या कंपनी की किसी विद्यमान ऋण या पुनर्संदाय करने में असमर्थता के कारण किसी उधार दाता द्वारा दिए गए ऋण/उधार/ब्याज आदि के त्यजन/बट्टे खाते में डालने के मामलों का कोई पुनर्रचना किया गया है? यदि हां तो वित्तीय प्रभाव का कथन किया जाए। क्या ऐसे मामलों को उचित रूप से गणना में लिया गया है? (यदि उधार दाता सरकारी कंपनी है तो यह निवेश उधार दाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक पर भी लागू होता है)।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों के हमारी जांच के आधार पर किसी विद्यमान ऋण का कोई पुनर्रचना नहीं है या किसी विद्यमान उधार या उधार दाता द्वारा दिए गए किसी उधार/ऋण/ब्याज के त्यजन/बट्टे खाते में डालने के कोई मामले नहीं है।
3.	केंद्रीय/राज्य अभिकरण से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को उचित रूप से निबंधन और शर्तों के अनुसार गणना में लिया गया है/उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की जांच के आधारपर विशिष्ट स्कीमों के लिए केंद्रीय/राज्य अभिकरणों से कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है/प्राप्य नहीं है।

कृते वीएसडी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.008726एन

ह/–
(हेमा डुडेजा)
भागीदार
सदस्यता सं. 501001

स्थानः नई दिल्ली
तारीख 12.08.2025
यूडीआईएनः 25501001बीएमकेक्यूएनडी9908

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेशों/उप निदेशों के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के लेखाओं की लेखा परीक्षा की है और हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी सभी निदेशों/उप निदेशों का अनुपालन किया है।

कृते वीएसडी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.008726एन

ह/–
(हेमा डुडेजा)
भागीदार
सदस्यता सं. 501001

स्थानः नई दिल्ली
तारीख 12.08.2025
यूडीआईएनः 25501001बीएमकेक्यूएनडी9908

लेखापरीक्षकों की अर्हता पर प्रबंधन का प्रत्युत्तर वित्तीय वर्ष 2024–25

क्र. सं.	लेखापरीक्षक की अर्हता	कंपनी का प्रत्युत्तर
1.	लेखांकन नीति संख्या 1.10 के अनुसार के अनुसार केंद्र/राज्य सरकारों और उनके विभागों, पीएसयू ग्राहकों और विदेशी ग्राहकों से संबंधित बंद पड़ी परियोजनाओं में व्यापार प्राप्य/ऋण और अग्रिम इनके शोध्य बन जाने के वर्ष से 10 वर्ष तक की वसूली के लिए अच्छे माने जाते हैं। इन ऋणों की वसूली के लिए लगातार दबाव डाला जाता है जब तक कि ग्राहक के साथ अंतिम समझौता नहीं हो जाता या विवाद की स्थिति में मध्यस्थ न्यायाधिकरण/न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं सुनाया जाता। यदि शोध्य राशि 10 वर्ष से अधिक समय से बकाया है तो परियोजना के आधार पर निवल प्राप्य राशि के लिए संदेहास्पद कर्ज/ऋण और अग्रिम के सापेक्ष आवश्यक प्रावधान किया जाता है। अतः प्राप्य संदेहास्पद ऋणों के सापेक्ष प्रावधान उन शोध्यों के लिए नहीं किया जाता है जो विवादाधीन हैं और जिनमें अंतिम निर्णय पारित नहीं हुआ है और जो 10 वर्ष से कम समय से प्राप्य है। जैसा कि डब्ल्यूआरओ शाखा लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, उन शोध्यों के लिए संदेहास्पद प्राप्यों के सापेक्ष प्रावधान नहीं किया गया है जो विवादाधीन हैं तथा जिनमें अंतिम निर्णय नहीं पारित नहीं किया गया है। ऐसी कुल प्राप्य राशि 1,475.58 लाख रुपये है, इस प्राप्य राशि के सापेक्ष उप–ठेकेदार को 87.26 लाख रुपये की अदायगी लंबित हैं। अतः, निवल बकाया जिसके लिए प्रावधान किया जाना अपेक्षित है परंतु प्रावधान नहीं किया गया है, वह 1,388.31 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त अन्य कुल प्राप्यों में से 86.50 लाख रुपये 3 वर्ष से अधिक की अवधि से बकाया है, इस प्रकार, इसके लिए प्रावधान की करना अपेक्षित है। तदनुसार, वर्ष के लिए हानि में 1,388.31 लाख रुपये का अधिक उल्लेख हुआ है और कुल व्यापार प्राप्य में 1,475.58 लाख रुपये का अधिक उल्लेख हुआ है, जिसमें से अन्य गैर–चालू आस्तियां (प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन) में 168.31 लाख रुपये और व्यापार संदेय में 87.26 लाख रुपये का अधिक उल्लेख हुआ है।	1. <u>पिंपरी चिंचवड नगर निगम</u> (प्राप्य राशि 2,23,56,140.32/– रुपये है, जिसके संदेय राशि 40,62,515/– रुपये है, इस प्रकार निवल प्राप्य 1,82,93,625.32/– रुपये है) ईपीआईएल की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 1.10 के अनुसार, विवादास्पद व्यापार प्राप्य के संबंध में लेखा बहियों में प्रावधान नहीं किया गया है, जिसमें कहा गया है कि विवादास्पद प्राप्य को तब तक वसूली के लिए अच्छा माना जाता है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा उपदर्शित करते हुए उस पर अंतिम निर्णय पारित नहीं किया जाता है। मामला वर्तमान में मध्यस्थता के अधीन है, और कंपनी के विधिक सलाहकार द्वारा दी गई राय के आधार पर, मामला ईपीआई के पक्ष में माना गया है। तदनुसार, प्रबंधन का मानना है कि राशि पूरी तरह से वसूली योग्य है, इस प्रकार वर्तमान में प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है। 2. <u>गुजरात जल आपूर्ति और मल निर्यास बोर्ड</u> (प्राप्य राशि 12,52,01,640/– रुपये है, जिसके सापेक्ष संदेय राशि 46,63,780/– रुपये है, इस प्रकार निवल प्राप्य 12,05,37,860/– रुपये है) ईपीआईएल की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 1.10 के अनुरूप, विवादास्पद व्यापार प्राप्य के लिए लेखा बहियों प्रावधान नहीं किया गया है, जिसमें यह उपबंधित है कि विवादास्पद व्यापार प्राप्य को तब तक वसूली के लिए उपयुक्त माना जाता है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर अंतिम निर्णय नहीं दिया जाता है। वर्ष–2019 में ईपीआई के पक्ष में 4 करोड़ रुपये का एक मध्यस्थता निर्णय प्रकाशित हुआ था। तथापि, दोनों पक्षकारों ने इस निर्णय को चुनौती दी है और वर्तमान में मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

क्रम संख्या	लेखा परीक्षक की अर्हता	कंपनी का प्रत्युत्तर
		मामला माननीय न्यायालय में लंबित है, जिसकी अगली सुनवाई 05.07.2025 को होनी है। मध्यस्थता के परिणाम और अनुकूल विधिक राय के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि प्राप्य राशि वसूली योग्य बनी हुई है, इस प्रकार, इस स्तर पर प्रावधान करना आवश्यक नहीं माना गया।
2.	जैसा कि ईआरओ शाखा के लेखा परीक्षकों ने रिपोर्ट किया है, (वित्तीय विवरणों की टिप्पण संख्या 2.11 का संदर्भ लें) दीर्घावधिक ऋण और अग्रिम – अप्रत्यक्ष कर (वसूली योग्य, इनपुट टैक्स क्रेडिट और अग्रिम) जिसमें ईआरओ का संकर्म संविदा कर/वैट के लिए 186.66 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है। जैसा कि हमें बताया गया कि यह शाखा की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित है और ग्राहकों और अप्रत्यक्ष कर प्राधिकरणों से वसूली योग्य है। यह भी बताया गया कि परियोजना के पूरा होने के समय अंतिम निपटान के साथ और अप्रत्यक्ष कर प्राधिकारियों के साथ अंतिम कर निर्धारण के समय ग्राहक से दावे किए गये हैं। तथापि, ग्राहक/कर प्राधिकारियों के पास ऐसे दावों के लिए दस्तावेज/संपुष्टिकरण हमें सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए, दावों के लिए ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में हम उनकी वसूली/उपयुक्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार असमायोजित कर राशि 314.47 लाख रुपये थी। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, निरंतर और केंद्रित समाधान प्रयास किए गए, जिसके परिणामस्वरूप असमायोजित राशि में उल्लेखनीय कमी आई और इस प्रकार अब यह 186.66 लाख रुपये हो गई। कंपनी आगे भी समाधान के लिए प्रतिबद्ध है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान समयबद्ध तरीके से शेष राशि को न्यूनतम संभव स्तर तक लाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए है।
3.	जैसा कि ईआरओ शाखा के लेखा परीक्षक द्वारा जांच के आधार पर रिपोर्ट किया गया, जिसमें परीक्षण जांच भी सम्मिलित थी, कंपनी ने अपने लेखा बहियों के अनुरक्षण के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है। तथापि, संतोषजनक लेखापरीक्षा साक्ष्य के अभाव में, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या उक्त सॉफ्टवेयर की लेखापरीक्षा ट्रेल सुविधा को सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी सुसंगत संव्यवहार के लिए पूरे वर्ष सक्षम और संचालित किया गया था या क्या लेखापरीक्षा ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ के कोई मामले थे या लेखापरीक्षा ट्रेल को कंपनी द्वारा अभिलेख के प्रतिधारण	कंपनी ने कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के अधीन अनिवार्य ऑडिट ट्रेल सुविधा वाले एसएपी लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है। ऑडिट ट्रेल सुविधा सक्षम थी और पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान चालू रही, जिससे लेखा बहियों में परिवर्तन दर्ज किए गए। हम आगे संपुष्टि करते हैं कि कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के अनुपालन में और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अभिलेख प्रतिधारण अपेक्षाओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल को अपरिवर्तित तरीके से संरक्षित किया गया है। वर्ष के दौरान ऑडिट ट्रेल सुविधा को न तो निष्क्रिय किया गयाऔर न ही उसमें छेड़छाड़ की गई।

क्रम संख्या	लेखा परीक्षक की अर्हता	कंपनी का प्रत्युत्तर
	के लिए साविधिक अपेक्षानुसार संरक्षित किया गया है। ऑडिट ट्रेल की हमारी जांच, लेखा परीक्षा के मानक के अनुसार किए गए वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संदर्भ में थी और केवल कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) द्वारा अपेक्षित सीमा तक थी। हमने उपरोक्त नियम 11(छ) द्वारा अपेक्षित मामलों से बाहर जाकर लेखा परीक्षा ट्रेल की लेखा परीक्षा या जांच नहीं की है और न ही हमने लेखा परीक्षा ट्रेल की एकल लेखा परीक्षा या जांच की है।	
4.	डब्ल्यूआरओ शाखा में, उप–ठेकेदार को 583.10 लाख रुपये की अग्रिम राशि के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, यद्यपि उप–ठेकेदार अर्थात टेकप्रो सिस्टम मुकदमेबाजी में दिवालियापन प्रक्रिया के अधीन है। तदनुसार, वर्ष के लिए हानि में 583.10 लाख रुपये का अधिक उल्लेख हुआ है और अन्य चालू संपत्ति (विक्रेताओं से वसूली योग्य) में इतनी ही राशि का अधिक उल्लेख हुआ है।	परिसमापक से दिनांक 17 फरवरी 2025 के ईमेल के माध्यम से प्राप्त नवीनतम पत्राचार के अनुसार, यह सूचित किया गया है कि: ''यह आपके सूचनार्थ है कि चल रही प्रक्रिया में सबसे बड़े हिस्सेदार को संबंधित पक्षकार की प्रास्थिति का मुद्दा है जिसके परिणामस्वरूप हमने माननीय एनसीएलटी के समक्ष आईए 4269 के अधीन एक आईए दायर किया है। जब माननीय एनसीएलटी द्वारा उस आईए पर निर्णय ले लिया जाएगा और जब इसके परिणामस्वरूप एससीसी सदस्यों का वभहद् पुनर्गठन होगा, तो हम दावेदारों की सूची में आपके शामिल किए जाने के मुद्दे का निवारा करेंगे। ''ईपीआईएल की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 1. 10 के अनुरूप, जिसमें यह प्रावधान है कि विवादास्पद व्यापार प्राप्यों को तब तक वसूली के लिए उपयुक्त माना जाता है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर अंतिम निर्णय पारित नहीं कर दिया जाता, इस प्रकार लेखा बहियों में प्रावधान नहीं किया गया है। चल रही कानूनी प्रक्रिया और परिसमापक से प्राप्त प्रास्थिति अद्यतन के आधार पर, प्रबंधन इसके अनुकूल समाधान के प्रति आश्वान्वित है। तथापि मामले की निरंतर निगरानी की जा रही है।
5	मैसर्स सीएंडसी कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड म्यांमार में संयुक्त उद्यम ''ईपीआई– सीएंडसी जेवी (अनिगमित)'' 60 प्रतिशत का स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में	विदेश मंत्रालय द्वारा दिनांक 09.02.2022 को संविदा की समाप्ति और तदुपरांत 75.90 करोड़ रुपये (ईपीआईएल का हिस्सा: 30.36 करोड रुपये) की बैंक

क्रम संख्या	लेखापरीक्षक की अर्हता	कंपनी का प्रत्युत्तर
	हमारा मुख्य कांट्रेक्टर इस समय एनसीएलटी में दिवाला कार्यवाहियोंका सामना कर रहे हैं और यह मामला अग्रिम चरण में है। ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों परइसके परिणाम और उसके वित्तीय प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।	गारंटी (बीजी) के जब्त करने के उपरांत ईपीआईएल ने गैर–कार्य निष्पादन के कारण अपने उप–ठेकेदार की बीजी जब्त की और वसूली जारी रखी। ईपीआईएल–सीएंडसी संयुक्त उद्यम द्वारा दिनांक 20.02.2024 को विदेश मंत्रालय और इरकॉन के साथ, जब्त बैंक गारंटी के रिफंड के लिए एक संयुक्त अपील दायर की गई है। तदनुसार, 75.90 करोड़ रुपये का दावा ग्राहक से वसूली योग्य राशि के रूप में दर्शाया गया है। इस बीच, परिसमापक के दिनांक 04.05.2025 के अद्यतन के अनुसार, सी एंड सी द्वारा तवस्या एसएसएफ को बिक्री का मामला एनसीएलटी में अनुमोदन के लिए लंबित है, जिसकी अगली सुनवाई 11.07.2025 को होगी। सी एंड सी की आतिस्यों का वितरण आईबीसी की वाटरफॉल व्यवस्था के अनुसार होगा, और ईपीआईएल के दावों पर तदनुसार विचार किया जाएगा। ईपीआईएल ने ग्राहक के साथ सक्रिय रूप से संपर्क जारी रखा है और दिनांक 11.03.2025 के पत्र के माध्यम से निपटान और वसूली के लिए 128.45 करोड़ रुपये का समेकित दावा प्रस्तुत किया है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लेखापरीक्षक के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामलों पर प्रबंधन का प्रत्युत्तर

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा के प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	कंपनी का प्रत्युत्तर
1	**आकस्मिक दायित्व** हम आकस्मिक दायित्वों के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पण संख्या 2.26 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कंपनी ने राजस्व अधिकारियों के साथ चल रही कानूनी कार्यवाही और/या कारबार के सामान्य अनुक्रम के दौरान उदभूत मामलों का प्रकटन किया है। इन कानूनी कार्यवाहियों का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई सारवान और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा हम यह हम आकलन नहीं कर सके। जैसा कि एनआरओ शाखा के लेखा परीक्षक ने भी रिपोर्ट किया है, रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की परियोजना से संबंधित चूक के लिए चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (उत्तराखंड सरकार) से प्राप्त 3177.55 लाख रुपये और ब्याज के दावे के संबंध में, जिसमें से 317.80 लाख रुपये की अदायगी पहले ही की जा चुकी है। तथापि, शाखा के प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि निष्पादन एजेंसी होने के नाते वे ठेकेदार से क्षतिपूर्ति वसूलने के बाद ही क्षतिपूर्ति की अदायगी करने के लिए उत्तरदायी हैं इसलिए उन्होंने इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।	वित्तीय विवरणों के टिप्पण 2.26 के अनुसार, कंपनी ने राजस्व अधिकारियों के साथ चल रही विधिक कार्यवाहियों और अन्य नियमित व्यावसायिक मामलों से संबंधित आकस्मिक दायित्वों का प्रकटन किया है। तथापि इन कार्यवाहियों का परिणाम अभी अवधारित नहीं किया जा सका है, फिर भी इन्हें लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप आकस्मिक दायित्वों के रूप में उचित रूप से दर्शाया गया है। उत्तराखंड सरकार के चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज परियोजना से संबंधित) से 3,177.55 लाख रुपये और उस पर ब्याज के दावे के मामले में, एनआरओ शाखा ने 317.80 लाख रुपये की अदायगी कर दी है। परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में कार्यरत कंपनी का कहना है कि उपठेकेदार से सफलतापूर्वक वसूली के उपरांत क्षतिपूर्ति की जाएगी। इसी प्रकार, ईपीआई ने मैसर्स जेआरए इंफ्राटेक के विरुद्ध मध्यस्थता में 8,853 लाख रुपये के प्रतिदावे दायर किए हैं, और टिप्पण 2.36(क) के अधीन सुसंगत प्रकटन किए गए हैं। चूँकि वर्तमान में, विधिक कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए कंपनी ने समतुल्य राशि का प्रावधान नहीं किया है, क्योंकि दायित्व आकस्मिक हैं और मध्यस्थता के माध्यम से वसूली योग्य हैं।

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>लेखापरीक्षा के प्रमुख लेखापरीक्षा मामले</th><th>कंपनी का प्रत्युत्तर</th></tr>
<tr><td>2</td><td>

प्राप्य एवं संदेय के शेष की संपुष्टि

व्यापार प्राप्यों, संकर्म के लिए अग्रिम, प्रतिभूति और प्रतिधारण धन, ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य से उधार और अग्रिम, व्यापार संदेयों का शेष, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम, प्राप्त प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन के संबंध में शेष राशि की धनात्मक बाह्य संपुष्टि उपलब्ध नहीं है। शेष की संपुष्टि के उपलब्ध न होने के कारण इन वित्तीय विवरणों से उद्भूत प्रभाव, यदि कोई है की मात्रा बताने में हम असमर्थ हैं।

तथापि कंपनी ने सभी संबंधित ग्राहकों को ऋणात्मक शेष की पुष्टि का अनुरोध किया किंतु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। एसए 505– बाह्य संपुष्टि के अनुसार, ऋणात्मक संपुष्टि अनुरोध के लिए कोई प्रत्युत्तर ना प्राप्त करना शोध्य धनराशि के सही होने या संपुष्टि करने वाले पक्षकार द्वारा धनराशि की संपुष्टि करने की इच्छा ना होने को दर्शाता है। अतः उक्त धनराशियों के सही होने, विद्यमान होने और पूर्ण होने का सत्यापन नहीं किया जा सका। तथापि लेखा परीक्षा मानक के अनुसार ऋणात्मक संपुष्टि लेखा परीक्षा का साक्ष्य है। इस प्रकार, पूर्वोक्त के आधार पर हम अपनी राय को अर्हित नहीं कर रहे हैं। टिप्पण संख्या 2.43 देखें।

क. जैसा कि ईआरओ शाखा के लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, शाखा ने व्यापार प्राप्यों, ऋण और अग्रिम, ग्राहक की अग्रिम प्रतिधारण राशि, प्रतिभूति जमा, व्यापार संदेय और अन्य को संदेय शेष धनराशि से संबंधित शेष संपुष्टि पत्र भेजे हैं जो संपुष्टि और समाशोधन के अध्ययीन हैं। हमें अपनी रिपोर्ट की तिथि तक निम्नलिखित शेष की संपुष्टि प्राप्त हुई है:

<table>
<tr><th>लेखा मद</th><th>शेष जिसकी संपुष्टि प्राप्त हुई **(राशि लाख रुपये में)**</th></tr>
<tr><td>संदेय प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन (क्रेडिट)</td><td>539.59</td></tr>
<tr><td>विक्रेता द्वारा रोकी गई राशि (क्रेडिट)</td><td>223.08</td></tr>
</table>

ख. जैसा कि एनआरओ शाखा लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार शेष बकाया के लिए व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम, ग्राहक का अग्रिम, प्रतिधारण धन, प्रतिभूति जमा प्राप्य/संदेय और व्यापार दायित्वों से शेष संपुष्टि प्राप्त नहीं हुई है जिससे उक्त शेषों की सटीकता, विद्यमानता और पूर्णता को सत्यापित नहीं किया जा सका।

</td><td>

कंपनी ने संबंधित पक्षकारों को नकारात्मक संपुष्टिकरण अनुरोध जारी करके सभी महत्वपूर्ण शेषों की संपुष्टि प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। तथापि हम स्वीकार करते हैं कि कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, हम मानना है कि एसए 505 – बाह्य संपुष्टिकरण के अंतर्गत, नकारात्मक पुष्टिकरण अनुरोधों का उत्तर न मिलना या तो शेष राशि की शुद्धता या उत्तर देने में अनिच्छा का संकेत हो सकता है, और इस प्रकार अपने आप में, गलत विवरण का संकेत नहीं देता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास ऐसे शेषों के अभिलेखन और समाधान पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण विद्यमान हैं। हमारी आंतरिक समीक्षा प्रक्रिया के दौरान जिन मामलों में विसंगतियाँ पाई जाती हैं, उनमें समय–समय पर लेखा–बही में उचित समायोजन कर दिए जाते हैं।

विसंगतियों के अभाव में तथा प्रचलित व्यावसायिक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह मानना है कि वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए शेष सटीक एवं पूर्ण हैं।

तदनुसार, अपनाई गई प्रक्रियाओं और नियंत्रणों के आधार पर, प्रबंधन का दावा है कि वित्तीय विवरण कंपनी की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

अधिक जानकारी के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पण संख्या 2.43 देखें।

</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>लेखापरीक्षा के प्रमुख लेखापरीक्षा मामले</th><th>कंपनी का प्रत्युत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td>ग. डब्ल्यूआरओ शाखा में डब्ल्यूआरओ शाखा लेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, प्राप्त संपुष्टि का विवरण इस प्रकार है:
<table>
<tr><th>लेखा मद</th><th>टिप्पण संख्या</th><th>वित्तीय विवरण के अनुसार कुल राशि (राशि लाख रुपए में)</th><th>वह राशि जिसके लिए संपुष्टि प्राप्त हुई (राशि लाख रुपए में)</th></tr>
<tr><td>व्यापार प्राप्य (चालू और गैर चालू)</td><td>2.12–2.15</td><td>21437</td><td>329.56</td></tr>
<tr><td>प्रतिधारण धन और प्रतिभूति जमा</td><td>2.3–2.7</td><td>8116.87</td><td>3115.36</td></tr>
<tr><td>रोका गया व्यापार संदेय</td><td>2.6</td><td>7584.21</td><td>3968.79</td></tr>
</table>
घ. जैसा कि ओमान शाखा के लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया, सरोज कंस्ट्रक्शन कंपनी एलएलसी और मैसर्स सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड – ओमान से शेष की संपुष्टि प्राप्त नहीं हुई और वर्ष के अंत में इसका समाशोधन नहीं किया गया है। इसके अभाव में, हम लेनदारों और उप–कांट्रेक्टरों के शेष की पूर्णता को सत्यापित करने में असमर्थ हैं।</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>परिसमाप्त नुकसान

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पण संख्या 1.3.छ की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो विवादित/बातचीत के अधीन संविदा के संबंध में संविदात्मक दायित्वों से उद्भूत परिसमाप्त नुकसान के संबंध में प्रावधान न करने पर कंपनी की नीति के बारे में है और जिसे अंतिम निपटान तक संदेय/प्राप्य नहीं माना गया है। जैसा कि ईआरओ के शाखा लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, निष्पादन में देरी के कारण ग्राहक द्वारा 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार 69.49 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 63.80 लाख रुपये) रोक दिये गये हैं और इसका प्रकटन अन्य गैर–चालू आस्तियां – ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य से वसूली योग्य के रूप में किया गया है।</td><td>कंपनी की निश्चित क्षतिपूर्ति के संबंध में लेखांकन नीति एक सुसंगत दृष्टिकोण पर आधारित है। निश्चित क्षतिपूर्ति का प्रावधान उन लेखाओं में नहीं किया जाता जहाँ ऐसी राशियाँ विवाद या ग्राहक के साथ बातचीत के अधीन हों, और जहाँ प्रबंधन, विधिक सलाह या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, यह मानता हो कि ऐसी क्षतिपूर्ति अनुबंध के तहत लागू करने योग्य नहीं है या उसके निश्चित होने की संभावना नहीं है।

लेखा परीक्षक द्वारा उल्लिखित विनिर्दिष्ट मामले में, निष्पादन में देरी का हवाला देते हुए ग्राहक द्वारा 69.49 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 63.80 लाख रुपये) की राशि रोक ली गई है। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी का दृढ़ मत है कि रोकी गई राशि वसूली योग्य है और इस स्तर पर प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>लेखापरीक्षा के प्रमुख लेखापरीक्षा मामले</th><th>कंपनी का प्रत्युत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td>

बंद पड़ी परियोजनाओं से संबंधित प्राप्य एवं संदेय

क. जैसा कि डब्ल्यूआरओ शाखा लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है वित्तीय वर्ष 2014 से पहले बंद की गई निम्नलिखित परियोजनाओं के खातों में अभी भी उल्लेखनीय शेष राशि दिखाई दे रही है। ये शेष राशि प्राप्य और देय राशि से संबंधित हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि इनके निपटान या बट्टे खाते में डालने के लिए समुचित कार्रवाई नहीं की गई है:

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>परियोजना का नाम</th><th>लाभ केंद्र</th><th>प्राप्य राशि (राशि लाख रुपए में)</th><th>संदेय राशि (राशि लाख रुपए में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>आर–आवासीय परिसर</td><td>4010100113</td><td>393.68</td><td>395.16</td></tr>
<tr><td>2</td><td>आर–मेडिकल कॉलेज एसए</td><td>4012100114</td><td>14.09</td><td>83.56</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ए–आरडब्ल्यूएसएस सूरत जीडब्ल्यूएसएसबी</td><td>4041100098</td><td>188.50</td><td>210.28</td></tr>
<tr><td>4</td><td>उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर का निर्माण</td><td>4011100110</td><td>556.51</td><td>560.87</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>1152.78</td><td>1249.87</td></tr>
</table>

</td><td>रिपोर्ट की गई शेष राशि वित्त वर्ष 2013–14 से पहले बंद की गई पुरानी परियोजनाओं से संबंधित है। ये निरंतर आंतरिक पुनर्विलोकन और समाशोधन के अधीन हैं। कंपनी लागू नीतियों और अनुमोदनों के अनुरूप उचित निपटान, समायोजन या बट्टे खाते में डालने के लिए प्राप्य और देय राशियों की सक्रिय रूप से जाँच कर रही है। इन शेष राशियों को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।</td></tr>
<tr><td></td><td>

ख. जैसा कि ईआरओ शाखा के लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है, कतिपय ऐसे प्राप्य मामले हैं जहाँ लाभ के केंद्र को ईआरओ के रूप में उल्लिखित किया गया है। हमारा मानना है कि ये बंद पड़ी परियोजनाओं से संबंधित हैं, और कुछ परियोजनाओं की पहचान नहीं की जा सकी।

<table>
<tr><th>जीएल कोड</th><th>राशि (लाख रुपए में)</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>10810000</td><td>270.56</td><td>वर्ष से अधिक समय से बकाया</td></tr>
<tr><td>10901001</td><td>353.96</td><td>5 वर्ष से अधिक समय से बकाया, इसमें निविदा ग्राहक की 1.38 लाख रुपये की ईएमडी सम्मिलित है</td></tr>
<tr><td>10908001</td><td>216.135</td><td>वर्ष से अधिक समय से बकाया, इसमें निविदा ईएमडी के 0.41 लाख रुपये सम्मिलित हैं</td></tr>
<tr><td>10908002</td><td>160.33</td><td>इसमें विक्रेता कोड 51000918 के सापेक्ष निविदा ईएमडी के रूप में संदेय 152.57 लाख रुपये सम्मिलित हैं</td></tr>
</table>

</td><td>ईआरओ लाभ केंद्र के अंतर्गत देय राशियाँ मुख्यतः पुरानी, बंद परियोजनाओं से संबंधित हैं और इनमें ईएमडी और निविदा–संबंधी शेष राशियाँ शामिल हैं। इन प्रविष्टियों की पुरानी होने और कुछ मामलों में परियोजना लिंकेज की कमी के कारण, पहचान का कार्य जारी है। कंपनी सत्यापन, समाधान और उचित कार्रवाई करने के लिए विस्तृत समीक्षा कर रही है, जिसमें जहाँ उचित हो, वहाँ प्रतिलेखन भी सम्मिलित है।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>

पूर्वावधि के व्यय

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 2.25 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें हमने पाया कि चालू वित्तीय वर्ष में 12.31 लाख रुपये की पूर्वावधि व्यय का उल्लेख किया गया है।

</td><td>पूर्व अवधि के व्यय के रूप में दर्शाई गई 12.31 लाख रुपये, अंतिम समाधान और सत्यापन के बाद चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पहचाने गए वास्तविक दावों और</td></tr>
</table>

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा के प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	कंपनी का प्रत्युत्तर
		समायोजनों से संबंधित है। तथापि ये व्यय पिछली अवधियों से संबंधित थे, फिर भी वित्तीय विवरणों की पारदर्शिता और सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए इनका लेखा चालू वर्ष में किया गया। कंपनी वित्तीय अखंडता और अनुपालन के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
6	**एमएसएमई की पहचान** विक्रेताओं की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रास्थिति की पहचान के लिए टिप्पण संख्या 2.3, 2.6 और 2.51 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। विक्रेताओं की एमएसएमई प्रास्थिति की पहचान एसएपी में विक्रेता के प्रारंभिक सृजन के समय की जाती है, तदुपरांत विक्रेताओं की एमएसएमई प्रास्थिति की पहचान करने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। इस प्रकार, हम 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार, एमएसएमई के बकाया के सही प्रकटन या तत्संबंधी संदाय में किसी भी प्रकार के विलंब पर टिप्पणी नहीं कर सकते।	कंपनी विक्रेताओं द्वारा प्रदान की गई घोषणाओं के आधार पर एसएपी में विक्रेता के शामिल होने के समय ही एमएसएमई की स्थिति दर्ज कर लेती है। तथापि वर्तमान में निर्माण के बाद आवधिक सत्यापन के लिए कोई स्वचालित तंत्र नहीं है, फिर भी कंपनी पारदर्शिता बढ़ाने और नियामक अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।
7	**राजस्व जिसका बिल नहीं बनाया गया** हम टिप्पण संख्या 2.18 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। बिना बिल वाले राजस्व में 14.75 लाख रुपये सम्मिलित हैं जो पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं से संबंधित हैं, तथापि एनआरओ शाखा ने ग्राहक को चालान जारी नहीं किए हैं चूंकि ठेकेदारों से चालान अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, एनआरओ शाखा ने उसे पूर्ण राजस्व और व्यय माना है।	बिना बिल वाले राजस्व के अंतर्गत 14.75 लाख रुपये उन पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ ठेकेदारों से चालान प्राप्त न होने के कारण ग्राहक को अंतिम चालान जारी करना लंबित है। हालाँकि, राजस्व और संबंधित व्यय को पूर्णता प्रतिशत विधि और मिलान सिद्धांत के अनुसार विधिवत मान्यता दी गई है, जिससे परियोजना के प्रदर्शन का सटीक प्रतिबिंब सुनिश्चित होता है। कंपनी चालान जमा करने में तेजी लाने के लिए ठेकेदारों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है, और ग्राहकों को आवश्यक बिलिंग वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान तदनुसार पूरी कर ली जाएगी।
8	**जीएसटी समाशोधन** जैसा कि एनआरओ शाखा के लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया, एनआरओ शाखा में, बहियों में उपलब्ध वस्तु और सेवा कर दायित्व और इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंतिम शेष का जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश	कंपनी एनआरओ शाखा के लिए बहियों में जीएसटी देयता शेष और जीएसटी पोर्टल पर दर्शाए गए शेष के बीच मामूली असंगत अंतर के संबंध में पर्यवेक्षण को स्वीकार करती है। ये अंतर मुख्यतः समय में बदलाव और

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा के प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	कंपनी का प्रत्युत्तर
	लेजर में दर्शाए गए शेष के साथ पूर्णतया समाशोधन नहीं किया गया है। तथापि, अंतर सारवान नहीं है। इस प्रकार, हमने इस संबंध में अपनी लेखापरीक्षा में अर्हित नहीं हो सके।	प्रक्रियागत समायोजनों के कारण हैं। तथापि, ये अंतर महत्वपूर्ण नहीं हैं और समग्र वित्तीय स्थिति को प्रभावित नहीं करते हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान इनका समाधान पहले ही कर लिया है।
9	**स्थायी आस्तियों का भौतिक सत्यापन** जैसा कि एनआरओ शाखा के लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया, हमें उपलब्ध कराई गई स्थायी आस्तियों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न स्थानों पर कुछ भौतिक आस्तियां अधिकता में उपलब्ध हैं। तथापि, इनके बारे में हमें कोई अन्य ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार, हम ऐसे भिन्नता के प्रभाव का आकलन करने में असमर्थ हैं।	एनआरओ शाखा में किए गए भौतिक सत्यापन अभ्यास में कुछ अतिरिक्त आस्तियों की पहचान की गई, जो वर्तमान में टैगिंग और उचित वर्गीकरण के लिए समीक्षाधीन हैं। इन आस्तियों को लेखा–बही से जोड़ने और यदि लागू हो, तो किसी भी अलिखित मद की पहचान करने के लिए समाशोधन प्रक्रिया चल रही है। विस्तृत जानकारी संकलित किए जाने के बावजूद, कंपनी को किसी भी महत्वपूर्ण प्रभाव की आशंका नहीं है।
10	**सीबीआई मामले** केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 08 मामले पंजीकृत किए गए हैं और "कंपनी" के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें "कंपनी" को पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं उसके वित्तीय कारणों पर कोई वित्तीय प्रभाव परिकल्पित नहीं है। हालाँकि आज भी मामला उचित स्थिति में है। कृपया नोट संख्या 2.41 देखें।	जैसा कि टिप्पण संख्या 2.41 में प्रकटन किया गया है, सीबीआई द्वारा कुल 08 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें कंपनी और उसके कुछ कर्मचारियों को पक्षकार बनाया गया है। इन मामलों की जांच चल रही हैं और कानूनी कार्यवाही के विभिन्न चरणों में हैं। कंपनी जाँच अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है और घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रही है। इस स्तर पर, वित्तीय विवरणों पर कोई वित्तीय प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है, और उचित प्रकटन कर दिए गए हैं।
11	**प्रावधान** हम व्यापार प्राप्य, प्रतिधारण और अन्य वसूली योग्य के सापेक्ष मैसर्स यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से प्राप्त कुल राशि के संबंध में टिप्पण संख्या 2.45(क) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार 2354.96 लाख रुपये है, जिसमें विभिन्न विक्रेताओं को कुल संदेय 728.00 लाख रुपये है, तथा निवल प्राप्य 1627.88 लाख रुपये है। उपरोक्त राशि 10 वर्ष से अधिक पुरानी है और इसकी वसूली हेतु निरंतर प्रयास जारी है। अंतिम निपटान तक, प्रबंधन द्वारा मामले के अनुभव/प्रगति/मूल्यांकन के आधार	कंपनी मैसर्स यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के साथ–साथ अन्य दीर्घकालिक परियोजनाओं से लंबे समय से बकाया प्राप्तियों की वसूली के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है। गहन मूल्यांकन और वार्ता में प्रगति के आधार पर, यूसीआईएल से प्राप्त शुद्ध राशि के विरुद्ध 773.29 लाख रुपये का प्रावधान विवेकपूर्ण तरीके से किया गया है, जबकि शेष राशि को अच्छा और वसूली योग्य माना गया है। यूसीआईएल ने

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा के प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	कंपनी का प्रत्युत्तर
	पर, 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार निवल प्राप्य के लिए 773.29 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है और शेष राशि वसूली हेतु अच्छी मानी गई है। यूसीआईएल ने अपने पत्र संख्या यूसीआईएल/सीएमडी/14/2025/09 दिनांक 20.02.2025 द्वारा 11.619 करोड़ रुपये पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए सहमति व्यक्त की थी और ईपीआई ने अपने पत्र संख्या ईपीआई/डीएलआई/सीएमडी/ईआरओ/015 दिनांक 28.03.2025 द्वारा यूसीआईएल द्वारा प्रस्तावित राशि के लिए अपनी सहमति दी थी। उपरोक्त के अतिरिक्त, कंपनी ने 31.03.2025 की स्थिति के अनुसर 10 वर्ष से अधिक समय पूर्व पूर्णहो चुकी अन्य परियोजनाओं के लिए निवल प्राप्य आधार पर 1071.13 लाख रुपये का भी प्रावधान किया है।	11.619 करोड़ रुपये के पूर्ण और अंतिम निपटान पर सहमति व्यक्त की है, जिसे कंपनी ने विधिवत स्वीकार कर लिया है। इसके अतिरिक्त, अन्य दीर्घकालिक प्राप्तियों के लिए एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में 1,071.13 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। कंपनी इन शेष राशियों के प्रभावी प्रबंधन और वसूली के लिए प्रतिबद्ध है।
12	**पट्टा करार** हम परिसर के पट्टा करार से संबंधित टिप्पण संख्या 2.45(च) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो 30/09/2015 को समाप्त हो गया था और मामला 2016 के वाद संख्या 144 के अधीन अधिनिर्णय के लिए माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय को भेजा गया है। पट्टादाता ने माननीय एकल पीठ द्वारा पट्टादाता के पक्ष में दिनांक 03.11.2022 को पारित निर्णय के विरुद्ध अक्तूबर, 2015 से मार्च, 2022 तक की अवधि के संबंध में वर्ष 2022 के जीए सं. 18, दिनांक 08.02.2022 द्वारा 5952.70 लाख रुपये (जिसके अंतर्गतं 2581.27 लाख रुपये ब्याज और 514.28 लाख रुपये जीएसटी सम्मिलित है) का दावा किया था। कंपनी दिनांक 28.11.2022 को माननीय एकल पीठ के उक्त आदेश के विरुद्ध खंडपीठ में चली गई और 9/06/2023 को खंडपीठ ने माननीय एकल पीठ का आदेश रद्द कर दिया है। शाखा ने पट्टादाता की प्रति मांग के सापेक्ष 31/03/2025 की स्थिति के अनुसार जीएसटी को छोड़कर 1659.22 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1659.22 लाख रुपये) के किराया का प्रावधान किया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कोलकाता नगर निगम ने 41.22 लाख रुपये के विभिन्न संपत्ति कर ताजा/पूरक (यूनिट एरिया/एआरवी) बिल जारी किए थे, जिसकी अदायगी प्रत्येक तिमाही आधार पर किया जाना अपेक्षित था। शाखा ने टिप्पण संख्या 2.24 में दर और कर मद के अधीन पिछले वर्ष 2023–24 के दौरान 24.73 लाख रुपय का प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 2024–2025 के दौरान रिट याचिका संख्या डब्ल्यूपीओ/1232/2024 के अधीन कानूनी कार्यवाही आरंभ की दी गई है और मामला माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।	कंपनी इस मामले को विधिक कार्यवाही के माध्यम से सक्रिय रूप से लड़ रही है, जिसमें माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष अपील भी शामिल है, जहां पहले एकल पीठ के आदेश को खंड पीठ ने रद्द कर दिया था। प्रतिदावों के सापेक्ष 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार 1,659.22 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, संपत्ति कर संबंधी मांगों के लिए उचित प्रावधान किए गए हैं, तथा विवादास्पद राशियों के लिए विधिक उपाय भी आरंभ करदिए गए हैं। कंपनी सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करते हुए मामले को निष्पक्ष और समय पर सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है।

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>लेखापरीक्षा के प्रमुख लेखापरीक्षा मामले</th><th>कंपनी का प्रत्युत्तर</th></tr>
<tr><td>13</td><td>बैंक गारंटी

ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा 4,554.00 करोड रुपए के लिए प्रदान की गई बैंक गारंटी के बदले में ईपीआईएल ने 1,906.64 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त की है और शेष को ओमान में किए गए कार्य के सापेक्ष प्राप्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने दिनांक 09 फरवरी, 2022 के अपने पत्र द्वारा पूरी संविदा (म्यानमार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.20 तक पलेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशनों के अनुसार दो लेन सड़क के निर्माण की परियोजना) को कार्य निष्पादन न होना बताते हुए समाप्त कर दिया और तदुपरांत 75.90 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी (ईपीआई का हिस्सा – 30.36 करोड़ रुपये और सी एंड सी का हिस्सा – 45.54 करोड़ रुपये) जब्त कर ली। इसके परिणामस्वरूप, ईपीआई ने दिनांक 11 फरवरी, 2022 के अपने पत्र द्वारा अपने उप–ठेकेदार मैसर्स आरके–आरपीपी जेवी (प्रदान किया गया मूल्य 414 करोड रुपये) की संविदा समाप्त कर दी और 20.70 करोड़ रुपये (414 करोड़ रुपये का 5 प्रतिशत) कार्य निष्पादन न होने पर देय के सापेक्ष उसकी बैंक गारंटी जब्त कर ली।

इसके अतिरिक्त मैसर्स ईपीआई–सीएंडसी जेवी ने संयुक्त रूप से विदेश मंत्रालय (ग्राहक) और इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड को दिनांक 20.02.2024 को 75.90 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी की धनराशि (ईपीआई हिस्सा – 30.36 करोड़ रुपये और सीएंडसी हिस्सा – 45.54 करोड़ रुपये) के लिए अपील दायर की है। इस प्रकार 75.90 करोड़ रुपये का दावा ग्राहक से वसूली योग्य राशि के रूप में दर्शाया गया है। टिप्पण संख्या 2.29 (ख) देखें।</td><td>विदेश मंत्रालय द्वारा दिनांक 09.02.2022 को संविदा की समाप्ति और तदुपरांत 75.90 करोड़ रुपये (ईपीआईएल का हिस्सा: 30.36 करोड रुपये) की बैंक गारंटी (बीजी) के जब्त करने के उपरांत ईपीआईएल ने गैर–कार्य निष्पादन के कारण अपने उप–ठेकेदार की बीजी जब्तकी और वसूली जारी रखी।

ईपीआईएल–सीएंडसी संयुक्त उद्यम द्वारा दिनांक 20.02.2024 को विदेश मंत्रालय और इरकॉन के साथ, जब्त बैंक गारंटी के रिफंड के लिए एक संयुक्त अपील दायर की गई है। तदनुसार, 75.90 करोड़ रुपये का दावा ग्राहक से वसूली योग्य राशि के रूप में दर्शाया गया है।

इस बीच, परिसमापक के दिनांक 04.05.2025 के अद्यतन के अनुसार, सी एंड सी द्वारा तवस्या एसएसएफ को बिक्री का मामला एनसीएलटी में अनुमोदन के लिए लंबित है, जिसकी अगली सुनवाई 11.07.2025 को होगी। सी एंड सी की परिसंपत्तियों का वितरण आईबीसी की वाटरफॉल व्यवस्था के अनुसार होगा, और ईपीआईएल के दावों पर तदनुसार विचार किया जाएगा।

ईपीआईएल ने ग्राहक के साथ सक्रिय रूप से संपर्क जारी रखा है और दिनांक 11.03.2025 के पत्र के माध्यम से निपटान और वसूली के लिए 128.45 करोड़ रुपये का समेकित दावा प्रस्तुत किया है।</td></tr>
<tr><td>14</td><td>कर्मचारियों को संदेय

कर्मचारियों के संबंध में कुल बकाया राशि जिसमें पूर्व कर्मचारी भी सम्मिलित हैं:
<table>
<tr><th>विशिष्टियां</th><th>राशि (लाख रुपये में)</th></tr>
<tr><td>संदेय राशि–कर्मचारी</td><td>58.59</td></tr>
<tr><td>कार्यनिष्पादन संबद्ध संदेय वेतन</td><td>23.06</td></tr>
<tr><td>तृतीय पीआरसी (वेतन संशोधन) के लिए दायित्व</td><td>474.93</td></tr>
</table></td><td>पूर्व कर्मचारियों सहित कर्मचारियों को संदेय बकाया राशि में वेतन बकाया, कार्य निष्पादन–संबंधित वेतन और तीसरे वेतन संशोधन आयोग (पीआरसी) के प्रति दायित्व सम्मिलित हैं। इन दायित्वों का प्रबंधन और निपटान कंपनी की संदाय अनुसूचियों और नीतियों के अनुसार सक्रिय रूप से किया जा रहा है। कंपनी सभी कर्मचारी–संबंधी दायित्वों को समय पर और पारदर्शी रूप से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।</td></tr>
</table>

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा के प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	कंपनी का प्रत्युत्तर
15	**विदेशीशाखा में मुकदमेबाजी (ओमान)** दिनांक 05 सितंबर 2023 को, ओमान अरब बैंक ने सीएंडसी (ओमान) एलएलसी– प्रथम प्रतिवादी, अल नबा होल्डिंग एलएलसी– द्वितीय प्रतिवादी, श्री खालिद बिन हामिद बिन सैफ अल बुसैदी (अल नबा होल्डिंग एलएलसी के अध्यक्ष)–तृतीय प्रतिवादी और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड–चतुर्थ प्रतिवादी के विरुद्ध प्रथमतः न्यायालय (मस्कट प्राथमिक न्यायालय) में 14015.82 लाख रुपये (17,908,066.62 अमरीकी डॉलर के समतुल्य) का संयुक्त रूप से या अलग–अलग अदायगी किए जाने का मामला दायर कियाऔर साथ ही ओमान अरब बैंक के पक्ष में ईपीआई द्वारा जारी समनुदेशन पत्र का अनुपालन न करने के कारण, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड पर 6104.70 लाख रुपये (7,800,000 अमरीकी डॉलर के समतुल्य) का दावा दायर किया। यह मामला ओमन के न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। टिप्पण संख्या 2.53(क) देखें।	कंपनी ओमान अरब बैंक द्वारा दायर किए गए मुकदमे को स्वीकार करती है, जो वर्तमान में मस्कट की प्रथम दृष्टया अदालत में विचाराधीन है। कंपनी, संबंधित पक्षों के साथ, सक्रिय रूप से कानूनी सलाह ले रही है और न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग कर रही है। प्राप्त तथ्यों और विधिक सलाह के आधार पर, कंपनी अनुकूल परिणाम के प्रति आश्वस्त है और मामले पर कड़ी नजर रखे हुए है। वित्तीय विवरणों के टिप्पण संख्या 2.53(क) में उचित प्रकटन किए गए हैं।
16	**मध्यस्थ** क. मैसर्स एमएसए ग्लोबल एलएलसी, जो हमारे उप कांट्रेक्टर हैं, ने दिनांक 12.04.2023 को आईसीसी में मध्यस्थता के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है। आईसीसी द्वारा दिनांक 18.04.2023 को अधिसूचना जारी की गई। मैसर्स एमएसए ग्लोबल और ईपीआई ने क्रमशः अपनी ओर से मध्यस्थ नियुक्त कर लिए हैं और तीसरा मध्यस्थ उनके द्वारा नियुक्त किया गया है। एमएसए ग्लोबल एलएलसी ने ईपीआई के विरुद्ध 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर (17.31 मिलियन ओएमआर या 375.68 करोड़ रुपये के समतुल्य) का दावा किया है और ईपीआई ने आईसीसी सिंगापुर में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (1.92 मिलियन ओएमआर या 41.68 करोड़ रुपये के समतुल्य) का प्रति दावा प्रस्तुत किया है। इस मामले में आईसीसी द्वारा जारी प्रक्रियात्मक समय सारिणी के अनुसार याचिका/दस्तावेजीकरण प्रक्रिया चल रही है। यह मामला सिंगापुर के न्यायालय में विचाराधीन है। टिप्पण संख्या 2.53(ग) देखें।	मैसर्स एमएसए ग्लोबल एलएलसी द्वारा आरंभ की गई मध्यस्थता वर्तमान में आईसीसी सिंगापुर के समक्ष चल रही है, जिसमें दोनों पक्षकारों ने अपने मध्यस्थों की नियुक्ति कर दी है और संबंधित दावे और प्रतिदावे प्रस्तुत कर दिए हैं। कंपनी कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग ले रही है और निष्पक्ष समाधान के प्रति आश्वस्त है। टिप्पण संख्या 2.53(ग) में सुसंगत प्रकटन किए गए हैं।
	ख. हम बिहार पुलिस अकादमी राजगीर परियोजना से संबंधित टिप्पण संख्या 2.45(ख) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसे ग्राहक द्वारा अप्रैल, 2017 में समाप्त कर दिया गया था। 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार उप एजेंसी से कुल वसूली योग्य राशि 4306.22 लाख रुपये थी, जिसे टिप्पण संख्या 2.12 में ''अन्य गैर–चालू आस्तियां'' के अधीन''ग्राहक, विक्रेताओं और अन्य से वसूली योग्य'' के रूप में दर्शाया गया है। मामला दोनों ग्राहकों के साथ मध्यस्थता	कंपनी बिहार पुलिस अकादमी राजगीर परियोजना से संबंधित वसूली के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है, जो ग्राहक के साथ मध्यस्थता के अधीन है। उप–एजेंसी के विरुद्ध एक अनुकूल निर्णय प्राप्त हो चुका है, और कंपनी ने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा के प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	कंपनी का प्रत्युत्तर
	के अधीन है। उप–एजेंसी के विरुद्ध दिनांक 17.06.2024 के अंतिम निर्णय के अधीन ईपीआई के पक्ष में 54,62,196.57 रुपये की राशि प्रदान की गई। ईपीआई ने 13.12.2024 को कलकत्ता उच्च न्यायालय में कार्यकारी याचिका दायर की थी।	निष्पादन याचिका दायर की है। 43.06 करोड़ रुपये की वसूली योग्य राशि का अन्य गैर–चालू आस्तियों के अधीन उचित रूप से प्रकटन किया गया है। कंपनी सकारात्मक समाधान के प्रति आशान्वित है।
	ग. जैसा कि एनआरओ लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया, निष्पादन में देरी के कारण परियोजना की समाप्ति पर लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड से प्राप्त 582.81 लाख रुपये के दावे के संबंध में टिप्पण संख्या 2.36(ख) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कांट्रेक्टर ने ब्याज सहित 968.78 लाख रुपये के दावों के लिए मध्यस्थता का सहारा लिया है। तथापि, शाखा के प्रबंधन सूचित किया है कि उन्होंने दावों को स्वीकार नहीं किया है और इसके लिए कानूनी उपाय पर विचार किया जा रहा है। इस प्रकार उन्होंने इसके लिए प्रावधान नहीं किया है।	कंपनी परियोजना समाप्ति और मध्यस्थता से संबंधित कुल 582.81 लाख रुपये और 968.78 लाख रुपये (ब्याज सहित) के दावों को स्वीकार नहीं करती है। विधिक उपायों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, और तदनुसार, कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कंपनी को अपने पक्ष में परिणाम आने की उम्मीद है।
	घ. हम टिप्पण संख्या 2.45(ग) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, डेहरी ऑन सोन में 5 एलएलपीडी डेयरी प्लांट, 30 एमटीपीडी पाउडर प्लांट पूर्ण और सेवाओं एवं प्रयोगशाला की स्थापना के लिए प्लांट उपकरणों के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग से संबंधित कुल अनुबंध का एक हिस्सा, जिसका मूल्य 8329.77 लाख रुपये था, ग्राहक द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ग्राहक, कॉम्फेड ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निष्पादन प्रतिभूति के मद में 226.96 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि वसूल की। 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कुल 657.46 लाख रुपये की राशि, जिसमें ग्राहक द्वारा मोबिलाइजेशन अग्रिम के सापेक्ष वसूल की गई 430.50 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी सम्मिलित है, को टिप्पण संख्या 2.12 में ''अन्य गैर–चालू आस्तियाँ – ग्राहक विक्रेताओं और अन्य से वसूली योग्य'' के अधीन दर्शाया गया है। मामले का मध्यस्थता के अधीन निपटारा किया गया और ईपीआई को 6,45,32,156 रुपये अदा करने का आदेश दिया गया और आगे ईपीआई ने पटना जिला न्यायालय में दिनांक 12.09.2024 को कार्यकारी याचिका दायर की।	कंपनी ने अन्य गैर–चालूआस्तियों के अधीन 6.57 करोड़ रुपये की वसूली योग्य राशि का युक्तियुक्त रूप से प्रकटन किया है। कंपनी के विरुद्ध मध्यस्थता निर्णय के बाद, पटना जिला न्यायालय में 12.09.2024 को एक निष्पादन याचिका दायर की गई है। कंपनी विधिक माध्यमों से समाधान हेतु सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है और निष्पक्ष परिणाम के प्रति आशान्वित है।
17	**विदेशी शाखा में बैंक में शेष की संपुष्टि** बैंक मस्कट चालू खाता वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बंद कर दिया गया और खाता बंद करने पर प्राप्त राशि हमारे एसबीआई मस्कट ओएमआर चालू खाते में जमा कर दी गई।	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बैंक मस्कट चालू खाता सफलतापूर्वक बंद कर दिया, तथा समापन राशि हमारे एसबीआई मस्कट ओएमआर चालू खाते में जमा कर दी गई।

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा के प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	कंपनी का प्रत्युत्तर
18	**प्रत्याशित हानि का समायोजन** क. हम हिंगुला क्षेत्र, तालचेर में सीएचपी (कोल हैंडलिंग प्लांट) के संनिर्माण संकर्म से संबंधितं टिप्पण संख्या 2.45(घ) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसे महानदी कोल फील्ड लिमिटेड (एमसीएल) द्वारा एलओआई संख्या–एमसीएल/एसबीपी/ईएंडएम/2022–23/एलओए–163 दिनांक 18.05.2022 द्वारा 21830 लाख रुपये जिसके अंतर्गत कर भी है, के मूल्य पर ईपीआई को प्रदान किया गया था। कार्य के विभिन्न पैकेजों के लिए निविदा जारी करने के दौरान, वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कार्य बजट को संशोधित किया गया है, तदनुसार 1809.13 लाख रुपये की प्रत्याशित हानि को लेखा बहियों में उपयुक्त रूप से समायोजित किया गया है और कंपनी द्वारा अंगीकृत की गई लेखांकन नीति संख्या – 3 (ङ) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लाभ और हानि लेखा में दर्शाया गया है।	कंपनी ने हिंगुला सीएचपी परियोजना पर 18.09 करोड़ रुपये की अनुमानित हानि को सक्रिय रूप से मान्यता दी है और संशोधित बजट और अपनी लेखांकन नीतियों के अनुरूप समायोजित कर दिया है। यह दृष्टिकोण वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए पारदर्शी और सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करता है।
	ख. हम एनटीपीसी मुजफ्फरपुर के संनिर्माण संकर्म से संबंधित टिप्पण संख्या 2.45(ङ) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो एनटीपीसी द्वारा एलओआई संख्या सीएस–0350–364(आर)–9–एलओए–002 दिनांक 14.08.2019 के अंतर्गत जीएसटी को छोड़कर सभी कर और शुल्क सहित 4906.10 लाख रुपये के मूल्य पर ईपीआई को प्रदान किया गया था। उक्त परियोजना के कार्य बजट को वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान संशोधित किया गया है, तदनुसार 103.01 लाख रुपये की प्रत्याशित हानि को लेखा बहियों में उपयुक्त रूप से समायोजित किया गया है और कंपनी द्वारा अंगीकृत की गई लेखांकन नीति संख्या – 3 (ङ) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लाभ और हानि लेखा में दर्शाया गया है।	संशोधित परियोजना बजट और कंपनी नीति के अनुरूप, एनटीपीसी मुजफ्फरपुर परियोजना पर 1.03 करोड़ रुपये की अनुमानित हानि को विधिवत मान्यता दी गई है और वित्त वर्ष 2024–25 के लाभ और हानि लेखा में इसे दर्शाया गया है, जो पारदर्शी और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
19	**एमएसएमईडी और जीएसटी आईटीसी मुद्दा** जैसा कि ईआरओ लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्त करने और उसे वापस करने की प्रक्रिया उपलब्ध अभिलेखों और प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर रिपोर्ट की जा रही है। प्रबंधन का मानना है कि चूँकि कार्य संविदा एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन नहीं आते, इसलिए जीएसटी कानूनों के अनुसार आईटीसी वापस लेने की कोई संभावना नहीं है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट, शाखा द्वारा आईटीसी प्रावधानों के सही और पूर्ण अनुपालन के उपरोक्त अप्रकटन के अधीन है। इसकी विविध व्याख्याएँ हो सकती हैं। अतः, कंपनी को जीएसटी	कंपनी इन पर्यवेक्षणों को स्वीकार करती है और एमएसएमईडी तथा कार्य संविदाओं से संबंधित जीएसटी कानूनों की जटिलताओं और विविध व्याख्याओं को ध्यान में रखते हुए, एक व्यापक विधिक राय प्राप्त कर रही है। इससे आईटीसी प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन और स्पष्टता सुनिश्चित होगी, और सुदृढ़ कर प्रशासन तथा सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और भी सुदृढ़ होगी।

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा के प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	कंपनी का प्रत्युत्तर
	कानूनों, संकर्म संविदा, एमएसएमईडी अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के संबंध में कानूनी राय प्राप्त करनी होगी चूंकि इन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संबंधी प्रभाव है।	
20	**3 वर्षों से अधिक की दायित्व** जैसा कि एनआरओ लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, टिप्पण संख्या 2.3, 2.6 और 2.7 में क्रमशः 34.32 लाख रुपये, 1.38 लाख रुपये और 40.81 लाख रुपये के दायित्व सम्मिलित हैं, जो 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं और जिनके लिए कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।	कंपनी पिछले तीन वर्षों से बकाया दायित्वों की सक्रिय रूप से समीक्षा कर रही है, और चूँकि कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए उचित कार्रवाई के लिए इन शेष राशियों की निगरानी की जा रही है। कंपनी समय पर समाधान और सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिबद्ध है।
21	**ईंधन दावा उलटना** जैसा कि ओमान लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, ओएमआर 1580878.62 या 3,380.37 लाख के समतुल्य का ईंधन दावा वापस कर दिया गया है और तदनुसार इसे वित्तीय वर्ष 2024–25 में राजस्व में समायोजित किया गया है और यही प्रक्रिया सहयोगियों/उप–कांट्रेक्टरों के लिए भी लेखाबद्ध की गई है। इस वापसी प्रविष्टि के परिणामस्वरूप होने वाले खर्चों को भी लेखा में लिया गया है।	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 में 1,580,878.62 ओएमआर (33.80 करोड रुपये़) के ईंधन दावे को विधिवत रूप से रद्द कर दिया है, साथ ही राजस्व और संबंधित व्ययों में भी समायोजन किया है। यह समायोजन पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(रकम लाख रुपए में)

	विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
I.	**साम्या और दायित्व**					
1.	**शेयर धारकों की निधियां**					
	क) शेयर पूंजी	2.1	3,542.27		3,542.27	
	ख) आरक्षितियां और अधिशेष	2.2	(1,265.78)		(1,285.84)	
	ग) शेयर वारटों के सापेक्ष प्राप्त धन		.	2,276.49	.	2,256.43
2.	**आबंटन के लंबित रहने के दौरान शेयर आवेदन धन**			–		–
3.	**गैर चालू दायित्व**					
	क) दीर्घावधिक उधार		–		–	
	ख) आस्थगित कर दायित्व (निवल)		–		–	
	ग) अन्य दीर्घावधिक दायित्व	2.3	75,131.78		71,507.64	
	घ) दीर्घावधिक प्रावधान	2.4	5,689.44	80,821.22	5,432.63	76,940.27
4.	**चालू दायित्व**					
	क) अल्पावधिक उधार	2.5	3,743.19		201.39	
	ख) व्यापार संदेयः–	2.6				
	i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय		4,513.88		2,509.24	
	ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न		24,841.17		17,686.61	
	ग) अन्य को देय	2.7	95,534.63		112,374.85	
	ग) दीर्घावधिक प्रावधान	2.8	3,056.54	131,689.41	880.44	133,652.53
	योग			214,787.12		212,849.23
II	**आस्तियां**					
1	**गैर–चालू आस्तियां**					
	क) संपत्ति, संयत्र और उपस्कर तथा अमूर्त आस्तियां					
	i) संपत्ति, संयत्र और उपस्कर	2.9(i)	540.78		605.36	
	ii) अमूर्त आस्तियां	2.9(ii)	22.11		50.75	
	iii) चालू पूंजीगत कार्य	.	.			
	iv) विकासाधीन अर्मूत आस्तियां	2.9(iii)	–		–	
	ख) गैर चालू निवेश	.	.			
	ग) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	2.10	1,451.82		1,451.82	
	घ) दीर्घावधिक उधार और अग्रिम	2.11	5,761.17		7,805.45	
	ङ) अन्य गैर चालू आस्तियां	2.12	48,178.35	55,954.23	48,281.14	58,194.52
2.	**चालू आस्तियां**					
	क) चालू निवेश	2.13	–	.		
	ख) माल सूचियां	2.14	160.92		274.03	
	ग) व्यापार प्राप्य	2.15	24,502.47		13,835.10	
	घ) नकदी और नकदी समतुल्य	.	.			
	i) नकदी और नकदी समतुल्य	2.16 (i)	55,695.38		54,037.80	
	ii) अन्य बैंक शेष	2.16 (ii)	2,899.18		5,337.03	
	ङ) अल्पावधिक ऋण और अग्रिम	2.17	25,282.11		19,016.19	
	च) अन्य चालू आस्तियां	2.18	50,292.83	158,832.89	62,154.56	154,654.71
	योग			214,787.12		212,849.23
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां लेखाओं पर टिप्पण	1 2.1से 2.54तक		–		–

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों पर अभिन्न अंग हैं

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

कृत वीएसडी एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.008726एन

ह0/–
(दिबेंदु दास)
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएनः 10234285

ह0/–
(शिवेन्द्र नाथ)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएनः10397812

ह0/–
(सीए हेमा डुडेजा)
भागीदार
सदस्यता सं. 501001
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 24 जून, 2025
यूडीआईएनः 25501001बीएमकेक्यूएम07085

ह0/–
(अशोक कुमार पात्रा)
समूह महाप्रबंधक (वित्त)

ह0/–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रकम लाख रुपए में)

	विवरण	टिप्पण संख्या	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
I.	प्रचालनों से राजस्व	2.19	144,524.92	84,396.90
II.	अन्य आय	2.20	2,597.65	1,305.49
III.	**कुल आय (I+II)**		**147,122.57**	**85,702.39**
IV.	**व्यय:**			
	प्रचालन व्यय	2.21	134,178.63	80,241.94
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	2.22	6,279.48	6,503.76
	वित्तीय लागत	2.23	1,014.47	785.51
	मूल्यह्रास एवं अपाकरण व्यय	2.9	104.69	111.51
	अन्य व्यय	2.24	5,510.95	4,517.43
	पूर्वावधि व्यय (निवल)	2.25	12.31	47.95
	कुल व्यय		147,100.53	92,208.10
V.	**अपवादी और असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)**		22.04	(6,505.71)
VI.	अपवादी मदें – स्थायी आस्तियों की बिक्री पर हानि		1.98	1.58
VII.	असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि) **(V-VI)**		20.06	(6,507.29)
VIII.	असाधारण मदें		–	.
IX.	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		20.06	(6,507.29)
X.	कर व्यय			
	(1) चालू कर		–	–
	(2) पूर्व के वर्षों के लिए कर समायोजन (निवल)		–	–
	(3) अस्थगित कर		–	(371.35)
XI	**जारी रखे गए प्रचालनों से लाभ/(हानि) (IX-X)**		20.06	(6,135.94)
XII	जारी ना रखे गए प्रचालनों से लाभ/(हानि)		–	–
XIII	जारी ना रखे गए प्रचालनों का कर व्यय		–	–
XIV	**जारी ना रखे गए प्रचालनों से (करोपरांत) लाभ/हानि) (XII-XIII)**		–	–
XV	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (XI+XIV)**		20.06	(6,135.94)
XVI	**प्रति शेयर अर्जन**			
	(1) आधारिक	2.39	0.06	(17.32)
	(2) कम किया गया		0.06	(17.32)

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों पर अभिन्न अंग हैं

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार | **कृते निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से**

कृत वीएसडी एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.008726एन

ह0/–
(दिबेंदु दास)
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएनः 10234285

ह0/–
(शिवेन्द्र नाथ)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएनः10397812

ह0/–
(सीए हेमा डुडेजा)
भागीदार
सदस्यता सं. 501001
स्थानः नई दिल्ली

ह0/–
(अशोक कुमार पात्रा)
समूह महाप्रबंधक (वित्त)

ह0/–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव

तारीखः 24 जून, 2025
यूडीआईएनः 25501001बीएमकेक्यूएम07085

31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	2024–25	2023–24
प्रचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मद	**20.06**	(6,507.29)
निम्नलिखित के लिए समयोजन	–	–
–मूल्यह्रास और अपाकरण	104.69	111.51
–आस्तियों की बिक्री से हानि/(लाभ) (निवल)	(66.88)	1.58
–सावधि जमा पर ब्याज	(81.43)	(55.39)
–विदेशी मुद्रा का प्रभाव (निवल)	(212.31)	(78.84)
–ब्याज व्यय	1,014.47	785.51
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	**778.60**	(5,742.92)
–माल सूचियों में कमी/(वृद्धि)	113.11	;63.29)
–व्यापार प्राप्यों में कमी/(वृद्धि)	(9,906.61)	(198.68)
–व्यापार संदेयों में कमी/(वृद्धि)	8,960.55	4,262.99
–धारणाधिकार के अधीन सावधि जमा में कमी/(वृद्धि)	(6.72)	(4.92)
–कार्यशील पूंजी में वृद्धि/(कमी)	(5,526.51)	(2,920.40)
प्रचालनों से सृजित नकदी	**(5,587.58)**	(4,667.22)
घटाएंः		
–ब्याज आय	(1,014.47)	(785.51)
–आय कर	–	371.35
प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकदी	**(6,602.05)**	(5,081.38)
निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	–	–
–स्थायी अस्तियों का क्रय/संनिर्माण	(31.54)	(44.02)
–आस्तियों के विक्रय से आगत	86.95	3.95
–डीटीए में कमी/(वृद्धि)	–	(371.35)
–दीर्घावधिक अग्रिम में कमी/(वृद्धि)	2,044.28	(368.15)
–अन्य चालू अस्तियों से भिन्न में कमी/(वृद्धि)	(651.25)	(788.33)
–ब्याज आय	81.43	55.39
निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी	**1,529.88**	(1,512.51)
वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	–	–
–संदत्त लाभांश	–	.
–संदत्त लाभांश कर	7	.
–दीर्घावधिक प्रावधान में (कमी)/वृद्धि	256.81	379.59
–दीर्घावधिक दायित्व से पुनर्सदाय)/आगत	3,822.79	12,757.69
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी	**4,079.60**	13,137.28
विदेशी मुद्रा का प्रभाव	**212.31**	78.84
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल (कमी)/वृद्धि	**(780.27)**	6,622.23
वर्ष के आरम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	59,374.83	52,752.60
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	58,594.56	59,374.83
नकदी और नकदी समतुल्य का समाशोधन		
हाथ में नकदी (टिप्पण संख्या 2.16 देखें)	–	–
हाथ में चेक (टिप्पण संख्या 2.16 देखें)	–	–
संव्यवहार में विप्रेषण	–	–
चालू खातों में बैंक में शेष (टिप्पण संख्या 2.16 देखें	55,695.38	54,037.80
अन्य बैंकों में सावधि जमाओं में शेष (टिप्पण संख्या 2.16 देखें)	2,899.18	5,337.03
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	**58,594.56**	59,374.83

टिप्पणः

1) नकदी एवं नकदी समतुल्य में नकद और बैंकों में शेष सम्मिलित है जिसके अंतर्गत धाराणाधिकार/मार्जिन सावधि जमा को छोडकर सावधि जमा और चलनिधि निवेश भी सम्मिलित है।
2) उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरणी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक ए एस– 3 "नकदी प्रवाह विवरणी" के अनुसार प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए तैयार की गई है।
3) उपरोक्त शेष में से चालू खाते में 39693.27 लाख (पूर्व वर्ष 26342.47 लाख रुपये) ग्राहक के निमित्त जमा के रूप में रखे गए हैं और सावधि जमा में 18079.15 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 31079.05 लाख रुपये) ग्राहक के निमित्त जमा के रूप में रखे गए हैं।
4) दिनांक15.03.2023 को, ओमान शाखा से संबंधित सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया, जिसे बैंकिंग प्रचालन के लिए दिनांक 19.03.2024 को खोला गया था। चालू खाते और सावधि जमा खातों में उपरोक्त शेष राशि में से 2.84 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 500.79 लाख रुपये) ओमान शाखा के बैंक खातों से संबंधित हैं।
5) जहां भी आवश्यक हुआ पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत, पुनःइकट्ठा किया गया है और उन्हें पुनः तैयार किया गया है।

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार **कृते निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से**

कृत वीएसडी एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.008726एन

ह0/–
(दिबेंदु दास)
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएनः 10234285

ह0/–
(शिवेन्द्र नाथ)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएनः10397812

ह0/–
(सीए हेमा डुडेजा)
भागीदार
सदस्यता सं. 501001
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 24 जून, 2025
यूडीआईएनः 25501001बीएमकेक्यूएम07085

ह0/–
(अशोक कुमार पात्रा)
समूह महाप्रबंधक (वित्त)

ह0/–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव

वित्तीय विवरणियों के टिप्पण :–
(31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु)

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन का आधार

(क) वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन, उपचय आधार पर भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार एवं कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पाठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 अधिनियम) के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करते हुए तैयार तैयार की गई हैं। वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए अंगीकृत लेखांकन नीतियां उन्हीं नीतियो के अनुसार है, जो पूर्व के वर्ष में अपनाई गयी थी।

(ख) सभी आस्तियां और दायित्व कंपनी अधिनियम, 2013 की अधिकथित अनुसूची–III के अनुसार चालू या गैर चालू के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। प्रचालनों की प्रकृति और उस समय जिसके भीतर आस्तियों को नकद या नकद समतुल्य में कारबार के साधारण प्रक्रम में प्राप्त करने की संभावना है, कंपनी ने अपने प्रचालन चक्र को आस्ति या और दायित्वों को चालू और गैर–चालू में वर्गीकृत करने के प्रयोजनार्थ 12 महिने में रखा है।

2. आकलनों का उपयोग

साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणियों की तैयारी में प्रबंधन से अपेक्षित है कि वह वित्तीय विवरण की तारीख को आस्तियां और दायित्व की रिपोर्ट की गई मात्रा एवं आकस्मिक आस्तियों और दायित्वों का प्रकटन, यदि कोई हो, एवं रिपोर्ट की अवधि के दौरान प्रचालनों का परिणाम के प्रभाव का आकलन और पूर्वधारणा करे। यद्यपि यह आकलन प्रबंधन की चालू घटनाओं और कार्रवाईयों की जानकारी पर आधारित है तथापि वास्तविक परिणाम इन आकलनों और पुनरीक्षणों, यदि कोई हों से भिन्न हो सकते हैं, इनको चालू और भावी अवधियों में मान्यता दी गई है।

3. राजस्व को मान्यता

(क) संविदा राजस्व को उस स्तर तक मान्यता दी गई है जहां तक कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे और विश्वसनीय रूप से राजस्व का मापन किया जा सकता है। राजस्व को संकर्म की समग्र लागत और संपूर्ण करने की विधि के प्रतिशत का उपयोग करते हुए समानुपात मार्जिन को जोड़कर मान्यता दी गई है। संपूर्ण करने के प्रतिशत का अवधारण वार्षिक रूप से संशोधित संविदा की कुल प्राक्कलित लागत की तारीख तक उपगत समानुपाती लागत का अवधारण करके किया जाता है।

(ख) वर्ष के अंत में निष्पादित किया गया कार्य किन्तु मापा न गया/आशंकि रूप से निष्पादित कार्य को आंतरिक इंजीनियरों के प्रमाणपत्र के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है, ऐसी गणना से उदभूत प्रविष्टियों को उत्तरवर्ती लेखांकन वर्ष में विलोमतः कर दिया जाता है। तदनुसार, वास्तविक प्राप्ति जारी किए गए बीजकों/दावों को जारी करने के समय विधिक बाध्यताओं को पूरा किया जाता है।

(ग) परियोजनाओं के समयपूर्व बंद करने/समाप्त करने की दशा में राजस्व को उस संविदा मूल्य के परिमाण तक जिसकी वसूली संभावित है मान्यता दी जाती है।

(घ) परामर्शी सेवाओं से राजस्व को समानुपातिक पूर्णता विधि के आधार पर मान्यता दी जाती है। उन मामलों की दशा में जहां दावों के समय युक्तियुक्त निश्चितता के साथ वास्तविक संग्रहण नहीं किया गया है मान्यता को संग्रहण करने के समय तक स्थगित कर दिया जाता है।

(ड.) उन संविदाओं के मामले में जहां संविदा की लागत संविदा के राजस्व से अधिक हो जाती है, अनुमान लगाई गई हानि को तुरंत मान्यता दी जाती है।

(च) ग्राहक के साथ संविदा में बढ़ोतरी और अतिरिक्त संकर्म का प्रावधान नहीं किया जाता है, मध्यस्थों से उदभूत दावों और बीमा दावों को प्राप्ति के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

(छ) विवाद/बातचीत और असंदेह/अप्राप्य नहीं समझे जाने वाले दावों के संबंध में सांविधिक बाध्यताओं से उदभूत परिसमाप्त हानि अंतिम निपटान तक लेखाबद्ध की जाती है।

(ज) संविदा को लेखांकन प्रयोजनों के लिए अंतिम बीजक बनाने, चालू करने के प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक रूप से आरंभ करने, पूर्व समापन और/या क्षमापन इनमें से जो भी पहले हो, समाप्त माना जाता है।

(ञ) बकाया रकम और लागू दर को गणना में लेते हुए व्याज आय को समय समानुपात में मान्यता दी जाती है।

(ट) भाटक से राजस्व को किराएदार से पट्टा करार के आधार पर सिवाय वहां जहां वास्तविक संग्रहण को संदेहस्पद समझा जाता है, उसे उदभूत होने के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ठ) परियोजना प्रबंधन परामर्शी कार्य की दशा में जहां संपूर्ण निष्पादन,, बिलिंग, संग्रहण, कर अनुपालना जिसके अंतर्गत त्रुटि के लिए दायित्व आदि भी सम्मिलित है, कंपनी पर है, टर्नओवर को लागत जमा मार्जिन के आधार पर प्रतिशत पूरा करने के आधार पर मान्यता दी जाएगी।

4. मालसूची

(i) सामग्रियां

(क) संनिर्माण सामग्रियां, उपभोज्य और भंडार एवं उपसाधनों जिसके अंतर्गत इस्पात, सीमेंट और पाइप नहीं है को क्रय के समय संविदा लागत पर प्रभारित किया जाता है। ऐसी बची हुई सामग्रियों के निपटान के लेखे विक्रय से आगतों को विक्रय के वर्ष में प्रकीर्ण आय में लेखाबद्ध किया जाता है।

(ख) इस्पात, सीमेंट और पाइपों के स्टॉक का मूल्यांकन लागत या निवल प्राप्त हो सकने वाले मूल्य से कम पर किया जाता है। लागत में भाड़ा और अन्य संबंधित अनुषंगिक व्यय शामिल हैं और उनकी गणना भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है।

(ii) चालू कार्य

चालू संनिर्माण कार्य का मूल्यांकन ऐसे समय तक लागत के आधार पर किया जाता है जब तक कार्य के परिणाम का विश्वसनीय रूप से पता न लगाया जा सके।

5. विदेशी मुद्रा में संव्यवहार

विदेशी परियोजनाओं की वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित रीति में परिभाषित किया जाता है:

i) राजस्व मदों (आय और व्यय) को भारतीय मुद्रा में क्रय दर की सुसंगत वित्त वर्ष के प्रत्येक मास के अंतिम कार्य दिवस को विद्यमान मासिक औसत के आधार पर गणना में लिया जाता है।

ii) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर–धनीय मदों को संव्यवहार की तारीख को क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

iii) मूल्यह्रास को आस्तियों के मूल्य को गणना में लेने के लिए उपयोग की गई दर पर गणना में लिया जाता है जिसपर मूल्यह्रास की संगणना की गई है।

iv) माल सूचियों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

v) धनीय मदें (आस्तियां और दायित्व) तथा आकस्मिक दायित्वों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान अंतिम क्रय दरों पर गणना में लिया जाता है।

गणना में लिए जाने के परिणामस्वरूप निवल विनिमय विभेद की पहचान वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में की जाती है।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का लागत पर वसूलीयोग्य कर, व्यापार बट्टा छूट (रिबेट) घटाकर संचित मूल्यह्रास और नुकसान की हानियां, यदि हो को घटाकर कथन किया जाता है। इस लागत में खरीद कीमत, उधार लेने की लागत और कोई ऐसी लागत सम्मिलित है जो सीधे आस्तियों को उनकी कार्यकारी स्थिति में लाने के लिए आशयित उपयोग से संबंधित है, विदेशी मुद्रा वाले संविदाओं में निवल प्रभार और समायोजन जो विनिमय दर में फेरफार से उत्पन्न होते हैं वह आस्तियों के लेखे में डाले जाते हैं।

पश्चातवर्ती लागतों को आस्ति की वहन रकम में सम्मिलित किया जाता है या पृथक आस्ति के रूप में उस को मान्यता दी जाती है, जैसा भी समुचित हो, ऐसा केवल तब किया जाता है जब इस बात की संभावना हो की मद से सहबद्ध भावी आर्थिक लाभ निकाय को प्रभाहित होंगे और लागत का विश्वसनीय रूप से अंकन किया जा सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर मूल्यह्रास की संगणना सीधी रेखा के आधार पर आस्ति के उपयोगी जीवन पर आधारित होती है जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची –II के अनुसार दर्शाया जाता है और आस्ति के उपयोगी जीवन के दौरान 95 प्रतिशत लागत को बट्टे खाते में डाला जाता है।

7. मूल्यह्रास

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के मूल्यह्रास की संगणना आस्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अनुसार की जाती है और आस्तियों के संभावित उपयोगी जीवन के दौरान 95 प्रतिशत लागत को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

(ख) आस्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर उदभूत मूल्यह्रास की निम्नलिखित दरों को अंगीकृत किया गया है।

क्र.सं.	आस्तियों का विवरण	वर्ष के आधार पर उपयोगी जीवन	मूल्यह्रास की दर
1	**भवन (कारखाना भवन से भिन्न) आरसीसी फ्रेम ढांचा (एनईएसडी)**	60 वर्ष	1.58%
2	**अन्य अस्थायी संनिर्माण (जिसके अंतर्गत अस्थायी ढांचा आदि) (एनईएसडी) भी शामिल हैं**	3 वर्ष	31.67%
3	**सिविल संनिर्माण में उपयुक्त संयंत्र एवं मशीनरी**		
3(क)(i)	कंक्रीटकरण, क्रशिंग, पाइलिंग उपस्कर और सड़क बनाने की मशीन	12 वर्ष	7.92%
3(क)(ii)(क)	100 टन से अधिक क्षमता वाली क्रेनें	20 वर्ष	4.75%
3(क)(iii)(ख)	100 टन से कम क्षमता वाली क्रेनें	15 वर्ष	6.33%

क्र.सं.	आस्तियों का विवरण	वर्ष के आधार पर उपयोगी जीवन	मूल्यह्रास की दर
3(क) (iii)	मृदा परिचालन उपस्कर	9 वर्ष	10.56%
3(क)(iv)	अन्य जिसके अंतर्गत सामग्री हथालन/पाइपलाइन/बैल्डिंग उपस्कर (एनईएसडी) भी शामिल है	12 वर्ष	7.92%
4	**साधारण फर्नीचर और सज्जा (एनईएसडी)**	10 वर्ष	9.50%
5	**कार्यालय उपस्कर (एनईएसडी)**	5 वर्ष	19%
6	**कम्प्यूटर और डाटा प्रसंस्करण इकाइयां (एनईएसडी)**		
6(क)	सर्वर और नेटवर्क	6 वर्ष	15.83%
6(ख)	अंतिम उपयोगकर्ता इकाइयां जैसे डैस्कटॉप, लैपटॉप, साफ्टवेयर जिसके अंतर्गत उपयोगकर्ता अनुज्ञप्ति फीस, अन्य अमूर्त आस्तियां आदि भी शामिल हैं	3 वर्ष	31.67%
7	**मोटरयान (एनईएसडी)**		
7(क)	मोटरसाइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड	10 वर्ष	9.50%
7(ख)	मोटर बसें, मोटर लॉरी और भाटक पर उन्हें चलाने के कारबार से भिन्न मोटर कारें	8 वर्ष	11.88%

उन आस्तियों के सिवाय जिनके संबंध में कोई अतिरिक्त शिफ्ट मूल्यह्रास (एनईएसडी) की अनुज्ञा नहीं है जैसाकि उपदर्शित किया गया है, यदि किसी आस्ति का उपयोग वर्ष के दौरान किसी भी समय दोहरी शिफ्ट के लिए किया जाता है तो मूल्यह्रास उस अवधि के लिए 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा और तिहरी शिफ्ट के लिए मूल्यह्रास की संगणना उस अवधि के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।

चालू वर्ष के साथ–साथ पूर्व वर्ष के दौरान परिवर्तित नीति का वित्तीय प्रभाव ''शून्य'' है।

(ग) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का इस अवधि के दौरान अर्जन किया जाता है, जो अलग–अलग 5,000: रुपए तक की लागत के हैं का क्रय वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रास किया जाता है। तथापि कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन को उनके मूल्य को ध्यान में न रखते हुए लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

(घ) पट्टाधृत भवन का अपाकरण पट्टे की अवधि के दौरान या कंपनी द्वारा अंगीकृत दरों पर संगणित विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान, इनमें से जो भी लघु हो, पर किया जाता है। शाश्वत पट्टे के अधीन धृत भूमि का अपाकरण नहीं किया जा रहा है और उसे लागत के आधार पर अग्रनीत किया गया है।

ड.) अमूर्त आस्तियों का कथन लागत से संचित आपकरण को घटाकर और क्षीणता पर किया जाता है। सॉफ्टवेयर, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, को अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और इसका तीन वर्ष की अवधि या इसकी लाइसेंस अवधि, जो भी कम हो, में सीधी रेखा पद्धति पर आपकरण किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अमूर्त आस्तियों के उपयोगी जीवन का पुनरीक्षण किया जाता है और यदि उचित हो तो उसे समायोजित किया जाता है।

8. कर्मचारी हितलाभ

(i) अल्पावधिक कर्मचारी हितलाभ को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरणी में गैर रियायती रकम पर एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें संबंधित सेवा दी गई है।

(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत और अन्य दीर्घावधिक कर्मचारी हितलाभ को उस वर्ष की लाभ और हानि विवरणी में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी ने सेवा दी गई है। व्यय को संदेय रकम के विद्यमान मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिसे वास्तविक मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके अवधारित किया जाता है। सेवानिवृत्ति के उपरांत और अन्य दीर्घावधि हितलाभ के संबंध में वास्तविक लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरणी में दर्शाया जाता है।

9. प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां

प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी की किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप बाध्यता हो और यह संभावना हो कि बाध्यता को निपटाने के लिए संसाधनों के ओवरफ्लो की अपेक्षा होगी और जिसके लिए विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। उपबंधों को उनके वर्तमान मूल्य पर रियायत नहीं दी जाती है और उनका अभिधारण तुलनपत्र की तारीख को बाध्यता का निपटान करने के लिए सर्वोत्तम आकलनों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को प्रावधानों का पुनरीक्षण किया जाता है और चालू सर्वोत्तम आकलनों को उपदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है। किसी आकस्मिक दायित्व का प्रकटन किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देने के लिए संसाधनों के ओवरफ्लो की संभावना सुदूर न हो। आकस्मिक दायित्वों को न तो मान्यता दी जाती है, न ही उनका वित्तीय विवरणियों में प्रकटन किया जाता है।

10. संदेहास्पद ऋणों/उधारों और अग्रिमों के लिए प्रावधान

भारत सरकार के विभागों और पीएसई ग्राहकों से संबंधित बंद हो गई परियोजनाओं में व्यापार प्राप्य/ऋणों और अग्रिमों की रकम को लेनदारों/ऋणों/अग्रिमों को जिस वर्ष वह देय होते हैं से 10 वर्ष तक प्राप्त करने के लिए अच्छा समझा जाता है। इन ऋणों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है जब तक कि ग्राहक के साथ अंतिम निपटान न किया जाए या मध्यस्थ/अधिकरण/न्यायालय द्वारा विवाद के मामले में निर्णय न दे दिया जाए। संदेहस्पद ऋणों/उधारों और अग्रिमों से परियोजना के आधार पर **निवल प्राप्य राशि** के लिए प्रबंधन के अनुभव/निर्धारण/पूर्ववर्ती अनुभव के आधार पर आवश्यक प्रावधान किए जाते हैं यदि 10 वर्ष से अधिक से बकाया हैं। व्यापार प्राप्य/ऋणों और अग्रिमों को तब बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब उनकी वसूली न की जा सकती हो। मध्यस्थ/अधिकरण/न्यायालय के पास लंबित मामलों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।

पूर्वोक्त उपदर्शित निवल प्राप्य से अभिप्रेत है कि ग्राहक से प्राप्य कुल रकम को संबंधित परियोजना के उप ठेकेदार को संदेय तत्स्थानी रकम से घटा दिया जाता है।

11. खंड रिपोर्टिंग

परियोजनाओं की भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर कंपनी ने दो प्रारंभिक रिपोर्टिंग खंडों अर्थात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय की पहचान की है।

12. आस्तियों की क्षीणता

प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को कंपनी की आस्तियां चाहे इस बात का कोई संकेत हो कि आस्तियां क्षीण हो गई हैं। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान है तो कंपनी आस्तियों की वसूली योग्य रकम का आकलन करती है।

यदि आस्ति की ऐसी वसूलनीय रकम या रोकड़ सृजित करने वाली इकाई जिसकी आस्ति है से वसूली योग्य रकम उसकी चल रही रकम से कम है तो चल रही रकम को वसूली योग्य रकम से घटा दिया जाता है और कटौती को क्षीणता नुकसान माना जाता है और लाभ और हानि लेखे में इसको मान्यता दी जाती है। यदि तुलनपत्र की तारीख को यह संकेत हो कि पूर्व में निर्धारित क्षीणता नुकसान अब विद्यमान नहीं है तो वसूलनीय रकम का पुनर्निर्धारण किया जाता है और आस्ति को वसूलीय रकम में अधिकतम अवक्षयित ऐतिहासिक लागत की शर्त के अधीन रहते हुए, उपदर्शित किया जाता है और तदनुसार, लाभ और हानि लेखे में उसे विलोमतः कर दिया जाता है।

13. कराधान

वर्ष में कर के लिए प्रावधान में आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 115खकक के उपबंधों के अनुसरण में संगणित संदेय बही खाता लाभ या अवधि के लिए करादेय आय के संबंध में संदेय कर की रकम को अवधारित चालू आय–कर आकलन सम्मिलित है और आस्थगित कर वह अस्थायी समय विभेद का कर प्रभाव है जो करादेय और लेखांकन आय को दर्शाता है जो एक अवधि में उदभूत होती है और पश्चातवर्ती एक या अधिक अवधियों में जो विलोमतः होने के लिए सक्षम है और जिसकी संगणना सुसंगत घरेलू कर विधियों के अनुसार की जाती है।

आस्थगित कर की गणना कर दरों और तुलनपत्र की तारीख को अधिनियमित कर विधियों या पश्चातवर्ती अधिनियमित कर विधियों के आधार पर की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता उस सीमा तक दी जाती है जिसकी युक्तियुक्त निश्चितता है कि भविष्य में करादेय पर्याप्त आय ऐसी आस्थगित कर आस्तियों के सापेक्ष उपलब्ध होगी जिसकी वसूली की जा सकेगी। अग्रनीत हानियों और अवशोषित न होने वाले मूल्यह्रास के संबंध में आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जिस तक यह अभासी निश्चितता है कि पर्याप्त भावी करादेय आय उपलब्ध होगी जिससे ऐसी आस्थगित कर आस्तियों को वसूला जा सकेगा।

न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट), कंपनी को लागू नहीं होता है चूंकि कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115खकक के अधीन कराधान का विकल्प दिया है।

14. पट्टा

पट्टेदार के रूप में कंपनीः प्रचालित पट्टों के अधीन पट्टा संदायों को व्यय के रूप में लाभ और हानि लेखे में सीधे रेखा आधार पर पट्टा निबंधन पर मान्यता दी जाती है।

पट्टा कर्ता के रूप में कंपनीः पट्टे जिनमें कंपनी पट्टाकर्ता है को वित्त या प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं। जब कभी पट्टा अंतरण सारवान रूप से स्वामित्व के जोखिम और पुरस्कारों को पट्टेदार को अंतरित कर देते हैं, संविदा को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टों को प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृ त किया जाता है।

प्रचालन पट्टों के लिए भाटक आय को सुसंगत पट्टे के निबंधनों पर सीधी रेखा के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। किसी प्रचालन पट्टे को प्राप्त करने में प्रारंभ में उपगत लागत को अंडरलाइन आस्ति की वहन रकम में जोड़ दिया जाता है और उसे पट्टा आय जैसे उसी आधार पर पट्टा निबंधनों के ऊपर व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। संबंधित पट्टे पर दिए गए आस्ति को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन पत्र में सम्मिलित किया जाता है।

15. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आधारिक अर्जन की संगणना साम्या शेयरधारकों (अधिरोपणीय करों की कटौती करने के पश्चात) से संबंधित अवधि के लिए निवल लाभ या हानि की अवधि के दौरान बकाया साम्या शेयरों की भारित संख्या से भाग करके की जाती है।

प्रति शेयर कम होते अर्जन की संगणना करने के प्रयोजनार्थ शेयरधारिकों से संबंधित अवधि के लिए निवल लाभ या हानि अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित संख्या को कम होते संभावित साम्या शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित कर दिया जाता है।

16. पूर्वावधि मदें और पूर्व संदत्त व्यय से संबंधित समायोजन

क) पूर्वावधि मदें: प्रत्येक मामले में 1.0 लाख रुपये तक पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय को तात्विक नहीं समझा जाता है और उसे चालू वर्ष की आय/व्यय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है।

ख) पूर्वावधि व्ययः प्रत्येक मामले में 1.0 लाख रुपये तक पूर्वावधि से संबंधित व्यय को तात्विक नहीं समझा जाता है और उसे चालू वर्ष के व्यय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है।

17. निगम कार्यालय में उपरिव्यय आवंटन

वेतन और उससे संबंधित लागत से संबंधित निगम/मुख्यालय के उपरिव्यय का ईपीआई के कुल टर्नओवर के अनुपात में ओमान परियोजना को टर्नओवर के अनुपात में आवंटन कर दिया गया है।

18. निवेश

दीर्घावधिक निवेश का कथन लागत पर किया जाता है। ऐसे निवेश के मूल्य में स्थाई कमी को मान्यता दी जाती है और उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

चालू निवेश का कथन लागत और उसके उद्धश्त/उचित मूल्य से कम पर किया जाता है।

19. नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह की रिपोर्ट प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार की जाती है जिससे अवधि के लाभ को गैर–नकद प्रकृति के संव्यवहार के प्रभाव, अतीत या भविष्य की प्रचालनरत नकदी प्राप्तियों या संदायों के किसी भी आस्थगन या उपचयन और निवेश या नकदी प्रवाह के वित्तपोषण से जुड़ी आय या व्यय की मद में समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्त पोषण कार्यकलापों से नकद प्रवाह को पृथक किया जाता है।

20. लाभांश

शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तारीख को शेयरों पर अंतिम लाभांश को दायित्व के रूप में अभिलिखित किया जाता है और अंतरिम लाभांश को कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा घोषणा की तारीख को दायित्व के रूप में अभिलिखित किया जाता है।

टिप्पण सं. 2.1

(रकम लाख रुपए में)

शेयर पूंजी	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत 10₹- रुपए प्रत्येक के संदत्त 90,94,04,600 साम्या शेयर (पूर्व वर्ष 10₹- रुपए प्रत्येक के संदत्त 90,94,04,600 पूर्णतया संदत्त साम्या शेयर)	**90,940.46**	90,940.46
जारी अंशधृत और पूर्णतया संदत्त 10₹- रुपए के प्रत्येक 3,54,22,688 साम्या शेयर (पूर्व वर्ष 10₹- रुपए के प्रत्येक के संदत्त 3,54,22,688 पूर्णतया संदत्त साम्या शेयर)	**3,542.27**	3,542.27
योग	**3,542.27**	3,542.27

टिप्पण 2.1 (क)

बकाया शेयरों की संख्या का पुनः समायोजन	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
	संख्या	**संख्या**
वर्ष के प्रारंभ में	**3,54,22,688**	3,54,22,688
वर्ष के अंत में	**3,54,22,688**	3,54,22,688

टिप्पण 2.1 (ख)

5% से अधिक प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धृत शेयरों की संख्या	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	**प्रतिशत धृति**	**शेयरों की संख्या**	**प्रतिशत धृति**
भारत का राष्ट्रपति	**3,54,15,677**	**99.98%**	3,54,15,677	99.98%

टिप्पण सं. 2.1 (ग)

(रकम लाख रुपए में)

प्रस्तावकों द्वारा धृत शेयर		31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार		
क्रम सं.	नाम	शेयरों की संख्या प्रतिशत	शेयरों का कुल प्रतिशत परिवर्तन	वर्ष के दौरान	शेयरों की संख्या प्रतिशत	शेयरों का कुल प्रतिशत परिवर्तन	वर्ष के दौरान
1.	भारत का राष्ट्रपति	**3,54,15,677**	**99.98%**	–	3,54,15,677	99.98%	–
2.	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3575	0.01%	–	3575	0.01%	–
3.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	1892	0.01%	–	1892	0.01%	–
4.	खनन और संबद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड*	490	0.00%	–	490	0.00%	–
5.	त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लिमिटेड*	490	0.00%	–	490	0.00%	–
6.	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	350	0.00%	–	350	0.00%	–
7.	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स संनिर्माण लिमिटेड	210	0.00%	–	210	0.00%	–
8.	ईपीआई शेयरधारक न्यास	4	0.00%	–	4	0.00%	–

* परिसमापन के अधीन

टिप्पण सं. 2.2

(रकम लाख रुपए में)

आरक्षित एवं अधिशेष	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
क) पूंजी आरक्षिति		
वर्ष के प्रारंभ में और अंत में शेष	**2.10**	2.10
ख) साधारण आरक्षिति		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**2,115.00**	2,115.00
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन	–	–
वर्ष के अंत में शेष	**2,115.00**	2,115.00
ग) लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष	**2,115.00**	2,115.00
वर्ष के प्रारंभ में शेष		
जोड़ें : वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**(3,402.94)**	2,733.00
	20.06	(6,135.94)
घटाएं : संदत्त लाभांश*	–	–
घटाएं : गत वर्ष के लाभ का अंतरण	–	–
वर्ष के अंत में शेष	**(3,382.88)**	(3,402.94)
योग(क+ख+ग)	**(1,265.78)**	(1,285.84)

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय (लेखांकन मानक) ने संशोधन नियम 2016 (सा. का.नि 364(ङ) तारीख 30 मार्च 2016 को अधिसूचित करते हुए लेखांकन मानक (एएस) 4 आकास्मिक्ताएं और तुलन पत्र तारीख के पश्चात होने वाली घटनाएं को संशोधित किया है। संशोधित लेखाकन मानक एएस 4 का पैरा 14 उपबंध करता है कि यदि लाभांश की घोषणा तुलन पत्र की तारीख के पश्चात की जाती है तब ऐसे लाभांश को तुलन पत्र की तारीख को दायित्व के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि उस तारीख को कोई बाध्यता विद्यामान नहीं थी।

टिप्पण सं. 2.3

(रकम लाख रुपए में)

अन्य दीर्घावधि दायित्व	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
व्यापार संदेय*		
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम**	.	.
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से भिन्न	**5,921.49**	6,201.90
– विवादास्पद शोध्य – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम*	.	.
– विवादास्पद शोध्य – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से भिन्न	**1,135.85**	1,054.09
अन्य दायित्व	.	
– प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धनःरु	**28,833.60**	25,159.24
– ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	**27,588.16**	30,628.54
– ग्राहकों, विक्रेताओं एवं अन्य को अन्य संदेय	**11,652.68**	8,463.87
योग	**75,131.78**	71,507.64

*अनुसूची III में संशोधनों के संबंध में तारीख 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार व्यापार प्राप्य एंजिंग अनुसूची के लिए टिप्पण सं. 2.8क देखें।

**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 में यथा परिभाषित, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों को देय रकम की इन निकायों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर और कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के परिमाण तक पहचान की गई है। इस वर्ष के दौरान इन अभिज्ञात निकायों के प्रति पैंतालीस दिन से अधिक दिन से कोई राशि संदेय नहीं थी।

#ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा प्रदान की गई बैंक प्रतिभूति के बदले 4554.00 लाख रुपए में 1906.64 लाख रुपए की राशि सम्मलित है।

टिप्पण सं. 2.4

(रकम लाख रुपए में)

दीर्घावधि दायित्व	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
अन्य व्यय के लिए प्रावधान	**1,659.21**	1,659.21
संभावित हानि के लिए प्रावधान (एएस–7 के अनुसार)	**272.74**	274.36
कर्मचारी हितलाभः	.	.
– छुट्टी नकदीकरण	**1,342.41**	1,257.29
– उपदान	**39.03**	44.72
– दीर्घावधि सेवा पुरस्कार	**29.36**	22.65
– सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ	**2,344.17**	2,171.06
– सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता	**2.52**	3.34
योग	**5,689.44**	5,432.63

टिप्पण सं. 2.5

(रकम लाख रुपए में)

लघु अवधि उधार	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
प्रत्याभूत		
– बैंकों से मांग पर संदेय ऋण	–	–
अप्रत्याभूत		
– बैंकों से मांग पर संदेय ऋण *	**3,743.19**	201.39
दीर्घावधि उधारों की चालू परिपक्वता	–	–
योग	**3,743.19**	201.39

* आईओबी दिल्ली में निधि आधारित सीमा/अल्पावधिक ऋण के सापेक्ष क्लीन कैश क्रेडिट हेतु 3743.19 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 201.39 लाख रुपए)।

टिप्पण सं. 2.6

(रकम लाख रुपए में)

व्यापार संदेय	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
व्यापार संदेय*		
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम**	**4,513.88**	2,509.24
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से भिन्न	**24,841.17**	17,686.61
– विवादास्पद शोध्य–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	–	–
– विवादास्पद शोध्य–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से भिन्न	–	–
योग	**29,355.05**	20,195.85

* अनुसूची III में संशोधनों के संबंध में दिनांक 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार पुराने हो रहे कि अनुसूची में व्यापार संदेय के लिए टिप्पण सं. 2.8क देखें।

* * सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 में यथा परिभाषित, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों को देय रकम की इन निकायों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर और कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के परिमाण तक पहचान की गई है। इस वर्ष के दौरान इन अभिज्ञात निकायों के प्रति पैंतालीस दिन से अधिक दिन से कोई राशि संदेय नहीं थी।कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर वर्ष के अंत में 4,513.88 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 2,509.24 लाख रुपए) सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को संदेय थे। (टिप्पण सं. 2.51 देखें)।

टिप्पण सं. 2.7

(रकम लाख रुपए में)

अन्य चालू दायित्व	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
ग्राहकों से अग्रिम	**39,922.22**	43,197.13
सुरक्षा जमा, प्रतिधारण एवं अग्रिम धन@	**12,926.52**	11,104.52
बकाया दायित्व	**1,553.18**	628.55
ग्राहकों, विक्रेताओं एवं अन्य को संदेय अन्य राशि	**28,739.52**	45,252.44
संकर्म के लिए अग्रिम राजस्व#	**4,819.21**	7,665.55
कर्मचारियों को संदेय*	**556.58**	593.99
सांविधिक दायित्व	**7,017.40**	3,932.67
योग	**95,534.63**	112,374.85

*31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कार्य निष्पादन संबंधी वेतन की 23.06 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 23,53 लाख रुपए) की राशि कतिपय कर्मचारियों को जारी करने के लिए लंबित है।

वेतन पुनरीक्षण (तृतीय पीआरसी) के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण में वित्त वर्ष 2024– 25 के दौरान लेखाबहियों में 01. 01.2017 से शून्य रुपए (पूर्व वर्ष शून्य रुपए) का प्रावधान किया गया है। दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार संचयी प्रावधान 474.93 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 474.93 लाख रुपए) है।

#राशि जिनका ग्राहक के प्रति बिल बनाया गया है'' पर प्रगति में कार्य की अधिकता को ''अन्य चालू आस्तियां'' मद के अधीन ''आय जिनका बिल नहीं बनाया गया है'' के रूप में दर्शाया गया है, दूसरी ओर, ''कार्य प्रगति में'' में ''राशि जिनका ग्राहक के प्रति बिल बनाया गया है'' की आधिक्य को ''अन्य चालू दायित्व'' मद के अधीन ''संकर्म के लिए अग्रिम आय'' के रूप में दर्शाया गया है (टिप्पण संख्या 2.18 भी देखें)।

@इसमें म्यांमार परियोजना में विदेश मंत्रालय द्वारा संविदा की समाप्ति के पश्चात आरके–आरपीपी संयुक्त उद्यम द्वारा ईपीआईएल को प्रस्तुत कार्य निष्पादन बैंक गारंटी की जब्ती केसापेक्ष वित्त वर्ष 2021–22 में 2070 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

टिप्पण सं. 2.8

(रकम लाख रुपए में)

लघु अवधि उपबंध	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
संभावित हानि के लिए प्रावधान (एएस–7 के अनुसार)	**1,947.15**	35.49
आय कर (विदेशी) के लिए प्रावधान	–	–
वेतन पुनरीक्षण (तृतीय पीआरसी) के लिए प्रावधान	–	–
कर्मचारी हितलाभ:	–	–
– छुट्टी नकदीकरण	**173.39**	165.47
– उपदान	**80.76**	77.52
– दीर्घावधि सेवा पुरस्कार	**2.54**	2.66
– सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ	**852.47**	598.99
– सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता	**0.23**	0.31
योग	**3,056.54**	880.44

टिप्पण सं. 2.8क

व्यापार संदेय एजिंग अनुसूची

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार संदाय की सम्यक् तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया #					31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार संदाय की सम्यक् तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया #				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	**योग**	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
एमएसएमई	4,513.88	–	–	–	4,513.88	2,509.24	–	–	–	2,509.24
अन्य	23,928.50	1,564.08	315.96	4,954.12	30,762.66	17,334.17	209.71	2,085.61	4,259.01	23,888.50
विवादास्पद देय – एमएसएमइ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
विवादास्पद देय–अन्य	–	–	5.15	1,130.69	1,135.85	–	–	5.15	1,048.94	1,054.09
योग	**28,442.38**	**1,564.08**	**321.12**	**6,084.81**	**36,412.39**	19,843.41	209.71	2,090.76	5,307.95	27,451.83

ऐसी सूचना वहां दी जाएगी जहां संदाय के लिए कोई नियत तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की गई है उस दशा में प्रकटन संव्यवहार की तारीख से होगा।उन देयों का प्रकटन अलग से किया जाएगा जिनका बिल नहीं बनाया गया है।

टिप्पण सं. 2.9 (i)

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर विवरण

(रकम लाख रुपए में)

विवरण	समग्र खंड					अवक्षयण / अपाकरण					शुद्ध ब्लाक	
	अति शेष	वर्धन	समायोजन	विक्रय / बट्टे खाते में डाला गया	योग	अति शेष	वर्ष के लिए	समायोजन	विक्रय / बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर												
फ्री होल्ड भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पट्टा धृत भूमि#	16.16	–	–	–	**16.16**	4.10	0.15	–	–	**4.25**	**11.91**	12.06
फ्री होल्ड भवन	46.87	–	–	–	**46.87**	33.26	1.09	–	–	**34.35**	**12.52**	13.61
पट्टा धृत भवन*	645.25	15.26	–	–	**660.51**	306.79	13.33	–	–	**320.12**	**340.39**	338.46
कम्प्यूटर और उपस्कर	438.84	4.38	–	12.67	**430.55**	373.57	23.61	–	10.99	**386.19**	**44.36**	65.27
कार्यालयीन और अन्य उपस्कर	273.03	10.82	–	19.23	**264.62**	233.64	10.84	–	18.87	**225.61**	**39.01**	39.39
संनिर्माण उपस्कर	603.53	–	–	352.44	**251.09**	527.79	15.25	–	334.82	**208.22**	**42.87**	75.74
फर्नीचर एवं सज्जा	270.79	0.73	–	11.95	**259.57**	211.75	11.43	–	11.51	**211.67**	**47.90**	59.04
वाहन	36.02	–	–	–	**36.02**	34.23	–	–	–	**34.23**	**1.79**	1.79
योग	**2,330.49**	**31.19**	–	**396.29**	**1,965.39**	**1,725.13**	**75.70**	–	**376.20**	**1,424.63**	**540.78**	605.36
पूर्व वर्ष	2,337.07	33.66	0.50	39.73	2,330.49	1,676.13	83.70	0.07	34.68	1,725.13	605.36	

राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं विकास एवं निवेश निगम (रीको) और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) के बीच पट्टा करार (1998) के अनुसार, केंद्रीय कार्यशाला और उपस्कर भंडार की स्थापना करने के लिए ईपीआईएल को 99 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई थी।

*स्थायी आस्तियां में सम्मिलित स्कोप परिसर, नई दिल्ली में भवन के संबंध में कनवेंस विलेख में 374.42 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 374.42 लाख रुपए) की लागत पर कंपनी के नाम से निष्पादन के लिए लंबित हैं।

टिप्पण सं. 2.9 (ii)

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियाँ

(रकम लाख रुपए में)

विवरण	समग्र खंड					अवक्षयण/अपाकरण					शुद्ध ब्लाक	
	अति शेष	वर्धन	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	अति शेष	वर्ष के लिए	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
अमूर्त आस्तियां												
सॉफ्टवेयर (अर्जित)	336.79	0.35	–	–	337.14	286.04	28.99		–	**315.03**	**22.11**	50.75
योग	**336.79**	**0.35**	–	–	337.14	286.04	**28.99**	–	–	**315.03**	**22.11**	50.75
पूर्व वर्ष	326.44	10.36	–	–	336.79	258.24	27.81	–	–	286.04	50.75	

टिप्पण सं. 2.9(iii)

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियाँ

(रकम लाख रुपए में)

विवरण	समग्र खंड					अवक्षयण/अपाकरण					शुद्ध ब्लाक	
	अति शेष	वर्धन	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	अति शेष	वर्ष के लिए	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
अमूर्त आस्तियां (निर्माणाधीन)												
सॉफ्टवेयर (निर्माणाधीन)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पूर्व वर्ष	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
चालू वर्ष का कुल योग	**2,667.28**	**31.54**	–	**396.29**	2,302.53	2,011.17	**104.69**	–	**376.20**	**1,739.66**	**562.89**	
पूर्व वर्ष का कुल योग	**2,663.51**	**44.02**	**0.50**	**39.73**	2,667.28	1,934.37	**111.51**	**0.07**	**34.68**	**2,011.17**	**656.11**	

* टिप्पण सं. 2.52 पर अतिरिक्त विनियामक सूचना देखें जिसमें अनुसूची ײַ में संशोधनों से संबंधित दिनांक 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार विकास एंजिंग के अधीन अर्मूत आस्तियाँ सम्मिलित हैं।

टिप्पण सं. 2.10

(रकम लाख रुपए में)

आस्थगित कर आस्तियां (निवल)*	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	**(56.11)**	(56.11)
संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	**1,055.84**	1,055.84
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान (एएस–15)	**374.11**	374.11
अन्य अननुज्ञात	**77.98**	77.98
योग	**1,451.82**	1,451.82

* डीटीए की संगणना करने के लिए अनुप्रयुक्त कर दर 25.168 प्रतिशत है (आय कर 22 प्रतिशत, अधिभार 10 प्रतिशत, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत है।

* टिप्पण संख्या 2.37 (ख) देखें।

टिप्पण सं. 2.11

(रकम लाख रुपए में)

दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	
(अप्रत्याभूत, अच्छा माना गया जब तक कि अन्यथा कथित नहीं है)				
संकर्म के लिए अग्रिमः				
– बैंक गारंटी के सापेक्ष लिया गया संग्रहण अग्रिम	**1,079.20**		2,652.27	
– सामग्री के सापेक्ष प्रत्याभूत	**173.21**		171.86	
– अन्य अग्रिम	**2,240.76**		2,249.67	
अन्य अग्रिम जिन्हें संदेहस्पद माना गया	**622.65**		656.63	
	4,115.82		5,730.43	
घटाएंः संदेहास्पद और अशोध्य अग्रिम के लिए मोक	**(1,113.95)**	**3,001.87**	(653.47)	5,076.96
कर्मचारीवृंद उधार एवं अग्रिम		**26.25**		4.14
वसूली योग्य अग्रिम कर/टीडीएस	–		–	
घटाएंः आयकर के लिए प्रावधान	–	–	–	–
अग्रिम कर (विदेशी)		–		–
एमएटी क्रेडिट		–		–
अप्रत्यक्ष कर (वसूलीयोग्य, इनपुट कर क्रेडिट, अग्रिम)		**2,733.05**		2,724.35
योग		**5,761.17**		7,805.45

टिप्पण 2.12

(रकम लाख रुपए में)

अन्य गैर–चालू आस्तियां	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	
व्यापार प्राप्य*				
प्रत्याभूत अच्छा माना गया	.		.	
अप्रत्याभूत अच्छा माना गया	4,559.06		5,319.82	
संदेहास्पद माना गया	970.98		813.13	
	5,530.04		6,132.95	
घटाएं: अशोध्य एवं संदेहस्पद वसूलियों के लिए मोक	(796.84)	4,733.20	(638.99)	5,493.96
प्रतिभूति जमा एवं प्रतिधारण धन	12,436.88		12,979.53	
संदेहस्पद माना गया	1,249.07		880.22	
	13,685.95		13,859.75	
घटाएं: अशोध्य एवं संदेहस्पद वसूलियों के लिए मोक	(1,249.07)	12,436.88	(880.22)	12,979.53
अन्य आस्तियां				
सावधि जमा #		102.81		96.09
ग्राहकों, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूली योग्य$	30,905.45		29,711.56	
संदेहस्पद माना गया	3,033.66		2,022.48	
	33,939.11		31,734.04	
घटाएं: अशोध्य एवं संदेहास्पद वसूली योग्य के लिए मोक	(3,033.65)	30,905.46	(2,022.48)	29,711.56
योग		48,178.35		48,281.14

**अनुसूची III में संशोधनों से सबंधित दिनांक 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार व्यापार प्राप्य एंजिंग अनुसूची के लिए टिप्पण सं. 2.15क देखें।

दिनांक 31.0.3.2025 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने 102.81 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 96.09 लाख रुपए) की सावधि जमा ग्राहकों/अन्य के पास धरोहर राशि जमा/प्रतिभूति जमा जो ग्राहक द्वारा दिया गया था को सावधि जमा में रखा है जो विवाद के अधीन है यह मामला विचाराधीन है।

$ इसमें ग्राहक (पीडब्ल्यूडी–रीवा एमपी) से वसूली योग्य राशि के रूप में 3.08 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 3.08 लाख रुपये) सम्मिलित है जो आज की तारीख को न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

टिप्पण सं. 2.13

(रकम लाख रुपए में)

चालू निवेश	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
असूचीबद्ध निवेश	–	–
घटाएं: निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	–	–
योग	–	–

टिप्पण सं. 2.14

(रकम लाख रुपए में)

मालसूचियां	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
सामग्रियां : (लागत से निम्न या एनआरवी)		
–इस्पात	**94.25**	223.32
–सीमेंट	–	–
–पाइप तथा अन्य	**66.67**	50.71
योग	**160.92**	274.03

टिप्पण सं. 2.15

(रकम लाख रुपए में)

व्यापार वसूलनीय	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
व्याापार प्राप्य*		
प्रव्याभूत जो अच्छा समझा गया	–	–
अप्रत्य भूत जो अच्छा समझा गया	**24,502.47**	13,835.10
संदेहास्पद समझा गया	–	–
	24,502.47	13,835.10
घटाएं: अशोध्य एवं संदेहास्पद वसूलनीय के लिए मोक	–	–
योग	**24,502.47**	13,835.10

* अनुसूची III में संशोधनों से सबंधित दिनांक 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार व्यापार प्राप्य एंजिंग अनुसूची के लिए टिप्पण सं. 2.15क देखें।

टिप्पण सं. 2.15क

व्यापार प्राप्य एंजिंग अनुसूची

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार						31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार					
	संदाय की सम्यक् तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया #						संदाय की सम्यक् तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया #					
	6 मास से कम	6 मास – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग	6 मास से कम	6 मास –	1–2 वर्ष 1 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) अविवादास्पद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	17,332.47	4,689.18	650.42	94.38	4,425.34	27,191.79	9,139.54	37.00	3,036.87	0.02	4,057.03	16,270.47
(ii) अविवादास्पद व्यापार प्राप्य – संदेहास्पद माना गया	.	.	.	.	399.68	399.68	.	.	.	.	292.99	292.99
(iii) विवादास्पद व्यापार प्राप्य– अच्छा माना	.	.	.	.	1,920.88	1,920.88	.	.	.	.	2,884.45	2,884.45
(iv) विवादास्पद व्यापार प्राप्य– संदेहस्पद माना गया	.	.	.	.	520.14	520.14	.	.	.	.	520.14	520.14
योग	**17,332.47**	**4,689.18**	**650.42**	**94.38**	**7,266.05**	**30,032.49**	**9,139.54**	**37.00**	**3,036.87**	**0.02**	**7,754.62**	**19,968.05**

ऐसी सूचना वहां दी जाएगी जहां संदाय के लिए कोई नियत तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की गई है उस दशा में प्रकटन संव्यवहार की तारीख से होगा। उन देयों का प्रकटन अलग से किया जाएगा जिनका बिल नहीं बनाया गया है।

टिप्पण सं. 2.16 (i)

(रकम लाख रुपए में)

नकद और नकद के समतुल्य	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	
नकद और नकद के समतुल्य				
बैंक में शेष				
–चालू खाते में*	39,927.26		27,461.71	
–नियम जमा (3 माह की परिपक्वता तक)**	15,768.12	**55,695.38**	26,576.09	54,037.80
हाथ में नकद		–		–
योग		**55,695.38**		54,037.80

टिप्पण सं. 2.16 (ii)

(रकम लाख रुपए में)

अन्य बैंक शेष	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
नियत जमा#** (3 मास से अधिक परिपक्वता के साथ किंतु 12 माह से कम)	**2,899.18**	5,337.03
योग	**2,899.18**	5,337.03

*चालू खाते में उपरोक्त 39693.27 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 26342.47 लाख रुपए) ग्राहक के निमित्त से जमा के रूप में रखे गए हैं।

**सावधि जमा में शेष में से 18079.15 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 31079.05 लाख रुपए) ग्राहक के निमित्त जमा के रूप में रखे गए हैं।

दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने 385.92 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 367.85 लाख रुपये) की सावधि जमाओं की धनराशि ग्राहकों/अन्य के पास/धरोहर राशि जमा/प्रतिभूति जमा/बिक्री कर विभाग के रूप गिरवी रखा है।

टिप्पण सं. 2.17

(रकम लाख रुपए में)

लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	
(अप्रत्याभूत, अच्छा माना गया जब तक कि अन्यथा कथित नहीं है)				
संकर्म के लिए अग्रिमः				
– बैंक गारंटी के सापेक्ष लिया गया संग्रहण अग्रिम	**1,489.29**		450.87	
– सामग्री के सापेक्ष प्रत्याभूत	**1,122.97**		243.47	
– अन्य अग्रिम	**1,449.00**	**4,061.26**	966.23	1,660.57
अग्रिम कर/वसूली योग्य टीडीएस	**3,358.91**		3,407.48	
घटाएंः अन्य व्ययों के लिए प्रावधान	**(6.00)**	**3,352.91**	–	3,407.48
अप्रत्यक्ष कर (वसूली योग्य, इनपुट कर क्रेडिट, अग्रिम)		**11,642.00**		6,897.45
कर्मचारीवृंद ऋण एवं अग्रिम		**16.72**		46.78
प्राप्य प्रतिभूति, प्रतिधारण एवं धरोहर धन		**6,209.22**		7,003.91
योग		**25,282.11**		19,016.19

टिप्पण सं. 2.18

(रकम लाख रुपए में)

अन्य चालू आस्तियां	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
बैंक जमा पर उपचित ब्याज किंतु देय नहीं	**50.75**	217.24
पूर्व संदत्त व्यय	**185.30**	105.11
ग्राहकों, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूली योग्य*	**18,835.82**	19,752.49
राजस्व जिसका बिल नहीं बनाया गया है#	**31,220.96**	42,079.72
योग	**50,292.83**	62,154.56

*इस राशि में विदेश मंत्रालय द्वारा बैंक गारंटी के अवलंबन के प्रति खविदेशी मुद्रा प्रभाव लाभ/(हानि) को छोड़कर, जिसे ईपीआईएल द्वारा म्यांमार परियोजना में निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत किया गया था, 7,590 लाख रुपये (पहत्तर करोड़ नब्बे लाख रुपये मात्र) की राशि सम्मिलित है।

#राशि जिनका ग्राहक के प्रति बिल बनाया गया है'' पर प्रगति में कार्य की अधिकता को ''अन्य चालू आस्तियां'' मद के अधीन ''आय जिनका बिल नहीं बनाया गया है'' के रूप में दर्शाया गया है, दूसरी ओर, ''कार्य प्रगति में'' में ''राशि जिनका ग्राहक के प्रति बिल बनाया गया है'' की अधिक्य को ''अन्य चालू दायित्व'' मद के अधीन ''संकर्म के लिए अग्रिम आय'' के रूप में दर्शाया गया है (टिप्पण संख्या 2.7 भी देखें)।

टिप्पण सं. 2.19

(रकम लाख रुपए में)

प्रचालनों से राजस्व	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
किए गए कार्य का मूल्य	**142,613.01**	84,304.57
अन्य प्रचालन आय	**1,911.91**	92.33
योग	**144,524.92**	84,396.90

*टिप्पण संख्या 2.53(ख) देखें।

टिप्पण सं. 2.20

(रकम लाख रुपए में)

अन्य आय	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	
निम्नलिखित से अर्जित ब्याज आय:				
बैंक में जमा	**1,363.90**		220.57	
घटाएं: जमा खातों पर ग्राहक को अंतरित ब्याज	**(1,282.47)**		(165.18)	
बैंक से निवल ब्याज	81.43		55.39	
कर्मचारीवृंद अग्रिम	**0.28**		1.50	
अन्य (उप–ठेकेदारों/ग्राहक/आयकर प्रतिदाय)	**702.52**	**784.23**	215.62	272.51
अन्य गैर–प्रचालन आय:				
खर्च न किया गया दायित्व/बट्टे खाते में डाला गया शेष	**542.76**		303.85	
प्राप्त दावे	**98.01**		–	
प्रकीर्ण आय	**960.34**		650.29	
विदेशी मुद्रा विनिमय में फेरफार से लाभ	**212.31**		78.84	
एएस–7 के अनुसार संभावित हानि के लिए प्रावधान को वापस करना	–	**1,813.42**	–	1,032.98
योग		**2,597.65**		1,305.49

टिप्पण सं. 2.21

(रकम लाख रुपए में)

प्रचालन व्यय	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
सिविल, मैकेनिकल और वैद्युत कार्य*	**128,431.95**	79,237.04
डिजाइन और सलाहकारी प्रभार	**3,245.97**	833.01
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	**200.71**	175.33
एएस–7 के अनुसार संभावित हानि के लिए प्रावधान	**1,910.04**	;3.44द्व
संदत्त दावे	**389.96**	–
स्वामिस्व	–	–
योग	**134,178.63**	80,241.94

*टिप्पण संख्या 2.53(ख) देखें।

टिप्पण सं. 2.22

(रकम लाख रुपए में)

कर्मचारी पारिश्रमिक फायदे	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
वेतन और भत्ते	**4,611.76**	4,758.15
भविष्य निधि एवं उपदान निधियों में अंशदान	**572.98**	563.82
कर्मचारी कल्याण व्यय' '	**1,094.74**	1,181.79
योग	**6,279.48**	6,503.76

*इसके अंतर्गत चिकित्सा व्यय, छुट्टी नकदीकरण दीर्घावधि सेवा पुरस्कार और अन्य कर्मचारी कल्याण व्यय सम्मिलित है।

टिप्पण संख्या 2.23

(रकम लाख रुपए में)

वित्तीय लागत	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
निम्नलिखित को संदत्त ब्याजः		
– बैंक	**522.22**	240.96
– अन्य	**492.25**	544.55
योग	**1,014.47**	785.51

टिप्पण सं. 2.24

(रकम लाख रुपए में)

अन्य व्यय	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**43.63**	55.73
वेतन एवं भत्ते – आउटसोर्स कर्मचारीगण	**1,177.72**	1,162.73
उपहार एवं दान	–	–
दर और कर	**42.44**	277.55
डाक व्यय और दूरसंचार	**90.47**	90.55
मरम्मत एवं अनुरक्षण		
कार्यालय	**289.54**	328.46
भवन	**14.45**	10.95
अन्य स्थायी आस्तियां	–	0.63
कम्प्यूटर व्यय	**59.16**	61.36
जल, विद्युत एवं ईंधन प्रभार	**128.15**	125.09
निविदा व्यय	**6.51**	6.25
विज्ञापन एवं प्रचार	**8.03**	10.78
विधिक और व्यावसायिक प्रभार	**745.37**	542.56
संविदा पर परामर्श	–	–
बीमा	**16.13**	26.03
मनोरंजन	**9.22**	11.26
बैंक प्रभार	**94.62**	57.94
वाहन चालन एवं अनुरक्षण	**23.08**	23.26
जनशक्ति विकास	**2.47**	5.07
स्थायी आस्तियों की बिक्री पर हानि	–	–
प्रायोजक्ता फीस	**0.71**	0.55
यात्रा एवं अन्य संबद्ध व्यय (घरेलू)	**333.25**	479.87
यात्रा एवं अन्य संबद्ध व्यय (विदेश)	**23.54**	10.27
सीएसआर एवं संधारणीयता	–	–
अनुसंधान एवं विकास	–	–
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक @	**20.29**	18.83
कारबार संवर्धन	**14.87**	10.35
कार्यालय का किराया	**155.88**	210.73
सदस्यता एवं अभिदान फीस	**1.66**	1.74
फाइलिंग एवं पंजीकरण फीस	**16.15**	5.16
संदेहास्पद कर्ज, ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य के लिए प्रावधान*	**2,151.26**	940.90
संदेहास्पद वसूली के लिए बट्टे खाते में डाली गई राशि	**0.09**	2.13
विदेशी मुद्रा विनियम में फेरफार (लाभ)/हानि	–	–
प्रकीर्ण व्यय	**42.26**	40.70
योग	**5,510.95**	4,517.43

* टिप्पण संख्या 2.26 देखें।

@लेखा परीक्षकों की संदाय के ब्यौरे:

(रकम लाख रुपए में)

लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
लेखापरीक्षा फीस #	**16.49**	15.52
कर लेखापरीक्षा #	**3.26**	3.26
अन्य सेवाएं (प्रमाणन फीस)	**0.05**	0.05
अन्य व्यय	**0.49**	–
योग	**20.29**	18.83

लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक बिना जीएसटी के अभिलिखित है।

टिप्पण सं. 2.25

(रकम लाख रुपए में)

पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
आय	–	–
प्रचालन आय	–	–
अन्य आय	–	–
पूर्व अवधि आय का उप–योग (क)		
	–	–
घटाएं : व्यय		
प्रचालन व्यय	–	–
कर्मचारी पारिश्रमिक और फायदे	–	–
अवक्षयण	–	–
अन्य वित्तीय लागत	**12.31**	47.95
पूर्व अवधि व्यय का उप–योग (ख)	**12.31**	47.95
पूर्व अवधि व्यय का योग (निवल) (ख–क)	**12.31**	47.95

टिप्पण सं. 2.26

(रकम लाख रुपए में)

आकस्मिक दायित्व कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में दावा नहीं किया:		31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
1	**विधिक और मध्यस्थ के संबंध में:**		
क	अधिनिर्णयन के लिए लंबित दावे, उसके लिए धनराशि तब ली गई है जब युक्तियुक्त रूप से उसका पता लगाया जा सके''	85,484.63	1,01,952.49
ख	उन मामलों के संबंध में जहां पंचाट कंपनी के पक्ष में प्रकाशित किया गया है किन्तु प्रतिपक्ष ने अपील कर दी है'	15,052.46	14,517.49
	उप योग (1)	**1,00,537.10**	**1,16,469.98**
2	विवाद/अपीलों के अधीन कर निर्धारणों के संबंध में आय–कर/बिक्री कर/संकर्म संविदा कर/सेवा कर की मांग के संबंध में	4,509.39	4,091.21
3	ग्राहक के निमित्त जारी की गई प्रतिभूतियों के संबंध में	–	–
	कुल योग (1+2+3)	**1,05,046.48**	**1,20,561.18**

* पूर्वोक्त के विरुद्ध कंपनी के प्रतिस्थानी दावे हैं

ii) **प्रावधानों के ब्यौरे:**

(राशि लाख रुपये में)

विशिष्टियां	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	वर्ष के दौरान संदत्त/समायोजन	बट्टे खाते में डाले गए प्रावधान	अंत शेष
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)= (ii+iii-iv-v)
परियोजना आकस्मिकताएं'	4,195.16	2,151.35	–	153.00	**6,193.51**
कर्मचारी हितलाभ	4,344.01	1,028.90	506.02	–	**4,866.88**
वेतन पुनरीक्षण (तीसरा पीआरसी)	474.93	–	–	–	**474.93**
योग	**9,014.10**	**3,180.24**	**506.02**	**153.00**	**11,535.32**
पूर्व वर्ष	7,366.03	2,060.22	419.80	(7.65)	**9,014.10**

*परियोजना आधार पर प्राप्य धनराशि के लिए किया गया प्रावधान (संदेय का निवल)

टिप्पण सं. 2.27

ईआरपी के कार्यान्वयन के लेखे अमूर्त आस्तियों के विकास के लिए निष्पादित शेष संविदाओं की आकलित धनराशि शून्य रुपए (पूर्व वर्ष शून्य रुपए) है।

टिप्पण सं. 2.28

विदेशी मुद्रा में व्यय :

(रकम लाख रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	31.03.25 को समाप्त वर्ष	31.03.24 को समाप्त वर्ष
1	प्रचालन व्यय	**2,855.30**	2,068.23
2	व्यावसायिक एवं परामर्शी सेवा प्रभार	**461.53**	248.61
3	विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से हानि	**0.02**	7.21
4	स्थायी आस्तियों का क्रय	–	–
5	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय:	–	–
	क यात्रा	**35.06**	27.25
	ख निविदा व्यय	–	–
	ग अन्य	**116.61**	298.14
	योग	**3,468.52**	2,649.44

विदेशी मुद्रा में अर्जन:

(रकम लाख रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	31.03.25 को समाप्त वर्ष	31.03.24 को समाप्त वर्ष
1	संकर्म प्राप्तियां	**327.92**	2,339.51
2	ब्याज से आय	**7.28**	9.66
3	विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से लाभ	**212.33**	86.03
4	अन्य	**0.42**	6.84
	योग	**547.95**	2,442.04

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान ओमान से प्रेषित विदेशी मुद्रा 990.91 रुपए जो 11.59 लाख अमरीकी डॉलर के समतुल्य है (पूर्व वर्ष शून्य रूपए जो 247.70 लाख 3.00 लाख अमरीकी डॉलर के समतुल्य है)।

टिप्पण 2.29

क) कंपनी ने बिना किसी प्रतिभूति के विभिन्न बैंकों से स्वीकृत सीमा 1,02,999.00 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 70,161.52 लाख रुपये) के सापेक्ष 66,372.24 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 55,528.82 लाख रुपये) की गैर–निधि आधारित क्रेडिट सीमा का उपयोग किया है। उक्त निधि आधारित सीमां पर ब्याज दर "1 वर्ष एमसीएलआर. 20 आधार अंक" प्रति वर्ष है।

ख) ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा 4,554.00 करोड रुपए के लिए प्रदान की गई बैंक गारंटी के बदले में ईपीआईएल ने दिनांक 1,906.64 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त की है और शेष को ओमान में किए गए कार्य के सापेक्ष प्राप्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने दिनांक 09 फरवरी, 2022 के अपने पत्र द्वारा पूरी संविदा (म्यांमार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.20 तक पलेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशनों के अनुसार दो लेन सड़क के निर्माण की परियोजना) को कार्य निष्पादन न होना बताते हुए समाप्त कर दिया और तदुपरांत 75.90 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी (ईपीआई का हिस्सा – 30.36 करोड़ रुपये और सी एंड सी का हिस्सा – 45.54 करोड़ रुपये) जब्त कर ली। इसके परिणामस्वरूप, ईपीआई ने दिनांक 11 फरवरी, 2022 के अपने पत्र द्वारा अपने

उप–कांट्रेक्टर मैसर्स आरके–आरपीपी जेवी (प्रदान किया गया मूल्य 414 करोड रुपये) की संविदा समाप्त कर दी और 20.70 करोड़ रुपये (414 करोड़ रुपये का 5 प्रतिशत) कार्य निष्पादन न होने पर देय के सापेक्ष उसकी बैंक गारंटी जब्त कर ली।

इसके अतिरिक्त मैसर्स ईपीआई–सीएंडसी जेवी ने संयुक्त रूप से विदेश मंत्रालय (ग्राहक) और इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड को दिनांक 20.02.2024 को 75.90 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी की धनराशि (ईपीआई हिस्सा – 30. 36 करोड़ रुपये और सीएंडसी हिस्सा – 45.54 करोड़ रुपये) के लिए अपील दायर की है। इस प्रकार 75.90 करोड़ रुपये का दावा ग्राहक से वसूली योग्य राशि के रूप में दर्शाया गया है। तथापि सी एंड सी लिक्विडेटर से प्राप्त सूचना के अनुसार, परिसमापन की वर्तमान प्रास्थिति इस प्रकार हैः यह ज्ञात हुआ है कि सी एंड सी कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड को 27/06/2024 को तवस्य एसएसएफ को बेच दिया गया है। सी एंड सी द्वारा तवस्य एसएसएफ को बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया गया है। तवस्य का आवेदन एनसीएलटी में लंबित है। तवस्य एसएसएफ ने एनसीएलटी, दिल्ली के समक्ष आवेदन दायर किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह आग्रह किया गया है कि: (i) सी एंड सी कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड के निमित्त किसी भी पक्षकार के साथ कोई देय का दावा किया जाए, और (ii) यह कि वे सी एंड सी कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड के निदेशकों की किसी भी प्रतिबद्धता से बाध्य नहीं होंगे। एनसीएलटी में अगली तारीख 21.05.2025 थी, जिसे 11.07.2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। परिसमापक ने अपने ईमेल दिनांक 04.05.2025 द्वारा बताया है कि आस्तियों का वितरण आईबीसी के अनुसार होगा और ईपीआई देयों पर वाटरफॉल तंत्र के अनुसार विचार किया जाएगा।

मामले के निपटारे और निधि की वसूली के लिए 128.45 करोड़ रुपये के दावे के संबंध में ग्राहक के साथ पत्र ईपीआई/सीओ/म्यांमार/776/001 दिनांक 11.03.2025 द्वारा पत्राचार किया गया है।

टिप्पण सं. 2.30

लेखांकन मानक 17 के अनुसार प्रकटन

कंपनी ने दो प्रारंभिक खंडों की पहचान की है अर्थात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। तदनुसार, खंड सूचना नीचे दिए अनुसार हैः

प्रारंभिक खंड सूचना (भौगोलिक)

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	चालू वर्ष (2024–25)				पूर्व वर्ष (2023–24)			
	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	अन–आबंटित	योग	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	अन–आबंटित	योग
कारोबार की किस्म		संनिर्माण				संनिर्माण		
प्रचालनों से राजस्व	1,44,144.80	327.92	52.20	1,44,524.92	82,057.39	2,339.51	0.00	84,396.90
अन्य आय	1,161.74	220.03	1,215.88	2,597.65	594.64	95.31	615.53	1,305.49
कुल आय	**1,45,306.54**	**547.95**	**1,268.08**	**1,47,122.57**	**82,652.03**	**2,434.82**	**615.54**	**85,702.39**
परिणाम								
कर पूर्व ब्याज, मूल्यह्रास और आय	4,350.81	(145.26)	(3,066.33)	1,139.22	(2,441.52)	(197.15)	(2,971.60)	(5,610.27)
ब्याज	323.58	.	690.89	1,014.47	227.63	.	557.88	785.51
मूल्यह्रास	32.82	2.92	68.95	104.69	41.33	3.44	66.74	111.51
कर पूर्व लाभ	3,994.41	(148.18)	(3,826.17)	20.06	(2,710.48)	(200.59)	(3,596.22)	(6,507.29)
करोपरांत लाभ	3,994.41	(148.18)	(3,826.17)	20.06	(2,710.48)	(200.59)	(3,224.87)	(6,135.94)
पूंजीगत व्यय(मूर्त और अमूर्त आस्तियों में परिवर्धन)	6.65	.	24.89	31.54	24.55	.	19.47	44.02
अन्य सूचना	**31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार**				31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार			
कुल आस्तियां	1,91,882.45	17,168.12	5,736.53	2,14,787.12	1,80,178.81	22,631.56	10,038.86	2,12,849.23
संपत्ति, संयत्र और उपस्कर एवं अमूर्त आस्तियां (रखाव धनराशि)	111.75	14.20	436.94	562.89	139.10	17.60	499.41	656.11
कुल दायित्व	**12,332.30**	**1,89,810.59**	**10,367.76**	**2,12,510.64**	**1,88,033.84**	**16,884.08**	**5,674.88**	**2,10,592.80**

टिप्पण सं. 2.31

लेखांकन मानक 7, 'संनिर्माण संविदाएं' की अपेक्षाओं के अनुसरण में प्रकटनः

(रकम लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
1	प्रचालनों से राजस्व	**1,44,524.92**	84,396.90
2	रिपोर्ट की तारीख तक उपगत संविदा लागत और गणना में लिया गया लाभ	**14,09,231.22**	12,80,970.95
3	प्राप्त अग्रिम	**67,510.38**	73,825.67
4	संविदा संकर्म के लिए ग्राहकों से शोध्य समग्र धनराशि – जिसे आस्ति के रूप में दर्शाया गया है (वह राजस्व जिसका बिल नहीं बनाया गया है)	**31,220.96**	42,079.72
5	संविदा संकर्म के लिए ग्राहकों को शोध्य समग्र धनराशि –जिसे देनदारी के रूप में दर्शाया गया है (संकर्म के लिए अग्रिम राजस्व)	**4,819.21**	7,665.55
6	प्राप्य प्रतिधारण धन	**14,171.02**	15,680.28

टिप्पण सं. 2.32

लेखांकन मानक 15 की अपेक्षाओं के अनुसरण में कर्मचारी फायदों का ब्यौरा

i) परिभाषित फायदा बाध्यता में परिवर्तन **(रकम लाख रुपए में)**

विशिष्टियां	वर्ष	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
		(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
छूट की दर	चालू वर्ष	6.70%	6.70%	6.70%	6.70%	6.70%
	पूर्व वर्ष	7.20%	7.20%	7.20%	7.20%	7.20%
प्रतिकर स्तरों में वृद्धि की दर/ प्रीमियम मुद्रास्फीति/यात्रा लागत		3.00%	3.00%	.	3.00%	3.00%
आस्तियों पर रिटर्न की संभावित दर	चालू वर्ष	6.70%	.	.	.	.
	पूर्व वर्ष	7.20%	.	.	.	.
सेवानिवृत्ति आयु'		60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष
मृत्यु सारणी		आईएएलएम (2012.14) अल्टीमेट	आईएएलएम (2012.14) अल्टीमेट	आईएएलएम (2012.14) अल्टीमेट	सेवानिवृत्ति पूर्वः आईएएलएम (2012.–14)अल्टीमेट सेवानिवृत्ति पश्चः एलआईसी (1996–98)अल्टीमेट	आईएएलएम (2012–14) अल्टीमेट
आयु*		कर्मचारी टर्नओवर (%)				
35 वर्ष तक		3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
36 से 45 वर्ष		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
46 से ऊपर		1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

*पूर्व वर्ष के समान

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	वर्ष	उपदान (वित्तपोषित)	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति (वित्तपोषित नहीं)	दीर्घ सेवा पुरस्कार (वित्तपोषित नहीं)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा (वित्तपोषित नहीं)	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता (वित्तपोषित नहीं)
वर्ष के प्रारंभ में प्रक्षेपित हितलाभ बाध्यता	चालू वर्ष	1,502.48	1,422.77	25.31	2,770.05	3.65
	पूर्व वर्ष	1,532.65	1,390.63	24.05	2,090.38	5.55
चालू सेवा लागत	चालू वर्ष	75.87	81.45	1.28	29.11	0.19
	पूर्व वर्ष	76.01	58.44	1.15	24.40	0.23
ब्याज लागत	चालू वर्ष	101.89	96.48	1.73	192.69	0.25
	पूर्व वर्ष	102.47	102.91	1.55	148.35	0.39
बीमांकिक (लाभ)/हानि	चालू वर्ष	32.64	292.20	9.57	204.78	(0.64)
	पूर्व वर्ष	35.34	148.03	5.90	506.92	(1.18)
अर्जन समायोजन	चालू वर्ष	.	.	.	.	.
	पूर्व वर्ष	5.75	7.65	.	.	.
संदत्त हितलाभ	चालू वर्ष	(211.13)	(377.10)	(5.99)	.	(0.70)
	पूर्व वर्ष	(249.74)	(284.89)	(7.35)	.	(1.35)
पूर्व सेवा लागत	चालू वर्ष	.	.	.	.	.
	पूर्व वर्ष	.	.	.	.	.
वर्ष के अंत में प्रक्षेपित हितलाभ बाध्यता	चालू वर्ष	1,501.75	1,515.80	31.90	3,196.64	2.75
	पूर्व वर्ष	1,502.48	1,422.77	25.31	2,770.05	3.65

ii) योजना आस्तियां के न्यायोचित मूल्य में परिवर्तन (उपदान)

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	**2024–25 (वित्तपोषित)**	2023–24 (वित्तपोषित)
अवधि के प्रारंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	**1,380.25**	1,406.43
योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न	**95.88**	95.98
वास्तविक अभिदाय	**122.24**	126.22
बीमांकिक लाभ/(हानि)	**(5.27)**	(4.40)
संदत्त हितलाभ	**(211.13)**	(249.74)
अर्जन समायोजन	**.**	5.75
अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	**1,381.96**	1,380.25

iii) तुलनपत्र में मान्यता दी गई

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	वर्ष	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
		(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
वर्ष के अंत में परिभाषित	चालू वर्ष	1,501.75	1,515.80	31.90	3,196.64	2.75
हितलाभ बाध्यता	पूर्व वर्ष	1,502.48	1,422.77	25.31	2,770.05	3.65
वर्ष के अंत में योजनागत	चालू वर्ष	1,381.96	.	.	.	.
आस्तियों का उचित मूल्य	पूर्व वर्ष	1,380.25	.	.	.	.
वित्तपोषित प्रास्थिति	चालू वर्ष	(119.79)	(1,515.80)	(31.90)	(3,196.64)	(2.75)
आस्ति/(दायित्व)	पूर्व वर्ष	(122.24)	(1,422.77)	(25.31)	(2,770.05)	(3.65)
तुलन पत्र में माना गया	चालू वर्ष	(119.79)	(1,515.80)	(31.90)	(3,196.64)	(2.75)
निवल (दायित्व)/आस्तियां	पूर्व वर्ष	(122.24)	(1,422.77)	(25.31)	(2,770.05)	(3.65)

iv) लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता दिए गए व्यय

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	वर्ष	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
		(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
चालू सेवा लागत	चालू वर्ष	75.87	81.45	1.28	29.11	0.19
	पूर्व वर्ष	76.01	58.44	1.15	24.40	0.23
ब्याज लागतचालू वर्ष	101.89	96.48	1.73	192.69	0.25	
	पूर्व वर्ष	102.47	102.91	1.55	148.35	0.39
योजनागत आस्तियों पर	चालू वर्ष	(95.88)	.	.	.	.
संभावित रिटर्न	पूर्व वर्ष	(95.98)	.	.	.	.
अवधि में माना गया निवल	चालू वर्ष	37.91	292.20	9.57	204.78	(0.64)
बीमांकिक (लाभ)/हानि	पूर्व वर्ष	39.74	148.03	5.90	506.92	(1.18)
पूर्व सेवा लागत	चालू वर्ष	.	.	.	.	.
	पूर्व वर्ष	.	.	.	.	.
लाभ और हानि लेखे में	चालू वर्ष	119.79	470.13	12.58	426.59	(0.19)
माना गया कुल व्यय	पूर्व वर्ष	122.24	309.37	8.60	679.66	(0.56)

(v) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–उपदान

(रकम लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	**31.03.2025**	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
क)	अवधि के अंत में योजनागत आस्ति	**1,501.75**	1,502.48	1,532.65	1,653.14	(1,671.42)
ख)	अवधि के अंत में योजनागत आस्ति	**1,381.96**	1,380.25	1,406.43	1,562.59	(1,412.92)
ग)	वित्त पोषित प्रस्थिति	**(119.79)**	(122.24)	(126.22)	(90.54)	(258.50)
घ)	योजनागत दायित्वों पर अनुभवजन्य समायोजन (हानि)/लाभ	**(119.79)**	(122.24)	(126.22)	(90.54)	(258.50)

(vi) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–नकदीकरण

(रकम लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	**31.03.2025**	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
क)	अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ बाध्यता	**1,515.80**	1,422.77	1,390.64	1,565.98	1,597.51
ख)	अवधि के अंत में योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	**.**	.	.	.	.
ग)	वित्त पोषित प्रस्थिति	**(1,515.80)**	(1,422.77)	(1,390.64)	(1,565.98)	(1,597.51)
घ)	तुलन पत्र में माना गया निवल (दायित्व)/आस्ति	**(1,515.80)**	(1,422.77)	(1,390.64)	(1,565.98)	(1,597.51)

(vii) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–दीर्घावधि सेवा पुरस्कार

(रकम लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	**31.03.2025**	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
क)	अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ बाध्यता	**31.90**	25.31	24.05	24.41	22.91
ख)	अवधि के अंत में योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	**.**	.	.	.	.
ग)	वित्त पोषण प्रस्थिति	**(31.90)**	(25.31)	(24.05)	(24.41)	(22.91)
घ)	तुलन पत्र में माना गया निवल (दायित्व)/आस्ति	**(31.90)**	(25.31)	(24.05)	(24.41)	(22.91)

(viii) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–सेवानिवृति पश्चात चिकित्सा लाभ

(रकम लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	**31.03.2025**	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
क)	अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ बाध्यता	**3,196.64**	2,770.05	2,090.38	1,975.22	1,895.80
ख)	अवधि के अंत में योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	**.**	.	.	.	.
ग)	वित्त पोषण प्रस्थिति	**(3,196.64)**	(2,770.05)	(2,090.38)	(1,975.22)	(1,895.80)
घ)	तुलन पत्र में माना गया निवल (दायित्व)/आस्ति	**(3,196.64)**	(2,770.05)	(2,090.38)	(1,975.22)	(1,895.80)

(ix) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–छुट्टी यात्रा रियायत

(रकम लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	**31.03.2025**	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
क)	अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ बाध्यता	**2.75**	3.65	5.55	4.16	4.32
ख)	अवधि के अंत में योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	**.**	.	.	.	.
ग)	वित्त पोषण प्रस्थिति	**(2.75)**	(3.65)	(5.55)	(4.16)	(4.32)
घ)	तुलन पत्र में माना गया निवल (दायित्व)/आस्ति	**(2.75)**	(3.65)	(5.55)	(4.16)	(4.32)

कंपनी एएस–15 के प्रावधानों के अनुसार उपदान, दीर्घावधिक प्रतिपूरित अनुपस्थिति, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ, दीर्घावधि सेवा पुरस्कार और बीमाकंन के आधार पर सेवानिवृत्ति के पश्चात एक बार यात्रा भत्ता का प्रावधान करती है।

टिप्पण सं. 2.33

संबंधित पक्षकार प्रकटन

कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक 18, ''संबंधित पक्षकार प्रकटन'' के अनुसार संबंधित पक्षकारों के नामों के साथ प्रबंधन द्वारा अभिज्ञात और प्रमाणित संव्यवहार की समग्र धनराशि और वर्ष के अंत में शेष निम्नानुसार है–

(i) भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 12–16/3/2022–टीएसडब्ल्यू, दिनांक 06.03.2024 द्वारा श्री शिवेन्द्र नाथ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (ईपीआई) को निदेशक (परियोजना), ईपीआईएल के रूप में दिनांक 20.11.2023 से छह मास की अवधि के लिए या अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अतिरिक्त प्रभार सौंपा। आगे, दिनांक 05.04.2024 को श्री सुनील दहिया के निदेशक, परियोजना (ईपीआई) के रूप में कार्यभार ग्रहण

करने के उपरांत श्री शिवेन्द्र नाथ का कार्यकाल दिनांक 04.04.2024 को पूर्ण हो गया।

(ii) भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 8–08(1)/2020–पीई–VIII/सीपीएसई–III(ई–21792), दिनांक 02.11.2021 के परिणामस्वरूप दिनांक 01.011.2024 को दो स्वतंत्र निदेशकों श्री विनोद कुमार यादव (डीआईएनः 06375196) और श्रीमती आकांक्षा पारे (डीआईएनः 09394630) का कार्यकाल पूर्ण हुआ।

(iii) भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 8–08(1)/2020–पीई–VIII/सीपीएसइ–III(ई–21792), दिनांक 23.07.2024 द्वारा डॉ. रेणुका मिश्रा, आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआइईएल) में शासकीय नामनिर्देशिति निदेशक के रूप में सुश्री मुक्ता शेखर, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय के स्थान पर नियुक्त किया।

(iv) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक जिसके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार किया गया था:

- ➢ श्री शिवेन्द्र नाथ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (20.11.2023 से)
- ➢ श्री दिबेन्दु दास, निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ (11.07.2023 से)
- ➢ श्री सुनील दहिया, निदेशक (परियोजना) (05.04.2024 से)
- ➢ डॉ. रेणुका मिश्रा, अंशकालिक शासकीय निदेशक (शासकीय नामनिर्देशिति) (23.07.2024 से)
- ➢ सुश्री मुक्ता शेखर, अंशकालिक शासकीय निदेशक (शासकीय नामनिर्देशिति) (10.04.2023 से 23.07.2024 तक))
- ➢ 74. श्री राजेश कुमार, अंशकालिक शासकीय निदेशक (शासकीय नामनिर्देशिति) (01.11.2021 से)
- ➢ श्रीमती आकांक्षा पारे, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) (02.11.2021 से 01.11.2024 तक)
- ➢ श्री विनोद कुमार यादव, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) (02.11.2021 से 01.11.2024 तक)
- ➢ श्री अशोक शंकरराव मेंढे, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) (07.03.2023 से)
- ➢ श्री नितेश कुमार गोयल, कंपनी सचिव (17.07.2020 से)

(v) ईपीआईएल अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल) को ईपीआईएल की अनुषंगी कंपनी के रूप में 19.5.2016 को निगमित किया गया और अपनी स्थापना से ही कंपनी कामकाज नही कर रही थी। ईपीआईयूआइडीएल के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 361 के अधीन त्वरित परिसमापन की याचिका अनुमोदन के लिए लंबित थी एवं निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई करने के उपरांत इस विशय को अप्रैल, 2022 में प्रादेशिक निदेशक (उत्तर), कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष उठाया गया था। याचिका पर विचार करते समय, यह सूचित किया गया है कि दायर याचिका परिसमापन से संबंधित त्वरित प्रक्रिया के लिए उपयुक्त मामला नहीं है और याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन उपलब्ध अन्य कार्रवाई कर सकता है।

तदनुसार वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1)(क) के अधीन ईपीआईयूआईडीएल का नाम हटाने के लिए एक आवेदन महानिदेशक, कारपोरेट कार्य, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष 23.05.2022 को फाइल किया गया है। उस आवेदन के प्रत्युत्तर में, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ने ईपीआईयूआईडीएल को दिनांक 30.11.2022/07.12.2022 को कंपनी रजिस्टर (एसटीके–1) से कंपनी का नाम हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। इसके उपरांत ईपीआईयूआईडीएल की हड़ताल के मामले में आरओसी ने दिनांक 21.03.2023 को सुनवाई तय की। सुनवाई के उपरांत, आरओसी ने 21.04.2023 को एसकेटी–5 (कंपनी का नाम हटाने के लिए सार्वजनिक नोटिस) जारी किया और इसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया। आरओसी

ने आगे एसटीके–5क (सार्वजनिक सूचना) दिनांक 02.05.2023 को टाइम्स सिटी समाचार पत्र दिनांक 13.06.2023 में प्रकाशित किया गया। तदुपरांत, आरओसी ने दिनांक 20.07.2023 को एसटीके–7 (कंपनी का नाम हटाने और विघटन की सूचना) जारी की और दिनांक 29.07.2023 को शासकीय राजपत्र में इसे प्रकाशित किया। इसके पष्चात इस अनुषंगी कंपनी अर्थात् ईपीआईयूआईडीएल का नाम हटा दिया गया है और इसका विघटन कर दिया गया है। आज की तारीख में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट में कंपनी की प्रास्थिति ''बंद'' दर्शाई जा रही है।

अनुषंगी कंपनी के साथ संव्यवहारों का ब्यौरा

(राशि लाख रुपये में)

विशिष्टियां	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	प्रकृति
आरंभिक शेष (प्राप्य धनराशि) {क}	–	2.13	जमा
अनुषंगी कंपनी के निमित्त व्ययों की प्रतिपूर्ति {ख}	–	–	जमा
अनुषंगी कंपनी से प्राप्त धनराशि {ग}	–	2.13	जमा
अंतशेष (वसूली योग्य धनराशि) {घ} [घ = क+ख–ग]	–	.	जमा

vi) दिनांक 2 अगस्त, 2017 को ईपीआई–सीएंडसी "संयुक्त उद्यम" (अनिगमित), इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशनों के अनुसार म्यांमार के चिन राज्य में ईपीसी मोड में दो लेन की सड़क के निर्माण का कार्य प्लेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) 0.00 किलोमीटर से 109.20 किलोमीटर जिसमें सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का 60 प्रतिशत हित और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का 40 प्रतिशत हित है, विरचित किया गया। सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, संयुक्त उद्यम के अग्रणी भागीदार के रूप में कार्य करेगा। "ईपीआई– सीएंडसी संयुक्त उद्यम" को संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालन माना गया है।

विदेश मंत्रालय ने दिनांक 09 फरवरी, 2022 के अपने पत्र द्वारा पूरी संविदा (म्यांमार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.20 तक पलेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशनों के अनुसार दो लेन सड़क के निर्माण की परियोजना) को कार्य निष्पादन न होना बताते हुए समाप्त कर दिया। मैसर्स सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड म्यांमार के संयुक्त उद्यम ''ईपीआई – सी एंड सी जेवी (अनिगमित)'' में हम 60 प्रतिशत के स्टेक भागीदार है और हमारे ओमान प्रोजेक्ट में हमारा मुख्य कांट्रेक्टर वर्तमान में एनसीएलटी में दिवालिया कार्यवाही का सामना कर रहा है और यह मामला अग्रिम चरण में है। ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर परिणाम और इसके वित्तीय प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका है।

आगे, मैसर्स ईपीआई–सी एंड सी जेवी ने विदेश मंत्रालय (ग्राहक) और इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के समक्ष दिनांक 20.02.2024 को संयुक्त रूप से अपील दायर की है। इस प्रकार ग्राहक से वसूली योग्य राशि के रूप में 75.90 करोड़ का दावा दर्शाया गया है। तथापि, सी एंड सी परिसमापक से प्राप्त सूचना के अनुसार, परिसमापन की वर्तमान प्रास्थिति इस प्रकार है: यह ज्ञात है कि सी एंड सी कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड को 27/06/2024 को तवस्या एसएसएफ को बेच दिया गया है। सी एंड सी द्वारा तवस्य एसएसएफ को बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया गया था। तवस्य का आवेदन एनसीएलटी में लंबित है। तवस्य एसएसएफ ने एनसीएलटी, दिल्ली के समक्ष आवेदन दायर किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, प) सी एंड सी कन्स्ट्रशन्स लिमिटेड के निमित्त कोई पक्षकार से कोई देय का दावा करने और पप) सी एंड सी कन्स्ट्रशन्स लिमिटेड के निदेशकों की कोई प्रतिबद्धता से बाध्य न होने का आग्रह किया गया है। एनसीएलटी में अगली तारीख 21.05.2025 थी, जिसे 11.07.2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। परिसमापक ने अपने ईमेल दिनांक 04.05.2025 द्वारा सूचित

किया है कि आस्तियों का वितरण आईबीसी के अनुसार होगा और ईपीआई के देयों पर वाटरफॉल व्यवस्था के अनुसार विचार किया जाएगा।

आगे मामले के निपटारे और धनराशि की वसूली के लिए 128.45 करोड़ रुपये के दावे के लिए ग्राहक के साथ पत्र ईपीआई/सीओ/म्यांमार/776/001 दिनांक 11.03.2025 द्वारा पत्राचार किया गया है।

vii) भारतमाला परियोजना के अधीन ईपीसी मोड पर, गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर किमी 117.600 से किमी 185.000 तक मौजूदा चार लेन वाले जेतपुर–गोंडल–राजकोट सेक्षन को छह लेन में चौडीकरण से संबंधित 1204.80 करोड रुपये के कुल परियोजना मूल्य वाली परियोजना के लिए दिनांक 25 अगस्त 2023 को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और वराह इंफ्रा लिमिटेड जोधपुर के बीच एक संयुक्त उद्यम "ईपीआई–वराह जेवी" (अनिगमित) का गठन किया गया जिसमें संयुक्त उद्यम के प्रमुख भागीदार के रूप में कार्य करने वाले इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की भागीदारी 51 प्रतिशत और वराह इंडिया लिमिटेड के लिए 49 प्रतिशत की भागीदारी है।

viii) कारबार के सामान्य प्रक्रम में संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित संव्यवहार किए गए।

निदेशकों के पारिश्रमिक के ब्यौरे

(राशि लाख रुपये में)

विशिष्टियां	2024.25	2023.24
वेतन* (सेवानिवृत्ति पर संदत्त उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण)	137.12	103.11
मकान किराया/पट्टा किराया	–	–
चिकित्सा व्यय	0.50	0.35
बैठक फीस#	3.70	3.55

#केवल स्वतंत्र निदेशकों को ही बैठक फीस की अदायगी की गई है।

टिप्पण सं. 2.34

संनिर्माण सामग्री के स्टॉक के मात्रात्मक ब्यौरे इस प्रकार है:

विशिष्टियां	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
	मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (लाख रुपए में)	मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (लाख रुपए में)
सीमेंट	–	–	–	–
स्टील	299.80	160.92	483.84	274.03
स्टील पाइप	–	–	–	–

टिप्पण सं. 2.35

सीपीएसई विद्यमान समान विलय करते हुए रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया के संबंध में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ("सीसीईए") के सीसीईए ने 13 फरवरी 2019 को आयोजित अपनी बैठक में दिनांक 17 फरवरी 2016 के निर्णय को संशोधित किया जिसके अनुसार सभी पात्र सीपीएसई एवं निजी क्षेत्र की संस्थाएं विनिवेश की बोली प्रक्रिया में भाग ले सकती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी परिसंपत्ति मुद्रीकरण (दीपम विनिवेश योजना के अधीन) की कार्यकलाप के मानदंडों/प्रक्रियाओं का पालन कर रही है और इस संबंध में समय–समय पर जारी सभी नीतियों/दिशानिर्देशों/ढांचे आदि का पालन करती है।

टिप्पण सं. 2.36

(क) रुद्रपुर (उत्तराखंड) में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संनिर्माण के लिए ईपीआई को एक कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त करने के लिए आयुर्विज्ञान शिक्षा निदेशालय (उत्तराखंड सरकार) (डीएमई) और ईपीआई के बीच दिनांक 27.03.2021 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह परियोजना 27.08.2021 को मैसर्स जेआरए इंफ्राटेक को सौंपी गई थी। तथापि, फर्जी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कारण दिनांक 31.05.2022 को यह संविदाा समाप्त कर दी गई थी। इसके उपरांत, ईपीआई ने डीसीपी–ईओडब्ल्यू, नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई। 6.66 प्रतिशत के मामूली शुल्क के साथ पीएमसी के रूप में ईपीआई की सीमित भूमिका और कार्य निष्पादन के लिए पूर्णतया कांट्रेक्टर के जिम्मेदार होने के बावजूद, उत्तराखंड सरकार ने दिनांक 04.10.2022 को समझौता ज्ञापन रद्द कर दिया और परियोजना को किसी अन्य एजेंसी को सौंप दी। डीएमई द्वारा यथानिर्देशित, ईपीआई ने दो किश्तों में 1822.45 लाख रुपये और 166.29 लाख रुपये ब्याज सहित वापस कर दिए। डीएमई ने ब्याज सहित 3177.55 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की। इसके प्रत्युत्तर में, ईपीआई ने अतिरिक्त 317.80 लाख रुपये वापस कर दिए और उन्हें स्पष्ट भी कर दिया है कि शेष राशि कांट्रेक्टर से चल रही मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से वसूली के बाद वापस की जाएगी। तथापि ग्राहक ने संभावित ब्लैकलिस्टिंग की चेतावनी दी है, परंतु ईपीआई के आश्वासन और मामले की विधिक प्रास्थिति को देखते हुए, वसूली कार्यवाही अभी आरंभ नहीं की गई है। ईपीआई ने जेआरए इंफ्राटेक के विरुद्ध मध्यस्थता में 8853 लाख रुपये का प्रतिदावा दायर किया है। ईपीआई के अभिलेखानुसार, कांट्रेक्टर को 867.15 लाख रुपये संदेय हैं, और 102.89 लाख रुपये ग्राहक अग्रिम के रूप में दर्शाए गए हैं। चूँकि ईपीआई ने मध्यस्थता के परिणाम आने पर शेष राशि वापस करने का वचन पहले ही दे दिया है, इसलिए इस स्तर पर उक्त राशि का प्रावधान समुचित नहीं माना गया है।

(ख) उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई) के बीच दिनांक 27.09.2019 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें ईपीआई को भंडारी बाग, देहरादून में एक रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण हेतु कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया। इस परियोजना में छह महीने का संनिर्माण–पूर्व चरण और 24 महीने का निर्माण चरण सम्मिलित था, जिसमें ईपीआई का शुल्क कांट्रेक्टर की लागत का 6.66 प्रतिशत नियत किया गया था। ईपीआई ने समय पर अपेक्षित बैंक गारंटी प्रस्तुत की और संनिर्माण–पूर्व कार्यकलाप आरंभ करने के लिए प्रारंभिक धनराशि का अनुरोध कियाय तथापि, पीडब्ल्यूडी द्वारा धनराशि 17 महीने की देरी के पश्चात, फरवरी 2021 में जारी की गई। प्रारंभिक परियोजना समयरेखा मुख्य रूप से अन्य विभागों द्वारा अनुमानों को देर से प्रस्तुत करने, कोविड–19 महामारी और अन्य उपयोगिता स्थानांतरण विभाग की बाध्यताओं एवं आवश्यक डिजाइन संशोधनों के कारण डीपीआर अनुमोदन में देरी हुई। ईपीआई ने फरवरी 2021 में मुख्य कांट्रेक्टर नियुक्त किया। तथापि, परियोजना में देरी कई कारणों से हुई जो ईपीआई के नियंत्रण से बाहर थे, जैसे कि पीडब्ल्यूडी द्वारा धनराशि जारी करने में देरी, पीडब्ल्यूडी और रेलवे के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर में देरी, जिससे समय पर जीएडी और रेलवे की मंजूरियाँ प्रभावित हुईं, साथ ही अन्य विभागों द्वारा उपयोगिता स्थानांतरण में देरी और कांट्रेक्टर द्वारा धीमी प्रगति के कारण भी देरी हुई। पीडब्ल्यूडी ने धीमी प्रगति के कारण कई कारण बताओ नोटिस जारी किए, जो तदनुसार कांट्रेक्टर को दिए गए। जुलाई 2024 में, कांट्रेक्टर ने समय बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे दिसंबर 2024 में पीडब्ल्यूडी द्वारा आंशिक रूप से अनुमोदित किया गया था। फिर भी, निरंतर देरी का हवाला देते हुए, पीडब्ल्यूडी ने जुलाई 2024 में शेष कार्य को अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया और बाद में ईपीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप समझौता ज्ञापन को समाप्त कर दिया गया और दिसंबर 2024 में ईपीआई पर 431 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि शेष कार्य के लिए ग्राहक की अपनी निविदा प्रक्रिया में, उसी कांट्रेक्टर को एल–1 घोषित किया गया था। फिर भी, ईपीआई–पीडब्ल्यूडी संविदा की समाप्ति का कारण

उसी कांट्रेक्टर द्वारा किए जा रहे कार्य की धीमी प्रगति को बताया गया, जिससे इस निर्णय के पीछे के औचित्य पर वास्तविक चिंताएँ उत्पन्न होती हैं। इसके प्रत्युत्तर में, ईपीआई ने कांट्रेक्टर और सलाहकार के साथ संविदा समाप्त कर दी और संविदा के निबंधनों के अनुसार उन पर लागू अर्थदंड लगाया। धारा 19 के अधीन विवाद समाधान की कार्यवाही आरंभ हुई और एक विवाद समाधान समिति ने मामले की समीक्षा की, जिसके परिणामस्वरूप संशोधित अर्थदंड लगाया गया और ईपीआई से 582.81 लाख रुपये की अतिरिक्त वसूली की गई। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार ने मध्यस्थता का सहारा लेते हुए 968.79 लाख रुपये, 18 प्रतिशत ब्याज और जीएसटी का दावा किया है। ईपीआई का कहना है कि लगाया गया अर्थदंड अनुचित है और समझौता ज्ञापन के अनुरूप नहीं है। ईपीआई अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए मध्यस्थता के माध्यम से विधिक उपाय कर रही है।

टिप्पण सं. 2.37

क) प्रबंधन ने आकलन किया और पाया है कि स्थायी आस्तियों के मूल्य में हानि का कोई संकेत नहीं है। इस प्रकार 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार प्रावधान किया जाना अपेक्षित नहीं है।

ख) चालू वित्तीय वर्ष में, कंपनी ने लागू लेखांकन मानकों के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्तियों (डीटीए) की मान्यता का विवेकपूर्ण मूल्यांकन किया है। यद्यपि कंपनी ने पूर्व के उचित अनुमानों के आधार पर, पूर्व वर्षों माने गए डीटीए को अग्रेनीत करना जारी है, फिर भी उसने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई अतिरिक्त डीटीए सृजित नहीं किया है।

यह निर्णय कंपनी के रूढ़िवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है, क्योंकि इस स्तर पर भविष्य में कर योग्य लाभ की उपलब्धता के बारे में पर्याप्त आभासी निश्चितता का अभाव है, जिसके आधार पर अतिरिक्त डीटीए प्राप्त किया जा सके। प्रबंधन का मानना है कि यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण यथार्थवादी रहें और विवेकपूर्ण लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप हों।

यहां यह ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि पिछले वर्षों में माने गए मौजूदा डीटीए शेष को उलट नहीं दिया गया है, क्योंकि अंतर्निहित कर घाटा या समय के अंतर अभी भी विधिक रूप से वैध हैं और भविष्य के वर्षों में कारबार के कार्य निष्पादन में सुधार होने पर वसूल किए जा सकते हैं।

कंपनी अपनी दीर्घावधिक क्षमता को लेकर आश्वस्त है और स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। भविष्य में कर योग्य लाभ के संबंध में जब भी पर्याप्त ठोस सबूत सामने आएंगे, अतिरिक्त डीटीए की मान्यता पर उचित विचार किया जाएगा।

टिप्पण सं. 2.38

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसरण में, कोई कंपनी जो अनुप्रयोज्यता की अवसीमा को पूरा करती है, को निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। वर्ष के दौरान सीएसआर और स्थिरता के लिए कंपनी द्वारा खर्च की गई सकल राशि शून्य (पूर्व वर्ष शून्य रुपये) है।

अनुसूची III में संशोधनों के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 24.03.2021 के अधिसूचना के संदर्भ में, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के सापेक्ष अतिरिक्त विनियामक सूचना इस प्रकार है:

विशिष्टियां		टिप्पणियां
(क)	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित धनराशि	शून्य
(ख)	खर्च की गई धनराशि	शून्य
(ग)	वर्ष के अंत में कमी	शून्य
(घ)	पूववर्ती वर्षों की कमी का योग	शून्य
(ङ)	कमी के कारण	लागू नहीं
(च)	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों की प्रकृति	लागू नहीं
(छ)	संबंधित पक्षकार संव्यवहारों का विवरण उदाहरणार्थ सुसंगत लेखांकन मानक के अनुसार निगम सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित न्यास में अंशदान	लागू नहीं
(ज)	जहां किसी संविदात्मक बाध्यता में प्रविष्टि द्वारा उपगत किसी दायित्व के संबंध में कोई प्रावधान किया गया है, वर्ष के दौरान प्रावधान में की गई गतिविधियां अलग से दर्शायें	लागू नहीं

टिप्पण सं. 2.39

प्रति शेयर आधारिक और कम किए गए अर्जन की संगणना करोपरांत निवल हानि 20.06 लाख रुपए (पूर्व वर्ष करोपरांत निवल लाभ 6135.94 लाख रुपए) को 3,54,22,688 के 10/–रुपए प्रत्येक पूर्णतः संदत्त साम्या शेयरों को विभाजित करके की गई है। इसका विवरण इस प्रकार हैः

प्रति शेयर अर्जन	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
आधारिक	0.06	(17.32)
कम किया गया	0.06	(17.32)

टिप्पण सं. 2.40

19 मई, 2016 को ईपीआई की एक अनुषंगी कंपनी को "ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल)" के रूप 10 लाख रुपए की संदत्त पूंजी से निगमित किया गया था, जो ईपीआई द्वारा 51 प्रतिशत, मैसर्स भारत अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सोलापुर द्वारा 39 प्रतिशत और मैसर्स दाराशा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई (डीसीपीएल) द्वारा 10 प्रतिशत के साथ भूखंडों आदि के विकास के लिए बनी है।

अनुषंगी कंपनी अपने निगमन से ही प्रचालन नहीं कर रही है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव जिसके अंतर्गत पहले निदेशकों से मिलकर बनने वाला अंतरिम बोर्ड का अनुमोदन है, को सरकार से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था और इसी बीच सरकार ने डीपीआई के सामरिक अविनिधान के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी। क्योंकि सरकार ने अनुषंगी कंपनी की विरचना का समर्थन नहीं किया, ईपीआई ने ईपीआईयूआईडीएल के समापन के लिए स्वैच्छिक समापन/परीसमापन के लिए ईपीआईयूआईडीएल के शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त के अधीन रहते हुए मंजूरी दे दी और प्रशासनिक मंत्रालय ईपीआईयूआईडीएल को बंद करने के लिए सहमत हो गया। तथापि स्वैच्छिक परीसमापन के लिए 20.12.2017 को आयोजित ईपीआईयूआईडीएल की पहली वार्षिक साधारण बैठक में बीयूआईडीपीएल ने मंजूरी नहीं दी। ईपीआई के अपने शेयरों का अन्य दो शेयरधारकों को प्रस्ताव करने के पश्चातवर्ती प्रयास सफल नहीं हुए थे। ईपीआई के बोर्ड समापन/बाहर निकलने के लिए अन्य विकल्पों के लिए संबंधित प्राधिकारियों से मिलने का विनिश्चय किया। दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, ईपीआईयूआईडीएल के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की

धारा 361 के अधीन, त्वरित समापन की याचिका प्रादेशिक निदेशक के पास मंजूरी के लिए लंबित थी। तदनुरांत इस मामले को प्रादेशिक निदेशक (उत्तर), कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष उठाया गया। प्रादेशिक निदेशक (कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा) सूचित किया गया है कि फाइल की गई याचिका परिसमापन के लिए त्वरित प्रक्रिया के लिए उपयुक्त मामला नहीं है और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कार्रवाई करने के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध है। तदनुसार अधिनियम 2013 की धारा 248(1)(क) के अनुसरण में दिनांक 23.05.2022 को महानिदेशक, कारपोरेट कार्य, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष ईपीआईयूआईडीएल का नाम हटाने के लिए आवेदन दाखिल किया गया है। उस आवेदन के प्रत्युत्तर में, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ने ईपीआईयूआईडीएल को दिनांक 30.11.2022/07.12.2022 को कंपनी रजिस्टर (एसटीके–1) से कंपनी का नाम हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। इसके उपरांत ईपीआईयूआईडीएल की हड़ताल के मामले में आरओसी ने दिनांक 21.03.2023 को सुनवाई तय की। सुनवाई के उपरांत, आरओसी ने 21.04.2023 को एसकेटी–5 (कंपनी का नाम हटाने के लिए सार्वजनिक सूचना) जारी किया और इसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया। आरओसी ने आगे एसटीके–5, (सार्वजनिक सूचना) दिनांक 02.05.2023 को दिनांक 13.06.2023 के टाइम्स सिटी समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया। तदुपरांत, आरओसी ने दिनांक 20.07.2023 को एसटीके–7 (कंपनी का नाम हटाने और विघटन की सूचना) जारी की और दिनांक 29.07.2023 को शासकीय राजपत्र में इसे प्रकाशित किया। इसके पश्चात इस अनुषंगी कंपनी अर्थात् ईपीआईयूआईडीएल का नाम हटा दिया गया है और इसका विघटन कर दिया गया है। आज की तारीख में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट में कंपनी की प्रास्थिति ''बंद'' दर्शाई जा रही है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, निवेश मूल्य को निवेश के सापेक्ष पहले से किए गए प्रावधान में समायोजित किया गया है।

टिप्पण सं. 2.41

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार सीबीआई ने 08 मामले दर्ज किए हैं और ''कंपनी'' के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है जिसमें उस एफआईआर में ''ईपीआईएल'' को पक्षकार नहीं बनाया गया है और इस प्रकार इसके वित्तीय विवरण पर कोई वित्तीय प्रभाव की परिकल्पना नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, सीबीआई ने कंपनी के निधि की धोखाधड़ी/गबन का एक और मामला दर्ज किया है, जिसकी अभी जांच चल रही है और उक्त धोखाधड़ी/गबन का इसके वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव है।

तथापि, आज की तारीख को उपरोक्त मामले में जांच अभी भी चल रही है।

टिप्पण संख्या 2.42

राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं निकासी बोर्ड (एनडब्ल्यूएसडीबी), श्री लंका (ग्राहक) ने चीनी निर्माता/पूर्तिकार द्वारा ईपीआईएल को प्रदान की गई वेबुनिया जल आपूर्ति स्कीम के लिए पूर्ति किए गए एचडीपीई पाइपों को उनकी खराब क्वालिटी के कारण अस्वीकार कर दिया और ईपीआईएल को अच्छी क्वालिटी के पाइपों से बदलने के लिए कहा। ईपीआईएल ने चीनी पूर्तिकार को भुगतान जारी कर दिया था, तथापि ईपीआईएल को करार के निबंधनों के अनुसार एनडब्ल्यूएसडीबी से भुगतान (लगभग 96 प्रतिशत) मिल गया। विनिर्माता के विरुद्ध माध्यस्थम में दिनांक 31.10.2016 को 18.78 करोड रुपए की समतुल्य धनराशि का दावा किया गया है। माध्यस्थ ने दिनांक 29.01.2018 को 17.25 करोड़ रुपए (लगभग) का पंचाट ईपीआईएल को प्रदान किया और अब ईपीआईएल कोलंबो वाणिज्यिक उच्च न्यायालय में मध्यस्थ को डिक्री में परिवर्तित करने के लिए और चीनी विनिर्माता (जियांगसू कुयानलोंग, न्यू मैटेरियल कंपनी लिमिटेड) के विरुद्ध उसे लागू करने के लिए अग्रसर हो गई है।

टिप्पण संख्या 2.43

व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम, ग्राहकों का अग्रिम, प्रतिधारण धन, प्राप्य/संदेय प्रतिभूति जमा और व्यापार संदेय संपुष्टि और मिलान के अधीन हैं। प्रबंधन के मतानुसार, इनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

टिप्पण संख्या 2.44

प्रबंधन के मतानुसार, कारबार के साधारण प्रक्रम में वसूली होने पर चालू आस्तियों का मूल्य तुलन पत्र में किये गये कथनानुसार से कम नहीं है।

टिप्पण संख्या 2.45

क) 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार, व्यापार प्राप्य, प्रतिधारण और अन्य वसूली योग्य के रूप में मैसर्स यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से प्राप्त कुल राशि 2354.96 लाख रुपये है, जिसमें जिसमें विभिन्न विक्रेताओं को कुल संदेय 728.00 लाख रुपये है, तथा निवल प्राप्य 1627.88 लाख रुपये है। उपरोक्त राशि 10 वर्ष से अधिक पुरानी है और इसकी वसूली हेतु निरंतर प्रयास जारी है। अंतिम निपटान तक, प्रबंधन द्वारा मामले के अनुभव/प्रगति/मूल्यांकन के आधार पर, 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार निवल प्राप्य के लिए 773.29 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है और शेष राशि वसूली हेतु अच्छी मानी गई है। यूसीआईएल ने अपने पत्र संख्या यूसीआईएल/सीएमडी/14/2025/09 दिनांक 20.02.2025 द्वारा 11.619 करोड़ रुपये पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए सहमति व्यक्त की थी और ईपीआई ने अपने पत्र संख्या ईपीआई/डीएलआई/सीएमडी/ईआरओ/015 दिनांक 28.03.2025 द्वारा यूसीआईएल द्वारा प्रस्तावित राशि के लिए अपनी सहमति दी थी।

ख) बिहार पुलिस अकादमी राजगीर परियोजना ग्राहक द्वारा अप्रैल, 2017 को समाप्त कर दी गई थी। दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार उप एजेंसी से कुल वसूली योग्य राशि 4306.22 लाख रुपये थी, जिसे टिप्पण संख्या 2.12 में ''अन्य गैर–चालू आस्तियां'' के अधीन ''ग्राहक, विक्रेताओं और अन्य से वसूली योग्य'' के रूप में दर्शाया गया है। मामला दोनों ग्राहकों के साथ मध्यस्थता के अधीन है। उप–एजेंसी के विरुद्ध दिनांक 17.06.2024 के अंतिम निर्णय के अधीन ईपीआई के पक्ष में 54,62,196.57/– रुपये की राशि प्रदान की गई। ईपीआई ने 13.12.2024 को कलकत्ता उच्च न्यायालय में कार्यकारी याचिका दायर की थी।

घ) वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, डेहरी ऑन सोन में 5 एलएलपीडी डेयरी प्लांट, 30 एमटीपीडी पाउडर प्लांट पूर्ण और सेवाओं एवं प्रयोगशाला की स्थापना के लिए प्लांट उपकरणों के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग से संबंधित कुल अनुबंध का एक हिस्सा, जिसका मूल्य 8329.77 लाख रुपये था, ग्राहक द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ग्राहक, कॉम्फेड ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निष्पादन प्रतिभूति के मद में 226.96 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि वसूल की। 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कुल 657.46 लाख रुपये की राशि, जिसमें ग्राहक द्वारा मोबिलाइजेशन अग्रिम के सापेक्ष वसूल की गई 430.50 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी सम्मिलित है, को टिप्पण संख्या 2.12 में ''अन्य गैर–चालू आस्तियाँ – ग्राहक विक्रेताओं और अन्य से वसूली योग्य'' के अधीन दर्शाया गया है। मामले का मध्यस्थता के अधीन निपटारा किया गया और ईपीआई को 6,45,32,156/– रुपये अदा करने का आदेश दिया गया और आगे ईपीआई ने पटना जिला न्यायालय में दिनांक 12.09.2024 को कार्यकारी याचिका दायर की।

ङ) महानदी कोल फील्ड लिमिटेड (एमसीएल) द्वारा ईपीआई को एलओआई संख्या–एमसीएल/एसबीपी/ईएंडएम/2022–23/एलओए–163 दिनांक 18.05.2022 द्वारा 21830 लाख रुपये जिसके अंतर्गत कर भी सम्मिलित है, की लागत पर हिंगुला क्षेत्र, तालचेर में सीएचपी (कोल हैंडलिंग प्लांट) के संनिर्माण का कार्य प्रदान किया गया था। कार्य के विभिन्न पैकेजों के लिए निविदा जारी करने के दौरान, वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कार्य बजट को संशोधित किया गया है, तदनुसार 1809.13 लाख रुपये की प्रत्याशित हानि को लेखा बहियों में उपयुक्त रूप से समायोजित किया गया है और कंपनी द्वारा अंगीकृत की गई लेखांकन नीति संख्या –3(ई) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लाभ और हानि लेखा में दर्शाया गया है।

च) एनटीपीसी द्वारा एलओआई संख्या सीएस–0350–364(आर)–9–एलओए–002 दिनांक 14.08.2019 के द्वारा

ईपीआई को 4906.10 लाख रुपये जिसके अंतर्गत जीएसटी को छोड़कर सभी कर और शुल्क सम्मिलित हैं की लागत पर एनटीपीसी मुजफ्फरपुर के संनिर्माण का कार्य प्रदान किया गया था। उक्त परियोजना के कार्य बजट को वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान संशोधित किया गया है, तदनुसार 103.01 लाख रुपये की प्रत्याशित हानि को लेखा बहियों में उपयुक्त रूप से समायोजित किया गया है और कंपनी द्वारा अंगीकृत की गई लेखांकन नीति संख्या –3(ई) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लाभ और हानि लेखा में दर्शाया गया है।

छ) 15000 वर्ग फीट में फैले 8वें और 9वें तल के परिसर जो नगरपालिका कक्ष संख्या–50, चौरंगी रोड, कोलकाता–71 में स्थित है, के पट्टा करार की अवधि 30.09.2015 को समाप्त हो गई है। ईपीआईएल, कोलकाता कार्यालय के लिए पट्टा करार का नवीनीकरण माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष विचाराधीन है। है। अपीलकर्ता मैसर्स स्क्वायर फोर एसेट्स मैनेजमेंट एंड रीकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने माननीय न्यायालय के समक्ष मामला सं. 2016 का 144 में 2022 का जीए सं 18 दिनांक 08.02.2022 द्वारा ईपीआई से अक्तूबर, 2015 से मार्च, 2022 तक की अवधि से संबंधित 5952.70 लाख रुपये (जिसके के अंतर्गत 2581.27 लाख रुपये ब्याज और 514.28 लाख रुपये जीएसटी भी सम्मिलित है) का दावा किया है। इसके विरुद्ध माननीय एकल पीठ द्वारा दिनांक 03.11.2022 को अपीलकर्ता के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। ईपीआई ने माननीय एकल पीठ के उक्त आदेश के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ में अपील की और उक्त खंडपीठ ने दिनांक 09.06.2023 को माननीय एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर कंपनी ने पट्टा किराया के लिए वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 1656.81 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) का उचित प्रावधान किया है, जिसमें 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार 1659.21 लाख रुपये (31.03.2024 तक 1659.21 लाख रुपये) का संचयी प्रावधान है। इसे लेखा टिप्पण संख्या 2.4 में "अन्य व्ययों के लिए प्रावधान" मद के अंतर्गत विधिवत रूप से दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कोलकाता नगर निगम (''केएमसी'') ने विभिन्न संपत्ति कर ताजा/पूरक (यूनिट एरिया/एआरवी) से संबंधित 41,22,480 रुपये के बिल तामील किए जिसका भुगतान तिमाही आधार पर किया जाना था। कंपनी ने वर्ष के दौरान ईआरओ शाखा के टिप्पण संख्या 2.24 में दर और कर मद के अंतर्गत 24,73,488/– रुपये दर्शाये हैं, परंतु केएमसी को अदायगी नहीं की। वित्तीय वर्ष 2024–2025 के दौरान रिट याचिका संख्या डब्ल्यूपीओ/1232/2024 के अधीन कानूनी कार्यवाही आरंभ की दी गई है और मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

ज) कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की परियोजना, जिसे दिनांक 18.10.2023 को समाप्त कर दिया गया था, दक्षिण रेलवे, एर्नाकुलम के साथ सुलह के अधीन है। ग्राहक द्वारा आहरित 148.08 लाख रुपये के एसडीपीबीजी पर आईओबी द्वारा रोक लगा दी गई है। रेलवे ने माननीय सुलहकर्ता श्री के. रविकुमार, सीई/संनिर्माण/दक्षिण/एमएस को नियुक्त किया है। ईपीआई ने 443.50 लाख रुपये का वैध दावा प्रस्तुत किया है जो अभी चल रही है।

टिप्पण संख्या 2.46

कंपनी को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) की क्षमता में दिए गए कार्य के संबंध में कार्य के परिमाण में अन्य बातों के साथ संनिर्माण कार्यकलापों के लिए कांट्रेक्टरों की नियुक्ति, कांट्रेक्टरों की मानिटरी और पर्यवेक्षण, नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से कांट्रेक्टरों को भुगतान सम्मिलित है, कंपनी कांट्रेक्टरों के कार्य की संपूर्ण लागत को जिसके अंतर्गत पीएमसी फीस सम्मिलित है, "किया गया कार्य" शीर्ष के अधीन राजस्व के अधीन अपने टर्नओवर के रूप में मान्यता प्रदान करती है और तदनुसार कांट्रेक्टर के कार्य की लागत को कार्य लागत के अधीन मान्यता दी जाती है। ऐसी परियोजनाओं से संबद्ध आस्तियों और दायित्व नियोक्ता के निमित्त न्यास में धारित को कंपनी की आस्ति और दायित्व के रूप में उसके तुलन पत्र में संबंधित मदों के अंतर्गत मान्यता दी जाती है। इसका कंपनी द्वारा निरंतर अनुसरण किया जा रहा है जो अपने संविदाओं को लेखांकन मानक–7 के अधीन लागत जमा संविदा मानती है।

टिप्पण संख्या 2.47

वेतन और अन्य संबंधित लागत के लिए मुख्यालय व्यय 5.06 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 51.31 लाख रुपये) का वित्त वर्ष 2024–25 के लिए ओमान को आबंटित किया गया है जिसमें ओमान के शाखा लेखाओं में इसी व्यय की कटौती का ओमान आयकर नियमों और विनियमों के अनुसार दावा किया गया है।

टिप्पण संख्या 2.48

पट्टेदार के रूप में कंपनी:

कंपनी ने कतिपय कार्यालय और आवासीय परिसरों को परिचालन पट्टा पर लिया है जोकि संबंधित करारों के अनुसार समुचित नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है। वर्ष के दौरान 191.87 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 265.58 लाख रुपए) की धनराशि को इन रद्द किए जा सकने वाले पट्टा प्रचालनों के सापेक्ष दर्शाया गया है।

कंपनी ने कतिपय आस्ति जैसे कार को रद्द न किए जा सकने वाले प्रचालन पट्टों पर लिया है। वर्ष के दौरान 11.91 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 13.31 लाख रुपए) की धनराशि का इन रद्द न किए जा सकने वाले प्रचालन पट्टों के सापेक्ष अदायगी की। इन पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा संदाय इस प्रकार है:

(i) 1 वर्ष के पूर्व संदेय 8.53 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 11.91 लाख रुपए)।
(ii) 1 वर्ष के पश्चात किंतु 5 वर्ष से पूर्व संदेय 2.60 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 11.13 लाख रुपए।
(iii) 5 वर्ष के पश्चात संदेय शून्य रुपए (पूर्व वर्ष शून्य)

पट्टाकर्ता के रूप में कंपनी:

कंपनी ने कतिपय कार्यालय परिसरों को परिचालन पट्टा पर लिया है जोकि संबंधित करारों के अनुसार समुचित नोटिस देकर रद्द किये जा सकते हैं। वर्ष के दौरान 644.55 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 474.94 लाख रुपए) की राशि को इन रद्द किए जा सकने वाले पट्टा प्रचालनों के सापेक्ष रखा गया है।

इन पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा संदाय इस प्रकार है:

(i) 1 वर्ष के पूर्व प्राप्य 443.31 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 163.50 लाख रुपए)
(ii) 1 वर्ष के पश्चात किंतु 5 वर्ष से पूर्व प्राप्य 859.44 लाख रुपए (पूर्व वर्ष शून्य)
(iii) 5 वर्ष के पश्चात प्राप्य 316.42 (पूर्व वर्ष शून्य)

टिप्पण संख्या 2.49

संयुक्त उद्यम के संबंध में प्रकटन

क्र. सं.	संयुक्त प्रचालनों का नाम (अनिगमित)	भागीदार और मूल देश	31 मार्च की स्थिति के अनुसार भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2025	2024
1.	ईपीआई– सी एंड सी संयुक्त उद्यम *	सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इंडिया इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड इंडिया	60% 60%	40% 40%
2.	ईपीआई–वराह जेवी #	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, इंडिया वराह इन्फ्रा लिमिटेड इंडिया	51% 51%	49% 49%

**वर्ष के दौरान कंपनी ने मैसर्ज सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को पहले ही दिनांक 17.08.2021 को संयुक्त उद्यम करार को समाप्त करने के संबंध में नोटिस भेज दिया है। विदेश मंत्रालय ने दिनांक 9 फरवरी, .2022 के पत्र द्वारा म्यांमार के चिन राज्य में (प्लेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) पर 0.00 किलोमीटर से 109.20 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशनों के अनुसार दो लेन की सड़क की संनिर्माण की परियोजना) संपूर्ण संविदा को कार्य निष्पादन न होना बताते हुए समाप्त कर दिया।

मैसर्स सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड म्यामार संयुक्त उद्यम "ईपीआई– सीएंडसी जेवी (अनिगमित)" में हमारा 60 प्रतिशत स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में हमारा मुख्य कांट्रेक्टर एनसीएलटी में इस समय दिवाला कार्यवाहियों का सामना कर रहा है। इसके परिणाम और ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर इसके वित्तीय प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका है।

आगे, मैसर्स ईपीआई–सी एंड सी जेवी ने विदेश मंत्रालय (ग्राहक) और इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के समक्ष दिनांक 20.02.2024 को संयुक्त रूप से अपील दायर की है। इस प्रकार ग्राहक से वसूली योग्य राशि के रूप में 75.90 करोड़ का दावा दर्शाया गया है। तथापि, सी एंड सी परिसमापक से प्राप्त सूचना के अनुसार, परिसमापन की वर्तमान प्रास्थिति इस प्रकार है: यह ज्ञात है कि सी एंड सी कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड को 27/06/2024 को तवस्या एसएसएफ को बेच दिया गया है। सी एंड सी द्वारा तवस्य एसएसएफ को बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया गया था। तवस्य का आवेदन एनसीएलटी में लंबित है। तवस्य एसएसएफ ने एनसीएलटी, दिल्ली के समक्ष आवेदन दायर किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, प) सी एंड सी कन्स्ट्रशन्स लिमिटेड के निमित्त कोई पक्षकार से कोई देय का दावा करने और पप) सी एंड सी कन्स्ट्रशन्स लिमिटेड के निदेशकों की कोई प्रतिबद्धता से बाध्य न होने का आग्रह किया गया है। एनसीएलटी में अगली तारीख 21.05.2025 थी, जिसे 11.07.2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। परिसमापक ने अपने ईमेल दिनांक 04.05.2025 द्वारा सूचित किया है कि आस्तियों का वितरण आईबीसी के अनुसार होगा और ईपीआई के देयों पर वाटरफॉल व्यवस्था के अनुसार विचार किया जाएगा।

आगे मामले के निपटारे और धनराशि की वसूली के लिए 128.45 करोड़ रुपये के दावे के लिए ग्राहक के साथ पत्र ईपीआई/सीओ/म्यांमार/776/001 दिनांक 11.03.2025 द्वारा पत्राचार किया गया है।

भारतमाला परियोजना के अधीन ईपीसी मोड पर, गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर किमी 117.600 से किमी 185.000 तक मौजूदा चार लेन वाले जेतपुर–गोंडल–राजकोट सेक्षन को छह लेन में चौडीकरण से संबंधित 1204.80 करोड रुपये के कुल परियोजना मूल्य वाली परियोजना के लिए दिनांक 25 अगस्त 2023 को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और वराह इंफ्रा लिमिटेड जोधपुर के बीच एक संयुक्त उद्यम ''ईपीआई–वराह जेवी'' (अनिगमित) का गठन किया गया जिसमें संयुक्त उद्यम के प्रमुख भागीदार के रूप में कार्य करने वाले इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की भागीदारी 51 प्रतिशत और वराह इंडिया लिमिटेड के लिए 49 प्रतिशत की भागीदारी है। चूंकि यह एक अनिगमित संयुक्त उद्यम है तथा इसमें पूंजी निवेश के लिए ईपीआई द्वारा अंशदान नहीं दिया है।

टिप्पण संख्या 2.50

शेयरधारकों को संदेय लाभांश को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें उसे शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। इस वर्ष अर्थात् 2024–2025 के दौरान कंपनी ने अपने शेयरधारकों को लाभांश (पूर्व वर्ष 2023–24 में शून्य) की अदायगी नहीं की है।

टिप्पण संख्या 2.51

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निकायों से शोध्य धनराशि की पहचान कंपनी में उपलब्ध जानकारी के आधार पर की जाती है।

(राशि लाख रुपये में)

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों को संदेय'	**31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार**	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
विशिष्टियां		
i) प्रत्येक लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर किसी आपूर्तिकर्ता का मूलधन एवं उस पर शेष अप्रदत्त ब्याज;	4,513.88	2,509.24
ii) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे आपूर्तिकर्ता को की अदा की गई धनराशि के साथ धारा 16 के निबंधनों में क्रेता द्वारा संदत ब्याज की धनराशि;	शून्य	शून्य
iii) संदाय करने में विलंब की अवधि के लिए शोध्य और संदेय ब्याज की धनराशि (किंतु जिसका वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे संदाय किया गया है) किंतु इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट धनराशि को जोड़ें बिना;	शून्य	शून्य
iv) प्रत्येक लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर उद्भूत ब्याज एवं शेष अप्रदत्त धनराशि; और	शून्य	9.50
v) यहां तक की पश्चातवर्ती वर्षों में और अधिक शेष शोध्य और संदेय ब्याज की धनराशि, उस तारीख तक जब उपरोक्त शोध्य या ब्याज का वास्तव में लघु उद्यम को इस अधिनियम की धारा 23 के अधीन कटौती योग्य खर्च के रूप में मोक के प्रयोजन के लिए संदाय किया जाता है	शून्य	शून्य

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निकायों से शोध्य धनराशि की पहचान इन निकायों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर तथा कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के परिमाण तक पहचान की जाती है। वर्ष के दौरान किसी भी समय इन पहचान किए गए निकायों के प्रति 45 दिन से अधिक के लिए कोई धनराशि संदेय नहीं थी।

टिप्पण संख्या. 2.52

141. अनुसूची III में संशोधनों के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की तारीख 24.03.2021 की अधिसूचना के संदर्भ में अतिरिक्त विनियामक सूचना इस प्रकार है:

(i) अचल संपत्ति के जो कंपनी के नाम धारित नहीं है के स्वत्व विलेख:

अचल संपत्ति के जो कंपनी के नाम धारित नहीं है के स्वत्व विलेख के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(रकम लाख रुपए में)

तुलन पत्र में सुसंगत रेखा मद	संपत्ति का विवरण	समग्र वहन मूल्य	जिसके नाम हक विलेख धृत है	क्या हक विलेख धारक कोई संप्रवर्तक, निदेशक या किसी संप्रवर्तक* / निदेशक का संबंधी या संप्रवर्तक / निदेशक का कर्मचारी है	जिस तारीख से संपत्ति धृत है	कंपनी के नाम धारण ना करने के कारण**
पीपीई	स्कोप परिसर, नई दिल्ली में भवन	374.42	स्कोप परिसर, नई दिल्ली	नहीं	14–03–1988	संबंधित प्राधिकरण के साथ मामला उठाया गया है
संपत्ति में विनिधान	–	–	–	–	–	–
पीपीई सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त हो गया है और उसे निपटान के लिए धृत किया गया है	–	–	–	–	–	–
अन्य	–	–	–	–	–	–

#यहां नातेदार से कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित नातेदार अभिप्रेत है।

*यहाँ प्रमोटर का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित प्रमोटर से है।

(ii) इस संबंध में प्रकटन की क्या पुनर्मूल्यांकन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर आधारित है:

वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया।

(iii) संप्रवर्तक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति और संबंधित पक्षकारों को अनुदत्त ऋण अथव अग्रिमों का प्रकटन:

वर्ष के दौरान संप्रवर्तक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति और संबंधित पक्षकारों को कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया गया।

(iv) चालू पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी):

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार कंपनी में कोई सीडब्ल्यूआईपी विद्यमान नहीं है।

(v) विकासाधीन अमूर्त आस्तियां:

(क) विकासाधीन समयावधि (एजिंग) अनुसूची के अधीन अमूर्त आस्तियों के ब्यौरे:

(रकम लाख रुपए में)

विकासाधीन अमूर्त आस्तियां	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यू आईपी की रकम				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
प्रगति पर परियोजना:					
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजना	–	–	–	–	–
योग	–	–	–	–	–

(ख) विकास पूर्ण अनुसूची के अधीन अमूर्त असेट्स के ब्योरे:

(रकम लाख रुपए में)

विकासाधीन अमूर्त आस्तियां	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यू आईपी की रकम				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
प्रगति पर परियोजना:					
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजना	–	–	–	–	–
योग	–	–	–	–	–

(vi) धारित बेनामी संपत्ति के ब्यौरे:

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार कोई बेनामी संपत्ति कंपनी द्वारा धारित नहीं है।

(vii) चालू आस्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिया गया उधार:

कंपनी ने समय समय के आधार पर बैंकरों को वही अनंतिम वित्तीय डाटा प्रस्तुत किया है जो शासी मंत्रालय को भी सूचित किया गया है।

(viii) इरातदन चूककर्ता:

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्था या अन्य उधार दाता द्वारा इरातदन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ix) हटा दी गई कंपनियों के साथ संबंध:

कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अधीन या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अधीन बंद की गई कंपनियों के साथ कोई संव्यवहार नहीं किया है।

(x) कंपनी रजिस्ट्रार के साथ प्रभारों या ऋणमुक्ति का रजिस्ट्रीकरण:

सांविधिक अवधि से परे कंपनी रजिस्ट्रार के पास किन्ही प्रभारों या ऋणमुक्ति रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाना है।

(xi) कंपनियों की अनेक लेयरों का अनुपालन:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 का खंड (87) नियंत्रित कंपनी के वर्ग या वर्गों को विहित सीमा से परे अनुषंगी कंपनियां रखने पर निर्बंधन अधिरोपित करता है। उपरोक्त प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xii) विभिन्न अनुपातः

विभिन्न अनुपात का ब्यौरा इस प्रकार है:

विभिन्न अनुपात का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र. सं.	अनुपात का प्रकार	सूत्र (अंश गणक/ विभाजक)	प्रतिशत/ समय में	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24	भिन्नता प्रतिशत में
क)	चालू अनुपात	चालू आस्तियां/चालू दायित्व	कई बार में	1.21	1.16	4%
ख)	ऋण–साम्य अनुपात	बाहरी व्यक्तियों के दावे/ आंतरिक व्यक्तियों के दावे	कई बार में	33.00	31.69	4%
ग)	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ब्याज कर मूल्यह्रास से पूर्व अर्जन एवं अपाकरण/ब्याज मूलधन	कई बार में	0.24	(5.68)	104%
घ)	साम्या अनुपात पर रिटर्न	करोपरांत लाभ/शेयरधारकों की इक्विटी	%	0.57%	–173.22%	100%
ङ)	मालसूची टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की लागत/ औसत माल सूची	कितनी बार	616.98	331.05	86%
च)	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	निवल नकद बिक्री/औसत व्यापार प्राप्य	कई बार में	5.78	4.25	36%
छ)	व्यापार संदेय टर्नओवर अनुपात	निवल नकद क्रय/औसत व्यापार प्राप्य	कई बार में	4.20	3.17	33%
ज)	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	टर्नओवर/नियोजित पूंजी	कई बार में	6.00	4.52	33%
झ)	निवल लाभ अनुपात	निवल लाभ/कुल आय	%	0.01%	–7.15%	100%
ञ)	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	करोपरांत लाभ/कुल नियोजित पूंजी	%	0.88%	–271.93%	100%
ट)	निवेश पर रिटर्न	आस्तियों के किसी वर्ग से लाभ/ऐसी आस्तियों के वर्ग का बाजार मूल्य	%		लागू नहीं	लागू नहीं

पूर्व वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत से अधिक अनुपात में परिवर्तनों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है:

क) **ऋण सेवा कवरेज अनुपात में**, ईवीआईटीडीए पूर्व वर्ष में –56.10 करोड रुपए की तुलना में चालू वर्ष में अधिक टर्नओवर कारण चालू वर्ष में 11.39 करोड रुपए है। यह अनुपात पूर्व वर्ष की तुलना धनात्मक है।

ख) **साम्य अनुपात में रिटर्न में**, पूर्व वर्ष में 61.36 करोड रुपए की हानि की तुलना में चालू वर्ष में 0.20 करोड रुपए का लाभ है। यह साम्या में धनात्मक रिर्टन है।

ग) **मालसूची टर्नओवर अनुपात**, चालू वर्ष में बेचे गये माल एवं मालसूची की लागत क्रमशः 1341.79 करोड़ रुपये एवं 1.61 करोड रुपए है जबकि पूर्व वर्ष में यह क्रमशः 802.42 करोड़ रुपये एवं 2.74 करोड रुपए थी। इसके परिणामस्वरूप पूर्व वर्ष की तुलना में इस अनुपात में वृद्धि हुई है।

घ) **व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात में,** चालू वर्ष में प्रचालन व्यय एवं औसत व्यापार प्राप्य क्रमशः 1445. 25 करोड रुपए और 250.00 करोड रुपए है जबकि पूर्व वर्ष में यह क्रमशः 843.97 करोड रुपए और 198. 69 करोड रुपए था। इसके परिणामस्वरूप पूर्व वर्ष की तुलना में अनुपात में वृद्धि हुई है।

ङ) **व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात में,** चालू वर्ष में प्रचालन व्यय एवं औसत व्यापार प्राप्य क्रमशः 1341. 79 करोड रुपए और 319.32 करोड रुपए है जबकि पूर्व वर्ष में यह क्रमशः 802.42 करोड रुपए और 253. 20 करोड रुपए था। इसके परिणामस्वरूप पूर्व वर्ष की तुलना में अनुपात में वृद्धि हुई है।

च) **निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात में,** चालू वर्ष में टर्नओवर में वृद्धि के कारण पूर्व वर्ष की तुलना में अनुपात में वृद्धि हुई है।

छ) **निवल लाभ अनुपात में,** पूर्व वर्ष में 61.36 करोड़ रुपये के लाभ की तुलना में चालू वर्ष में 0.20 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। इसके परिणामस्वरूप निवल लाभ अनुपात में वृद्धि/धानात्मक रही।

ज) **नियोजित पूंजी के रिटर्न के अनुपात में,** चालू वर्ष में 0.20 करोड रुपए की वृद्धि के कारण जिससे चालू वर्ष में नियोजित पूंजी में वृद्धि हुई है (सूत्र में अंश भाजक मूल्य)। इसके परिणामस्वरूप पूर्व वर्ष की तुलना में यह धनात्मक अनुपात है।

(xiii) व्यवस्थाओं की अनुमोदित स्कीमों का अनुपालनः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से धारा 237 इसके अधीन कंपनी के लिए कोई स्कीम अनुमोदित नहीं की गई है।

(xiv) उधार ली गई निधियों और शेयर प्रीमियम का उपयोगः

कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों या निकाय जिसके अंतर्गत विदेशी निकाय (मध्यवर्ती) सम्मिलित हैं, से कोई अग्रिम नहीं लिया है या उधार नहीं लिया है या निधियों (या तो उधार ली गई निधियां या शेयर प्रीमियम या अन्य स्रोत या निधियों की किस्म) का निवेश नहीं किया है।

(xv) अप्रकटित आयः

वर्ष के लिए ऐसा कोई अप्रकटित आय या कोई संव्यवहार नहीं है जिसे लेखाबहियों में अभिलिखित किया गया है।

(xvi) क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा के ब्यौरेः

कंपनी ने वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा में कोई व्यापार या निवेश नहीं किया है।

टिप्पण संख्या 2.53

(क) दिनांक 05 सितंबर 2023 को, ओमान अरब बैंक ने सीएंडसी (ओमान) एलएलसी– प्रथम प्रतिवादी, अल नबा होल्डिंग एलएलसी– द्वितीय प्रतिवादी, श्री खालिद बिन हामिद बिन सैफ अल बुसैदी (अल नबा होल्डिंग एलएलसी के अध्यक्ष)–तृतीय प्रतिवादी और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड–चतुर्थ प्रतिवादी के विरुद्ध प्रथमतः न्यायालय (मस्कट प्राथमिक न्यायालय) में 14015.82 लाख रुपये (17,908,066.62 अमरीकी डॉलर के

समतुल्य) का संयुक्त रूप से या अलग–अलग अदायगी किए जाने का मामला दायर किया और साथ ही ओमान अरब बैंक के पक्ष में ईपीआई द्वारा जारी समनुदेशन पत्र का अनुपालन न करने के कारण, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड पर 6104.70 लाख रुपये (7,800,000 अमरीकी डॉलर के समतुल्य) का दावा दायर किया। यह मामला ओमन के न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

(ख) 3,380.37 लाख (ओएमआर 1580878.62 में) का ईंधन दावा लेखा में उलट दिया दया गया है और तदनुसार इसे वित्तीय वर्ष 2024–25 के राजस्व में समायोजित किया गया है और यही प्रक्रिया सहयोगियों/उप–कांट्रेक्टरों के लिए भी लेखाबद्ध की गई है। इस वापसी प्रवष्टि के परिणामस्वरूप होने वाले खर्चों को भी लेखा में लिया गया है।

(ग) मैसर्स एमएसए ग्लोबल एलएलसी, जो हमारे उप कांट्रेक्टर हैं, ने दिनांक 12.04.2023 को आईसीसी में मध्यस्थता के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है। आईसीसी द्वारा दिनांक 18.04.2023 को अधिसूचना जारी की गई। मैसर्स एमएसए ग्लोबल और ईपीआई ने क्रमशः अपनी ओर से मध्यस्थ नियुक्त कर लिए हैं और तीसरा मध्यस्थ उनके द्वारा नियुक्त किया गया है। एमएसए ग्लोबल एलएलसी ने ईपीआई के विरुद्ध 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर (17.31 मिलियन ओएमआर या 375.68 करोड़ रुपये के समतुल्य) का दावा किया है और ईपीआई ने आईसीसी सिंगापुर में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (1.92 मिलियन ओएमआर या 41.68 करोड़ रुपये) के समतुल्य का प्रति दावा प्रस्तुत किया है। इस मामले में आईसीसी द्वारा जारी प्रक्रियात्मक समय सारिणी के अनुसार याचिका/दस्तावेजीकरण प्रक्रिया चल रही है। यह मामला सिंगापुर के न्यायालय में विचाराधीन है।

टिप्पण संख्या 2.54

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने लाभ और हानि विवरण में ''वेतन और भत्ते – आउटसोर्स कर्मचारी'' को पुनः समूहीकृत किया है, जिसे पूर्व में ''कर्मचारी हितलाभ व्ययः: मद के अधीन वर्गीकृत किया गया था। आउटसोर्स कर्मचारियों को किए गए वेतन और ओवरटाइम संदाय जिन्हें पूर्व में ''कर्मचारी हितलाभ व्यय'' के अधीन दर्शाया जाता था, उसे अब पुनर्वर्गीकृत किया गया है और ''अन्य व्यय'' मद के अधीन दर्शाया गया है, ताकि ऐसी लागतों की प्रकृति को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सके और आंतरिक रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं के अनुरूपकिया जा सके। पूर्व में (31.03.2024) ''कर्मचारी हितलाभ व्यय'' के अधीन दर्शाई गई 1162.73 लाख रुपये की राशि को ''अन्य व्यय'' में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार, चालू वर्ष के लिए, 1,177.72 लाख रुपये की राशि को ''अन्य व्यय'' के अधीन दर्शाया गया है। इस पुनर्समूहीकरण का कंपनी के समग्र परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह समायोजन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि वित्तीय विवरण कंपनी की वित्तीय स्थिति और उसके कार्य निष्पादन और अधिक सटीक रूप से प्रस्तुत हो सके।

(ख) कंपनी क ग्राहकों की धनराशि धारित करने के लिए अपने नाम से समर्पित बैंक हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान 1,282,47 लाख रुपये की राशि इन ग्राहक–समर्पित खातों पर अर्जित ब्याज पूर्व में कंपनी की बहियों में आय के रूप में माना गया है और बाद में इसे व्यय के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें संबंधित ग्राहकों को हस्तांतरित/अंतरित राशि दर्शाई जाती है। यह पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में प्रस्तुति में बदलाव दर्शाता है, जहाँ यह ब्याज कंपनी की बहियों में न तो आय के रूप में और न ही व्यय के रूप में माना गया था। इसके बजाय, इस ब्याज को लाभ–हानि विवरण में दर्शाए बिना, बैंक में शेष और ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि, दोनों को देनदारी के रूप में बढ़ाकर सीधे ग्राहक के खाते में जमा कर दिया गया। कंपनी के प्रचालन में बेहतर पारदर्शिता और सटीक प्रतिबिंब सुनिश्चित करने के लिए, यह पुनर्समूहीकरण किया गया है। इस पुनर्समूहीकरण का कंपनी के समग्र परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह समायोजन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि वित्तीय विवरण कंपनी की वित्तीय स्थिति और उसके कार्य निष्पादन और अधिक सटीक रूप से प्रस्तुत हो सके।

(ग) पूर्व वर्ष के अंकों का पुनवर्गीकरण, पुनः समूहीकरण कर लिया गया है और चालू वर्ष के वर्गीकरण/समूहीकरण के अनुरूप करने के लिए उन्हें पुनः तैयार किया गया है।

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वीएसडी एंड एसोसिएट्स **चार्टर्ड अकाउंटेंट** **फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 008726एन**	**कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से**

ह०/– **(सीए हेमा डुडेजा)** **भागीदार** **सदस्यता सं. 501001** **तारीखः 24 जुलाई, 2025** **स्थानः नई दिल्ली** **यूडीआईएन**	**ह०/–** **(दिबेन्दु दास)** **निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी** **डीआईएनः 10234285**	**ह०/–** **(शिवेन्द्र नाथ)** **अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक** **डीआईएनः 10397812**
	ह०/– **(अशोक कुमार पात्रा)** **समूह महाप्रबंधक (वित्त)**	**ह०/–** **(नितेश कुमार गोयल)** **कंपनी सचिव**

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर, भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली–110 002

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्याः एएमजी-III/वार्षिक लेखा/
ईपीआईएल/(2024-25)/2025-26/208-209
दिनांकः 22 AUG 2025

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
कोर-3, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003

विषय : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के वार्षिक वित्तीय लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है।

भवदीय,

पवन
22/8/25

(डॉ पवन कुमार कोंडा)
ओ एस डी
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नकः- यथोपरि

दूरभाष / Phone : +91-11-23702357, फैक्स / Fax : +91-11-23702359, E-mail : pdaica@cag.gov.in

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा (6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी, कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर, अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह कहा गया है कि उन्होंने इसे अपनी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 12 अगस्त 2025 के माध्यम से किया है, जो अपनी पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 24 जून 2025 का स्थान लेती है।

मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक के वर्किंग पेपर तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक और कंपनी के कर्मियों से पूछताछ तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक जांच तक सीमित है। अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ लेखापरीक्षा अवलोकनों को प्रभावी करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया गया है।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ लेखापरीक्षा अवलोकनों को प्रभावी करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, मेरे पास अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आगे कोई टिप्पणी या पूरक प्रदान करने के लिए कुछ नहीं है।

कृते भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
और उसकी ओर से

पवन
22/8/25

(डॉ. पवन कुमार कोंडा)
ओएसडी
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 22 अगस्त 2025

विज़न

"एक अग्रणी टर्नकी परियोजना निष्पादन कंपनी बनना, परियोजनाओं की गुणवत्ता और समय पर पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध होना, हितधारकों के मूल्य में निरंतर वृद्धि करना और एक वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी संपूर्ण समाधान परामर्श कंपनी के रूप में उभरना।"

एफजीडी उकाई, गुजरात

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.
(भारत सरकार का उद्यम)